सप्तम माला,

3 April 1981

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

विषय-सूची

अंक 35, शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1981/13 चैत्र, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1—29
तारांकित प्रश्न संख्या :	659, 663, 664, 666 से 669, 671, 677 और 678	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		29—215
तारांकित प्रश्न संख्या :	662, 670, 672 से 674, 676 और 679	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	6202 से 6237, 6239 से 6251, 6253 से 6314 और 6316 से 6405	
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में		215—219
सभा पटल पर रखे गए पत्र		220—221
विधेयकों पर अनुमति		221—222
लोक लेखा समिति		222
28वां प्रतिवेदन		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		222—236, 237—252
पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं का समाचार		
श्री रामविलास पासवान		222
श्री केदार पांडे		223
श्री जैनुल बशर		231
श्री चित बसु		237
श्री जार्ज फर्नान्डीस		241

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किश्त के भुगतान और पेंशनरों को राहत देने के बारे में वक्तव्य 236—237

श्री आर० वेंकटरामन 236

विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1980 के बारे में याचिका 252

श्री अजित कुमार साहा 252

संविधान (46वां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया 252

नियम 377 के अधीन मामले 252—257

(एक) सवाई की रस्सियों और साल की पत्तियों की ढुलाई के लिए उड़ीसा को और अधिक रेल वैगनों की सप्लाई

श्री चिंतामणि जैना 252

(दो) ईरान ईराक युद्ध के कारण खाड़ी में फंसे जहाजों को वहां से लाने और दुबई से खजूर लाने के लिए भारतीय जहाजों का उपयोग किये जाने के लिए कार्यवाही

श्री दौलत सिंह जी जदेजा 253

(तीन) राजस्थान के बूंदी जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण कुमार गोयल 254

(चार) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ की आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थापना करने की आवश्यकता

श्री दिगम्बर सिंह 254

(पांच) दिल्ली में स्कूलों में पर्याप्त संख्या में उर्दू के अध्यापक नियुक्त करने और उर्दू में परीक्षा लेने की व्यवस्था करने के उपाय

श्री जैनुल बशर 255

(छः) जीवन बीमा निगम के श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों की कथित अनिश्चित कालीन हड़ताल और इन कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का हाल का फैसला

श्री सुनील मैत्रा 255

अनुदानों की मांगें—1981-82 257—262

संचार मन्त्रालय

श्री अर्जुन सेठी 257

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम 259

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 262—263

20वां प्रतिवेदन

विधेयक पुरःस्थापित 263—265

(1) भू-संरक्षण विधेयक

डा० बसन्त कुमार पंडित 263

(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1981
(नये अनुच्छेद 48ख आदि का अन्तःस्थापन)

श्री दिग्विजय सिंह 263

(3) विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1981

श्री दिग्विजय सिंह 264

(4) सरकारी सेवाओं में पदों और शैक्षिणिक संस्थाओं में स्थानों का (आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए) आरक्षण विधेयक, 1981

श्री राम नगीना मिश्र 264

(5) बहु-विवाह उन्मूलन विधेयक, 1981

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 264

छोटे किसान सहायता विधेयक 265—300

श्री के० लकप्पा

विचार किये जाने का प्रस्ताव

श्री पी० राजगोपाल नायडू 265

श्री बापूसाहिब परुलेकर 267

श्री आर० एस० स्पैरो 270

श्री मूलचन्द डागा 272

श्री एस० मुरुगैयन 274

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 276

श्री आर० वाई० घोरपाडे 278

श्री सुधीर कुमार गिरि 281

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 284

श्री एस० बी० सिदनाल 286

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 288

श्री राम सिंह यादव 290

श्री गिरधारी लाल व्यास 292

श्री झारखंडे राय 295

श्री चन्द्र भान आठरे पाटिल 297

श्री जयपाल सिंह कश्यप 298

श्री ए० टी० पाटिल 299

लोक सभा

शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1981/13 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, प्रश्न सं० 661 के बारे में न तो कोई विवरण ही परिचालित किया गया है और न ही कोई उत्तर। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मंत्री जी से पूछें कि वे क्या कहना चाहते हैं ?

प्रश्न संख्या 660 को स्थगित कर दिया गया है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रश्न संख्या 661 के संबंध में पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इसे भी स्थगित कर दिया गया है ।

प्रो० मधु दंडवते : यहां इसका उल्लेख नहीं है । यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इस प्रश्न को किसी अन्य तारीख की कार्यसूची में रख दिया गया है ।

एक माननीय सदस्य : इस बात का नीचे उल्लेख किया गया है कि इस प्रश्न को 25-3-81 की सूची से अन्तरित किया गया है ।

प्रो० मधु दंडवते : आज दोबारा इसको अन्तरित कर दिया गया है । यह प्रश्न पृथ्वी की कक्ष का चक्कर लगा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पूतनिक की तरह घूम रहा है ।

अब प्रश्न सं० 659-श्री रामविलास पासवान ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कम्पनियों द्वारा ऋणों का निर्धारित समय पर वापस न किया जाना

* 659. **श्री रामविलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्राप्त 10 लाख रुपये से अधिक राशि के ऋणों का भुगतान निर्धारित समय पर न किए जाने की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों द्वारा ऋणों का नियमित रूप से भुगतान किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम० आर० टी० पी०) अधिनियम, 1959 की धारा 26 के अधीन पंजीकृत जिन बड़े औद्योगिक उपक्रमों को अखिल भारतीय सावधिक ऋण देने वाली संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) और भारतीय औद्योगिक प्रत्यय और निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) द्वारा 10 लाख रुपए से अधिक ऋण दिए गए है उनके द्वारा मूलधन की वापसी में किए गए व्यतिक्रम के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

	वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)	सब कम्पनियों द्वारा मूलधन के बारे में किए गए व्यतिक्रम से एम० आर० टी० पी० कंपनियों द्वारा मूलधन के बारे में किए गए व्यतिक्रम की प्रतिशतता
आई० डी० बी० आई०	(जून के अंत की स्थिति)		
	1978	7.61	38.89
	1979	8.16	27.67
	1980	8.48	24.30
आई० एफ० सी० आई०	(दिसंबर के अंत की स्थिति)		
	1978	3.65	14.8
	1979	3.59	9.0
	1980	3.15	6.9

	1	2	3
आई० सी० आई० सी०-आई०	(दिसंबर के अंत की स्थिति)		
	1978	1.03	13.21
	1979	1.35	15.96
	1980	1.37	13.56

यद्यपि, समग्र रूप में मूलधन की वापसी में व्यतिक्रम की राशि में सामान्यत: वृद्धि हुई हैं, सब कम्पनियों द्वारा किए गए कुल व्यतिक्रम से एम० आर० टी० पी० कंपनियों के व्यतिक्रम की प्रतिशतता में सामान्यत: कमी आई है ।

(ख) ये संख्याएं, निरन्तर अनुवर्ती कार्रवाई, सावधिक निरीक्षणों की आवृति को बढ़ाने, व्यतिक्रमी प्रतिष्ठानों के प्रवर्तकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ प्राय: वैयक्तिक चर्चा करने आदि द्वारा मूलधन और अन्य अतिदेय राशियों की समय पर वापसी अदायगी को सुनिश्चित करने के सभी संभव प्रयास करती हैं । जिन पात्र और अर्थक्षम मामलों में, सहायता प्राप्त कम्पनियों के अनुरोध की ब्यौरे-वार जांच के बाद, ऋण की किस्तों की वापसी अदायगी का कार्यक्रम फिर से तैयार करना आवश्यक लगाता है, केवल उन्हीं मामलों में इस सुविधा की अनुमति दी जाती है । रुग्ण एककों के सम्बन्ध में ब्यौरे-वार जांच के बाद उपयुक्त मामलों में पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं । जहां वसूली के अन्य उपाय असफल हो जाते हैं वहां प्रबन्ध में परिवर्तन और ऋणों की वापसी की मांग/कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया जा सकता है ।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके मुताबिक मैं यह जानना चाहता था कि वे कौन-कौन सी कम्पनियां हैं तथा उन के पास कितना बकाया है—जिनको आपने 10 लाख रुपये से ज्यादा फायनान्स किया है, लेकिन आपने अपने उत्तर में कहीं भी कम्पनियों के नाम नहीं दिए हैं । सिर्फ एमाउन्ट-इन-करोड़ तथा परसेन्टेज लिख दिया है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपकी फाइनैन्शल इंस्टीचूशन्ज तथा बैंकों ने किन-किन कम्पनियों को 10 लाख रुपये से अधिक फाइनान्स किया है, उन के पास कितना रुपया बकाया है तथा जिन के पास बकाया है उन को फिर से आप ने क्यों ऋण दिया है ?

श्री मगनभाई बरोट : प्रश्न इस संबंध में नहीं है कि कौन-कौन सी कम्पनियां दोषी हैं, तथापि, यदि माननीय सदस्य एवं सदन की इच्छा यह जानना है तो हम जानकारी एकत्र करके सभापटल पर रख देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह कह रहे हैं कि हम इन्फार्मेशन कलैक्ट करेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : हम ने प्रश्न पूछा है, इस में चाहने की क्या बात है ? अगर न चाहते, तो प्रश्न नहीं पूछते ।

श्री मगनभाई बारोट : आप का जो सवाल है, उस में आप ने कम्पनियों के नाम के बारे

में नहीं पूछा है। फिर भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम नाम बताएं, तो सदन के पटल पर हम रख देंगे।

अध्यक्ष महोदय : इन का कहना है कि आपने नाम नहीं पूछे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं आप को प्रश्न पढ़ कर सुनाता हूं :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों के द्वारा" अब 'आने वाली कम्पनियों' का मतलब क्या होता है ? तो जो कम्पनियां हैं, उनका नाम क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सच है.....

श्री राम विलास पासवान : इस के बाद इस में यह है :

"विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्राप्त 10 लाख रुपये से अधिक राशि के ऋणों का भुगतान निर्धारित समय पर न किए जाने की घटनाओं" तो कौन कम्पनियां हैं और किन को आप ने 10 लाख रुपये से अधिक दिया है और उन के पास कितना बकाया है, यह क्वैश्चन आता है।

श्री आर० वेंकटरामन : आपने कम्पनियों के नाम नहीं पूछे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सच है कि ऋणों का भुगतान निर्धारित समय पर न किए जाने की घटना ट्रान्सलेशन में नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : तीन मुद्दे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ने अपने मन में यह विचार धारण किया। वह ठीक है और जो वे कह रहे हैं, वह भी ठीक है। इसलिए इस का समाधान करना पड़ेगा, दोनों को। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रोफेसर मेरा बचाव कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : उसी में मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिन कम्पनियों के पास बकाया है, उन को फिर क्यों आपने दोबारा ऋण दिया ? इसका तो आप जवाब दे सकते हैं।

श्री मगनभाई बरोट : यह प्रश्न ऋण निर्धारित समय पर वापस न किए जाने के बारे में है। जब कोई कम्पनी किन्हीं अस्थायी कारणों से कठिनाई में है तो यह आवश्यक नहीं है कि संस्था उन्हें ऋण देना बन्द कर दे और उनकी स्थिति में और अधिक गिरावट आने दी जाए। ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह है कि संस्थाओं को ऋणों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और उनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उसका ध्यान रखा जाना चाहिए और रखा जा रहा है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है, उस में जो आई० डी० बी० आई० है, आई० एफ० सी० आई० है और आई० सी० आई० सी० आई० है, इन तीनों का यदि आप परसैन्टेज देखें, तो एक दूसरे में काफ़ी अन्तर है और इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि एक दूसरे की तुलना में किसी एक के साथ अधिक धांधली हो रही है। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जो बकाया पैसा है इन बड़े बिजनेस हाऊसेज के पास में, यदि आप जवाब को देखें और यदि आप प्रति दिन का आंकड़ा निकालें, तो ये जो बड़े-बड़े बिजनैस हाऊसेज हैं, इन को 30 लाख रुपये से ज्यादा की प्रति दिन की आमदनी होती है, 30 लाख रुपये से ज्यादा प्रति दिन वे कमा रहे हैं। 1972 के आंकड़ों को देख लें और 1978 के आंकड़ों को देख लें. तो साल में 100 करोड़ रुपये की वृद्धि है और एक दिन में 30 लाख रुपये से ज्यादा वे कमा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार का, बैंकों का और दूसरी जो फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनका पैसा मार कर बैठे हुए खा रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इन से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है और सरकार के हाथ में जो हथियार हैं, उस का जो लियाजां अफसर है, इंडस्ट्रीज और सरकार के बीच में जो समझौता कराता है, वही सब गड़बड़ करता है जैसा थाल प्रोजेक्ट के बारे में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : घड़ियाल तकड़ा होता है या मगरमच्छ ?

श्री राम विलास पासवान : मगरमच्छ। तो मैं यह कह रहा था कि यह जो लियाजां अफसर होता है, जो बीच में इधर-उधर करता है, इस की गतिविधियों पर क्या सरकार नजर रखती है ? क्या सरकार इस बात को एस्योर करेगी कि इन लोगों के पास जो बकाया पैसा है, वह जल्दी अदा होगा ? कब तक वह अदा किया जाएगा और मैं तो यह कहूंगा कि आगे स्वत: पेमेंट होता रहे – टेक्निकेलिटीज में आप मत जाइए, बारोट साहब—यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, हमारा क्या बिगड़ेगा, देश गर्क में जाएगा और इस चीज को हाऊस एवाइड करना चाहता है। तो मैं यह कहता हूं,.....

अध्यक्ष महोदय : चलिये, बहुत हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : कि आगे से स्वत: पेमेंट होता रहे चाहे वह बैंकों का पैसा हो, चाहे फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स का पैसा हो, चाहे किसी दूसरे का हो, स्वत पेमेट होता रहे। इस बारे में आप कोई नियम या कानून बनाने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा लम्बा प्रश्न मत किया कीजिए।

श्री मगनभाई बारोट : मैं माननीय सदस्य का ध्यान वक्तव्य की ओर दिलाना चाहूंगा। उन्हें यह देख कर प्रसन्नता होगी कि सभी तीनों संस्थाओं में 1979-80 से स्थिति में सुधार हुआ है। आई० डी० बी० आई० के मामले में देखा जा सकता है कि चूक का प्रतिशत 27.67 से घट कर 24.30 प्रतिशत हो गया है, आई० एफ० सी० आई० के मामले में 9.9 से 6.9 और आई० सी० आई० सी० आई० के मामले में यह 15.96 से घट कर 13.56 प्रतिशत हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह राशि के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं।

श्री मगनभाई बारोट : हर प्रकार की सावधानी बरती जा रही है।

श्री राम विलास पासवान : यह तो जवाब में है। ह्वाठ प्रिकोशंस ?

श्री मगनभाई बरोट : यदि माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि यदि कोई कम्पनी एक दूसरी कम्पनी की मालिक है और कोई कम्पनी राशि की अदायगी नहीं कर रही है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि क्योंकि यह कम्पनी धनवान है अथवा इस कम्पनी का मालिक धनी है, हम उससे ऋण की राशि वसूल कर लें, मेरे विचार में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमने कितनी राशि ऋण के रूप में दी है और हम कितनी राशि वसूल कर सकते हैं।

श्री चित्त बसु : ऋण देने वाली अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों को आई. डी. बी. आई. द्वारा 23 करोड़ रुपये, आई० एफ० सी० आई० द्वारा 10 करोड़ और आई० एफ० सी० आई० द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए हैं जो कि वसूल नहीं हुए हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार की नीति है और यदि फिलहाल सरकार की यह नीति नहीं है तो क्या सरकार ऋण देने वाली अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा किए गए ऋणों को इक्विटी में बदलने की व्यवहार्यता पर विचार करेगी। क्योंकि ऐसा करना एकाधिकार घरानों को वन के दुरुपयोग से रोकने में सहायता सिद्ध होगा तथा सरकार एकाधिकार घरानों की प्रबन्ध व्यवस्था तक अपनी बात पहुचा सकेगी। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

वित्त मत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मेरे माननीय मित्र को याद होगा कि गत वर्ष बजट भाषण में मैंने कहा था कि यह एक मार्गदर्शी सिद्धान्त है कि ये ऋण देने वाली संस्थाएं 40 प्रतिशत ऋण को इक्विटी में बदल सकती हैं। और उचित मामलों में हम उस शक्ति का प्रयोग करेंगे।

श्री चित्त बसु : क्या उस अधिकार को पहले प्रयोग किया जा चुका है ?

श्री आर० वेंकटरामन : जी हां, कुछ मामलों में।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : क्या भुगतान निर्धारित समय पर न किए जाने पर कोई दण्डात्मक ब्याज लेने का उपबन्ध है और यदि हां तो कितना ब्याज लिया जाता है ?

श्री आर० वेंकटरामन : ऋण का भुगतान निर्धारित समय पर न करने पर बैंक दण्डात्मक ब्याज लेते हैं। प्रत्येक बैंक इस ब्याज की दर अपने नियमानुसार निर्धारित करता है। अतः, प्रत्येक मामले में, जब कभी भी ऋण की अदायगी निर्धारित समय पर नहीं की जाती है, दण्डात्मक ब्याज लिया जाता है।

श्री सतीश अग्रवाल : यह प्रश्न बैंकों से सम्बद्ध न हो कर आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई० से संबंधित है। मैं इन्हीं संस्थाओं के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं कि क्या बैंकों की तरह इन संस्थाओं में भी दण्डात्मक ब्याज लेने की व्यवस्था है। मैं बैंकों की बात नहीं कर रहा हूं ?

श्री आर० वेंकटरामन : यह मैं अभी आपको नहीं बता सकूंगा। इस सम्बन्ध में मैं आपको जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के पास वित्तीय संस्थाओं का बकाया ऋण अन्य औद्योगिक घरानों की अपेक्षा कम है। माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय संस्थाओं का लगभग 100 करोड़ रुपये का ऋण विभिन्न औद्योगिक घरानों पर बकाया है। सरकार ने इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : "बकाया" शब्द में अस्थाई गैर अदायगी भी शामिल है। इस प्रकार के ऋणों का भुगतान निर्धारित समय पर न होने के लिए कई बातें जिम्मेदार हैं। कई मामलों में तो, परिस्थिति इन कम्पनियों के नियंत्रण से बाहर है। उदाहरणतया, वर्ष 1979 और 1980 के शुरू में, बिजली संबंधी बाधाओं के कारण ये कम्पनियां ऋणों की अदायगी न कर सकीं। कई मामलों में इसके लिए कच्चे माल का उपलब्ध न होना भी जिम्मेदार है। इसलिए, हम निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान न किए जाने के मामले के सम्बन्ध में यह नहीं कह सकते कि ऐसा स्वेच्छा से किया गया था। वित्तीय संस्थाएं इन सभी कारकों पर विचार करेंगी। और जहां ऐसा प्रतीत होता है कि ऋण का भुगतान स्वेच्छा से रोका गया था वे संस्थाएं उन कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर देती हैं। कई ढंग से उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। श्री फर्नान्डीस इस बारे में जानते हैं।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषकों को जो ऋण दिया जाता है यह एकाधिकार गृहों को दिए जाने वाले ऋण के मुकाबले में बहुत कम होता है। इसी प्रकार एकाधिकार गृह यदि समय पर ऋण का भुगतान नहीं करते हैं तो उनको ऋण दिया जाता है, लेकिन कृषक यदि ऋण का भुगतान नहीं करता है तो उसको ही नहीं पूरे जिले में ऋण नहीं देते हैं। इस तरह से ये अलग-अलग तरह के नियम, कंपनियों के लिए अलग और कृषकों के लिए अलग, क्यों हैं और इसमें सुधार किया जाएगा ?

श्री मगनभाई बारोट : प्रश्न असंबंधित है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो अपने ढंग से प्रश्न पूछकर जवाब मांग सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मेरे विचार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। आप कह दीजिए कि इस पर विचार किया जायेगा।

श्री मगनभाई बारोट : हम इस पर विचार करेंगे ।

आयातित अखबारी कागज पर लेवी

*663. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री बी० वी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसायटी की कार्यकारी समिति ने वर्ष 1981-82 के बजट में, आयातित अखबारी कागज पर प्रस्तावित 15 प्रतिशत की लेवी पर भारी चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अधिकांश अन्य देशों में अखबारी कागज के उत्पादन के लिए अपेक्षित मूल कच्ची सामग्री शुल्क मुक्त है ; और

(ग) क्या उपरोक्त तथ्य की दृष्टि से सरकार का विचार उक्त लेवी को हटाने अथवा उसे घटाकर मामूली करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां

(ख) हमारी जानकारी के अनुसार बहुत से देश अखबारी कागज पर शुल्क लगाते हैं ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या इंडियन एण्ड इस्टर्न सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया गया है ?

इसका उत्तर है "मामले की जांच की जा रही है" । इस पर अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : सोसाइटी ने हमारे पास अभ्यावेदन भेजे हैं और इस मामले की जांच की जा रही है । जब मैं वित्त विधेयक को विचारार्थ पेश करूंगा तब सदन को इस संबध में लिए गए निर्णय से अवगत कराया जाएगा ।

श्री डी० पी० जदेजा : यह स्पष्ट है कि इस कर का प्रभाव छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों पर पड़ेगा । क्या मैं माननीय मत्री जी से पूछ सकता हू कि छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्र जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यदि उनकी प्रतिशतता के आंकड़े नहीं हों तो उनकी संख्या कितनी है ?

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, समाचार पत्रों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है । जिन समाचारपत्रों की बिक्री 15,000 प्रतियां हैं वे छोटे समाचारपत्रों की श्रेणी में आते हैं ।

जिन समाचारपत्रों की बिक्री 15,000 से 50,000 तक है उन्हें मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्र कहा जाता है ।

और जिन समाचारपत्रों की बिक्री 50,000 प्रतियों से अधिक है उन्हें बड़े समाचारपत्र कहा जाता है ।

न्यूजप्रिंट की खपत की मात्रा समाचारपत्र की श्रेणी पर निर्भर करती है ।

परन्तु हमने यह हिसाब नहीं लगाया है कि प्रत्येक श्रेणी के समाचारपत्र कितने कराधान का भार वहन कर पायेंगे ।

परन्तु, जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है, यह न्यूज पेपर सोसाइटी के पक्ष में दें । इस दलील पर यथासमय विचार किया जायेगा ।

विदिशा जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलना

*664. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में वर्ष 1981-82 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इतने महत्वपूर्ण सवाल का जवाब "यस" और "नो" में दे दिया है, जबकि इस प्रश्न का सीधा संबंध ग्रामीण विकास और प्रधानमंत्री के बीस सूत्रीय कार्यक्रम से है और उन्होंने स्वयं अपने जवाब में, जो कि उन्होंने 31 दिसम्बर, को लिखा था, इस बात को स्वीकार किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में वे जांच करवा रहे हैं और इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के एक जिला रायसेन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, वहीं दूसरे जिले विदिशा में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा नहीं है । इस संबंध में दिसंबर में जो प्रस्ताव दिया गया था, उस पर क्या कार्यवाही की गई है । क्या उस प्रस्ताव के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हुए हैं तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गई है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री मगनभाई बारोट : जहां तक माननीय सदस्य के अनुरोध का प्रश्न है, उसे भारतीय रिजर्व बैंक को विचारार्थ भेज दिया गया है । प्रक्रिया यह है कि संचालन समिति बनाई गई है जो इस मामले की जांच करती है; यह संचालन समिति राज्य सरकारों द्वारा, दी गई सलाह को भी ध्यान में रखती है और इस सब के पश्चात् ही मामले में निर्णय लिया जाता है ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : वहां क्षेत्रीय लोगों से सम्पर्क करके जो सुझाव दिया है उसका कोई महत्व ही नहीं है ?

श्री मगनभाई बरोट : यही तो मैं कह रहा हूं। माननीय सदस्य का पत्र रिजर्व बैंक को भेज दिया गया है। बैंक खोलने के इस मामले में राज्य सरकार से भी परामर्श लिया जाता है, और इसलिए, राज्य सरकार की सलाह मिलने पर ही तथा अन्य कारणों पर विचार करने के उपरान्त ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे बताया गया है कि आमतौर पर, हमारे प्रत्येक जिले में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कम से कम एक शाखा होनी अनिवार्य है। मैं नहीं जानता कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन बैंकों में से कोई एक बैंक इस क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करे, कोई कदम उठाए गए हैं अथवा नहीं। यदि इस क्षेत्र में इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई गई होती तो तत्संबंधी की सूचना स्वेच्छा से ही दे दी गई होती यह कहने के साथ-साथ कि वहां कोई ग्रामीण बैंक नहीं है—और यह कि वहां अन्य बैंक इन लोगों को सेवाएं उपलब्ध कर रहा है।

श्री मगनभाई बारोट : इस जिला-विशेष में वाणिज्यिक बैंक शाखाओं की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं।

शाखाएं : ग्रामीण 13; अर्द्ध-शहरी 12; कुल 25, यद्यपि हमने जो मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाये हैं, उनके अनुसार 1,7000 जनसंख्या के लिए एक बैंक होना चाहिए लेकिन इस क्षेत्र विशेष में 26.000 जनसंख्या के लिए एक बैंक है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या माननीय मंत्री हमें यह बताएगे कि नए ग्रामीण बैंक खोलने के लिए जिला विदिशा से कितने प्रस्ताव संचालन समिति को भेजे गए हैं तथा वे विचार के किस चरण में है ?

श्री मगनभाई बारोट : एक ग्रामीण बैंक खोलने का प्रस्ताव है·····।

डा० वसन्त कुमार पंडित : संचालन समिति को कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह रिजर्व बैंक को करना होता है ?

श्री मगनभाई बारोट : यह रिजर्व बैंक को करना होता है। एक संचालन समिति है·····।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उस पर निर्भर रह सकते हैं ?

श्री मगनभाई बारोट : रिजर्व बैंक, राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद बैंक खोलने अथवा न खोलने के बारे में विचार करता है, और खोलने के पक्ष में निर्णय हो जाने पर, कितने·····।

डा० वसन्त कुमार पंडित : संचालन समिति के विचाराधीन कितने प्रस्ताव हैं और उनमें से कितने प्रस्तावों पर राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ?

श्री मगनभाई बारोट : वहां, प्रावधान यह है कि इस जिले में एक ग्रामीण बैंक खोला जाएगा। (व्यवधान)। हमेशा यह बात नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस बैंक के क्षेत्राधिकार में एकाधिक जिले हों। इस मामले विशेष में, संचालन समिति से परामर्श आदि लेने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जब भी ऐसे प्रश्न उठते हैं जहां भी ग्रामीण ऋणों का प्रश्न उठता है, तो हमेशा रिजर्व बैंक को लिखा जाता है और ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक ने जो प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं उनसे देहाती जनसंख्या के रास्ते में कोई बाधा है। क्या माननीय मंत्री हमें यह ठीक-ठीक बता सकेंगे कि वास्तव में वे बाधाएं कौन सी हैं और उन्हें कब तक दूर किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : यदि आप कृषि ऋणों के इतिहास पर नजर डालें.....।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि इस दिशा में रिजर्व बैंक की नीति तथा रवैया क्या है।

श्री० आर० वेंकटरामन : यही तो मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप देश में ग्रामीण तथा कृषि ऋणों संबंधी नीति के इतिहास पर नजर डालें तो मालूम होगा कि रिजर्व बैंक ही सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रायोजक, पिता, मार्ग-दर्शक तथा चिन्तक रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : पिता तथा दादा।

अध्यक्ष महोदय : सौतेला बाप नहीं।

श्री० आर० वेंकटरामन : वास्तव में, इसकी सभी योजनाएं ग्रामीण विकासोन्मुख रहीं हैं। रिजर्व बैंक स्वभाविकत: जिले की आवश्यकताओं की तुलना में वर्तमान वाणिज्यिक बैंकों पर विचार करता है तथा यह बताता है कि कोई ग्रामीण बैंक खोला जाना चाहिए अथवा नहीं। ग्रामीण बैंक एक जिला बैंक होता है जो विशेषत: कृषि व्यावसायियों, सीमान्त किसानों, छोटे किसानों, आदि को सेवाएं प्रदान करता है। वे केवल 5,000 रुपये तक का ऋण देते हैं। वे जिले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं और तब यह निर्णय करते हैं कि जिले में एक बैंक होना चाहिए अथवा दो जिलों में एक बैंक होना चाहिए। हमने निर्णय किया है कि देशभर में कुल मिलाकर 176 ग्रामीण बैंक होंगे तथा इस योजना अवधि में हमारे पास 100 बैंक हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि सभा धैर्य रखे। इस योजना के समाप्त होने से पहले, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी जिलों में, न्यूनाधिक एक ग्रामीण बैंक हो।

अध्यक्ष महोदय : धैर्य की भी सीमा होती है।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे पहले कि आप अगला प्रश्न लें मैंने एक निश्चित प्रश्न पूछा था कि रास्ते में कोई प्रक्रिया संबन्धी अड़चनें हैं, और यदि हैं तो उन्हें दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : इस मामले में कोई भी अड़चनें नहीं है। वास्तव में ग्रामीण ऋण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा हर सुविधा प्रदान की जा रही है।

श्री शिव कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, यह जो ग्रामीण बैंक खोले जाते हैं, मेरे जिले में बहुत से ग्रामीण बैंक खोले गये हैं, 15 खुले हैं, जब कि विदिशा में एक भी नहीं दे रहे है, मेरे जिल में 15 है, मगर देखा यह जाता है कि यह जो बैंक खोले गये हैं यह केवल बड़े किसानों को या बड़े व्यापारियों को ही अधिक फाइनांस करते हैं। अभी मंत्री जी ने कहा केवल मार्जिनल फार्मस या छोटे किसानों को देना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। क्या इसको जांच करायेंगे ? और यदि हां, तो क्या ऐसा कोटा फिक्स करेंगे कि जो कमजोर किसान है, मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको अधिक से अधिक फायदा हो ?

श्री मगनभाई बारोट : इन बैंकों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य इस वर्ग को सहायता पहुंचाना है। किसी भी प्रकार, यदि माननीय सदस्य को किसी बैंक विशेष के कार्य-संचालन के बारे में कोई शिकायत हो तो वह लिख सकता है और हम इस उसकी जांच करेंगे।

श्री शिव कुमार सिंह : छोटे किसान चक्कर लगाते हैं बैंकों के कूंए खुदवाने के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए, यह आम बात है।

अध्यक्ष महोदय : बैंक बड़ा है न इसीलिए।

जबलपुर के लिए हवाई अड्डा

*666. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में एक हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(क) यदि हां, तो क्या स्थान का चयन, सर्वेक्षण आदि जैसी कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क), (ख) और (ग) जबलपुर में एक हवाई अड्डा पहले से मौजूद है, तथापि, रक्षा-मंत्रालय के इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए कि आर्डिनेंस डिपो के बहुत नजदीक होने के कारण इस हवाई अड्डे को कहीं और तबदील कर दिया जाना चाहिए। एक वैकल्पिक स्थान का पता लगाया गया है, परन्तु इसके विकास के प्रश्न पर, साधन उपलब्ध होने की स्थिति में, यथासमय विचार किया जाएगा।

श्री सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि जबलपुर में हवाई अड्डा है। लेकिन जो है वह रक्षा मंत्रालय का है और नागरिकों को इस्तेमाल करने के लिए उनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नागरिकों के लिए अलग से भी हवाई अड्डा कभी जबलपुर में बनाने की आपकी योजना है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि यह जो हवाई अड्डा है जबलपुर में वह आर्डिनेंस डिपो के पास है और उनकी सलाह के मुताबिक हम वहां पर हवाई जहाज को उतारते हैं और इन बातों का भी ध्यान रखते हैं कि जहां हवाई जहाज उतारे जाएं वहां पर सैफटी का पूरा इनजाम हो। लेकिन उसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, चूंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बात कही है कि यह जो हवाई अड्डा है वहां से हटाया जाय। इसलिए तीन जगहों का निरीक्षण किया गया है और उसमें से एक जगह को हम लोगों ने सैलेक्ट किया है। लेकिन चूंकि छठी पंचवर्षीय योजना में इसका प्रावधान नहीं है, पैसे की कमी है, इसलिए अगली योजना में इस काम को हम लोग लेंगे।

श्री सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जैसा कहा कि हम जबलपुर में हवाई अड्डे का निर्माण करेंगे जैसे ही बजट में प्रावधान होगा। मध्य प्रदेश हवाई मार्ग में बहुत पिछड़ा हुआ है, और मंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पहले ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रायपुर के लिए बोइंग विमान चलाने की बात कही है। मैं उनसे पूछना चाहता हू कि यह कब तक हो जाएगा और जो रनवे कम पड़ता है उसका निर्माण कब पूरा हो जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : बोइंग के बगैर सवारी नहीं करेंगे आप।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि जो समर शैड्यूल बन रहा है इंडियन एयरलाइन्स का उसमें बोइंग जहाज को भोपाल ले जाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री सुन्दर शर्मा : रायपुर नहीं ?

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या नए हवाई अड्डे बनाने के लिए एक मास्टर प्लान की तरह की कोई प्लान सरकार के विचाराधीन है ? और यदि ऐसे कोई प्रस्ताव हैं तो क्या उनमें कोई हवाई अड्डा कर्नाटक में होगा ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय वीरभद्र जी, आप शिमला ले जाना चाहते हैं या और आगे ले जाना चाहते हैं ?

गुजरात के पिछड़े क्षेत्र में दुर्बल वर्गों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

*667. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसे अनुदेश जारी किए है कि वे गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में दुर्बल वर्गों के लोगों को उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए ऋण दें;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल कितनी राशि के ऋण दिए; और

(ग) ऐसे ऋणों पर क्या ब्याज वसूल किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त "बैंकों द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के कार्यान्वयन के तरीकों "विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर, बैंकों से यह कहा गया है कि वे ऋण दिए जाने से संबंधित क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक कर दें और पिछड़े हुए क्षेत्रों में अतिरिक्त ऋण वितरण की सम्भावनाओं का पता लगायें । बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे जिन क्षेत्रों में ऋण वितरण की मात्रा कम है वहां की समीक्षा करें और सुधार के उपाय करें ।

यद्यपि उद्योगों के स्थान निर्धारण के निर्णयों के बारे में, बैंकों की भूमिका केवल पूरक मात्र है, वह औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में अवस्थित परियोजनाओं को ऊंची प्राथमिकता देते हैं । इस प्रकार की परियोजना ब्याज की नीची दर, वापसी अदायगी का लम्बा कार्यक्रम, प्रवर्तकों का कम अंशदान आदि जैसी कुछ रियायतों की हकदार होती हैं ।

जहां तक कमजोर वर्गों का सवाल है उपर्युक्त कार्यकारी दल ने कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों के भीतर इस तरह के वर्गों का निर्धारण किया है । इस प्रकार कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में कमजोर वर्ग में ये शामिल होंगे :—(1) 5 एकड़ और उससे कम जोत वाले छोटे और सीमान्तिक किसान और भूमिहीन मजदूर; तथा (2) सम्बद्ध गतिविधियों में लगे हुए ऐसे व्यक्ति जिनकी इन गतिविधियों के लिए ऋण सीमाएं 10 हजार रुपये से अधिक नहीं हैं । छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में 25 हजार रुपये तक और समेत की ऋण सीमाओं वाली इकाइयां कमजोर वर्ग मानी जाएंगी । यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कमजोर वर्गों पर ऋण प्रदान करने के संबंध में बैंकों द्वारा समुचित ध्यान दिया जाए, यह निश्चय किया गया है कि 1983 तक कृषि क्षेत्र में कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले सीधे ऋणों का स्तर कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों को दिए गए कुल ऋण के कम से कम 50 प्रतिशत तक पहुंच जाए । इसी प्रकार छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र के भीतर कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अग्रिम 1985 तक छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गए कुल ऋण के 12.5 प्रतिशत तक पहुंच जाएं ।

इसके अतिरिक्त बैंक कमजोर वर्गों को मकान बनाने, शिक्षा और उपभोग प्रयोजनों के लिए भी ऋण देते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्गों को 5,000 रुपये तक के आवास ऋण रियायती दर पर दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए निर्धन छात्रों को, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को, अपेक्षाकृत नीची ब्याज दर पर ऋण दिए जाते हैं। समाज के कमजोर वर्गों को बैंक चिकित्सा व्यय, शिक्षा की आवश्यकताओं विवाह, अंतिम संस्कार/जन्म संस्कार और अन्य धार्मिक उत्सवों के लिए प्रति ऋणकर्ता कुल 500 रु० तक के ऋण देते हैं।

केवल कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई एक योजना है विभेदी ब्याज दर योजना। इस योजना के अधीन ऋण ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं जो जोत और आय के कुछ मानदण्डों को पूरा करते हैं।

ये हिदायतें सभी बैंकों को पूरी की जा चुकी हैं और गुजरात के कमजोर वर्ग भी इनका लाभ उठाते हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के भीतर कमजोर वर्गों के वास्ते लक्ष्य हाल ही में तय किए गए हैं और इनको दिए गए ऋण के बारे में सूचना कुछ समय बाद ही आनी शुरू होगी। अलबत्ता, विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन दिए गए आंकड़े उपलब्ध हैं। दिसम्बर, 1979 के अंत की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में इस योजना के अधीन दिए गए ऋण 1.63 लाख खातों में 17.19 करोड़ रुपये (बकाया) थे।

विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत सभी अग्रिमों पर 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगता है। कमजोर वर्गों के ऐसे ऋणकर्ताओं के लिए, जो विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत नहीं आते, मौजूदा ब्याज दर इस प्रकार हैं :—

I. कृषि	ब्याज दर
(1) छोटे किसानों को 5,000 रुपये तक के ऋण	12.50 प्रतिशत
(2) 5,000 रुपये से अधिक के ऋण	
(क) 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक	15.00 प्रतिशत से अनधिक
(ख) 25,000 रुपये से अधिक	17.50 प्रतिशत से अनधिक
II. कृषि (सावधिक ऋण)	
(1) लघु सिंचाई तथा भूमि विकास	10.25 प्रतिशत
(2) अन्य प्रयोजन	
(क) छोटे किसान	10.25 प्रतिशत
(ख) अन्य किसान	12.50 प्रतिशत

III. लघु उद्योग

25,000 रुपये तक मिश्रित ऋण

(क) पिछड़े क्षेत्र	10.25 प्रतिशत
(ख) अन्य क्षेत्र	10.50 प्रतिशत

IV. लघु उद्योग (सावधि ऋण)

(क) पिछड़े क्षेत्र	12.50 प्रतिशत
(ख) अन्य	13.50 प्रतिशत

श्री आर० पी० गायकवाड़ : मैं प्रश्न दो भागों में पूछना चाहूंगा। क्योंकि ये ऋण देहाती क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हैं अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषि तथा उद्योगों के लिए दिए गए ऋणों की तुलना में इन ऋणों के लिए ब्याज कम दर पर वसूल किया जा रहा है अथवा नहीं। यदि ब्याज कम दर पर वसूल किया जा रहा है तो उसकी दर क्या है ?

दूसरा भाग यह है कि जब ये अग्रिम धनराशियां दी जाती हैं जो क्या पिछड़ेपन अथवा आर्थिक कमजोरी को ध्यान में रखा जाता है अथवा किसी अन्य बात पर विचार किया जाता है ?

श्री मगनभाई बारोट : कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान रखा गया है लो कि प्रथम वर्ग में आते हैं। उनसे रियायती दर पर 4 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाता हैं। जिन अन्य वर्गों को ऋण दिए जाते हैं, उनके लिए ब्याज की दरें भिन्न-भिन्न हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 25,000 रुपए तक के मिश्रित (कम्पोजिट) ऋणों के मामले में अन्य वर्गों से ब्याज 12.50 प्रतिशत की दर से लिया जाता है जबकि कमजोर वर्गों से केवल 10.25 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाता है।

जहां तक लघु उद्योगों के लिए आवधिक ऋणों का संबंध है, अन्य वर्गों से ब्याज 13.50 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाता है जबकि कमजोर वर्गों को ये ऋण 12.50 प्रतिशत पर दिए जाते हैं।

इसी तरह कमजोर वर्गों को भुगतान अथवा अग्रिम धनराशियां देने के संबंध में अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाते हैं।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : इन अग्रिमों को अधिक सुलभ बनाने के लिए सरकार ने क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसे कोई निर्देश दिए हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलें जिससे की इन लोगों को महाजनों से बचाया जाए ? अन्यथा महाजन लोग स्थिति का पूर्ण लाभ उठाते हुए गरीबों का शोषण करेंगे।

श्री मगनभाई बारोट : इसीलिए वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त ग्रामीण बैंक भी खोले जा रहे हैं। साथ ही, कृषि वर्ग तथा लघु उद्योग वर्ग के संरक्षण के लिए प्रतिशतता निर्धारित की गई है तथा तद्नुसार, यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार ऋण मिलें।

श्री दयाराम शाक्य : जैसा मंत्री महोदय ने बताया, उस प्रकार के इंस्ट्रक्शन्ज भी इश्यू हुए हैं, परन्तु निरन्तर यह देखा जा रहा है कि जो रूरल बैंक्स स्थापित किए गये हैं, वह अपनी इच्छानुसार और जिनसे कुछ प्रीमियम मिल जाता है, उनको ही पैसा एडवांस करती हैं, साधारण और गरीब जिनको पैसा मिलना चाहिए, जिनके लिए यह योजना रखी गई है, उनको नहीं मिल पाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की जानकारी मंत्री महोदय को है या नहीं ? अगर नहीं है, तो क्या वह यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ?

श्री मगनभाई बारोट : माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन को कई बार बताया है कि अगर किसी बैंक के कार्य के बारे में कोई शिकायत पाई जाती है तो वह हमारे पास भेज दी जाए और उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुन्दर सिंह : स्पीकर साहब, मैंने आपको भी लिखकर दिया था कि पंजाब से बड़ी शिकायत आई है कि वहां गरीबों को पैसा नहीं देते, बड़े-बड़े जमीदारों को देते हैं। इसके अलावा किसी को नहीं मिलता है। मैंने लिखकर भी दिया था, उसका जवाब नहीं आया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इसके बारे में क्या सोच रहे हैं ?

श्री मगनभाई बारोट : यह ग्रामीण बैंकों का सवाल है, इसमें तो लोन देने की लिमिट ही छोटी है, इसलिए बड़े मालदारों का सवाल ही नहीं आता। लेकिन नहीं मिल रहा है तो वह भी बताया जाये और बैंकों के कारोबार में भी कोई गलती हो तो हमें बताया जाये।

श्री मुन्दर सिंह : पंजाब में अभी तक वीकर सैक्शन्ज को कितना पैसा दिया गया है, यह ही मंत्री महोदय बता दें।

श्री मगनभाई बारोट : महोदय, यह प्रश्न गुजरात से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : पंजाब का दूसरा पक्का सवाल करें।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार की ओर से बार-बार कहा जाता है कि कमजोर काश्तकारों और सीमांत काश्तकारों (मार्जिनल फ़ार्मर्ज़) को 4 परसेंट पर लोन दिया जाता है। मंत्री महोदय बतायें कि 1979-80 में जो लोन दिया गया है, उसका कितना परसेंट कमजोर काश्तकारों को दिया गया है।

श्री मगनभाई बारोट : ब्याज की विभेदी दरें किसी विशेष समुदाय अथवा किसी विशेष कार्य से सम्बद्ध किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं हैं किन्तु यह उस पर लागू होती हैं जो वर्ग विशेष में आते हैं नामतः ग्रामीण क्षेत्रों में जहां परिवार की आय 2000 रु० प्रति वर्ष से अधिक न हो और शहरी क्षेत्रों में 3000 रु० प्रति वर्ष से कम न हो चाहे उनकी जाति अथवा मत कोई भी हो, केवल वही लोग इसके पात्र हैं। लक्ष्य 1 प्रतिशत का रखा गया था और हमने 0.94 प्रतिशत तक प्राप्त कर लिया है।

श्री राम विलास पासवान : जो वर्तमान मैनेजिंग बोर्ड हैं, उनमें किसानों और कम आय वालों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या उसके बिना न्याय मिलना सम्भव ह ?

श्री मगनभाई बारोट : यह एक पिछड़ा क्षेत्र है।

श्री आर० वेंकटरामन : सभी बोर्डों का गठन आपकी सरकार द्वारा किया गया था। मैंने उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अब उन्हें बदलेंगे या नहीं ?

श्री आर० वेंकटरामन : चूंकि यह अध्यक्ष महोदय का प्रश्न है, जब उनकी अवधि समाप्त होगी मैं उनमें परिवर्तन करूंगा।

श्री भेरावदन के० गधावी : हमारा यह अनुभव है कि ऋण देने का कार्य गुजरात में ठप्प हो गया है। जब कभी भी बैंकिंग विभाग को शिकायतें की जाती हैं उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। मुझे आश्चर्य है कि यह तथ्य भारत सरकार की जानकारी में भी लाया गया था, किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण देने हेतु क्या सरकार जिला स्तर पर निगरानी एजेंसिया खोल रही है या नहीं। अगर नहीं, तो ऐसे कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ताकि गुजरात में तथा सम्पूर्ण देश भर में भी ऋण और सुगमता से प्राप्त हो सकें ?

श्री मगनभाई बारोट : महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न पिछड़े क्षेत्रों के बारे है। यह प्रश्न कमजोर वर्गों को आम ऋण देने के बारे में नहीं है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है, हमने 0.94 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस 0.94 प्रतिशत में गुजरात राज्य भी शामिल हैं। अगर ब्यौरा मांगा जायेगा तो हम वह भी देंगे।

मध्य प्रदेश में लोहे और इस्पात पर आधारित लघु उद्योग

*668. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य प्रदेश में लोहे और इस्पात पर कितने लघु उद्योग आधारित हैं और वर्ष 1980-81 में उनकी लोहे और इस्पात की मांग क्या थी;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उनके लिए कितनी मात्रा में इस्पात और लोहा आवटित किया;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनकी मांग के अनुसार उन्हें लोहा और इस्पात दिया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें ये वस्तुएं देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 1980-81 में प्रत्येक राज्य में इस्पात और लोहे की मांग और सप्लाई की स्थिति क्या रही ?

वाणिज्यिक तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) कम्पैक्ट ग्रुप लघु उद्योगों को आपूर्ति स्टाकयार्डों की मार्फत की जाती है और यह प्रयत्न किया गया है कि संगठित क्षेत्र की इसी प्रकार की इकाइयों के साथ-साथ प्रत्येक इकाई की हकदारी के आधार पर सब इकाइयों को समान रूप से माल मिले। जहां तक अन्य इकाइयों को आपूर्ति का सम्बन्ध है इनको आपूर्ति लघु उद्योग निगमों की मार्फत की जाती है। लघु उद्योग निगमों के लिए प्रेरण कार्यक्रम इन निगमों द्वारा की गई उन वर्षों को खरीद को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जब इस्पात आसानी से उपलब्ध था। इसके अलावा, देशीय आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए आयात के मामले में काफी उदार नीति अपनाई जा रही है और आशा है कि देशीय आपूर्ति तथा आयात से इंजीनियरी उद्योग (लघु क्षेत्र के इंजीनियरी उद्योग भी शामिल हैं) की इस्पात की आवश्यकताएं काफी हद तक पूरी हो जाएंगी।

सरकार को मध्य प्रदेश में लोहे और इस्पात पर आधारित लघु उद्योगों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) लोहे और इस्पात की मांग के बारे में राज्यवार विवरण तैयार नहीं किए जाते हैं और न ही राज्यवार आबंटन किए जाते हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत सीधा है, मगर सीधे प्रश्न का जवाब भी ठीक नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है : सरकार को मध्य प्रदेश में लोहे और इस्पात पर आधारित लघु उद्योगों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है।" जब सरकार को इतना समय मिला है, तो उसको यह जानकारी एकत्र करने में क्या दिक्कत है ?

(घ) के उत्तर में बताया गया है : "लोहे और इस्पात की मांग के बारे में राज्यवार विवरण तैयार नहीं किए जाते हैं और न ही राज्यवार आवटन किए जाते हैं। जो लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं, अगर उन्हें लोहे और इस्पात की सप्लाई राज्य के माध्यम से नहीं होगी और जो कार्पोरेशन बनाया गया है, उसके माध्यम से नहीं होगी, तो फिर लघु उद्योगों को लोहा और इस्पात सप्लाई करने का काम किसके जिम्मे है ? एक लघु उद्योग जितना उत्पादन करता है, क्या सरकार उस अनुपात में उसे लोहा और इस्पात सप्लाई करती है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के अन्तिम भाग के बारे में मुझे यह कहना है कि अगर उन्होंने प्रश्न के भाग (क) से (ग) तक के भागों का उत्तर पढ़ा हो तो उन्होंने यह देखा होगा कि हम इस्पात सामग्री विभिन्न एजेंसियों को वितरित करते हैं—ऐसी एजेंसियों में से एक राज्यों का लघु उद्योग निगम है। किन्तु कम्पैक्ट उद्योगों के बारे में यह कहना है कि री-रॉलर, वायर ड्राईंग यूनिट फारजिंग यूनिट, ट्यूब निर्माता आदि जैसे बहुत से उद्योग स्टॉकयार्ड से सीधे ही स्टील प्राप्त करती हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई यूनिट, जो लघु उद्योग निगम से स्टील प्राप्त करने की पात्र होती हैं किन्तु उन्हें उनका कोटा प्राप्त नहीं होता है तो वे लघु उद्योग निगम से प्रमाणपत्र प्राप्त करती हैं कि वह कच्चे माल के लिए पात्र हैं, किन्तु कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण तथा अनिवार्यता प्रमाणपत्र के आधार पर वे स्टोकयार्ड से सीधे कच्चे माल प्राप्त करने की पात्र होती हैं।

इस प्रश्न के उत्तर में कि आंकड़े उपलब्ध क्यों नहीं हैं। माननीय सदस्य जानते हैं न ये उद्योग मन्त्रालय के अधीन आते हैं न कि इस्पात व खान मंत्रालय के अधीन। अगर वह यह जानने के इच्छुक हैं कि मध्य प्रदेश के लघु उद्योग निगम को कितनी मात्रा आवंटित की गई वह आंकड़े मैं दे सकता हूं किन्तु वह ठीक नहीं होंगे क्योंकि उनमें उनके आंकड़े शामिल नहीं होंगे जिन्होंने अनिवार्यता प्रमाणपत्र के आधार पर स्टोकयार्ड से सीधे ही कच्चा माल प्राप्त किया होगा। मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 1979-80 में 5.75 लाख टन का आवंटन किया गया था।

श्री सत्य नारायण जटिया : एलोकेशन इतना था पर सप्लाई कितना किया गया यह भी मैं जानना चाहता हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी : आवंटी 4.5 लाख टन होगी, आवंटन करते समय हम यह फार्मूला अपनाते हैं : पिछले वर्ष उठाए गए यह माल में क्षमता को जमा करके दो से भाग देते हैं। अगर उत्पादन नहीं होता, तो पूरा आवंटन नहीं किया जाता।

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, जितना उन्होंने ईयरमार्क किया था उस के अनुपात में कुछ दिया नहीं। बड़े-बड़े उद्योगों को तो इस्पात और लोहे की आपूर्ति करने में हमारी सरकार सक्षम है लेकिन मेरा कहना यह है कि छोटे उद्योग जितना एक्सपोर्ट करते हैं उस आधार पर भी क्या उस एक्सपोर्ट की आपूर्ति करने लायक रॉ-मैटीरियल उनको सरकार देगी या क्या कोई ऐसी मशीनरी बनायेगी जिसके द्वारा जितना वह एक्सपोर्ट करते हैं उस की आपूर्ति की जा सके ?

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य यह अच्छी तरह जानते हैं कि निर्यात करने वाले यूनिटों का हम पहले ही ख्याल रखते हैं और उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। पिछले वर्ष उनकी मांग 3.5 लाख टन थी और उनकी शत प्रतिशत मांग पूरी की गई।

श्री कमल नाथ : महोदय, सरकारी घोषणाओं में यह कहा जा रहा है कि स्टील आवंटन का आधार पिछली मात्रा और उत्पादन है। जबकि यह उचित है किन्तु यह भी तो हो सकता है कि इस आधार पर कुछेक यूनिटों को आवंटन किया गया हो और उन्हें बिजली की कमी आदि जैसी उत्पादन बाधाओं का सामना करना पड़ा हो और फलस्वरूप उन्होंने अपना कोटा काले बाजार में बेच दिया हो।

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह आवंटन प्रणाली की इस अनियमितता से वाकिफ हैं और क्या आवंटन के लिए उपभोग क्षमता को आधार बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव में आर्थिक संगति तो हो सकती है किन्तु उन्हें क्रियान्वयन की कठिनाइयों को भी समझना चाहिए। यह ठीक है कि अगर हम कच्चा माल उन यूनिटों को देते हैं जो पूरी क्षमता तक उपभोग कर सकते हैं तो इसमें हमें सहायता मिलेगी किन्तु साथ ही भेदभाव के प्रश्न उठ खड़े होंगे और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसके क्रियान्वयन मे भी कठिनाइयां होंगी। इसलिए उत्तर अधिक उपलब्धता में निहित है। माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि हम उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सुधार हुआ है और मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष हमें वे कठिनाइयां नहीं होंगी जो पिछले वर्ष हुई थीं।

महोदय मैं एक मुद्दा और स्पष्ट करना चाहूंगा। पहले जो आंकड़े मैंने दिए थे वे अखिल भारतीय आकड़े हैं। मध्य प्रदेश के लिए वास्तविक आंकड़े 21,300 टन आवटन और 11,365 टन वास्तविक सप्लाई है।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो जानकारी उन्होंने अभी दी कि टोटल एलोकेशन मध्य प्रदेश को 21,300 टन का प्राप्त हुआ और इस के पहले जानकारी दी कि इस में से मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम को 550 मैट्रिक टन दिया तो बाकी एलाटमैंट किस हैड में उन्होंने हमारे राज्य को दिया है, यह जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह आंकड़े जनवरी तक के हैं। मेरे पास वर्तमान 3 महीनों के आंकड़े नहीं हैं। मैंने 12 महीनों के लिए पूरे आवंटन के आंकड़े पहले ही दे दिए हैं। वह मैंने पहले ही दे दिए हैं।

कम-व्यास वाली इस्पात छड़ों का न बनाया जाना

*669. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख इस्पात उत्पादक कम व्यास वाली इस्पात छड़ों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं और विद्युत मण्डलों को ऊंची कीमतों पर उनकी सप्लाई के लिए मुख्यत: "री-रोलरों" पर निर्भर रहना पड़ रहा है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील अथारिटी का विचार बिल्लेट्स का आयात करने तथा उन्हें विद्युत मण्डलों को "री-रोलिंग" हेतु सप्लाई करने का है ताकि वे उचित कीमत पर छड़ें प्राप्त कर सकें;

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टील अथारिटी लिमिटेड तथा अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा सप्लाई किए गये "बिल्लेट्स" से "री-रोलरों" द्वारा बनाये गये इस्पात उत्पादों की कीमतों पर नियंत्रण लागू करने और उक्त उत्पादों की कुछ मात्रा को विद्युत बोर्डों जैसे प्राथमिक प्रयोक्ताओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों, विद्युत संयंत्रों को सप्लाई करने हेतु रेलों के विशेष टेपर्ड सैक्शनों तथा आर० एस० ज्याएंट्स का निर्माण करने की स्थिति में है ताकि इस्पात का किफायती उपयोग सुनिश्चित हो सके ?

वाणिज्यिक तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) यह सच है कि सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में कम व्यास की इस्पात की गोल- छड़ों के उत्पादन का अनुपात इस प्रकार की छड़ों के कुल उत्पादन की तुलना में बहुत कम है, शेष उत्पादन मुख्यत: पुनर्बेलकों द्वारा किया जाता है।

(ख) चालू वर्ष की आयात नीति में बिलेटों के आयात के लिए पहले ही अनुमति दी गई है और इस व्यवस्था के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ता, जिनमें राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल हैं, इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा पुनर्बेलकों द्वारा उत्पादित इस्पात के इस प्रकार के उत्पादकों के मूल्यों पर इस समय कोई नियंत्रण नहीं है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए जाने वाले बिलेटों के मूल्यों पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। जैसाकि

सुझाव दिया गया है सरकार के विचार में उत्पादन का एक भाग आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कारखानों में विशेष टेपर्ड सेक्शनों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है । जहां तक बेलित इस्पात के जाएस्ट का सम्बन्ध है (छपाई में गलती से 'ज्वाएंटस" छप गया है) इन्हें विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों में, (विद्युत बोर्ड भी शामिल हैं, जो इस्पात की सप्लाई के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं) बांट दिया जाता है ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्रीजी ने बताया है कि "कम व्यास की इस्पात की गोल-छड़ों के उत्पादन का अनुपात इस प्रकार की छड़ों के कुल उत्पादन की तुलना में बहुत कम है ।" इस कमी के कारण बाजार में यह ऊंचे दाम पर ब्लैक में मिलती हैं अत: इस कमी की पूर्ति करने के लिए मंत्रीजी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं—यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : ये मांगें मुख्यता री-रोलरों और प्रमुख एकीकृत स्टील उत्पादकों से आती है । जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है हम इन री-रालिंग मिलों को फीड मैटीरियल नहीं दे सकते हैं । सप्लाई स्थिति में सुधार लाना सम्भव नहीं है क्योंकि वह भी सामग्री की कुल उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : जब इसका उत्पादन बढ़ाने की इतनी आवश्यकता है, यह बाजार में ब्लैक में मिलती है तो इसका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं जब एलेक्ट्रिसिटी बोर्डों को आपने आयात करने की अनुमति दी है तो अब तक भारत में कुल कितने एलेक्ट्रिसिटी-बोर्डों ने इसका लाभ उठाया है और कितनी तादाद में माल लिया है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : आयात की प्रमात्रा के आंकडे मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं । जैसा कि मैंने कहा है यह क्षमता बढ़ाने का प्रश्न नहीं है । यह क्षमता का प्रयोग करने का प्रश्न है माननीय सदस्य स्थिति से परिचित हैं । हमारे पास बिक्री योग्य स्टील के 70 लाख टन उत्पादन की क्षमता है । किन्तु पिछले वर्ष के दौरान, हम केवल 47.4 लाख टन उत्पादन हो कर सके । इसका कारण विद्युत की अनुपब्धता तथा कुछ अन्य आवश्यक माल की कमी होना है । जब विद्युत स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ तब सितम्बर तक औसतन 319,000 उत्पादन हुआ था जो बाद में 450 से 500 हजार टन तक पहुच गया । यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमता का प्रयोग कहां तक कर सकते हैं ।

इंडियन ओवरसीज बैंक की हांगकांग शाखा में करेंसी के सौदों में हुई हानि

*67. **श्री धर्मदास शास्त्री**
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक की हांगकांग शाखा में करेंसी सौदों के कारण देश को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में सट्टे को रोकने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्तमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) इंडियन ओवरसीज बैंक ने, वर्ष 1980 के दौरान, अपनी हांगकांग स्थित शाखा द्वारा दिए गए कुछ विदेशी मुद्रा के लेनेदेनों में कुछ हानि उठाने की सूचना दी है। उठाई गई हानि की मात्रा अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी तथा नियंत्रण तंत्र की समुचितता की जांच, इस बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने गोल-मोल तरीके से इस घोटाले का उत्तर दिया है, जो मेरी समझ में नहीं आया। इतने सुलझे हुए और इतने समझदार मन्त्री होते हुए उन्होंने ऐसा उत्तर दिया है। मैंने अपने प्रश्न के भाग (ख) में पूछा था कि कितनी हानि हुई है उसकी निश्चित राशि बताई जाए। मंत्री जी की जानकारी में है कि 30 दिसम्बर, 1980 को बैलेन्स-शीट तैयार हो गई थी और जब बैलेन्स-शीट तैयार होकर मार्केट में आ जाती है तब राशि बताने में क्या कठिनाई है ? क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि 12 मार्च, 1981 को "एकोनामिक टाइम्स" में एक खबर छपी थी कि दो करोड़ रुपए का घोटाला है ? अगर मन्त्री जी को पता नहीं चला तो समाचार-पत्र को कैसे पता चल गया ? फिर जब पत्र में कोई खबर छपती है तो आपने उसकी जांच भी कराई होगी और अगर जांच नहीं कराई है तो आप इतना सोये क्यों रहते हैं ? आप जागते रहिए अगर देश के लिए आपको कुछ करना है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : महोदय, एक सार्वजनिक वक्तव्य और मंत्री द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य में अन्तर होता है। हमें बिल्कुल सही सूचना देनी होती है। यदि हम सही सूचना नहीं दे सकते तो केवल अनुमान के आधार पर कुछ कहने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए हम उत्तर देते हुए कुछ हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम तथ्यों और आंकड़ों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नही हैं। चूंकि माननीय मंत्री ने पूछा है इसलिए मैं सभा को जानकारी दे रहा हूं दो या तीन तरह से मूल्यांकन किया गया। अभी तक इसे हानि नहीं माना गया। इसका अभी हिसाब तक नहीं लगाया गया। एक मूल्यांकन के अनुसार यह लगभग 1 करोड़ रुपये बैठती है और इसमें से कुछ विदेशी मुद्रा का निपटान करके एक अनुमान के अनुसार यह 13 लाख रुपये दूसरे अनुमान के अनुसार यह 40 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक हानि रह जाएगी। इसलिए अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। यही मेरे जानकार और योग्य सहायक उपमंत्री

ने कहा है । इस प्रशंसा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आपने कहा था कि वह बहुत योग्य मंत्री हैं । तो महोदय रिजर्व बैंक का एक दल ओवरसीज बैंक के अधिकारियों के एक दल के साथ मिलकर यह हिसाब लगा रहा है । जैसे ही वे अपना काम अन्तिम रूप से पूरा कर लेंगे, इस बारे में पूरे आंकड़े दे दिये जायेंगे । फिलहाल, विभिन्न स्तरों पर हानि निर्धारण का कार्य किया जा रहा है ।

श्री धर्म दास शास्त्री : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि अक्तूबर, 1980 को इस बैंक के जनरल-मैनेजर सिंगापुर गए थे और डिप्टी जनरल-मैनेजर ने बुलाकर आदेश दिया था कि विदेशी मुद्रा के भाव गिर गये हैं, इसलिए फोरन इसकी निकासी कर दो, लेकिन उन्होंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया । यह आदेश रिकार्ड में हैं । क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है या नहीं ? 31 दिसम्बर को, जबकि बैलेंस-शीट आ जाती है, तो उससे यह पता लग जाता है कि कितनी राशि का घाटा हुआ है, उसका उसमें लेखा-जोखा होना आवश्यक है । मंत्री महोदय ने यह कह दिया कि हम सही आंकड़े मांग रहें हैं, जबकि सही आंकड़े बैलेंसशीट में आ जाते हैं, तो बैलेंस-शीट किस बात की है, जो उसमें आंकड़े शीशे की तरह निकल कर नहीं आते हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे माननीय मित्र यह नहीं समझते कि ऐसा नहीं हुआ करता कि जैसे ही वित्तीय वर्ष पूरा हो वैसे ही कोई तुलनपत्र सामने आ जाये । हमें एक लेखा परीक्षित विवरण लेना पड़ता है और शेष परीक्षा तैयार करने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : और यदि कम्प्यूटरीकरण किया जाये ?

श्री आर० वेंकटरामन : कम्पयूटरीकरण करने पर भी बिना लेखा परीक्षा के मैं उसे कैसे प्रस्तुत कर सकता हूं । उसकी लेखा परीक्षा की जानी होती है और लेखा परीक्षा में समय लगता है । कम्पयूटर लेखा परीक्षा नहीं कर सकता । और यदि करे भी तो मैं कम्पयूटर की लेखा परीक्षा पर विश्वास भी नहीं करता । अब जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है कि महाप्रबंधक ने उपमहाप्रबंधक से कहा था कि नहीं, तो हां उन्होंने कहा था । उन्होंने उनसे कहा था कि वे जो भी मूल्य मिलता हो उस पर विदेशी मुद्रा बेच कर हानि कम करें और इस तरह हानि को कम से कम कर लें ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि इन सौदों में कोई सट्टेबाजी नहीं हुई थी । सभा को यह जानने का अधिकार है कि प्रसंगगिक मुद्रा के पिछले हफ्ते में ठीक-ठीक प्रचलित मूल्य कितने थे क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि जब इतना बड़ा सौदा किया जा रहा था तो बाजार में मूल्य घट रहे थे । क्या माननीय मंत्री यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संबंधित अधिकारी ने सट्टेबाजी नहीं की है ?

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय इस समय हमें शक है कि अधिकारी विशेष ने अप्राधिकृत सट्टेबाजी की हैं और हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहें हैं।

श्री के० लक्कप्पा : महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि इंडियन ओवरसीज बैंक की कितनी शाखाएं विदेशों में कार्य कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये शाखाएं घोखाधड़ी के धंधों, सट्टा व्यापार और कदाचार में हिस्सा नहीं ले रहीं ? बहुत से बड़े औद्योगिक घराने ओवरसीज बैंकों के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके सट्टा व्यापार कर रहे हैं। मैं इन शाखाओं की संख्या जानना चाहता हूं, यह जानना चाहता हूं कि वे किस सीमा तक सट्टा व्यापार में शामिल हैं और कौन-कौन से व्यापार घराने इसमें शामिल है ?

श्री आर० वेंकटरामन : इस मामले में कोई व्यापार घराना इसमें शामिल नहीं है। संबंधित अधिकारी ने ऐसे समय पर अधिक विदेशी मुद्रा खरीद ली जबकि बाजार में मदा चल रहा था और जब उनसे कहा गया तो उन्होंने हानि को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा को नहीं बेचा अथवा वापिस नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न 672 — श्री पीयूष तिरकी.....

अगला प्रश्न 673 — श्री चिरजी लाल शर्मा.....

अगला प्रश्न 674 — श्री के० ओबुल रेड्डी.....

अगला प्रश्न 676 — श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति...

यह अनुपस्थिति का कीर्तिमान है।

अगला प्रश्न 677.

स्टेनलैस स्टील का आयात

*677. **श्री रीति लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलैस स्टील बर्तन निर्यात करने वालों को, उनके द्वारा निर्यातित मात्रा से 10 प्रतिशत अधिक स्टेनलैस स्टील की चादरों और प्लेटों का आयात करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या ये निर्यातकर्ता 1000 किलोग्राम घटिया किस्म के स्टील की वस्तुओं और बर्तनों के निर्यात के बदले में ओपन जनरल लाइसेंस के अधीन 1100 किलोग्राम खालिस स्टेनलैस स्टील चादरों और प्लेटों का आयात करके लाखों रुपये का अनुचित लाभ कमा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार विदेशी कंपनियों के एजेंटों द्वारा धनराशि विदेश भेजे जाने और कम मूल्य के बीजक बनाये जाने के परिणामस्वरूप आय कर और आयात शुल्क के रूप में करोड़ों रुपए का नुकसान उठा रही है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन निर्यातकर्ताओं की गतिविधियां रोकने के विचार से, जो घटिया किस्म के बर्तनों का निर्यात करते हैं और करोड़ों रुपए के करों से बचते हैं; स्टेनलैस स्टील का समूचा आयात तथा निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) स्टेनलैस स्टील बर्तनों के निर्यातों के आधार पर मूल्य की दृष्टि से निर्यातों के एफ० ओ० बी० मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर आयात प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है। तथापि, आर० ई० पी० लाइसेंसों और अग्रिम लाइसेंसों के आधार पर शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए 50 प्रतिशत के समग्र मूल्य के अन्दर एक मात्रा सबंधी सीमा भी है। ऐसे मामलों में, निर्यातित स्टेनलैस स्टील बर्तनों के प्रत्येक कि० ग्रा० के बदले 1.125 कि० ग्रा० स्टेनलैस स्टील शीट्स स्ट्रिप्स की अनुमति दी जाती है।

(ख) तथा (ग) सरकार को कोई ऐसी आवकारी नहीं है।

(घ) स्टेनलैस स्टील का आयात पहले ही सार्वजनिक क्षेत्रीय अभिकरण के माध्यम से सरणीबद्ध है। तथापि, आयात प्रतिपूर्ति हकदारियों के आधार पर सीधे आयात की अनुमति हैं और ऐसे आयातों अथवा निर्यातों को सरणीबद्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मुझे यह पता चला है कि ये जितने स्टेनलैस स्टील के बर्तन बनाने वाले हैं, जो बना कर बंगलादेश, पाकिस्तान और अरब कन्ट्रीज को भेजते हैं, इसमें अण्डर-इन्वाइसिंग कर के 50 प्रतिशत दिखलाते हैं, इस तरह से सरकार को कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में बहुत भारी घाटा होता है। क्या मंत्री महोदय इसके सम्बन्ध में जांच करवाएंगे ताकि इस तरह से जो टैक्स का इवेजन होता है, उसका लाभ राष्ट्र को हो सके ?

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं जांच करने के लिए हमेशा तैयार हूं मगर कोई निश्चित शिकायत होनी चाहिए। यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई शिकायत है तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं जानता हूं कि प्राइवेट पार्टियों को इम्पोर्ट का जो लाइसेंस दिया जाता है उसकी सीमा कहां तक है, उसकी लिमिट कितनी है ? क्या उस लिमिट पर नियन्त्रण करने का कोई विचार है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं मुख्य उत्तर में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि आयात प्रतिपूर्ति निर्यात के मूल्य का 50 प्रतिशत तक अथवा निर्यात किए गए बर्तनों के प्रत्येक किलोग्राम पर 1.125 किलोग्राम स्टेनलैस स्टील की चादरें/पट्टियां—जो भी कम हो की अनुमति है। इसलिए मूल्य के आधार पर उसे निर्यात के मूल्य के 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए और परिमाण के अनुसार यह 1 : 1.125 होना चाहिए। यह स्थिति है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैंने पूछा था कि कितनी क्वांटिटी तक उन लोगों की छूट दे रहे हैं, 1 हजार, 5 हजार या 10 हजार तक मंगा सकते हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : ऐसी कोई सीमा नहीं हो सकती क्योंकि यह निर्यात के मूल्य और निर्यात की कुल मात्रा पर निर्भर करता है। इसीलिए हमने निर्यात के मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्यात के परिमाण की 1 : 1.125 की अधिकतम सीमा निर्धारित की है।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली में कार्यकारी तथा गैर-कार्यकारी अधिकारियों के लिए पदोन्नति संबंधी नीति

*678 **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड कारपोरेट आफिस, नई दिल्ली में कार्यकारी तथा गैर-कार्यकारी अधिकारियों के लिये कोई पदोन्नति नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्रियान्वित की जाने वाली नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उसमें कोई परिवर्तन किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) इस समय स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के निगम कार्यालय में भूतपूर्व हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा निर्धारित की गई पदोन्नति नीति का, जहां कहीं आवश्यक है, कुछ संशोधनों के साथ, अनुसरण किया जा रहा है। इस्पात कारखानों के विभिन्न विभागों तथा निगम कार्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और इस्पात कारखानों के कार्मिकों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए भी, पदोन्नति नीति में, पदोन्नति की पात्रता अवधि, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता, चयन प्रणाली और विभागीय पदोन्नति समितियों के गठन के बारे में निश्चित मान-दण्डों की व्यवस्था है। इस नीति में इस बात की भी व्यवस्था है कि चयन मंडल, अर्हताओं, पिछले अनुभव, सेवा रिकार्ड, गोपनीय रिपोर्टों और उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर, अभ्यर्थियों के तुलनात्मक गुणागुण का मूल्यांकन करेगा। कुछ स्तर के पदों पर पदोन्नतियों के बारे में संयंत्र स्तर पर विचार किया जाता है जबकि वरिष्ठ प्रबन्धक पदों पर पदोन्नतियां निगम स्तर पर गठित की गई पदोन्नति समितियों की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं।

गैर-कार्यकारी कर्मचारियों से संबंधित पदोन्नति नीति भी विभिन्न ग्रेडों के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों की व्यवस्था से संबंधित सुस्पष्ट मानदण्डों पर आधारित है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के विभिन्न अनुपातों की भी व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, कैलेन्डर वर्ष में सहायकों के स्तर पर 2/3 रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं और शेष रिक्तियां संदेशवाहकों, दफ्तरियों और समक्ष श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं। वरिष्ठ सहायकों के स्तर से ऊपर के अन्य पद आन्तरिक पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(ग) सरकार को उपर्युक्त पदोन्नति नीति के उल्लंघन के किसी मामले की जानकारी नहीं है।

श्री सुशील भट्टाचार्य : यह उत्तर बहुत अस्पष्ट है। ऐसा तो सभी प्रतिष्ठानों में होता है। फिर भी, क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या ऐसा नहीं है कि कुछ कर्मचारियों को कार्यकारी अथवा गैर कार्यकारी को 4 या 5 वर्षों की अवधि के दौरान 4 या उससे अधिक पदोन्नतियां मिल चुकी हैं जबकि कुछ कर्मचारी पिछले 4-5 वर्षों से उसी ग्रेड में पड़े हुए हैं?

श्री प्रणब मुखर्जी : ऐसे विकासशील उद्योग में कोई एकरूपता नहीं हो सकती। आखिरकार, हमारी कुछ नीतियां हैं। कुछ क्षेत्रों में पदोन्नति में गतिरोध हो सकता है और जब भी ऐसा होता है तो हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। परन्तु ऐसी कोई व्यवस्था बनाना संभव नहीं है जिसमें कभी भी अवरोध न हो।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्याज का निर्यात

*662. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्याज का निर्यात करने पर विचार कर रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्याज मंडी में उसके भाव आकर्षक हैं;

(ख) प्याज का निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा चुके हैं अथवा किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्याज के निर्यात के लिए किसी बाहरी देश के साथ कोई करार किया है; और

(घ) यदि हां, तो प्याज की कुल कितनी मात्रा का निर्यात करने का समझौता हुआ है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) प्याज के निर्यात की अनुमति नेफेड की मार्फत सीमित अधिकतम सीमा के भीतर दी जाती है ।

(ग) तथा (घ) सोवियत संघ के साथ 1981 के लिए व्यापार सलेख में सब्जियों के निर्यात की व्यवस्था की गई है जिनमें प्याज भी शामिल है। नेफेड तथा उसकी सहयोगी संस्थाओं ने सोवियत संघ को 1981 में 35,000 मे० टन प्याज के निर्यात के लिए संविदा की है ।

कम्पनियों द्वारा जारी किए गए बोनस शेयर

670. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस-किस कम्पनी ने पिछले पांच वर्षों में एक से अधिक बार बोनस शेयर जारी किए और वे कितनी राशि के हैं; और

(ख) क्या महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, सेवा-सीबा-गेजी आफ इण्डिया लिमिटेड, सेन्चरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि०, एसोसिएटिड सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, एसकोर्टस लिमिटेड, बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड और मोदीपान लिमिटेड को बोनस शेयर जारी करने की अनुमति देने से पूर्व एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापक व्यवहार आयोग से पूर्वानुमति और अथवा मंजूरी ली गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) एक विवरणी संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सख्या एल० टी० 2286/81]

(ख) कम्पनियों द्वारा प्ररक्षित निधियों के पूंजीकरण तथा बोनस शेयरों को जारी करने की कार्यवाही पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम 1947 के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है । इसलिए प्रश्न में विनिर्दिष्ट जिन कम्पनियों को बोनस शेयर जारी करने की अभिस्वीकृति दी गई थी, उसके संबंध में एकाधिकार तथा निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग से कोई पूर्वानुमति और/अथवा पूर्व अभिस्वीकृति लिए जाने की आवश्यकता नहीं थी ।

मैसर्स साउदर्न बाटलर्स (प्रा०) लिमिटेड को मशीन के आयात के लिए लाइसेंस

*672. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स साउदर्न बालटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड 8-मोहन सिंह बिल्डिंग कनाट लेन,

नई दिल्ली को मद्रास में लगाने के लिये हंगरी से एक मशीन का आयात करने का लाइसेंस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त मशीन का निर्माण हंगरी में नहीं अपितु पश्चिम जर्मनी में हुआ था;

(घ) क्या यह सच है कि मशीन की कीमत ज्यादा बताई गई है और इस बारे में बीजक में हेराफेरी की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) हंगरी से 6.83,710 रु० मूल्य की बाटलिंग मशीन के आयात के लिए आयात लाइसेंस सं० पी० सी० जी० 2062392 दिनांक 17-4 1971 मैसर्स साउदर्न बाटलर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 8, मोहन सिंह बिल्डिंग, कनाट लेन, नई दिल्ली को जारी किया गया था। मशीन का आयात करने की अनुमति उनमें मद्रास एकक में पुराने उपकरण के स्थान पर संस्थापित किये जाने के लिए दी गई थी।

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

व्यापार संवर्धन निधि बनाया जाना

*673. **श्री चिरंजी लाल शर्मा**
श्री भीकू राम जैन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को कहा है कि वह भारत के मार्किटिंग प्रयासों को बढ़ावा देने की दृष्टि से व्यापार संवर्धन निधि बनाने के अपने प्रस्ताव पर विचार करें ; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। भारत-ब्रिटेन व्यापार में बढ़ते हुए असन्तुलन, जोकि भारत के लिए हानिकारक हैं, के संदर्भ में जनवरी 1981 में नई दिल्ली में हुई भारत-ब्रिटेन आर्थिक समिति की पिछली बैठक में द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन प्रयासों को शामिल करने के उद्देश्य से व्यापार संवर्धन कोष बनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था। ब्रिटेन के प्रतिनिधिमडल ने ब्रिटेन को भारतीय निर्यातों के संवर्धन के लिए इस प्रकार का कोष बनाने के बारे में कठिनाई व्यक्त की और इसके बदले यह सुझाव दिया कि जिन विशिष्ट क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाए जा सकते हों उनका पता लगाने के लिए एक उच्च

स्तरीय व्यापार मिशन ब्रिटेन का दौरा करे । ऐसे मिशन के निष्कर्षों के आधार पर, ब्रिटेन पक्ष ने विपणन तकनीकों के विकास के लिए प्रशिक्षण के जरिए और अन्य तरीकों से सहायता देने की पेशकश की ताकि भारतीय उद्यम अपनी निर्यात सम्भाव्यताओं का अनुमान लगा सकें ।

आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में खनिज सर्वेक्षण तथा अन्वेषण

*674. **श्री के० ओबुल रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में व्यापक खनिज सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि रायलसीमा क्षेत्र में अनेक खनिज निक्षेप हैं जिनका उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी हां । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अपने चालू फील्डसीजन (अक्टूबर, 1980 से सितम्बर, 1981) में चित्तूर और कुडप्पा जिलों में स्थित क्षेत्रों का क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण तथा अनंतपुर, कुडप्पा, चित्तूर और कुरनूल जिलों में विभिन्न खनिजों की खोज कर रहा है । खनिज खोजों के अन्तर्गत कुरनूल जिले के गनी कालवा क्षेत्र में ताम्र अयस्क, अनन्तपुर और कुरनूल जिलों में हीरा, चित्तूर जिले के चिमारगुंटा और नन्दीमडागू क्षेत्र में स्वर्ण, कुडप्पा जिले की वेमपल्ली पट्टी में चूना पत्थर के लिए खोज शामिल है । इसके आलावा अनंतपुर जिले के चुनीन्दा हिस्सों में रत्नबजरी (जेम फैंसर्स) का भूआकृतिक और चतुर्थातुक अध्ययन तथा रायलसीमा के कुछ हिस्सों में फैले कुडप्पा बेसिन में आधार धातु और फास्फोराइट के लिए क्षेत्रीय आधार पर समेकित सर्वेक्षण भी किया जा रहा है ।

रायलसीमा के ज्ञात खनिज निक्षेपों से मुख्यत: एस्बेस्टस, बेराइट, खनिज मिट्टियां, डोलोमाइट, स्वर्ण, लौह-अयस्क, चूनापत्थर, गेरू, स्टैटाइट और क्वार्टजाइट खनिज निकाले जाते हैं । ज्ञात किन्तु न निकाले जा रहें हैं—ताम्र अयस्क, कोरंडम, हीरा और सीसा अयस्क ।

खनिजों का विदोहन आमतौर पर अनेक एजेंसियों—गैर सरकारी क्षेत्र, राज्य सरकारी उपक्रमों तथा केन्द्र सरकार के उपक्रमों द्वारा किया जाता है । गैर-सरकारी क्षेत्र के विदोहन का नियमन खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम तथा औद्योगिक लाइसेंस क्रियाविधि द्वारा किया जाता है । स्टेट सेक्टर की परियोजना उपादेयता, साधनों की उपलब्धि, योजना में तुलनात्मक प्राथमिकता आदि के आधार पर शुरू की जाती हैं ।

विज्ञापनों पर लगाई गई 'लेवी' को राज्यों में वितरण करने की मांग

*676. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने समाचारपत्रों में विज्ञापनों पर कर लगाने और इस प्रकार एकत्र होने वाली राशि को राज्यों में वितरित करने का केन्द्र से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने उक्त अनुरोध किया है और इसका सुझाव दिया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस सुझाव पर विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों पर कर लगाना और उससे प्राप्त आय का संविधान के अनुच्छेद 269 के अन्तर्गत यथा स्वीकार्य वितरण, राज्यों के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु कर्नाटक और गुजरात राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गये उपायों में से एक है।

(ग) फिलहाल इस सुझाव को स्वीकार करने का प्रस्ताव नहीं है।

विश्व व्यापार में भारत का अंश

*679. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व व्यापार में भारत के अंश में निरन्तर कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 1973 तक विश्व व्यापार में भारत के भाग में गिरावट का रुख रहा था। तब से इसमें 0.50 से 0.56 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव आता रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लौह आयस्क के निर्यात के लिए गैर-सरकारी फर्मों के पास लाइसेंस होना

*6206. **श्री समर मुखर्जी**
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती) : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या मैसर्स सोसीडेड डे फोमेंन्टो इन्डस प्राइवेट लिमिटेड के पास लौह अयस्क का निर्यात करने का वैध लाइसेंस है ; और

(ख) इसे कब जारी किया गया था और इसका नंबर क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) उन सभी प्राइवेट निर्यातकों, जो गोवा को स्वतंत्र कराने के समय गोवा के प्रशासन से लौह अयस्क के पजीयित निर्यातक थे, लौह अयस्क के निर्यात करते रहने की अनुमति दी गई थी । गोवा में लौह अयस्क सलाहाकार का कार्यालय ऐसे सुस्थापित निर्यातकों की सूची रखता है इस प्रकार ऐसे निर्यातकों के पास लाइसेंस नम्बर नहीं होता ।

मैसर्स सोसीडेड डे फोमेन्टो को निर्यात लाइसेंस

6207. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सोसीडेड डे फोमेन्टो इन्डस प्रा० लिमिटेड के पास अपने नाम से किसी खान का पट्टा है ;

(ख) यदि हां, तो खानों के क्या नाम हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो मैसर्स सोसीडेड डे फामेन्टो इन्डस प्रा० लिमिटेड को निर्यात लाइसेंस कैसे दिया गया है जबकि लाइसेंस जारी करने से पूर्व यह एक शर्त है कि निर्यात लाइसेंस केवल उन्हीं फर्मों अथवा कम्पनियों को दिया जाएगा जिनके नाम में किसी खान का पट्टा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) मैसर्स सोसीडेड डे फोमेन्टो इंडस्ट्रियल प्रा० लि० के उनके नाम में कोई खान का पट्टा नहीं है ।

(ग) जहां तक इस मंत्रालय को मालूम है पुर्तगाल सरकार द्वारा निर्धारित की गई कोई पूर्व शर्त नहीं थी कि केवल उन्हीं फर्मों को निर्यात लाइसेंस जारी होना चाहिए जिनके अपने नाम में खान का पट्टा हो । ऐतिहासिक कारणों से उन सभी प्राइवेट निर्यातकों को जो गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा प्रशासन के पास लौह अयस्क के पंजीयित निर्यातक के, लौह अयस्क निर्यात करते रहने की अनुमति दी गई थी । चूंकि मै० सोसीडेड डे फोमेन्टो उन निर्यातकों में से हैं इसलिए उन्हें सुस्थापित निर्यातक माना जाए ।

राष्ट्रीय बचत संगठन में एजेण्टों को कमीशन का भुगतान

6208. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की राष्ट्रीय बचत संगठन में एजेण्टों को कमीशन के भुगतान में विलम्ब के बारे में थाना (महाराष्ट्र) के एक संसद-सदस्य से दिनांक 18 नवम्बर, 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, हां ।

(ख) अभिकर्ताओं को कमीशन की अदायगी करने संबंधी बढ़े हुए कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रीय बचत संगठन को अतिरिक्त कर्मचारी दिए जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा अभिकर्ताओं को कमीशन की अदायगी की प्रक्रिया के अध्ययन के काम को हाथ में लेने का अनुरोध भी किया गया है ताकि प्रक्रिया को सरल बनाने की संभावना का पता लगाया जा सके ।

सहारा सेविंग एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमा धन राशियों को वापस न किया जाना

6209. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के नोटिस में आयी है कि सहारा सेविंग एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक गैर सरकारी वित्त कम्पनी ने लाखों रुपए मूल्य के कई परिपक्व दावों का भुगतान नहीं किया है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि कम आय वाले बहुत से लोगों ने इस कम्पनी में अपनी पूंजी निविष्ट की है और यदि हां, तो इस कम्पनी का प्रत्येक शाखा ने लगभग कितनी पूंजी निवेशित की गई ; और

(ग) क्या सरकार निवेशकर्त्ता की धनराशि की सुरक्षा के लिए कोई उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि यह कंपनी, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में कार्य कर रही अपनी शाखाओं के माध्यम से "इनामी चिटें" जारी करने के कार्य में लगी हुई थीं । इनामी चिटों को जारी किए जाने पर, इनामी चिट तथा धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 द्वारा, जो 12 दिसम्बर, 1978 को प्रभावी हुआ था, रोक लगा दी गई है । अधिनियम के उपबंध संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किए जाते हैं । इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, कंपनी अपनी मौजूदा स्कीमों के संबंध में परिसमापन कार्यक्रम भेज चुकी है । 30 सितम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बिना आडिट किए गए तुलनपत्र, जो कि परिसमापन कार्यक्रम के साथ भेजा

गया था, के मुताबिक कंपनी द्वारा चलाई जा रही इनामी चिटों/धन परिचालन स्कीमों के अभिदाताओं (जनता) को कंपनी द्वारा 31.37 लाख रुपए की राशि वापस अदा की जानी थी। ऐसी कंपनियों की जमाओं की राशि को वापस अदा करने के लिए बाध्य करने की सांविधिक शक्तियां न तो सरकार और न ही रिजर्व बैंक के पास हैं। जमाओं का स्वीकार किया जाना, जमाकर्ता तथा संबंधित कंपनी के बीच एक संविदा जैसा होता है तथा संविदा भंग होने के मामले में न्यायालय से उसका उच्चार कराना होता है।

दक्षिणी पेट्रो-रसायन औद्योगिक निगम लिमिटेड के निदेशकों के निवास-स्थानों पर आयकर अधिकारियों द्वारा छापे मारा जाना

6210. **श्री ए० नीलालो हिया वसन नाडार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आयकर तथा प्रवर्त्तन निदेशालय ने 1980-81 के दौरान मद्रास और बम्बई में दक्षिणी पेट्रो-रसायन औद्योगिक निगम लिमिटेड तथा अन्य फर्मों के निदेशकों के निवास-स्थान पर छापे मारे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों में पदासीन निदेशकों को अनर्ह करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर विभाग ने 20 जनवरी, 1981 की सदर्न पेट्रो केमिकल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड एस० पी० आई० सी० के कुछ निदेशकों के आवासीय परिसरों तथा मद्रास और बम्बई स्थित अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तलाशियां ली थी। वर्ष 1980-81 के दौरान प्रवर्त्तन निदेशालय ने कम्पनी के किसी भी निदेशक के आवासीय परिसरों की तलाशी नहीं ली थी।

(ख) आयकर विभाग द्वारा जांच की जा रही है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कम्पनी अधिनियम की धारा 283(1)(ङ) में यह व्यवस्था है कि निदेशक का पद उस स्थिति में रिक्त हो जायेगा यदि उसे न्यायालय द्वारा नैतिक भ्रष्टाचार के अपराध में दोष सिद्ध ठहराया गया हो और उसके लिए कम से कम छः महीने के कारावास का दण्ड दिया गया हो।

इण्डोनेसिया में सीमेंट का संयंत्र

6211. **श्री रामचन्द्र रथ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोटेक्ट एण्ड एक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा इंडोनेसिया में एक सी ट संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस सीमेंट संयंत्र की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता कितनी होगी ;

(ग) इसमें कुल कितनी वित्तीय लागत आएगी ;

(घ) क्या उस संयंत्र में भारतीयों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) सीमेंट संयंत्र का उत्पादन क्षमता 2000 में टन प्रति दिन होगा ।

(ग) ऐसा पता चला है कि इस परियोजना पर इंडोनेशिया के प्राधिकारियों द्वारा 131 मिलियन अमरीकी डालर का कुल परिव्यय किए जाने का अनुमान है ।

(घ) तथा (ङ) इस समय यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । यह संयंत्र के मालिकों द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा ।

रेशम के उत्पादन के लिए विश्व बैंक से सहायता

6212. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेशम के उत्पादन के लिए विश्व बैंक कितनी वित्तीय सहायता देने को सहमत हो गया है ;

(ख) देश के विभिन्न रेशम उत्पादक राज्यों को इसमें से नियतन किस प्रकार किया जाएगा ; और

(ग) देश में रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) कर्नाटक सरकार विश्व बैंक की सहायता से 54 मिलियन डालर का एक रेशम उत्पादन परियोजना को कार्यान्वित कर रही है । यह राशि केन्द्रीय सरकार को उस समय जब कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं, केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों की योजना स्रोतों के आबंटन के सहमत फार्मूले के अन्तर्गत दी जाती है ।

(ग) देश में रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए किये गये उपायों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है ।

देश में रेशम उद्योग को विकसित करने के लिए निम्नांकित उपाय किए गए हैं :

1. बेहतर खाद्य पौधों के, रेशम कीटों का बेहतर जातिओं तथा बेहतर पालन

विधियों के विकास से सम्बन्धित विद्यमान गवेषणा तथा विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना तथा उनका विस्तार करना ।

2. गवेषणा प्रयोगशालाओं के परिणामों को रेशम उत्पादकों के पास पहुंचाने के लिए विस्तार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना ।

3. शहतूत कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाना तथा वर्तमान एवं नये फार्मों में शहतूत की सुधरी हुई किस्मों के पौधे लगाना ।

4. बढ़िया किस्म के बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ग्रेनेजिज स्थापित करना ।

5. रेशम कीटों का उन्नत पालन विधियों का विभाग के अभ्यार्थियों को तथा किसानों को उच्च गवेषणा प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देना ।

6. टसर पालन के लिए खाद्य पौधों को बढ़ाने के लिए किफायती बागानों की स्थापना ।

7. टसर, मूगा तथा कृत्रिम रेशम के कीड़ों का बेहतर किस्म के गुणन के लिए कई केन्द्र स्थापित करना ।

8. पालकों की अर्थित कीमत तथा उपभोक्ताओं की स्थिर कीमत सुनिश्चित करने के लिए कच्चा रेशम के विद्यमान विपणन सम्बन्धी प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाना ।

9. अन्तःराज्यीय टसर परियोजना कार्यान्वित करना ।

कर्नाटक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

6213. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में और अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में ऐसे कितने बैंक खोले जायेंगे ; और

(ग) ये बैंक किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) मार्च, 1985 के अन्त तक छठी पचवर्षीय योजना के दौरान देश में और 105 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का निर्णय किया गया है जिससे 270 जिलों को व्याप्त करते हुए ऐसे बैंकों की कुल संख्या 170 तक पहुंच जायेगी ।

(ख) और (ग) कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए स्थान निर्धारित करना एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा ऐसे स्थानों का निर्णय, भारतीय रिजर्व बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए बनी संचालन समिति की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा किया जाता है। कर्नाटक में 2 नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए, इस समिति ने अभी तक 3 जिलों, अर्थात् तुमकुर तथा बंगलौर (ग्रामीण) और चित्रदुर्ग की सिफारिश की है।

रीवा जिले (मध्य प्रदेश) में चाचई, बहूटी और केवटी प्रपात के पर्यटन स्थलों का विकास

6214. **श्री मार्तन्ड सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चाचई, बहूटी और केवटी प्रपातों के पर्यटन स्थलों का विकास करने तथा सुन्दर बनाने के लिए सरकार के पास कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन स्थानों की दर्शनीय सुन्दरता को ध्यान में रखते हुए सरकार इस तरह की योजना पर विचार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि जिन स्थानों का हवाला दिया गया है, वे प्रधान रूप से स्थानीय पर्यटकों की अभिरुचि के हैं। अतः ऐसे स्थानों का पर्यटन-विकास राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोला जाना

6215. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिलावार किन-किन स्थानों पर अपनी शाखायें खोली गई हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां शाखाओं की मंजूरी दे दी गई है, किन्तु उन्हें खोला नहीं गया है; और

(ग) तत्संबंधी क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) 1 जनवरी, 1980 से 30 नवम्बर, 1980 की अवधि के दौरान, वाणिज्यिक बैंकों ने हिमाचल प्रदेश में 25 शाखाएं खोली। इन शाखाओं के ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) नवम्बर, 1980 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश के

विभिन्न जिलों में अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पास 58 लाइसेंस/आबंटनपत्र थे । इनके स्थानों तथा आबंटित बैंकों के ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं । इन शाखाओं के दिसम्बर, 1981 से पूर्व खुल जाने की आशा है ।

विवरण-1

कलैंडर वर्ष 1980 (नवम्बर तक) के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में खोली गई शाखाओं के स्थानों के नामों को दर्शाने वाला विवरण

जिला	स्थान का नाम	निम्नलिखित द्वारा खोली गई
बिलासपुर	1. बरमाना (गागल प्रोजेक्ट एरिया)	स्टेट बैंक आफ पटियाला
	2. कुथेर	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
चम्बा	3. बनीखेत	भारतीय स्टेट बैंक
	4. चौवारी	भारतीय स्टेट बैंक
	5. गेहरा	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
हमीरपुर	6. हमीरपुर	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	7. रंगास	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
कांगड़ा	8. आलमपुर	हिमाचल ग्रामीण बैंक
	9. रानीताल	हिमाचल ग्रामीण बैंक
	10. चौबीन	हिमाचल ग्रामीण बैंक
कुल्लु	11. शमशी	हिमाचल ग्रामीण बैंक
	12. गडसा	हिमाचल ग्रामीण बैंक
	13. कुल्लु	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	14. हरीपुर	हिमाचल ग्रामीण बैंक
किन्नौर	15. कल्पा	पंजाब नेशनल बैंक
	16. संगला	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
शिमला	17. बाघी	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	18. नरवा	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
सोलन	19. जब्बार	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
	20. रामशहर	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	21. सोलन	भारतीय स्टेट बैंक

1	2	3
	22. दरलाघाट	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
ऊना	23. नेहरियान	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	24. लठयानी	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
सिरमौर	25. नरग	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

विवरण-2

30 नवम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शाखा खोलने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों के पास विचाराधीन आवंटन/लाइसेंसों को दर्शाने वाला विवरण

जिला	केन्द्र का नाम	आवंटन/लाइसेंस रखने वाले बैंक का नाम
1	2	3
बिलासपुर	1. स्वारघाट	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	2. नाम्होल	भारतीय स्टेट बैंक
	3. हतवाल	पंजाब नेशनल बैंक
	4. बेरी	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	5. ओलिन्दा कालोनी	स्टेट बैंक आफ पटियाला
चम्बा	6. किल्लर	भारतीय स्टेट बैंक
कांगड़ा	7. लून्ज	हिमाचल ग्रामीण बैंक
	8. दौलतपुर	- तदेव -
	9. ठाकुर द्वारा	- तदेव -
	10. चढी	- तदेव -
	11. बीड़	- तदेव -
	12. धर्मशाला	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	13. माला	- तदेव -
	14. वन्दा	हिमाचल ग्रामीण बैंक
	15. हरचकियान	- तदेव -
	16. बथन्तिपरी	- तदेव -
	17. भदवार	- तदेव -

1	2	3
किन्नौर	18. सूंगरा	भारतीय स्टेट बैंक
कुल्लु	19. दोभी	हिमाचल ग्रामीण बैंक
	20. भुट्टी	- तदेव -
	21. महानी	- तदेव -
	22. भांग	- तदेव -
मण्डी	23. सुन्दर नगर	- तदेव -
	24. करसोग	- तदेव -
	25. महादेव	- तदेव -
	26. मण्डी	- तदेव -
	27. अहजू	- तदेव -
	28. रन्धारा	- तदेव -
	29. लेडा	हिमाचल ग्रामीण बैंक
	30. भामला	- तदेव -
	31. गदा गसैन	- तदेव -
	32. लिहरा	- तदेव -
	33. थुनग	- तदेव -
	34. धर्मपुर	- तदेव -
	35. बैजनाथ	- तदेव -
शिमला	36. शिमला-राम-बाजार	युनाइटेड कमर्शियल बैंक
	37. मंढोल	भारतीय स्टेट बैंक
	38. खंदराला	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
	39. सैंज	- तदेव -
	40. शिमला-बोइलीवगंज चक्कर एरिया	भारतीय स्टेट बैंक
	41. जरोल	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	42. जुंगा	- तदेव -
सोलन	43. परवानू	भारतीय स्टेट बैंक
	44. जनूनाजी	- तदेव -
	45. पट्टा महलोग	- तदेव -
	46. सीरी	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

1	८२८ केन्द्रीय विपणन संगठन के अधिकारियों की पदोन्नति नीति में	
	ी किए निदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित	
	47. धालोग र की व्यवस्था है।	
	बाजार)	
	48. बालोरा पणन संगठन के वित्त विभाग के 14 अधिकरियों	
सिरमोर	49. नौरा धिकारी के पद पर पदोन्नति की गई है—	
	50. कानलावाला भुज में की पदोन्नती हुई है।	
	51. धौलाकुंआ रामपुर	भ पाई० सी० डब्लयू० ए० जैसी
	52. ओग्ली	यूनाइ०
हमीरपुर	53. अवाहादेवी	स्टेट बैंक ऑ
	54. लदरौरी	सेन्ट्रल बैंक आफ़ी के ग्रेड से है जो
ऊना	55. हरोली	- तदेव - है। वरिष्ठ लेखा
	56. सिहारी तकोली	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में 6 वर्ष की
	57. चौकी मनयार	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
लाहोल स्पीति	58. जालामार	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

बैंक आफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में ऋण दिया जाना

6216. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ इंडिया द्वारा पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में प्रति वर्ष ऋण सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध की गई; और

(ख) ऋण सहायता में प्रतिवर्ष भूमिहीन किसानों, सीमान्त किसानों तथा छोटे किसानों की प्रतिशतता क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) बैंक आफ इंडिया द्वारा, जिसकी एक ग्रामीण शाखा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है, पिछले 3 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई ऋण सहायता नीचे दी गई है :—

(लाख रुपयों में)

	1978	1979	1980
कुल अग्रिम रु०	345	480	520
जिनमें से कृषि को दिए गए अग्रिम	1.2	2.6	2.3
भूमिहीन किसानों, सीमांतिक किसानों तथा छोटे किसानों को दिए गए कृषि अग्रिमों से कमजोर वर्गों के अंश की प्रतिशतता	52	55	61

भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग में अनिवार्य जमा योजना की अंतिम किस्त की अदायगी

6217. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग में अनिवार्य जमा योजना (पुरानी) की जुलाई, 1980 में देय हुई आखिरी किस्त की अदायगी कर दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली कैमिकल्स लेबोरेटरी दिल्ली में इसकी अदायगी अभी तक नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्यिक तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की दिल्ली रसायन प्रयोगशाला जैसे कुछ कार्यालयों में, खातों का मिलान न हो पाने के कारण, अनिवार्य जमा योजना (पुरानी) का अन्तिम भुगतान अभी नहीं किया गया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के केन्द्रीय मार्किटिंग संगठन में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुविधाएं

6218. **श्री आर० आर० भोले :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के केन्द्रीय मार्किटिंग संगठन की कार्यपालिका की पदोन्नति नीति में सरकारी निदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं;

(ख) केन्द्रीय मार्किटिंग संगठन के वित्त विभाग के कितने कार्यकारी अधिकारियों की उप-वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गई तथा तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) उस संगठन में सी० ए० तथा आई० सी० डब्ल्यू० ए० जैसी व्यवसायिक अर्हताओं वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, अगले निचले ग्रेड में अनुभव प्राप्त कर लिया है और उनमें से कितने व्यक्तियों ने 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) स्टील अथारिटी

आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के केन्द्रीय विपणन संगठन के अधिकारियों की पदोन्नति नीति में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए निदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

(ख) वर्ष 1980 के दौरान केन्द्रीय विपणन संगठन के वित्त विभाग के 14 अधिकरियों को उप-वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गई है— मई, 1980 में 6 और दिसम्बर, 1980 में 8 अधिकारियों की पदोन्नती हुई है।

(ग) केन्द्रीय विपणन संगठन में सी० ए० अथवा आई० सी० डब्लयू० ए० जैसी व्यावसायिक अर्हताओं वाले 113 अधिकारी हैं।

(घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय वरिष्ठ लेखा अधिकारी के ग्रेड से है जो उप-वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के स्तर से अगला निचला पद है। वरिष्ठ लेखा अधिकारी के ग्रेड में 29 अधिकारी हैं। इनमें से किसी भी अधिकारी ने उस ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है। इनमें से 10 अधिकारियों ने 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

"योगी एन्ड दि डिलेड आई० ए० फ्लाइट" शीर्षक समाचार

6219. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मार्च 1981 के "टाइम्स आफ इंडिया" के नई दिल्ली संस्करण में मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित "योगी एन्ड दि डिलेड आई० ए० फ्लाइट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मामलों के मुख्य तथ्य क्या हैं और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इंडियन एयरलाइंस के किस अधिकारी ने दिल्ली-बम्बई विमान को लखनऊ भेजने की अनुमति दी जबकि लखनऊ दिल्ली-बम्बई मार्ग पर नहीं हैं ; और

(घ) ये गैर-सरकारी अतिविशिष्ठ व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अपने लिए इस सारी सुविधा की व्यवस्था की तथा यह किसके माध्यम से की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स की दिल्ली/चंडीगढ़/लेह उड़ान सं० आई० सी०—483 में 2.3.1981 को हुए विलम्ब का कारण चंडीगढ़ हवाई अड्डे को वायुसेना अभ्यास के लिए बंद किया जाना था और कोई कारण नहीं।

(ग) विमान के मार्ग परिवर्तन के आदेश दिल्ली-क्षेत्र के वाणिज्यिक प्रबंधक ने दिए थे।

(घ) एक विवाह-पार्टी को दिल्ली लाने के आश्वासन को पूरा करने के लिए आयोजित की गई इस उड़ान के मार्ग परिवर्तन में कोई भी गैर-सरकारी अतिविशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित नहीं था। 72 यात्रियों की एक शादी पार्टी को आई० सी०—410 (लखनऊ/दिल्ली) पर, उनकी आई० सी० 405 दिल्ली/बम्बई उड़ान द्वारा आगे बम्बई यात्रा के लिए बुक किया गया। चूंकि कलकत्ता/रांची/पटना/लखनऊ/दिल्ली सेवा उड़ान संख्या आई० सी०—410, को अचानक औद्योगिक अशांति हो जाने के कारण रद्द करना पड़ा, अतः उड़ान संख्या आई० सी०—405 को दिल्ली/बम्बई को लखनऊ के मार्ग से चलाया गया।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादकों को दिया गया ऋण

6220. **श्री मुकंद मण्डल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने निदेशों के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादकों को अग्रिम ऋण दे रहें हैं ;

(ख) यदि हां, तो बैंकों द्वारा कितने जूट उत्पादकों को ऋण उपलब्ध कराये गये हैं और गत पांच वर्षों में (वर्षवार) कितनी राशि दी गई ; और

(ग) जूट उत्पादकों को दिये गये ऋण की वर्षवार न्यूनतम और अधिकतम राशि कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) केन्द्र सरकार की ओर से कोई विशिष्ट निदेश नहीं है। बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल में मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण की उनकी सामान्य प्रणाली के अन्तर्गत जूट उत्पादकों का वित्तपोषण किया जाता है।

(ख) और (ग) बैंकों में आंकड़े सूचित करने की प्रणाली द्वारा किसानों को कृषि वित्त के संवितरण के फसल-वार ब्यौरे नहीं मंगाये जाते। जूट की खेती के लिए किसानों को दिये जाने वाले अग्रिम सामान्यतः राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा जिस वित्त-मान की मात्रा की सिफारिश की गई है, उसके आधार पर निचे लिखे अनुसार दिये जाते हैं :—

(रुपये प्रति करोड़)

	वित्तमान		
	नकद	वस्तु	जोड
1976	320	235	555
1980	360	235	600
1981	455	255	710

जूट उत्पादक को दी जाने वाली अग्रिम की राशि, खेती में अन्तर्ग्रस्त एकड़-क्षेत्र के ऊपर निर्भर होगी ।

विदेशों की यात्रा पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा

6221. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके तथा उनके अधिकारियों द्वारा गत तीन महीनों के दौरान की गई विदेशों की यात्राओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त यात्राओं का क्या प्रयोजन तथा उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पिछले तीन महीनों में पर्यटन और नागर विमानन मंत्री ने निम्नलिखित अधिकारियों के साथ 9 जनवरी, 1981 से 17 जनवरी, 1981 तक सिंगापुर और आस्ट्रेलिया (सिडनी) का दौरा किया ।

(1) श्री के० के० श्रीवास्तव,
पर्यटन के महानिदेशक

(2) श्री एच० एम० गुप्त,
उप महानिदेशक (प्रचार), तथा

(3) श्री के० सी० डंडोना,
मंत्री के प्रथम वैयक्तिक सहायक ।

(ख) यात्रा का उद्देश्य सिडनी में एक बैठक में भाग लेना था, जिसमें समुद्रपार की प्रमुख पर्यटक-मंडियों से भारत के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए "ऑपरेशन आस्ट्रेलिया" की कार्यविधि का पुनरीक्षण किया गया। प्रतिनिधिमंडल पर कुल लगभग 24,674 रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई ।

रुई और सूती वस्त्रों का थोक मूल्य सूचकांक

6222. **श्री के० ए० राजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेक्सन समिति की रिपोर्ट को लागू करने के बाद 1980 के दौरान रुई तथा सूती वस्त्रों का औसत थोक मूल्य सूचकांक कितना था ; और

(ख) 1977, 1978 और 1979 की तुलना में 1980 में थोक मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) कच्ची रुई तथा सूती कपड़े (मिल, के लिए कैलेण्डर वर्ष 1980 के दौरान औसत थोक कीमत सूचकांक क्रमशः 169.7 (अनन्तिम) तथा 205.1 (अनन्तिम) थे ।

(ख) कच्ची रुई तथा सूती कपड़े (मिल) के लिये 1977, 1978 तथा 1979 की तुलना में 1980 के थोक कीमत सूचकांक की प्रतिशतता वृद्धि अथवा गिरावट निम्नोक्त प्रकार थी :

	कच्ची रुई	सूती कपड़ा (मिल)
1979 की तुलना में 1980 में प्रतिशतता परिवर्तन	+ 3.2	+ 8.6
1978 की तुलना में 1980 में प्रतिशतता परिवर्तन	— 1.9	+12.4
1977 की तुलना में 1980 में प्रतिशतता परिवर्तन	—15.5	+16.4

मिजोरम में तुरियल हवाई क्षेत्र का नवीकरण

6223. **डा० आर० रोथुआमा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में चालू तीसरे स्तर की विमान सेवा के लिए टयूटोरियल हवाई क्षेत्र का नवीकरण करने और सुधार करने का कार्य शुरू करने का सरकार का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो मिजोरम में तीसरे स्तर की विमान सेवा शुरू करने के लिए क्या कोई वैकल्पिक उपाय है ; और

(घ) मिज़ोरम में तीसरे स्तर की विमान सेवा कब चालू किये जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) तुरियल (ऐजावल) की हवाई पट्टी (5 से 7 सीटों वाले) छोटे विमानों अथवा हैलीकाप्टरों के परिचालन के लिए उपयुक्त है इसलिए वायुदूत द्वारा इस समय परिचालित किए जा रहे प्रकार के विमानों से ऐजावल के लिए तीसरी वायु सेवाओं का परिचालन प्रारम्भ करना संभव नहीं है ।

(ग) और (घ) किसी दूसरे वैकल्पिक स्थान पर एक नया हवाई अड्डा बनाने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है तथा अभी इस स्थिति में यह बता सकना संभव नहीं है कि ऐजावल के लिए तीसरी विमान सेवाएं कब तक प्रारम्भ की जाएंगी ।

सेन्ट्रल बैंक, सीतापुर के विरुद्ध शिकायतें

6224. **श्री राम लाल राही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांव कोथवाल, विकास खण्ड, रामपुर, मथुरा जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश के अनेक निवासियों द्वारा सेन्ट्रल बैंक के बारे में लिखित शिकायतें किए जाने के आधार का पता लगाने के लिए प्रयास किये हैं ;

(ख) क्या तथ्यों की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) गांव कोथवाल, विकासखण्ड, रायपुर-मथुरा, जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश के कुछ निवासियों की, माननीय संसद सदस्य द्वारा भेजी गई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं। इन्हें सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को जांच-पड़ताल के लिए भेजा गया था। बैंक ने सूचित किया था कि उन किसानों में से किसी को भी, जिन्होंने अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर किये थे, बैंक द्वारा कोई ऋण नहीं दिए गए थे तथा, इस प्रकार, जैसा कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया था, ऋणों की वसूली का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। यद्यपि जांच प्रक्रिया के दौरान बैंक के निरीक्षण अधिकारी द्वारा इस बैंक की सीतापुर शाखाओं में ऋणों की स्वीकृति तथा सवितरण में अन्य अनियमितताएं देखी गई थी। यह मामला और आगे जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया जो जांच पड़ताल की गयी उस के आधार पर, सीतापुर शाखा के कृषि सहायक तथा चार अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों को आरोप-पत्र दिये गए हैं। इस मामले में मुकदमा चल रहा है तथा मामला न्यायाधीन है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा 31-1-1981 तक मौसम के दौरान खरीदा गया पटसन

6225. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम ने 31-1-1981 तक के मौसम के दौरान कुल कितनी मात्रा में पटसन खरीदा ;

(ख) देश में ही पटसन मिलों तथा अन्य उद्योगों को पटसन की सप्लाई करने तथा निर्यात करके कुल कितनी मात्रा में पटसन का विक्रय किया गया और कितना पटसन स्टाक में बाकी था ; और

(ग) सरकार का विचार सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में पटसन मिलों की इस आशय के आवश्यक निदेश देने का है कि वे पटसन की अपनी आवश्यकताओं में केवल पटसन निगम से ही पूरा करें और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई विधान बनाने का है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) वर्तमान मौसम के दौरान 31-1-1981 तक भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद की कुल मात्रा (राज्यवार) निम्नोक्त प्रकार है :

राज्य का नाम	(लाख गांठों में)
1. पश्चिम बंगाल	4.59
2. असम	1.88
3. बिहार	2.52
4. उड़ीसा	0.11
5. त्रिपुरा	0.27
6. उत्तर प्रदेश	0.01
7. आन्ध्र प्रदेश	0.20
8. अन्य राज्य	—
योग	9.58 या 9.60 मान लिया जाए।

भण्डार

1978-79		8.25
1979-80		8.68
1980-81		9.60
(31-1-1981 तक)	योग	26.53

बिक्री (घरेलू)

एन० जे० एम० सी०		4.11
निजी पटसन मिलें		5.57
निर्यात		0.87
	योग	10.55
31-1-1981 को शेष भण्डार		15.98

राष्ट्रीयकृत पटसन मिलें भारतीय पटसन निगम से अपनी खरीदों में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। कच्चे पटसन की कुछ मात्रा भारतीय पटसन निगम से निजी क्षेत्र का मिलों द्वारा भी

खरीदी जा रही है। इस अवस्था में ऐसा आदेश देना उचित नहीं होगा कि सरकारी और निजी क्षेत्र की पटसन मिलें कच्चे पटसन की सारी आवश्यकता को केवल भारतीय पटसन निगम से ही खरीदें क्योंकि निगम सीधे ही उपजकर्ताओं से सारी फसल खरीदने की स्थिति में नहीं है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा बढ़ाये गये सेवा काल वाले कर्मचारी

6226. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री इंडियन एयरलाइंस में बढ़ाये गये सेवा काल वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के नोटिस दिए जाने के बारे में 6 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2420 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा उन अधिकारियों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है जिनके सेवाकाल को बढ़ाया गया है ; और

(ख) क्या वे ऐसे अधिकारियों के नाम एवं पद तथा प्रत्येक मामले में बढ़ाया गया समय दिखाने वाला और उसके कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

ताज होटल समूह द्वारा श्रीलंका में होटल उद्योग में प्रवेश

6227. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज होटल समूह चलाने वाला होटल्ज कम्पनी बड़े पैमाने पर श्रीलंका में होटल उद्योग में प्रवेश कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इंडियन होटल्ज द्वारा श्रीलंका में किस रूप में प्रवेश किया जाएगा ; और

(ग) क्या इस कम्पनी को अपने लाभ की कुछ राशि भारत को प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी जाएगी यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित वास्तविक शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) मैं० दि इंडियन होटल्स कं० लि० को भारतीय संयुक्त उद्यम के रूप में श्रीलंका (कोलम्बो) में 500 कमरों वाला एक होटल चलाने की मंजूरी दी गई है।

(ख) श्रीलंका में प्रस्तावित होटल परियोजना की कुल इक्विटी शेयर पूंजी 160 मिलियन एस० एल० रु० होगा जिसमें से मैं० इंडियन होटल्स कं० लि०, बम्बई निम्नोक्त रूप में शेयर

पंजी का 40 प्रतिशत अर्थात् 64 मिलियन एस० एल० रु० का अंशदान करेंगे :

(1) फर्नीचर फिक्सचर, कालीन तथा होटल संचालन उपस्कर जैसी मदों का निर्यात करके : 40 मिलियन एस० एल० रु०

(2) विदेशी मुद्रा ऋण लेकर 24 मिलियन एस० एल० रु०

24 मिलियन एस० एल० रु० के विदेशी मुद्रा ऋण की किस्तों का पुन: भुगतान मै० इंडियन होटल्स कं० लि० द्वारा प्राप्त परामर्श फीस के सर्मजन द्वारा किया जाएगा।

(ग) जैसे ही उन्हें ये राशियां मिल जाएंगी, लाभांशों से हुई आय मुक्त विदेशी मुद्रा में भारत भेज दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से रोहतास इंडस्ट्रीज द्वारा लिया गया ऋण

6228. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड डालमियानगर, बिहार द्वारा 1 जनवरी, 1981 तक किन-किन बैंकों से व कितनी राशि का ऋण लिया गया है ;

(ख) क्या अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने भी इस उद्योग को ऋण दिए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्षों में इस उद्योग के ऋण में वृद्धि होती रही है परन्तु कोई वसूली नहीं हुई ;

(घ) क्या यह सच है कि उद्योग द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता का बिना अनुमति प्राप्त किए अन्यत्र अपयोग किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को शासित करने वाले कानून के मुताबिक भी बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

(ख) 31 दिसम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार रोहतास इंडस्ट्रीज लि० पर वित्तीय संस्थाओं के बकाया अग्रिमों की राशि 142.50 लाख रुपए थी।

(ग) वित्तीय संस्थाओं ने सूचित किया है कि उनके द्वारा कम्पनी को संवितरित ऋणों के सम्बन्ध में मूल रकम की वापसी अथवा ब्याज की अदायगी के मामले में कम्पनी की ओर से कोई रकम बकाया नहीं है।

(घ) और (ङ) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई

है जिससे पता चले कि उन्होंने इस कम्पनी को जिन-जिन प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान किए थे, उन के लिए इस कम्पनी ने धन ऋण राशियों का उपयोग नहीं किया।

इलाज के लिए मुफ्त टिकट

6229. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री द्वारा स्वाथ्य सेवा के महानिदेशक द्वारा इलाज के लिए विदेशी दौरे के बारे में दिए गए 12 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3202 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त उत्तर में उल्लिखित उनके मन्त्रालय के उस योजना की मुख्य रूप रेखा क्या है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार के मामलों में मुफ्त टिकट दी जाती है ;

(ख) किस वर्ग के सरकारी कर्मचारी इस प्रकार मुफ्त टिकट पाने के लिए ग्राह्य हैं और किन परिस्थितियों में : और

(ग) उनके मन्त्रालय ने किन कारणों से उच्च वर्ग के ऐसे अधिकारियों को, जो इलाज के लिए विमान-भाड़ा वहन कर सकते हैं, मुफ्त टिकट दिए ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार विदेशों में इलाज के लिए निःशुल्क टिकट, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक द्वारा यह प्रमाणपत्र देने पर कि या तो बीमारी का इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है अथवा इलाज-पद्धति अभी अपनी शैशवावस्था में है, दिए जाते हैं। यदि यह प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाता है तो सरकारी कर्मचारियों सहित हर व्यक्ति इस प्रकार के निःशुल्क टिकटों के लिए विचार किए जाने का पात्र है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम सलाहकार समिति द्वारा आर्थिक महत्व का अनुमान लगाने के लिए अपनाये गये मानदंड

6230. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम सलाहकार समिति द्वारा आधुनिकतम किस्म की प्रौद्योगिकी को छोड़ कर अन्य कौन से कारणों को ध्यान में रखा जाता है जैसा कि 6 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2469 के उत्तर से अभिप्रेत है;

(ख) कितने मामलों में समिति ने आर्थिक महत्व के आधारों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सिफारिशों को बदला था; और

(ग) प्रौद्योगिकी के आर्थिक महत्व का अनुमान लगाने के लिये समिति द्वारा अपनाये गये मानदण्ड क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विनिर्माणकारी गतिविधि में अन्तर्ग्रस्त प्रौद्योगिकी के नवीनतम तथा वास्तविक स्वरूप का जायजा लिये जाने के अलावा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम संबंधी सलाहकार समिति को इन पहलुओं पर भी विचार करना पड़ता है—अर्थात् (1) क्या इस प्रौद्योगिकी का उपयोग उन उत्पादों के निर्माण में किया जाता है जिसके बिना अन्यथा उनका आयात करने की आवश्यकता पड़ सकती है, (2) क्या इस प्रौद्योगिकी के साथ उन उत्पादों के निर्माण को बन्द करने से अर्थव्यवस्था आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लिए गए जायजे को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम समिति ने आर्थिक महत्व के मानदण्ड को एक कम्पनी के मामले में जो उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में कार्यरत थी लागू करके अमान्य किया है।

साउथ इण्डिया विसकोस लिमिटेड के विरुद्ध प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा जांच पड़ताल

6231. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्त्तन निदेशालय ने साउथ इंडिया विसकोस लिमिटेड अथवा इसके प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कोई जांच-पड़ताल की है ;

(ख) यदि हां, तो यह जांच-पड़ताल किस तारीख को शुरू की गई थी; और

(ग) जांच-पड़ताल का कार्य, अब किस स्थिति में है और तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां।

(ख) प्रवर्त्तन निदेशालय ने, 19 तथा 20 दिसम्बर, 1977 को मैसर्स साउथ इंडिया विसकोस लिमिटेड, कोयम्बटूर के परिसरों की तलाशियां ली।

(ग) जांच का काम पूरा कर लिया गया है जिसके परिणामतः चार कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। मामलों में न्याय निर्णय अभी होना बाकी है।

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा पूंजी एकत्रित करने के बारे में पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा अनुमति

6232. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 के प्रथम नौ महीनों में पूंजी निर्गम नियंत्रक ने गैर सरकारी कम्पनियों को पूंजी-बाजार 573-48 से करोड़ रुपए की राशि एकत्रित करने की अनुमति दी थी जबकि उन्होंने केवल 106.90 करोड़ रुपए की पूंजी ही एकत्रित की थी;

(ख) क्या यह सच है कि इसी अवधि के दौरान पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा अनुमोदित 97.25 करोड़ रुपए के केवल आरंभिक इक्विटी निर्गमों के समक्ष ये कम्पनियां केवल 2.08 करोड़ रुपए की राशि ही एकत्रित कर सकती थी;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्गम की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने का है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) वर्ष 1980 के पहले 9 महीनों में अनुमोदित पूंजी निर्गमों तथा जुटाई गई पूंजी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

निर्गम की किस्म	अनुमोदित	जुटाई गई पूंजी
प्रारम्भिक निर्गम	97.25	8.56
अतिरिक्त निर्गम	60.53	39.48
ऋणपत्र निर्गम	50.00	56.92
बोनस निर्गम	115.06	45.03
ऋण आदि	250.64	9.30
	573.48	159.29

उपर्युक्त जुटाई गई पूंजी के आंकड़े कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों पर आधारित हैं।

बोनस निर्गमों से भिन्न, नए पूंजी निर्गमों के लिए पूंजी निर्गम नियन्त्रक द्वारा दिए गए अनुमोदन, उनके निर्गम की तारीख से 18 महीनों के लिए वैध रहते हैं और इसलिए स्वीकृत जारी किए जाने और कम्पनियों द्वारा पूंजी के निर्गम से स्वीकृति आदेश को वास्तविक कार्यरूप देने के बीच सदा समय अन्तराल रहता है। इसलिए किसी अवधि में जुटाई गई पूंजी के आंकड़ों का उसी अवधि के दौरान स्वीकृत निर्गमों की राशि से मेल खाना जरूरी नहीं है।

(ग) सरकार ने निवेश की प्रवृति को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर बहुत से उपाय किए हैं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के शिक्षक संघ को मान्यता

6233. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र प्राधिकरण ने अध्यापक संघ को इस संयंत्र के एक संघ के रूप में मान्यता दी है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस्पात संयंत्र प्राधिकरण को इस वर्ष अध्यापक संघ की आम सभा में पारित किया गया मांग-पत्र प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मांगों का विस्तृत ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस्पात संयंत्र प्राधिकरण द्वारा अब तक उनमें से कितनी मांगों को पूरा किया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात कारखाने ने राउरकेला इस्पात कारखाना अध्यापक संघ को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि प्रबन्धकों ने कर पंजीकृत ट्रेड यूनियन अर्थात् राउरकेला मजदूर सभा को पहले से मान्यता प्रदान कर रखी है, जो सभी कर्मचारियों की ओर से एकमात्र "सौदा एजेंट" है। चूंकि राउरकेला इस्पात कारखाना अध्यापक संघ सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है अतः वैसे भी यह संघ ट्रेड यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) मांग-पत्र में निम्नलिखित मांगे रखी गई हैं :—

(1) अर्जित छुट्टी बढ़ाना,

(2) राउरकेला इस्पात कारखाना अध्यापक संघ को मान्यता प्रदान करना और उसे मकान देना,

(3) एम० 2 और एम० 3 स्तरों के वेतनमानों में वृद्धि करना,

(4) अध्यापकों की अलग से वरिष्ठता सूची बना कर उन्हें मकान देना,

(5) सभी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करना,

(6) इस्पात और उर्वरक बस्ती से अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का संगठनात्मक ढांचा अन्य हाई स्कूलों और निम्नतर माध्यमिक स्कूलों के लिए भी लागू किया जाए।

(7) अधिसूचित छुट्टियों और अन्य छुट्टियों (वकेशन) में अध्यापकों को प्रोत्साहन बोनस की अदायगी,

(8) फालतू कार्य के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक,

(9) उच्चतर व्यावसायिक अर्हताएं रखने वाले अध्यापकों को अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां, तथा

(10) और अधिक हाई स्कूलों और निम्नतर माध्यमिक स्कूलों का निर्माण।

(ङ) हाल में 1 जनवरी, 1980 से अर्जित छुट्टियों की दर बढ़ा दी गई है। इस्पात उद्योग के लिये राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति की मानकीकरण समिति के साथ इस मामले पर आगे और विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस कारखाने के अध्यापकों को कारखाने के बाहर के अन्य कर्मचारियों के बराबर प्रोत्साहन बोनस और 18 दिन तक की अधिसूचित छुट्टियों के लिये पहले से बोनस दिया जा रहा है। उच्चतर व्यावसायिक अर्हताएं रखने वाले अध्यापकों को आर्थिक प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। दो अतिरिक्त हाई स्कूलों और एक निम्नतर माध्यमिक स्कूल के भवनों का निर्माण किया जा चुका है। इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों के विचार में संघ की अन्य मांगें उचित नहीं हैं।

जीवन बीमा निगम के लाभ

6234. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बीमा प्रीमियम तथा अन्य स्रोतों पर ब्याज के रूप में कितना लाभ, वर्षवार अर्जित किया गया है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में शिष्टबन्दी कर्मचारी तथा अन्य शीर्षों पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) जीवन बीमा पालिसियां दीर्घावधिक संविदा होते हैं जिन में मृत्यु अथवा मानव जीवन पर घटित होने वाली किसी प्रकार की आकस्मिक घटना की स्थिति में अदायगी का आश्वासन निहित होता है। जीवन बीमा कारबार करने वाली बीमा कम्पनियां वाणिज्यिक रूप में मान्य लाभ नहीं कमातीं। इन कम्पनियों की लाभप्रदता समय-समय पर किए गए बीमांकक मूल्यांकनों द्वारा निकले अधिशेष (अथवा घाटे) के आधार पर आंकी जाती है। जीवन बीमा निगम के मामले में कानून में यह व्यवस्था है कि निगम कम से कम दो वर्षों में एक बार बीमांकक मूल्यांकन करवाएगा और इनके द्वारा निकले अधिशेष का 95 प्रतिशत लाभ-सहित पालिसी होल्डरों को आवंटित कर दिया जाएगा। पिछले तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम द्वारा कमाए गए ब्याज और किए गए व्यय के संबंध में जानकारी सारणी में दी गई है :—

ब्याज

(करोड़ रुपए)

ब्यौरा	वर्ष		
	1977-78	1978-79	1979-80
1. प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों, कम्पनियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज, शेयरों पर लाभांश और बंधक रख कर दिए गए उधारों के ब्याज आदि	261.94	308.86	366.96
2. पालिसी ऋणों और स्वतः जब्ती भिन्न अग्रिमों पर ब्याज	25.01	27.32	29.76
3. प्रीमियमों पर ब्याज	3.79	3.96	4.22
4. बैंकों में मियादी जमा रकमों पर ब्याज और मांग जमा	11.72	8.99	12.46
5. विविध प्राप्त किया गया और दिया गया ब्याज (निवल)	0.68	(-)0.35	(-)1.38
6. प्राप्त किया गया किराया (मकान जायदाद के खर्च को घटा कर)	1.95	2.77	3.06
जोड़	305.09	351.55	415.08

व्यय

(करोड़ रुपए)

ब्यौरा	वर्ष		
	1977-78	1978-79	1979-80
कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभ	107.12**	113.53**	119.41**
एजेंटों की कमीशन	55.57	62.08	71.91
अन्य व्यय	19.83	20.62	23.35
जोड़	182.52	196.23	214.67

**सभी वर्गों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस की देनदारी का समायोजन अभी किया जाना है। इसलिए ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्टैनलैस स्टील प्लेटों का निर्माण करने वाले लघु उद्योगों पर लगाया गया शुल्क

6235. **श्री गुफरान आजम :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय लघु उद्योगों को जो स्क्रैप से स्टैनलेस स्टील की प्लेटें बनाने के लिए इन्डक्शन भट्टी का इस्तेमाल करते हैं, प्रोत्साहन देने से पीछे हट गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इन्डक्शन भट्टी की सहायता से स्टैनलेस स्टील की प्लेटें बनाने वाले लघु उद्योगों पर कितना शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क लगाया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि आर्क भट्टियों का इस्तेमाल करने वाली बड़ी यूनिटें उस कर अथवा शुल्क से मुक्त है जो छोटी इकाइयों की स्टैनलेस स्टील पर लगाई जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस व्यापार में लगी बड़ी इकाइयों को समर्थन देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) विद्युत भट्टी में विशेष प्रक्रिया का इस्तेमाल कर इस्पात तैयार करने वाली इकाइयों को शुल्क में आंशिक छूट देने के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेश में छोटी तथा बड़ी इकाइयों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है ।

बिहार में दरभंगा, मधुबनी और अन्य जिलों में उद्योग व्यापार और कृषि के लिए दिया गया प्रति व्यक्ति ऋण

6231. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री बिहार में कार्यरत बैंकों में कुल जमा राशि के बारे में 13 मार्च, 1981 के आतारांकित प्रश्न संख्या 3482 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दरभंगा, मधुबनी और अन्य जिलों में उद्योग, व्यापार और कृषि के लिए प्रति व्यक्ति व प्रति एकड़ कितना ऋण दिया गया, इतने असंतुलन के कारण क्या हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) बिहार के विभिन्न जिलों के लिये जनसंख्या के अनुपात में बैंक शाखाओं का, जिलावार अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) आंकड़े जिस रूप में पूछे

गए हैं, तत्काल उस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, बिहार के प्रत्येक जिले में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के क्षेत्रवार वितरण का जून, 1979 के संबंध में उपलब्ध ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2287/81]

बैंक ऋणों की मात्रा तथा इसका क्षेत्रवार वितरण विभिन्न कारणों पर निर्भर होता है जिसमें कृषि, लघु औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए अर्थक्षम योजनाएं बनाने के प्रबंधों की उपयुक्तता, मध्यम तथा बड़े उद्योग तथा व्यापार के संगठित क्षेत्रों में कार्यकलापों के स्तर तथा ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, शामिल हैं। फिर भी, बैंकों को, औद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बढ़ी हुई मात्रा के माध्यम से ऋण प्रवाह बढ़ाने की सलाह दी गयी है जोकि ऐसे क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैंक, इन क्षेत्रों में, और इन क्षेत्रों के समाज के कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने तथा ऋण सहायता में वृद्धि करने के लिए, जिला स्तर पर सभी वित्तीय एजेंसियों की ओर से समन्वित प्रयास की सुनिश्चित व्यवस्था के उद्देश्य से, जिला ऋण आयोजना के अन्तर्गत, ऋण आयोजनाएं तैयार करने के भी प्रयास कर रहे हैं।

(ख) दिसम्बर, 1980 के अंत के, उपलब्ध आंकड़े अनुबंध-II में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2287/81]

रायरंगपुर, उड़ीसा में फेरो वैनेडियम परियोजना की स्थापना करना

6237. **श्री मदनमोहन दुडु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक फेरो-वैनेडियम परियोजना की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) इसकी संभाव्यतः रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी और इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1972-73 में उड़ीसा सरकार द्वारा इस परियोजना को शुरू करने के लिए उनके मंत्रालय को कोई प्रस्ताव दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा उस समय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकारी क्षेत्र पूंजी निवेश बोर्ड को स्वीकृति देने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) मयूरभंज जिले में रायरंगपुर के स्थान पर बैरो-वैनेडियम परियोजना की स्थापना के बारे में इस्पात विभाग में कोई प्रस्ताव अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर संयुक्त क्षेत्र में एक परियोजना लगाने के लिए 1972 में एक प्रस्ताव रखा था।

(घ) यह महसूस किया गया कि इस्पात विभाग को आवंटित की गई राशि में से इस परियोजना के लिए पर्याप्त राशि देना संभव न होगा। अतः यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार यह परियोजना स्वयं लगा सकती है और यदि आवश्यक हो तो एक ऐसी विदेशी पार्टी का पता लगाए जो इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था करने को तैयार हो। राज्य सरकार इसके लिए सहमत हो गई और इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० ने आशय-पत्र के लिए आवेदन कर दिया और उन्हें आशय-पत्र दे दिया गया।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

भारत का दौरा करने वाले व्यापारिक शिष्ट मण्डल

6239. **श्री सुभाष यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1981 को समाप्त होने वाला छमाही के दौरान भारत का दौरा करने वाले व्यापारिक शिष्ट मण्डलों की संख्या क्या है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इन व्यापारिक शिष्ट मण्डलों ने भारत का दौरा किया; और

(ग) प्रत्येक व्यापारिक शिष्ट मण्डल के साथ हस्ताक्षर किये गये वाणिज्यिक करारों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 23,

(ख) ब्रिटेन, जर्मनी का संघीय गणराज्य, आयरलैंड, कोरिया लोकतंत्रीय गणराज्य (उत्तर कोरिया), फिलिपाइस, सेनेगल जाम्बिया वान्डा, घाना, मारीसस, सूडान, युगोस्लाविया, रुमानिया, पौलैंड, चेकोस्लोवाकिया, सोवियत संघ, क्यूबा और माल्दीवज़।

(ग) सोवियत संघ, रुमानिया और पौलैंड के प्रतिनिधिमंडलों का यात्रा के दौरान इन देशों के साथ 1981-85 वर्षों के लिये नये व्यापार और भुगतानकरारों पर हस्ताक्षर किये गये थे।

इन करारों ने इन देशों के साथ अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में व्यापार की व्यवस्था है। इन सभी करारों की प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में छोटे नोटों तथा सिक्कों की कमी

6240. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में छोटे नोटों तथा सिक्कों की नितान्त कमी है अपितु प्रायः अभाव है;

(ख) क्या यह है कि इस कमी के फलस्वरूप अनेक निजी उद्योगों ने अपने निजी नोटों तथा सिक्कों को परिचालित किया है; और

(ग) इस स्थिति को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ग) जब से एक रुपए के सिक्के चालू किए गए हैं, एक रुपए के नोट में क्रमशः कमी कर दी गई है और दो रुपए के नोटों की उपलब्धता में काफी अधिक वृद्धि कर दी गई है। इसलिए जनता से आशा की जाती है कि वह एक रुपए के सिक्कों और दो रुपए के नोटों को अधिक प्रयोग में लाएगी। एक रुपए के उत्पादन में और अधिक वृद्धि की जा रही है। किन्तु छोटे सिक्कों की कोई कमी नहीं है।

(ख) सरकार को ऐसी जानकारी नहीं है।

खेतड़ी तांबा परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण

6241. **श्री गिरधारी व्यास :** क्या इस्पात और खान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा काम्पलैक्स किस वर्ष स्थापित किया गया था और उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिनकी भूमि और मकानों का अधिग्रहण किया गया, वर्षवार ब्यौरा दें;

(ख) क्या अधिग्रहण अधिकारी और विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के 18 वर्षों के पश्चात् भी अधिग्रहित भूमि और मकानों के लिए हर्जाने का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) क्या हर्जाने की राशि की तुलना में मुकदमों पर व्यय की गई राशि और वकीलों की फीस का भुगतान और सरकारी अधिकारियों के यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते पर खर्च की गई राशि अधिक है;

(घ) क्या जिन व्यक्तियो की भूमि और मकानों का अधिग्रहण किया गया है उन्हें हर्जाने का भुगतान 18 वर्ष पूर्व निर्धारित किए गए हर्जाने के स्थान पर वर्तमान बाजार दरों पर किया जाएगा; और

किसानों को कब तक हर्जाने का भुगतान कर दिया जाएगा ?

वाणिज्यिक तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) खेतड़ी ताम्र परियोजना में खनन कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा 1961 में शुरू किया गया था और 1-1-1968 से ये परियोजना हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को सौंप दी गई। जिन व्यक्तियों की भूमि और मकानों का अधिग्रहण किया गया था, उनके नाम विवरण में दिए गए हैं।

(क) से (घ) परियोजना द्वारा 1962 से 1979 तक अधिग्रहीत कुल भूमि में से केवल एक मामले का, जो एक बीघा 9 विस्वा भूमि से संबंधित है, निपटान नहीं पाया है। परियोजना जो इस भूमि का कब्जा सरकार द्वारा सरकारी बंजर जगीन के रूप में दिया गया था जिसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाना था। मुआवजे के भुगतान का प्रश्न सर्वप्रथम 1965 में उठाया गया। अब यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और यदि न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार कोई मुआवजा बनेगा तो उसका भुगतान किया जाएगा।

(ङ) चूंकि मामला न्यायाधीन है अतः कोई समय सीमा निर्धारित नही की जा सकती।

विवरण

उन व्यक्तियों के नाम की सूची जिनकी भूमि और मकानों का अधिग्रहण किया गया

वर्ष	गांव	व्यक्ति जिनकी भूमि और मकान लिए गए
1963	बनवास	गीगला सुपुत्र खिनवा, पाला सुपुत्र हीरा माली और 12 अन्य पार्टियां।
	वमानोट खुर्द	मनोहर, ठाकरसो, गूगन, रामचन्द्रन सुपुत्र अर्जुन, पीरू सुपुत्र नजीरा फकीर।
	गोथरा	देदा सुपुत्र सनवाल, नन्दा सुपुत्र बीरबल, देबू सुपुत्र जवाला महाब्राह्मन और 34 अन्य पार्टियां।
1966	मनोठा खुर्द	नारायण सुपुत्र शेजी, हीरा सुपुत्र शीयोजी, सेदू सुपुत्र ज्ञाना, सुन्दा, सूरजा सुपुत्र जीता और अन्य 22 पार्टियां।

1	2	3
	ककराना	हीरा सुपुत्र हुक्मा कुम्हार और 22 अन्य पार्टियां ।
	गदला कलां	भूरा, गणेश, शिवकरण, रिछपाल सुपुत्र गोपाल जाट और 25 अन्य पार्टियां ।
1966	चोवनरा	लाडू सिंह सुपुत्र भूर सिंह राजपूत और 22 अन्य पार्टियां ।
	हरिवान	गोविन्द राम सुपुत्र छतरू राम धोबी और 14 अन्य पार्टियां ।
1967	खड़खड़ा	रिछपाल सुपुत्र रामनाथ गूजर और 14 अन्य पार्टियां ।
	बीलवा	माला सुपुत्र नत्था गूजर और 9 अन्य पार्टियां ।
	तुलावाली	प्रह्लाद सुपुत्र मंगू माली और 14 अन्य पार्टियां ।
	बनकोठी	गोरू सुपुत्र बलदेव, माला सुपुत्र गोपाल गूजर और 17 अन्य पार्टियां ।
	रसूलपुर	गणेश, नवरंग, जीनका, हनुमान, लसंता सुपुत्र मंगला राम नाई और 25 अन्य पार्टियां ।
	बराओ	नाबाबाली सुपुत्र फिरोज खान और 26 अन्य पार्टियां ।
1968	बनवास	खेनबा, बेरू, कुर्दा सुपुत्र बिसना, बीरबल सुपुत्र भीनवा और अन्य दो पार्टियां ।
	खड़खड़ा	गनपत सुपुत्र बक्तावार गूजार और सात अन्य पार्टियां ।
	बीलवा	मूंगाराम सुपुत्र अर्जुन राम गूजर ।
	तिलावाली	गोरली पत्नी रामनाथ गूजर ।
	वनकोठी	सोनारी पत्नी घीसा, सूरजा, नवरंग गूजर और तीन अन्य पार्टियां ।

1	2	3
	बड़ाव	महादेव सुपुत्र सनवटा, मूला सुपुत्र वजा, बहादुर, माला, मूंगा सुपुत्र भुरा गूजर और चार अन्य पार्टियां।
	सिहाना	हरलाल, काना सुपुत्र जसवन्त, हीरा सुपुत्र धन्ना और 5 अन्य पार्टियां।
1969	बगोली	मूला सुपुत्र डोला माली और 18 अन्य पार्टियां।
	गुड़ा	विजा सुपुत्र पेपा गूजर और 32 अन्य पार्टियां।
	जोधपुर	रणजीत सिंह सुपुत्र दीपसिंह, सूरजा, बालू सुपुत्र चन्द्र माली और अन्य 31 पार्टियां।
	यानकसास	हनुमान सुपुत्र ईश्वर दास ब्राह्मण।
	निवाड़ी	विरदा सुपुत्र हीरा माली और अन्य 15 पार्टियां।
1970	गोथेरा	बन्सी, पूरण, जय नारायण, प्रकाश सुपुत्र बेगा, सनवलिया सुपुत्र सूरजा माली और 21 अन्य पार्टियां।
1971	वनवास	जग्गन सुपुत्र भीरवा, तोता राम नागरमल सुपुत्र परसाराम गूजर।
	कंकड़िया	भूगा, नत्था माली और 18 अन्य पार्टियां।
	पदेवा	रामदेव राम सहाय भूगा सुपुत्र तारा मीन और एक पार्टी।
	खड़खड़ा	पारली पत्नी पन्ना गूजर और 3 अन्य पार्टियां।
1972	मनोठा खुर्द	रामकुमार सुपुत्र चन्द्रा, यादराम सुपुत्र लेखूराम, हेतराम सुपुत्र अमरा जाट।
	खेतड़ी	घोठमल सुपुत्र भूराराम नायक।
1973	बनवास	दुर्गा सुपुत्र बीरबल. दुल्ला सुपुत्र रुआ, खूबा सुपुत्र मोहन, रामचन्द्र सुपुत्र रूपा सैनी और 24 अन्य पार्टियां।

1	2	3
	खेतड़ी	राजा सरदार सिंह बहादुर और 3 अन्य पार्टियां।
1974	बनवास	पाला, गोकुल सुपुत्र धन्ना मीना और 12 अन्य पार्टियां।
	गोथरा	ओंकारमल सुपुत्र मंगल चन्द और एक अन्य पार्टी।
1979	बनवास	पुष्कर और 7 अन्य पार्टियां।

राज्यों को वित्तीय सहायता

6242. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के केन्द्रीय सरकार के बजट में, राज्यवार, आय व व्यय का ऋण और अनुदान अलग दिखाते हुए ब्योरा क्या है;

(ख) राज्यों को वित्तीय सहायता देने का मानदंड क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य को कम धनराशि दी जाती है और क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से उदारतापूर्वक अनुदान देने का अनुरोध किया है ताकि पिछले और वर्ष 1981 की हानि को पूरा किया जा सके; और

(घ) क्या राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए पंजाब के मुख्य मंत्री के अनुरोध पर अनुकूल ढंग से विचार किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) राज्यवार आय के संबंध में यथासम्भव सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। महालेखा नियन्त्रक ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार के व्यय के सम्बन्ध में सूचना राज्यवार उपलब्ध नहीं है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पंजाब को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 221/रुपये होगी जबकि 14 गैर-विशेष वर्ग के राज्यों का औसत 208/रुपये है। पंजाब के मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया था कि 1980-81 के दौरान राज्य को 40 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाए।

(घ) जबकि, राज्य सरकार के इस अनुरोध पर पूरी तरह सहमत होना सम्भव नहीं हो पाया है, लेकिन यह स्वीकार कर लिया गया है कि राज्य सरकार 1980-81 के अपने प्रारम्भिक घाटे के 9.53 करोड़ रुपये को 1980-81 के दौरान पूरा कर देगी और 18 करोड़ रुपये के घाटे की शेष राशि को 1981-82 के दौरान पूरा कर देगी।

विवरण

राज्यों को वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान करने के लिए मानदंड

केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सांविधिक सहायता अनुदान और रेलवे यात्री किराये के बदले सहायता अनुदान जो कि राज्यों को संसाधनों और आयोजना-भिन्न अन्तरण का एक बहुत बड़ा भाग होता है, उनको वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वितरित किया जाता है।

2. बाढ़, चक्रवात, भूकम्प (सूखे के अतिरिक्त) जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से राहत के लिए आयोजनाभिन्न अनुदान इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने तथा पुनर्वासित करने और सार्वजनिक कार्यों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना करने के लिए दिए जाते हैं। सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र से आयोजना-भिन्न अनुदान सीमान्त धन से अधिक दिए गए कुल व्यय का 75 प्रतिशत भाग पूरा करता है। अन्य आयोजना-भिन्न अनुदान, जिसकी राशि बहुत कम होती है, सामान्यतः सभी राज्यों को एक समान रूप से लागू होने वाले वस्तु परक मानदंड के अनुसार आवंटित किए जाते हैं।

3. लघु बचतों को वास्तविक संग्रह के आधार पर राज्यों को ऋण प्रत्येक राज्य में जुटाई गई लघु बचत के वास्तविक संग्रह के 2/3 तक दिए जाते हैं। कृषि के काम आने वाली वस्तुओं के लिए अल्पकालिक ऋण विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर वितरित किए जाते हैं।

4. अर्थोपाय अग्रिम, जो उसी वित्तीय वर्ष में वसूल किए जाने होते हैं, विभिन्न राज्यों को अपनी अर्थोपाय संबंधी अस्थायी कठिनाइयों पर काबू पाने में समर्थ बनाने के लिए दिए जाते हैं।

5. राज्यों को छठी योजना (1980-85) के लिए कुल केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित 13,350 करोड़ रु० में से 3245 करोड़ रुपये विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं, जिनमें आसाम, हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर, मणीपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, और त्रिपुरा शामिल है। 1355 करोड़ रुपये की राशि पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर परिषद की आयोजनाओं के लिए और 1450 करोड़ रुपये बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आवटित किए गये है। शेष 9300 करोड़ रुपये में से, 7700 करोड़ रुपये संशोधित गाडगिल फार्मूले और 1600 करोड़ रुपये आय

समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के अनुसार शेष राज्यों को आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में गाडगिल फार्मूला निम्नलिखित है :—

(1) 60 प्रतिशत — जनसंख्या के आधार पर,

(2) 20 प्रतिशत — प्रति व्यक्ति आय के आधार पर केवल उन्ही राज्यों को जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है,

(3) 10 प्रतिशत — कर प्रयास के आधार पर,

(4) 10 प्रतिशत — राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए।

6. 1600 करोड़ रुपये की राशि 1980-83 के तीन वर्षों के लिए जारी किए जाने की सम्भावना है, जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों में संशोधन करने बन्द कर दिए जाने के परिणाम-स्वरूप 14 साधारण श्रेणी के राज्यों में आय-समायोजित कुल जन-संख्या फार्मूला के आधार पर अर्थात् प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में प्रति व्यक्ति आय का प्रतिकूल पद्धति से गुणा करके, वितरित की जा रही है।

7. 1355 करोड़ रुपये 1980-85 के पांच वर्षों के दौरान पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर परिषद के कार्यक्रम के लिए आवंटित करने के लिए निर्धारित कर दिए गये हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता जनसख्या और क्षेत्र के आधार पर और आदिवासी क्षेत्रों के लिए आदिवासियों की जनसंख्या और इस प्रकार की आबादी वाले भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तथा भिन्न-भिन्न राज्यों में क्षेत्र के विकास स्तर के आधार पर आवंटित की जाती है। 1450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, ऐसी परियोजनाओं का निष्पादन करने वाले राज्यों को, जिनके लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण और अन्य विदेशी जादाताओं द्वारा सहायता दी जाती है, राज्य आयोजना स्कीमों के लिए बाहरी सहायता वितरण के 70 प्रतिशत की दर पर दी जाती है।

8. 1980-85 के दौरान; राज्यों को अनुसूचित जातियों के लिए अपनी विशेष घटक आयोजनाओं के सम्बन्ध में 600 करोड़ रुपये की विशेष सहायता भी प्रदान की गई है।

जनरल इंश्योरेन्स कारपोरेशन में परिवीक्षाधीन निरीक्षकों की पुनर्नियुक्ति

6243. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन कं० लि० पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता ने परिवीक्षाधीन निरीक्षकों को पुनः नियुक्त करने से इन्कार कर दिया है हालांकि वहां अभी भी कुछ स्थान खाली है;

(ख) क्या पहले प्रारम्भिक शर्तें पूरी हो जाने पर इस तरह की वार्षिक पुनर्नियुक्तियां की जाती थीं;

(ग) क्या ये परिवीक्षाधीन निरीक्षक उन प्रारम्भिक शर्तों को पहले ही पूरा कर चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो पहले की तरह ही उन्हें भी पुनः नियुक्त क्यों नहीं किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (घ) साधारण बीमा उद्योग में निरीक्षक की नियुक्ति 12 महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर की जाती है। इस अवधि के दौरान उससे कारबार का विकास करने और कतिपय मानदण्डों के अनुसार कम्पनी के लिए प्रीमियम आय प्राप्त करने की आशा की जाती है। उपयुक्त मामलों में, निर्धारित स्तर तक आने के लिए उसे और समय देने के वास्ते उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन यदि परिवीक्षाधीन निरीक्षक निर्धारित स्तर तक न आ सके तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद उसे फिर से नियुक्त करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। उन निरीक्षकों को जो कारबार के मानदण्ड पूरे करते हैं और अपेक्षित विभागीय परीक्षा पास करते हैं, कम्पनी द्वारा नियमित आधार पर लगा लिए जाते हैं।

चावल का निर्यात

6244. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार कितने-कितने मूल्य का कितना-कितना चावल निर्यात किया गया है;

(ख) यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया है;

(ग) क्या चालू वर्ष में चावल का निर्यात करने के सम्बन्ध में समझौता हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) चावल का 500 लाख मी० टन तक की सप्लाई के लिए 19 जून, 1980 को सोवियत संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए। यह सप्लाई 30-6-1981 तक पूरी की जानी है।

विवरण

(क) चावल का निर्यात

मात्रा-मै० टन में
मूल्य-लाख रु० में

वर्ष	सशक्त चावल		अन्य चावल		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1975-76	34780.0	13404.13	—	—	34280.0	1304.13
1976-77	20820.0	612.30	—	—	20820 0	612.30
1977-78	10009.0	283.18	42200.9	863.91	52260.0	1147.09
1978-79	672060.0	3153.01	43400.0	718.30	110500.0	3871.81
1979-80	47420.0	2587.19	523180.0	10463.74	570600.0	13050.93
1980-81* (अप्रैल 80 जनवरी 81)	68035.9	3525.43 * अनन्तिम	286277.0	7000.33	349312.9	10525.76

(ख) चावल इन देशों से निर्यात किए गए : दुबई, इथोपिया, फिजीद्वीप समूह, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, हांगकांग, इटली, जापान, आस्ट्रेलिया, वियतनाम, मारीशस, ओमान, रियुनियन द्वीप समूह, सऊदी अरब, साकेलीस, सिंगापुर, सोमैलिया, मिस्र अरब गणराज्य, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाड़ा इंडोनेशिया, इराक, फिलीपीन, आस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, चैकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, लेबनान मालावी, न्यूजीलैंड, नाइजारिया, कनार, श्रीलंका, स्वीडन, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमिरात, दमन, जनवादी लोकतंत्रीय गणराज्य।

कालाहांडी, उड़ीसा में खनिजों का मिलना

6245. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में एक ऐसे खनिज पदार्थ वाले क्षेत्र का पता लगा है जिसमें सीमा, जस्ता, तांबा, मैंगनीज, बाक्साइड और जवाहरात के पाए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस खनिज सम्पदा का अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) कालाहांडी जिले के कालरापाट पठार तथा कोरापुट और कालाहांडी जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र के लांजीगढ़ व सिजीमाली इलाकों में क्रमश: औसतन 42.35 प्रतिशत एल्यूमिना और 4.55% सिलिका वाले लगभग 67 लि० टन बाक्साइड भंडार और 42 से 47 % एल्यूमिना और 2.3 से 2.7 प्रतिशत सिलिका वाले 139 मि० टन बाक्साइड भंडार होने का अनुमान है। तांबा अथवा जस्ता निक्षेप होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वामीनिमुंडा के पुराने गर्तों मे केवल शैलीना (सीशा अयस्क) की चित्तियां देखने में आई हैं। कोरापुट जिले की कुटिगां;निशीखाल मैंगनीज खनिजीकरण पट्टी कालाहांडी जिले की दक्षिण-पूर्वी सीमा के उत्तर-पूर्व तक फैली है। इसके अलावा, कालाहांडी जिले के डेनसुर्गी, कोमना, बिलियन ओर, बागमुंडा, बाबूवासी, मदमेरांग तथा सुकलीमुरी के निकट ग्रेफाइट होने का संकेत मिला है। गोलकुडा क्षेत्रों के निकट पारदर्शी नीले-पीले वैदूर्य के दुर्लभ स्फटिक होने की भी सूचना हैं। तालपडार और दमझोर के निकट गारनेट के लाल-गुलाबी पारदर्शी क्रिस्टल होने का पता चला है। कालाहांडी जिले में कारलाकोट के निकट कोरडम के हल्के नीले और अपारदर्शी क्रिस्टल तथा डलों का भी पता चला है।

केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों को दी जाने वाली पेंशन का कमियूट कराया जाना

6246. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के तौर पर अपने-अपने पेंशनभोगियों की पेंशन का 'कम्यूटेड' भाग उनके 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर पुन: बहाल कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नामों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों पर भी यही व्यवस्था लागू करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) संविधान की अनुसूची 7 की सूची-2 प्रविष्टि 42 के अनुसार, राज्य पेंशनों, अर्थात् राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य की समेकित निधि में से देय पेंशनों का संबंध राज्य सरकारों से है। इन सरकारों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे इस संबंध में नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से परामर्श करें। सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के वित्त निदेशक द्वारा विदेशों का दौरा

6247. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के वित्त निदेशक हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई दौरे पर गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था; और

(ग) क्या उन्होंने इस दौरे के लिए धारक कम्पनी से पूर्व अनुमति ली थी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) उन्होंने एशियन प्रोडक्टीविटी कांग्रेस की हांगकांग में हुई 20वीं बैठक में भाग लिया था।

(ग) जी हां।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अनाथालयों को पुरानी क्रोकरी और फर्नीचर का दान दिया जाना

6248. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने अनाथालयों तथा अन्य संस्थाओं को, अल्प-सुविधा प्राप्त लोगों के लिए पुराने वुलन के कम्बल, क्रोकरी, फर्नीचर आदि दान में देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए प्राप्त किए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक आवेदक को इन वस्तुओं की सप्लाई के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आवेदनों की जांच के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम को समाज कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार, जो बच्चों, वृद्ध लोगों और अशक्त व्यक्तियों के लिए कुछ संस्थाओं का संचालन कर रही है, से लिनिन, कम्बलों, फर्नीचर, दरियों, वॉल हैंगिग्ज, आदि जैसी बिक्री-योग्य परन्तु उपयोगी कुछ वस्तुओं का दान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। यह मामला भारत पर्यटन विकास निगम के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र उद्योगों की स्थापना

6249. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में राजस्थान में सरकारी क्षेत्र उद्योगों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो में किस तरह के उद्योग होंगे और वे कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) वर्तमान योजनाओं के अनुसार हालांकि राजस्थान में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उद्यम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है, तथापि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की मौजूदा संस्थापनाओं में काफी विस्तार और विविधीकरण किया जाना है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड**

प्रद्रावक धातुशोधक उपोत्पाद संयंत्र का विस्तार।

(2) **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड**

जावरमाला खानों का विकास, बरोई गवेषण अपक्षालन अपशिष्टीपचार संयंत्र में पूंजी लगाना, अगूचा बरोई खान और प्रदावक संकुल (कम्पलेक्स) का विकास, चांदी पारा निष्कर्षण संयंत्रों और पायराइट्स का उपयोग करने वाले संयंत्र की स्थापना।

(3) निम्नलिखित उद्यमों की योजनाओं में भी परिव्यय होने की संभावना है :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० का मशीन औजार प्रभाग, अजमेर।

(ख) हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० का सांभर नयक।

(ग) इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा।

तांबे की खानें

6250. **श्री पी० नामग्याल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी और कौन-कौन सी तांबे की अयस्क खानें कर रही हैं और वहां से मिलने वाले तांबे की शुद्धता प्रतिशतता क्या है और इनकी प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि 95 प्रतिशत तक प्राकृत तांबा लद्दाख की जंसकार घाटी में मिला है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय-भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था का सर्वेक्षण दल गत दो वर्षों से प्राकृत तांबे के स्रोत का पता लगाने के लिए इन क्षेत्रों को मिला रहा है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो अब तक प्राप्त हुए परिणाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर तैयार एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस घाटी में डलों के रूप में प्राकृत तांबे का पता चला है।

(ग) जी हां।

(घ) अब तक के परिणामों से पता चलता है कि वे तांबा खनिजीकरण छिट-पुट किस्म का है।

विवरण

खान का नाम	औसत आर जो एम ग्रेड (प्रतिशत)	उत्पादन क्षमता प्रतिदिन (टनों में)
बिहार :		
1. मोसावानी	1.35	3,200

1	2	3
2. सुर्दा	0.95	1,300
3. पाथरगोरा	1.10	400
4. केनडाडीह	1.33	200
5. राखा	1.06	1,000
राजस्थान :		
6. खेतड़ी	0.70	5,000
7. कोलिहान	1.60	3,000
8. चांदमारी	0.85	1,000
9. दरीबा	1.60	100
सिक्किम :		
10. रंगपो (सिक्किम खनन निगम का बहुधातु निक्षेप)	1.19	100
कर्नाटक :		
11. संगलथाल	1.00	200
12. कल्याडी	1.05	250

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा अपने स्वनिर्मित कोश बनाया जाना

6251. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के निर्माण (वर्क्स) उद्योगों का उद्देश्य अपने स्वयं निर्मित कोष बनाने का है ताकि संकट के समय काम बन्द न हो पाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने स्वयं के कोष निर्मित किये गये हैं और उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि का कोष बनाया है और यदि ऐसे कोष निर्मित किये गये हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी परिस्थितियों के प्रतिस्थापन और

नवीयन तथा अपने कार्यों के विस्तार संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के अलावा अपने प्रचालन के वित्त पोषण के लिए संसाधन जुटाएं ।

(ख) 1979-80 के दौरान जिन सरकारी उद्यमों ने संसाधन पैदा किए हैं, उनके नाम और उत्पादित संसाधनों की राशि का विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण 1979-80, जिसे 27 फरवरी, 1981 को संसद के दोनों सभा पटलों पर रखा जा चुका है, के खण्ड 1 में अध्याय 5 के अन्तर्गत विवरणी 15.1 में दिया गया है । किन्तु अध्याय 15 में दी गई विवरणी सं० 15.2 में जिन उद्यमों के नाम उल्लिखित हैं वे अपने प्रचालन संबंधी घाटे के कारण आंतरिक संसाधन पैदा नहीं कर सके ।

खनिज तथा धातु निक्षेपों के लिए तटदूर द्वीपों का उपयोग

6253. **श्री एन० डेनिस :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (1) भारत सरकार और (2) अलग-अलग राज्य-सरकारों द्वारा पिछले तीन वर्षों में खनिज और धातु निक्षेपों के लिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तटदूर द्वीपों के उपयोग के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : चूंकि तटदूर क्षेत्रों में अभी व्यापक और क्रमबद्ध ढंग से समन्वेषण किया जाना है, इसलिए तटदूर क्षेत्रों में खनिज/धातु निक्षेपों के विदोहन का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार में घाटा

6264. **श्री रसीद मसूद :**
श्री राजेश कुमार सिंह : } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां दक्षिण कोरिया का भारत को निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है, वहां भारत द्वारा किए गए निर्यात में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 के दौरान विदेशी मुद्रा के संदर्भ में भारत द्वारा दक्षिण कोरिया को दिए गए निर्यात में कितनी बाधा हुई है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) व्यापार में घाटा कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) दक्षिण कोरिया से भारत के आयात, जो 1977-78 में 28.45 करोड़ रु० के हुए थे बढ़कर 1978-79 में 39.78 करोड़ रु० के तथा 1979-80 में 91.80 करोड़ रु० के हुए । दक्षिण कोरिया को भारत के निर्यात को 1977-78 में 20.46 करोड़ रु० के हुए थे, बढ़कर 1978-79 में 33.39 करोड़ रु० के तथा 1979-80 में 51.13 करोड़ रु० के हुए ।

(ख) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय द्वारा वर्ष 1980 के लिए व्यापार आंकड़े जमा संकलित नहीं किए गए हैं।

(ग) दक्षिण कोरिया को हमारे निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से फडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 23 फरवरी, 1981 को दक्षिण कोरिया का दौरा किया और ऐसी कई मदों का पता लगाया जिनका आयात करने में दक्षिण कोरिया की रुचि है और भारत जिनका निर्यात करने की स्थिति में है।

सरकार ने दक्षिण कोरिया की व्यापारिक कम्पनियों का विस्तृत अध्ययन करने तथा इस बात को तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है कि निर्यातों के क्वालिटी नियत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण के सम्बन्ध में भारत तथा दक्षिण कोरिया में नीति सम्बन्धी क्या व्यवस्था है और क्या प्रक्रियाएं हैं।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर विस्तृत वार्ताए करने के लिए वाणिज्य मंत्री तथा वाणिज्य सचिव की दक्षिण कोरिया की यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं।

मैसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बल्लभगढ़ हरियाणा द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के बिना भट्टियों का लगाया जाना

6255. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बल्लभगढ़, हरियाणा ने भारत सरकार से कोई औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए बिना 10-12 टन की क्षमता वाली भट्टी लगा ली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी ने बिना किसी लाइसेंस के रोलिंग मिल सहित "ब्राइट बार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट" की भी स्थापना कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 50,000 टन तक के उत्पादन आंकड़े लोहा और इस्पात नियंत्रक के पास उपलब्ध हैं, सरकार का उक्त मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) मैसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लि०, बल्लभगढ, हरियाणा के पास बल्लभगढ स्थित अपनी इकाई में प्रतिवर्ष 21,500 टन साधारण इस्पात के पिण्ड तैयार करने के लिए तारीख 11.6.1974 का लाइसेंस नं० 261(74) है। इस लाइसेंस में इस बात का उल्लेख नहीं है कि वे कितनी भट्टियां लगा सकते हैं और उनका आकार क्या होगा।

(ख) भारी उद्योग विभाग को मैसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लि०, बल्लभगढ़, हरियाणा के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह कहा गया है कि यह फर्म औद्योगिक

लाइसेंस लिए बिना चमकीली छड़ें (ब्राइट बार) बनाती है। उप विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट से पता चला है कि इस फर्म ने वर्ष 1979 में 41,109 टन और वर्ष 1980 में 33,891 टन उत्पादन किया न कि 50,000 टन जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

अभ्रक के निर्यात पर प्रतिबंध

6256. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार अभ्रक के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में है;

(ख) क्या इससे अभ्रक के निर्यात व्यापार के बारे में काफी सन्देह उत्पन्न हो गया है क्योंकि विश्व में अभ्रक के कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है;

(ग) क्या इससे अर्थ व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गैर-अत्यावश्यक और विलासिता की वस्तुओं के आयात को नियन्त्रित करने का प्रस्ताव

6257. **श्री के० प्रधानी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ रहे व्यापार घाटे को देखते हुए गैर अत्यावश्यक और विलासिता की वस्तुओं के विदेशों से आयात पर नियंत्रण लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) गैर-आवश्यक तथा विलासिता की चीजों के वाणिज्यिक आधार पर आयात की अनुमति आयात नीति के अन्तर्गत नहीं दी जाती। आयात नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है और अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाले माल का आयात घटाने के उपाय किए जाते हैं।

सिविल विमानों की आकाश में दुर्घटनाएं

6258. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने सिविल विमान आकाश में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए और प्रत्येक मामले में (राज्यवार) मृत तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं; और

(ग) इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) मार्च, 1978 से फरवरी, 1981 तक की अवधि में आकाश में विमान टकराने की दो घटनाएं हुईं तथा परिणामस्वरूप छः व्यक्ति मारे गये। एक व्यक्ति महाराष्ट्र में मारा गया तथा पांच व्यक्ति पंजाब में मारे गए।

(ख) (1) 16 नवम्बर, 1978 को पुणे में बीच आकाश में दो ग्लाइडरों के बीच टक्कर का सम्भावित कारण यह था कि दोनों ग्लाइडर एक ही "थर्मल क्षेत्र में ऊपर उठते हुए अपने ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) तथा पार्श्वीय (लेटरल) अलगाव को बनाए नहीं रख सके तथा बीच-आकाश में टकरा गए।

(2) पटियाला एविएशन क्लब द्वारा परिचालित पंजाब सरकार के पुष्पक विमान वी. टी. —डी. एस. डब्ल्यू. तथा एयर ऑबजर्वेशन पोस्ट आर्मी चेतक हेलीकाप्टर के बीच पटियाला में 20 फरवरी, 1985 को हुई हवाई टक्कर की अभी जांच की जा रही है।

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, जांच-रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को यथासंभव क्रियान्वित किया जाता है।

सुदर्शन चिट्स इन्डिया लिमिटेड द्वारा धनराशि की ठगी

6259. **श्री एच० एन० गोडा**
श्री के० लक्कप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुदर्शन चिट्स इन्डिया लिमिटेड ने आम जनता का करोड़ों रुपया ठग लिया है ;

(ख) पूरे देश में स्थित उनकी शाखाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक शाखा के पास कुल कितनी धनराशि पड़ी है ;

(घ) क्या उक्त कम्पनी ने अपने कार्यालय बन्द कर दिए हैं और जमाकर्ताओं को उनका धन वापिस नहीं दे रही हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क), (घ) और (ङ) इनामी रकम की देर से अदायगी करने, अभिदान राशियों का ग़बन तथा दुरुपयोग करने आदि के आरोप के बारे में इस कम्पनी के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी कार्य विभाग ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अधीन इस कम्पनी की पुस्तकों और लेखों का निरीक्षण किया है। परन्तु, निर्धारित अवधि के बाद जमा राशियों की अदायगी करने में व्यतिक्रम करने निर्धारित समय पर ब्याज की अदायगी न करने से अदालती दावे का मामला बनता है और जमाकर्ताओं को अदालत की शरण लेकर उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करनी होती है। न तो सरकार को और न ही रिज़र्व बैंक को कोई ऐसी कानूनी शक्ति प्राप्त है जिससे कि वे जमा रकमों की वापसी अदायगी करने और/अथवा उन पर ब्याज की अदायगी करने के वास्ते इस प्रकार की व्यतिक्रमी कपनियों को बाध्य कर सकें।

(ख) इस कम्पनी की शाखाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

सुदर्शन चिट्स (इन्डिया) लि० की शाखाओं का ब्यौरा

(30 अप्रैल 1979 की स्थिति के अनुसार)

1. कर्नाटक राज्य

1. बगलौर छावनी
2. बंगलौर मलेस्वरम
3. मांड्या
4. बंगलौर
5. बंगलौर सिटी
6. मैसूर
7. कोलार
8. डोड्डाबलपुर
9. तुमकुर
10. चेन्नापटना
11. छमंगानगर
12. विराजपेट
13. उदिपि
14. हसन
15. शिमोगा
16. दावणगेरे
17. बेलगांव
18. चित्रदुर्ग
19. बेल्लारी
20. हुबली
21. होस्पेट
22. जयनगर, बंगलौर
23. चिकबलपुर
24. कोलार गोल्ड फील्ड
25. गांधीनगर

2. केरल राज्य

1. कालीकट
2. पंथारंकावे
3. कुन्नामंगलम
4. मवूर
5. मंजोरी
6. फिरोक
7. केन्नानोर
8. बलूस्सेरी
9. तजांवूर
10. तेल्लिचेरी
11. कालपेटा
12. कासरगोड
13. पालघाट
14. बडागारा
15. त्रिचूर
16. कान्हागाड
17. एर्नाकुलम
18. क्विलोन
19. माहे

3. महाराष्ट्र राज्य

1. बंबई सायन
2. थाणा
3. नासिक सिटी
4. पूना
5. बंबई-कोलावा
6. बंबई-अंधेरी
7. नागपुर
8. किरकी
9. नान्देड़
10. अहमदनगर

4. गोवा (संघ राज्य क्षेत्र)

1. मार्गाओ
2. पंजिम

5. गुजरात

1. अहमदाबाद
2. सूरत
3. बड़ोदा

6. उड़ीसा

1. बरहामपुर
2. कटक
3. जेपोर
4. राउरकेला
5. भुवनेश्वर
6. संबलपुर
7. रायगढ़ी

7. तमिलनाडु राज्य

1. मदुरै
2. त्रिपलिकेन
3. कंबम
4. मद्रास, बंदर स्ट्रीट
5. मद्रास, पुरस्वालकम
6. कोयंबटूर
7. सलेम
8. पोल्लाची
9. त्रिचूर
10. इरोड
11. डिंडिगुल
12. तिरुचि
13. वेल्लोर
14. तिरूनेलवेली
15. मद्रास टी० नगर
16. कुंबकोनम
17. तुत्तिकोरिन
18. शिवाकासी
19. नागरकोइल
20. कुड्डालोर
21. करूर
22. अत्तूर
23. विल्लुपुरम
24. कृष्णागिरी
25. पांडिचेरी

8. आंध्र प्रदेश राज्य

1. हैदराबाद
2. सिकंदराबाद
3. विजयवाड़ा
4. वारंगल
5. नेल्लोर
6. निजामाबाद
7. चित्तूर
8. राजामुन्द्री
9. काकीनादा
10. कुरनूर
11. विशाखापटनम
12. तिरुपत्ति
13. गुंटुर
14. विजयनगरम
15. भीमनगरम
16. कुड्डापा
17. अनंतपुर
18. अनकपल्ले
19. श्रीकाकुलम
20. अंदोनी
21. ओंगोल
22. ताडेपल्लीगुडम
23. तेनाली
24. नलगोंडा
25. एलुरू
26. सोमपेट

9. दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)

1. नई दिल्ली

10. हरियाणा राज्य

1. फरीदाबाद

11. उत्तर प्रदेश

1. कानपुर

12. राजस्थान

1. उदयपुर
2. जयपुर
3. अजमेर

13. पश्चिम बंगाल

1. कलकत्ता
2. खड़गपुर
3. आसनसोल

14. बिहार राज्य

1. जमशेदपुर
2. बोकारो
3. रांची
4. पटना
5. धनबाद
6. दरभंगा

15. असम

1. गोहाटी

"ट्रेवल एण्ड टूरिज्म प्रास्पैक्ट्स" 1981-85 विषयक गोष्ठी

6260. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में राजधानी में "ट्रेवल एण्ड टूरिज्म प्रास्पैक्ट्स 1981-85" विषयक गोष्ठी का उद्घाटन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या मुख्य मार्ग उठाई गई थीं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां। मीडिया इंडिया द्वारा आयोजित "ट्रैवल एण्ड ट्ररिज्म प्रास्पैक्टस : 1981-85" विषयक नेशनल सेमिनार का उद्घाटन पर्यटन और नागर विमानन मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 1981 को नई दिल्ली में किया गया था।

(ख) यद्यपि सेमिनार में इस तरह की कोई मांगें नहीं की गई थीं, तथापि कुछ सिफारिशें तैयार की गई थीं। सेमिनार में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं :—

(1) ऐसे होटलों, क्लबों और पर्यटक रिपोर्ट में जहां बार-बार पर्यटक आते हैं, शराब परोसने की अनुमति दी जानी चाहिए ;

(2) स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ;

(3) भारत की ओर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए संवर्धनात्मक प्रयास कल्पनात्मक होने चाहिए ; और

(4) बड़े व्यापार घरानों और उपक्रमों को अपने कर्मचारियों के लिए अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप में एक मास के वेतन सहित एक हालिडे स्कीम की घोषणा करनी चाहिए, जैसा कि विदेशों में किया जा रहा है।

(ग) (1) जहां तक मद्य-निषेध में छूट देने का संबंध है, लिकर परमिटों की एक पद्धति पहले से ही विद्यमान है जिसके अनुसार बार लाइसेंस रखने वाले होटलों में कोई भी विदेशी पर्यटक शराब रख सकता है, उसे खरीद सकता है और पी सकता है। इसलिए, जहां तक विदेशी पर्यटकों का संबंध है, यदि उन के पास लिकर परमिट है, तो वे लाइसेंस-शुदा बारों में एलकोहोलिक लिकर पी सकते हैं। पर्यटन विभाग के भारत तथा विदेशों में स्थित कार्यालयों को ये लिकर परमिट जारी करने का प्राधिकार प्राप्त है। हवाई अड्डों पर तैनात पर्यटन विभाग के कर्मचारी भी अखिल भारतीय लिकर परमिट जारी करते हैं। मद्य-निषेध राष्ट्रीय नीति का एक विषय है और साथ ही राज्य का विषय भी है।

(2) स्वदेशी पर्यटन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार स्वदेशी पर्यटकों के लिए समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करने पर जोर दे रही है। दिल्ली में 1250 बेड वाला एक यात्री निवास निर्माणाधीन है। इससे सस्ती दर पर आवास और भोजन उपलब्ध हो सकेगा।

केन्द्रीय सेक्टर के अंतर्गत विभिन्न योजना अवधियों के दौरान, पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों के रूप में आवास सुविधाओं की व्यवस्था के लिए स्कीमें शुरू की गई थीं। पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत प्लान कार्यक्रम के अधीन आवास और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग का स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए सुविधाओं का संवर्धन करने हेतु पर्यटक ग्राम काम्पलेक्सों और मुख्य पर्यटक मार्गों के किनारे पर सुख-सुविधाओं का विकास करने का भी प्रस्ताव है, बशर्ते धन राशि उपलब्ध हो।

राज्य सरकारों ने भी पर्यटक बंगलों और यात्री-ग्रहों आदि का निर्माण किया है, जो सस्ता आवास जुटाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न पर्यटक विकास निगमें बजट को ध्यान में रखने वाले पर्टकों लिए किफायती दरों पर एक-मुश्त/संचालित दरों का सचालन करती हैं।

बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन एक सोसाइटी पंजीकृत की गई है, जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों, धार्मिक/धर्मार्थ न्यासों, संस्थाओं, व्यक्तियों, आदि से अनुदान/दान प्राप्त करेगी। इस प्रकार से एकत्रित धन-राशि से यह सोसाइटी तीर्थ केन्द्रों पर धर्मशालाओ,सरायों/मुसाफिरखानों के रख रखाव/सुधार/विस्तार के लिए अनुदान/ऋण प्रदान करेगी। समिति इस प्रकार के प्रतिष्ठानों का निर्माण भी करेगी। केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 1979-80 में समिति को 5 लाख रुपये का तदर्थ सहायता अनुदान दिया है।

भारतीय रेलवे पहले से ही स्वदेशी पर्यटकों को रियायती दरों पर "सर्कुलर" टूअर्ज अर्पित करती है। विभिन्न स्कूलो, कालेजों और अन्य संगठनों द्वारा संचालित शैक्षणिक यात्राओं के लिए भी रियायतें दी जाती हैं।

(3) भारत की ओर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटन विभाग यू० एस० ए० यू० के०, कान्टिनेन्टल यूरोप, जापान, थाईलैण्ड, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और कुवैत में स्थित अपने 18 पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से पर्यटक भेजने वाली विश्व की प्रमुख मार्केटों में व्यापक रूप से प्रचार-कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, यू०एस०ए०, आस्ट्रेलिया, ईरान और जापान में लाभप्रद स्थानों पर सात पर्यटक संवर्धन अधिकारी भी तैनात हैं। विदेशों में पर्यटन संवर्धन का कार्य इन्हीं कार्यालयों के जरिए किया जाता है, जो समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं, दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से प्रचार और विज्ञापन कार्य करते हैं। वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देशों में यात्रा अभिकर्ताओं, एअरलाइन्स के कर्मचारियों के लिए सेल्स सेमिनारों/वर्कशापों का भी आयोजन करते हैं। इस संवर्धनात्मक प्रयास का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है – पर्यटन प्रचार साहित्य और अन्य सम्बद्ध सामग्री की नियमित सप्लाई, जिसके अंतर्गत पोस्टरों के प्रदर्शन, संवर्धनात्मक फिल्मों की स्क्रीनिंग, भारत संध्याओं के आयोजन और मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी से संबंधित कार्यकलाप शामिल है। इसके अतिरिक्त, पर्यटक यातायात के अंतर्वाह को बढ़ाने में सहायता करने की दृष्टि से विदेशों में भारत का एक प्रमुख पर्यटक गन्तव्य के रूप में संवर्धन करने के लिए इस विभाग का विदेशी यात्रा अधिकर्ताओं यात्रा अभिकर्ताओं और यात्रा प्रचालकों, यात्रा लेखकों तथा पत्रकारों, दूरदर्शन और फिल्म हस्तियों को आमंत्रित करने का भी कार्यक्रम है।

(4) बड़े व्यापार घराने और उपक्रम वाणिज्यक आधार पर कार्य करते हैं। इन प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान, सवेतन छुट्टियों और ऐसे अन्य प्रोत्साहनों जैसे मामले वाणिज्यिक आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं।

डेबोलिम (गोआ) में गैर-सैनिक हवाई अड्डे का निर्माण

6261. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेबोलिम, गोआ में गैर-सैनिक हवाई अड्डे का निर्माण करने और अनुषंगिक सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ; और

(ग) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) डबोलिम (गोवा) में सिविल हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। डबोलिम में वर्तमान हवाई अड्डा नौसेना का है तथा नागर विमानन महानिदेशक ने सिविल विमानन-सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां एक सिविल एन्क्लेवका निर्माण किया है। 1978 में एप्रन तथा टैक्सी-पथ सहित एक अर्ध-स्थायी टर्मिनल भवन निर्माण व चालू किया गया। डबोलिन के लिए एयरबस प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप बढ़े हुए यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए 8.96 लाख रुपए के एक एस्टीमेट की 1979 में स्वीकृति प्रदान की गई। कन्वेयर बेल्ट की व्यवस्था करने के लिए 2.29 लाख रुपए के एक और एस्टीमेट को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन कार्यों के सितम्बर, 1981 तक पूरा हो जाने की सभावना है। रनवे को भी एयरबस के नियमित परिचालनों के योग्य बनाने के लिए मजबूत किया जा रहा है। एक और कार-पार्क के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वी० ओ० आर० और डी० एम० ई० जैसे दिक्चालन उपकरणों तथा "3—बार वासी" जैसे अवतरण उकरणों की छटी योजना में व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

भारतीय स्टेट बैंक के पश्चिम जोन (अहमदाबाद) में भर्ती किए गये प्रोबेशनरी अधिकारी

6262. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 से 1980 तक दौरान भारतीय स्टेट बैंक के पश्चिमी जोन (अहमदाबाद में कितने प्रोबेशनरी अधिकारी भर्ती किए गए ;

(ख) इन पदों के लिए कितने आदिवासियों और हरिजनों ने आवेदन-पत्र दिए थे और उनमें से कितने नियुक्त किए गए :

ग) आदिवासियों और हरिजनों के लिए आरक्षित कोटा कितना है और यह कोटा कितना भरा गया था और पूरा कोटा न भरने के क्या कारण हैं ; और

(घ) आदिवासियों और हरिजनों के लिए पूरा कोटा कब तक भरा जायेगा और इसके लिए आरिक्षत कोटे को भरने के लिए सरकार द्वारा की जा रही ठोस कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) भारतीय स्टेट बैंक में, प्रोबेशनरी अधिकारियों की भरती, इसके केन्द्रीय भरती बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। बैंक ने सूचना दी है कि, 1978 से 1980 के दौरान गुजरात राज्य में परिक्षा केन्द्रों से भरती किए गए प्रोबेशनरी अधिकारियों की संख्या है :

1978	11
1979	8
1980	4

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या, जिन्होंने इस पद के लिए, भारतीय स्टेट बैंक के अहमदाबाद स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालय को आवेदन किया था, तथा जो चुने गए उनकी संख्या नीचे दी गई है :

	आवेदक		चुने गए व्यक्ति	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1978	547	132	—	1
1979	340	155	—	—
1980	1138	335	—	2

(ग) जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है कि प्रोबेशनरी अधिकारियों की भरती, अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीय भरती बोर्ड द्वारा की जाती है,

तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित 40 सूत्री रोस्टर के आधार पर तय किया जाता है। बैंक ने सूचना दी है कि 1978 से 1980 के दौरान प्रोबेशनरी अधिकारियों के रूप में भरती किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित है :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1978 सामान्य भरती	58	23
अ० जाति/अनुसूचित जनजाति के वास्ते विशेष भरती	141	34
1979 सामान्य भरती	163	40
1980 सामान्य भरती	82	68

(घ) बैंक ने सूचित किया है कि प्रोबेशनरी अधिकारियों की भरती के लिए अनुसूचित जातियों के वास्ते आरक्षित रिक्तियों में कोई पिछली बकाया नहीं है। अनुसूचित जनजतियों के सम्बन्ध 10 रिक्तियों की पिछली बकाया है जिन्हें, मौजूदा भरती के दौरान भरे जाने के केन्द्रीय भरती बोर्ड को भेज दिया गया है।

कर नीति का पुनर्गठन

6263. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के व्यापार मण्डल ने केन्द्र से आग्रह किया है कि तीव्र और उच्चतर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति का पुनर्गठन किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार मण्डल से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता जिसमें कर नीति का पुनर्गठन करने के बारे में सुझाव दिया गया हो। तथापि, मण्डल ने बित्त मंत्री को लिखे अपने 6 मार्च, 1981 के अभ्यावेदन में वित्त विधेयक, 1981 के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए।

(ख) लोक सभा में वित्त विधेयक पर खण्ड वार विचार आरम्भ होने से पूर्व मण्डल द्वारा दिए गए सुझावों की, अन्य लोगों से प्राप्त इसी प्रकार के सुझावों के साथ, जांच की जायगी।

एम० एस० तारों की सप्लाई

6264. **श्री जेवियर अराक्कल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को 1979-80 और 1981 के दौरान एम० एस० तारों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) 1979-80 में 10,000 रु० की हकदारी न सप्लाई करने के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार ने केरल की किसी गैर-सरकारी एजेन्सी को देश में से ही अथवा अन्य देशों से इसके आयात के लिए प्राधिकृत किया था; यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं और 1979-80 और 1980-81 के दौरान उन्हें कितना कोटा आवंटित किया गया ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) साधारण इस्पात के तारों के वितरण के विनियमन की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1979-80 और 1980-81 की आयात नीति में वास्तविक उपभोगताओं द्वारा कुछ ग्रेडों/विशिष्टियों के इस्पात के तारों का सीधे आयात करने की व्यवस्था थी। लाइसेंसों से सम्बन्धित ब्यौरा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किए गए साप्ताहिक आयात/निर्यात लाइसेंस बुलेटिन में उपलब्ध है।

चीनी का निर्यात बन्द किया जाना

6265. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी का निर्यात रोक दिया है और यदि हां, तो इसे कब से रोका गया है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की बिक्री के लिए सरकार पहले ही सौदे कर चुकी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां। चीनी के निर्यात पर 21 फारवरी 1981 से रोक लगा दी गई है।

(ख) ई० डी० एण्ड एफ० एम० ए० एन० (शूगर) लि०, लन्दन के साथ 200,000 मे० टन चीनी का आयात करने के लिए संविदा करते समय राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी की चालू वर्ष की फसल से जनवरी-जून 1981 के दौरान प्रोत-लदान करने के लिए उतनी ही मात्रा का निर्यात करने के लिए 'सशर्त सौदा' किया गया।

इस्पात का उत्पादन

6266. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 के दौरान इस्पात का 46 लाख टन का उत्पादन 1979-80 के दौरान प्राप्त 45.9 लाख टन के उत्पादन से अच्छा नहीं है, जैसाकि "स्टेट्समैन" दिनांक 4 मार्च, 1981 में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 1976-77 में 53 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 1980-81 के दौरान कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1980-81 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों के उत्पादन के तुलनीय है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 1980-81 के वित्त-वर्ष में सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 47.46 लाख टन हुआ है जो 1979-80 के उत्पादन से 1.54 लाख टन अधिक है। लेकिन यह उत्पादन 1976-77 के उत्पादन से कम है। उत्पादन में कमी आवश्यक आदानों, मुख्य रूप से कोयले तथा बिजली, की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि न होने के कारण हुई है।

(ग) वर्ष 1980-81 में सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात कारखानों नामत: भिलाई तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कारखानों का उत्पादन देश में निजी क्षेत्र के एकमात्र सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने नामत: टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कारखाने के उत्पादन के अनुरूप रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खान मार्केट नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो-रूम में आग लगना

6267. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान मार्केट, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो-रूम में, वर्ष 1980 में दीवाली के अवसर पर आग लगने के समय आग बुझाने के उपकरण विद्यमान नहीं थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त शो-रूम में, बाहर निकलने के लिये आपात द्वार भी नहीं था;

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधिकारियों ने आहत हुये कर्मचारियों के इलाज तथा उनके स्वास्थ्य को सामान्य बनाने के लिये प्रबंध किये हैं; और

(घ) आहत कर्मचारियों की दशा कैसी है, उनमें से कितने कर्मचारी अभी तक सामान्य स्थिति में नहीं आये हैं, और उनकी तथा उनके आश्रितों की सहायता करने के लिये राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं । शो रूम में आग बुझाने का एक यंत्र था ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) जख्मी हुए दोनों कर्मचारी अब ठीक हैं । डाक्टरी इलाज के दौरान उनकी अनुपस्थिति की अवधि को विशेष छुट्टी मान कर तथा डाक्टरी और सवारी व्यय की अदायगी करके राष्ट्रीय वस्त्र निगम उन्हें हर सम्भव सहायता दे रहा है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 फरवरी, 1981 से महंगाई भत्ता

6268. **श्री के० के० तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 फरवरी, 1981 से महंगाई भत्ते की एक और किश्त देय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है; और

(ग) प्रत्येक किश्त में भुगतान पर सरकार को कुल कितनी राशि का भुगतान करना होता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (1960=100) के 12 महीनों का औसत जनवरी, 1981 के अन्त में 392.83 पर पहुच जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1-2-1981 से महंगाई भत्ते की एक और किश्त विचार करने योग्य हो गई है । इस किश्त का भुगतान किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान दरों पर महंगाई भत्ते की प्रत्येक किश्त देने पर सरकार को प्रति वर्ष अनुमानत: 62 करोड़ रुपये का व्यय करना पड़ता है ।

पंजाब और सिंध बैंक के लिए निदेशक मण्डल की नियुक्ति

6269. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और सिंध बैंक का राष्ट्रीयकरण किस तारीख को हुआ था;

(ख) क्या निदेशक मंडल की नियुक्ति कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) 15 अप्रैल, 1980।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 की धारा 3 के अनुसरण में, सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, 2 जनवरी 1981 से पंजाब एड सिंध बैंक के नए निदेशक मंडल का गठन किया है। इस समय, बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक और रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार दोनों मे से प्रत्येक का एक-एक नामिती, शामिल है।

अमरकंटक को एक पर्यटक-स्थल घोषित करना

6270. **श्री दलबीर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा तथा सोन नदियों के सुन्दर उद्भव-स्रोत अमरकंटक को एक पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) अमरकंटक, जो एक तीर्थ-स्थान और प्राकृतिक सौन्दर्य का स्थल है, की तीर्थयात्रियों और स्वदेशी पर्यटक द्वारा यात्रा की जाती है। अत: यह पहले से ही एक स्थापित तीर्थ/पर्यटक केन्द्र है।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमानचालकों का चुनाव

6271. **श्री आर० प्रभु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा वर्ष 1978, 1979 तथा 1980 के दौरान कितने विमानचालक भर्ती किये गये;

(ख) क्या सरकार ने इन विमानचालकों के चयनों के किये कोई मार्गदर्शी निदेश निर्धारित कर रखे हैं;

(ग) क्या सरकार को इन विमानचालकों के चुनाव के तरीके के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों पर विचार किया है तथा कोई निर्णय लिये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 1978 से 1980 तक के वर्षों में नियुक्त किए गए विमानचालकों की संख्या निम्नलिखित है :—

एयर-इंडिया

1978-79	...	15
1979-80	...	12
1980-81	...	शून्य

इंडियन एयरलाइन्स

1978	...	13
1979	...	31
1980	...	32

(ख) जी, नहीं।

(ग) रुझान जांच (aptitude test) आदि जो आवश्यकता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(घ) परन्तु सरकार ने इस शिकायत के आधार पर नियुक्ति की पद्धति को बदलना आवश्यक नहीं समझा।

पूर्वी क्षेत्र से इंजीनियरिंग की वस्तुओं का निर्यात-लक्ष्य

6272. **चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र से इंजीनियरिंग की वस्तुओं का वर्ष 1980-81 के लिये निर्यात लक्ष्य क्या है ;

(ख) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) क्या मूल्य अन्तराल की प्रतिपूर्ति की योजना को प्रभावी रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1980-81 के लिए पूर्वी क्षेत्र से इंजीनियरी माल के निर्यात के लिए इंजीनियरी निर्यात सवर्धन परिषद द्वारा 200 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) 1980-81 के लिए अन्तिम निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथा (घ) स्टील की कीमतों में 9 फरवरी, 1981 से वृद्धि होने पर सरकार ने निर्णय लिया है कि इंजीनियरी माल के लिए जो पात्र निर्यात संविदाएं 8 फरवरी, 1981 को चल रही थीं उनको 9 फरवरी, 1981 को की गई कीमत वृद्धि के संदर्भ में स्टील तथा कच्चे लोहे के संबंध में कीमत सरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य निर्यात संविदाओं के कार्यान्वयन के लिए इंजीनियरी माल के जो निर्यात किए गए हैं उनके सबध में यह निर्णय लिया गय है कि स्टील के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें ली जाएंगी। इन योजनाओं के अन्तर्गत जो कुछ राशि वापस की जाएगी, वह ऊपर उल्लिखित निर्णयों के अन्तर्गत आने वाली निर्यात संविदाओं के लिए रिलीज किये जाने वाले स्टील की मात्रा पर निर्भर करेगी।

ग्रामीण बांड

6273. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजीगत लाभ में राहत देने के लिये जनता सरकार ने कुल कितनी राशि क ग्रामीण बांड जारी किये थे;

(ख) कुल कितनी राशि के ग्रामीण बांड छापे गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रामीण बांड योजना सफल नहीं हुई थी;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उक्त ग्रामीण बांड योजना को रद्द क्यों नहीं किया और पहले जैसी स्थिति कायम क्यों नहीं की; और

(ङ) प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उपरोक्त भाग (ग) के संदर्भ में पूंजीगत लाभ में राहत के बारे में क्या सिफारिश की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 25 मार्च, 1981 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बन्ध-पत्रों में लगायी गई कुल रकम 74,11,79,000रु० है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) उपर्युक्त (क) पर दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए, उक्त योजना को असफल नहीं कहा जा सकता।

(घ) तथा (ङ) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है कि जिससे उस स्थिति को पुनः लौटा जाय जो वित्त अधिनियम, 1979 के जरिये किये गये संशोधन से पहले विद्यमान थी।

मद्रास के प्रमुख उद्योगपतियों के परिसर में छापे

6274. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयकर अधिकारियों ने मद्रास के दो प्रमुख उद्योगपतियों के घरों तथा आफिसों में भी छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं जो यह जाहिर करते हैं कि इन दो उद्योगपतियों से सम्बन्धित फर्मों के कर्मचारियों के बेनामी नामों से कई करोड़ रुपए निविष्ट किए गए हैं;

(ग) क्या उन के घरों से कई करोड़ रुपए मूल्य की चांदी की छड़ें भी जब्त की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन दो उद्योगपतियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां।

(ख) 20 जनवरी 1981 को ली गई तलाशियों में पकड़े गये दस्तावेजों की प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से, उद्योगपतियों द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों के लगभग 80 लाख रु० तक के शेयरों की बेनामी धारिता तथा उनकी कम्पनियों के विश्वासप्राप्त कर्मचारियों के नामों में लगभग 60 लाख रु० की जमा रकमों का पता चला है।

(ग) रिहायशी परिसरों में पायी गई लगभग 700 किलोग्राम वजन की चांदी की वस्तुएं तथा सिल्लियां, निषेध आदेशों के अधीन रखी गई।

(घ) इन मामलों में जांच-पड़ताल चल रही है। जांच-पड़ताल के पूरा होते ही, कानून के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

तेल निर्यातक विकासशील देशों से निवेश

6275. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को भुगतान शेष के संबंध में अपने सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) सरकार इस अन्तर को दूर करने के लिए तेल निर्यातक विकासशील देशों से निवेश के बारे में कितनी गम्भीर है; और

(घ) इन देशों से निवेश आकर्षित करने के लिए क्या विशेष प्रोत्साहन तथा सुविधा दी जा रही हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) दिनांक 27-2-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1778 तथा दिनांक 13-3-1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3491 के उत्तरों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) सरकार ने इस नई सुविधा का निर्माण इसी दृढ़ निश्चय से किया है कि इन देशों से ज्यादा मूल्य के निवेश प्राप्त होंगे ।

(घ) इन देशों से निष्पन्न होने वाले सारे निवेशों पर समस्त कर संबधी तथा राजकोषीय रियायतें मिलेंगी और नए निवेशों के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ।

स्वदेशी काटन मिल्स समूह, कानपुर के वस्त्र उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण

6276. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी काटन मिल्स समूह, कानपुर के छः वस्त्र उपक्रमों का प्रबन्ध राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाया जा रहा है ;

(ख) इन मिलों की कानूनी देयताओं की कुल राशि कितनी है जो अभी भी भूतपूर्व स्वामियों की ओर बकाया है ;

(ग) क्या इन मिलों को जयपुरिया घराने के, जिन्होंने राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इसके अधिग्रहण को चुनौती दी है, लौटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है : और

(घ) यदि नहीं, तो मिलों के इस समूह का सीधे राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर दिया जाता ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) मिल मालिकों, अर्थात् स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर के नाम 31-3-1978 को बकाया कानूनी देयताएं 4.53 करोड़ रु० की थी ।

(ग) तथा (घ) उच्चतम न्यायालय की हिदायतों के अनुसरण में उपक्रमों के संकटग्रस्त

मालिकों की इस समय सुनवाई हो रही है। इस समय हो रही सुनवाई के निष्कर्ष पर ही उपक्रमों के भविष्य पर अन्तिम विनिश्चय निर्भर करेगा।

मध्य प्रदेश में खनिजों के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

6277. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में खनिजों के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कब किया गया था; और

(ख) राज्य में प्रतिवर्ष उस सर्वेक्षण के आधार पर किन-किन खनिज पदार्थों का खनन किया जा रहा है और प्रत्येक खनिज कितनी मात्रा में निकाला जा रहा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक लगातार चलने वाला काम है और मध्य प्रदेश में यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा मध्य प्रदेश राज्य भूतत्व और खनन निदेशालय द्वारा काफी समय से किया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष अनेक महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सर्वे करता है और वर्तमान क्षेत्रगत सत्र 1980-81 में भी वह इस काम में संलग्न है।

(ख) मध्य प्रदेश में इस समय लगभग 25 खनिज पदार्थों का खनन हो रहा है। गत तीन वर्षों (1978-80) के दौरान प्रत्येक खनिज के उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	खनिज	मात्रा इकाई	1978	1979	1980 (अनंतिम)
1.	एस्बेस्टस	टन	5	14	65
2.	बाक्साइट	,,	4,72,756	5,57,011	4,57,108
3.	कैल्साइट	,,	345	548	1,826
4.	कोयला	हजार टन	21,620	24,120	25,210
5.	कोरंडम	टन	171	126	159
6.	डायस्पोर	,,	3,977	5,106	3,765
7.	हीरा	कैरट	15,953	15,229	14,371
8.	डोलोमाइट	टन	8,65,704	9,42,162	6,89,827

1	2	3	4	5	6
9.	फेल्सपार	टन	1,639	1,568	871
10.	फायरक्ले	टन	85,810	98,525	68,300
11.	लौह अयस्क	हजार टन	10,940	9,530	9,699
12.	मैंगनीज	टन	2,33,307	2,62,756	2,66,978
13.	चूनापत्थर	,,	6,507,848	7,306,141	6,387,158
14.	किओलीन	,,	17,804	19,902	16,308
15.	गेरू	टन	26,529	35.438	27,302
16.	फास्फोराइट	,,	72,395	95,589	98,588
17.	पाईरोफिलाइट	,,	22,937	16,815	16,144
18.	स्फटिक पत्थर	,,	10	30	—
19.	क्वार्टजाइट	,,	23,822	24,453	27,889
20.	सिलिमेनाइट	,,	87	108	143
21.	सिलिका सैंड	,,	14,687	9,017	7,634
22.	माउल्डिंग सैंड	,,	18,428	14,334	15,280
23.	अन्य मिट्टियां	,,	389,764	253,697	163,085
24.	स्टैटाइट	,,	6,856	10,681	6,395
25.	स्लेट	,,	10,720	15,736	5.860

वर्तमान निर्यात राज सहायता प्रणाली के पहलुओं की आलोचना

6278. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टण्डन समिति के दो सदस्यों, डा० रंगनेकर और प्रो० अमित भादुड़ी, ने वर्तमान निर्यात राजसहायता प्रणाली के कई पहलुओं की आलोचना की है ; और

(ख) उनकी आलोचना का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फ़ख़रुद्दीन अलम खान) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

डा० रंगनेकर तथा प्रो० अमित भादुड़ी द्वारा असहमति की अपनी टिप्पणी में की गई आलोचना का ब्यौरा टण्डन समिति की रिपोर्ट के अध्याय 19 में, जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है, किया गया है। आलोचना के मुख्य मुद्दे तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया नीचे दी गई है :—

	की गई टिप्पणी	समीक्षा
1.	निर्यातों पर नकद उपदान योजना से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा है और लाभ निर्यात के कतिपय उत्पादन के लिए प्रतिबंध है।	इतने कड़े प्रतियोगी निर्यात बाजार में भारतीय निर्यातकों को आवश्यक तौर पर कतिपय अन्तर्निहित बाधाओं व असुविधाओं के लिए नकद मुआवजा सहायता और वह भी विदेशों में गाट विनियमों व प्रक्रियाओं के अनुरूप, देनी पड़ती है।
2.	निर्यातों पर प्रत्यक्ष उपदानों की कुल लागत वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है।	चूंकि नकद मुआवजा सहायता के लिए पात्र निर्यात बढ़ रहे हैं अत: उपदानों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तथापि इस की पूरी सावधानी बरती जा रही है कि नकद मुआवजा सहायता विशिष्ट रूप में निर्धारित कसौटियों के अनुसार दी जाये।
3.	अनेक मामलों में यह आरोप लगाया गया है कि नकद सहायता अर्जित विदेशी मुद्रा से कहीं अधिक होती है।	असहमति की टिप्पणी में उल्लिखित छः विशेष मामले इंजीनियरिंग माल क्षेत्र से संबंधित है जिन में 1971-72 में इस्पात की सप्लाई की तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति के अनुसरण में इस्पात मदों की एफ० ओ० बी० लागत तथा एफ० जी० बी० बसूली के बीच के अन्तर को निष्प्रभावित करने के लिए अधिक नकद मुआवजा सहायता देना जरूरी हो गया था। 1972 से यह विनिश्चय किया गया है कि जब मूल्य वर्धन के प्रतिशत के रूप में

1	2
	नकद सहायता 25 प्रतिशत से बढ़ जाये तो नकद सहायता को आनुपातिक रूप में कम कर दिया जाये। इसके अलावा जून, 1973 से एक शर्त लगा दी गई कि जिन निर्यात मदों में आयातित इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है, उन पर मूल्य वर्धन कुल आयात अंश की तुलना में कम से कम 25 प्रतिशत अधिक होगा। अत: असहमति के कार्यवृत्त में उल्लिखित मामले 1970-71 से सम्बन्धित हैं, जो वर्तमान नीति के अन्तर्गत नहीं आते।
4. टण्डन समिति ने निर्यात उपदानों के लाभकारी पहलुओं पर विचार नहीं किया है।	आयात नियति नीति तथा क्रिया विधियों संबंधी समिति की रिपोर्ट (जनवरी, 1978) में निर्यातों पर नकद उपदान के सम्बन्ध में लागत लाभ पर विचार किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जिन निर्यातों पर नकद सहायता दी जाती है, उनके निर्यातों में उन मदों से अधिक वृद्धि हुई है जो इस सहायता के अधीन नहीं हैं।

निर्यात नीतियों तथा क्रियाविधियों संबंधी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद नकद मुआवजा सहायता को, भाड़े तथा लागत संबंधी अन्य भिन्नकों के लिए मुआवजा कवर करने, नये उत्पादों व विकासशील नये बाजारों में प्रारम्भिक संवर्धनात्मक व्यय की व्यवस्था करने, उन अप्रत्यक्ष करों को मुआवजा देने, जो शुल्क वापसी प्रणाली के जरिए लौटाया नहीं जाता, और भारत में कार्यकारी पूंजी पर ऊंची ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाया गया। नकद सहायता, जो एक विशिष्ट सहायता है, सामान्यत: तीन वर्ष तक बढ़ाते हुए एक सीमित अवधि तक उपलब्ध करायी जाती है जिसके दौरान सम्बद्ध असुविधाएं सजग प्रयासों द्वारा दूर की जा सकती हैं। नकद मुआवजा सहायता की दरों की वाणिज्य मंत्रालय में एक समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

देश में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक खोले जाना

6279. **श्री चित्त महाटा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, देश में, राज्यवार और वर्षवार, कितने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक खोले जाएंगे ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : छठी योजना की अवधि (1980-85) के दौरान देश में 105 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोलने का प्रस्ताव है। इन बैंकों का वर्ष-वार क्रम नीचे दिया गया है :—

वर्ष	स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
1980-81	35
1981-82	25
1982-83	25
1983-84	10
1984-85	10
जोड़	105

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संचालन समिति, योजना के शेष चार वर्षों के दौरान नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों में जिलों का निर्धारण करेगी। इसलिए, छठी योजनावधि के लिए निश्चित राज्य-वार ब्यौरा निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है। अलबत्ता, योजना के प्रथम वर्ष, 1980-81 के दौरान स्थापित 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	1980-81 के दौरान स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	1
2. असम	2
3. बिहार	6
4. मध्य प्रदेश	4
5. उड़ीसा	4
6. राजस्थान	1
7. उत्तर प्रदेश	14
8. पश्चिम बंगाल	3
जोड़	35

इन 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के साथ देश में 163 जिलों को व्याप्त करते हुए, ऐसे बैंकों की कुल सख्या अब 100 है।

अफीम की खेती के लिए लाइसेंस

6280. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफीम की खेती हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए क्या पद्धति निर्धारित की गई है;

(ख) क्या लाइसेंस जारी करने संबंधी नियमों का निर्धारण करने के लिए कोई समिति गठित है;

(ग) देश में, राज्यवार किन-किन जिलों में अफीम की खेती की जाती है; और

(घ) देश में अफीम की खेती कुल कितने क्षेत्र में की जाती है और गत दो वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है और क्षेत्र में कमी आने के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) अफीम की काश्त के लाइसेंस, लाइसेंसिंग सिद्धांतों के अनुसार, जारी किए जाते हैं। वर्ष 1980-81 की फसल के संबंध में लाइसेंस जारी करने विषयक जो सिद्धांत अपनाए गए, उनकी एक प्रति विवरण रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नियमित आधार पर पोस्त की काश्त करने की इजाजत केवल तीन राज्यों अर्थात् मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही दी जाती है। इन राज्यों में मुख्य रूप से जिन जिलों में पोस्त उगाई जाती है, वे नीचे दिए गए हैं :—

प्रदेश	जिला
मध्य प्रदेश	मन्दसौर, रतलाम, झबुआ, उज्जैन, शाजापुर और राजगढ़।
राजस्थान	कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, झीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़।
उत्तर प्रदेश	फैजाबाद, आजमगढ़, गाजीपुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं।

(घ) गत दो वर्षों के दौरान देश में पोस्त की काश्त हेतु लाइसेंस शुदा रकबा और उपज-प्राप्त रकबा नीचे दिए अनुसार था :—

वर्ष	लाइसेंसशुदा रकबा (हेक्टेयर)	रकबा, जिससे उपज प्राप्त हुई (हेक्टेयर)
1978-79	53698	5208
1979-80	40172	35 00

विश्व में भारतीय अफीम की मांग कम हो जाने और इसके परिणामतः अफीम का बहुत बड़ा स्टाक इकट्ठा हो जाने के कारण, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों के पोस्त उगाने वाले पारस्परिक क्षेत्र में पोस्त की काश्त का रकबा कम कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1980-81 के दौरान पोस्त की काश्त हेतु लाइसेंस जारी करने संबंधी सिद्धान्त

केन्द्रीय अफीम नियम, 1934 के नियम 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में जारी की गई अधिसूचना के अधीन रहते हुए, 1980-81 के दौरान पोस्त की काश्त के संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा।

1. जिला/तहसील/परगना

वर्ष 1979-80 के दौरान पोस्त की काश्त के मौसम में जिस किसी तहसील/परगने में पोस्त की काश्त की गई हो उसमें तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किये गये किसी ऐसे अन्य जिले/तहसील/परगने में, पोस्त की काश्त हेतु लाइसेंस इस शर्त के अधीन दिये जाएं कि किसी एक तहसील/परगने में पोस्त की काश्त हेतु निर्धारित किये जाने वाला रकबा 30 हेक्टेयर से कम नहीं हो।

2. गांव

ऊपर उल्लिखित किसी तहसील/परगने में आने वाले किसी भी गांव में पोस्त की काश्त हेतु लाइसेंस इस शर्त के अधीन दिये जाएं कि पोस्त की काश्त हेतु निर्धारित किये जाने वाला रकबा एक हेक्टेयर से कम नहीं हो।

3. काश्तकार

वर्ष 1980-81 की फसल के दौरान निम्नलिखित श्रेणियों के काश्तकार लाइसेंस पाने के पात्र होंगे।

(i) वर्ष 1979-80 की फसल के दौरान जिन काश्तकारों ने अफीम की उपज प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम से कम नहीं दी थी, उनको लाइसेंस नीचे दी गई उपज के क्रम में दिए जाएंगे :—

श्रेणी (क)—प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम से कम नहीं ।

श्रेणी (ख)—प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम से कम नहीं ।

श्रेणी (ग)—प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम से कम नहीं ।

श्रेणी (घ)—प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम से कम नहीं ।

टिप्पणी : 1. निम्नलिखित वर्गों में आने वाले काश्तकारों को छोड़कर, वर्ष 1979-80 के दौरान जिन काश्तकारों ने प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम से कम उपज दी है, उनको लाइसेंस नहीं दिये जाएंगे ।

2. वर्ष 1981-82 की फसल से, सरकार का इरादा अर्हक उपज को बढ़ाकर प्रति हेक्टेयर 28 किलोग्राम करने का है और इसलिए, वर्ष 1980-81 की फसल के दौरान, जो काश्तकार प्रति हेक्टेयर 28 किलोग्राम अफीम से कम उपर्ज देंगे, वे 1981-82 फसल के दौरान लाइसेंस दिये जाने के मामले सामान्यतया विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(2) ऐसे काश्तकार, जिन्होंने वर्ष 1979-80 की फसल के दौरान पोस्त की अपनी सारी फसल फिर से जोत की हो बशर्ते खेत की पुनः जुताई विभागीय निगरानी द्वारा की गई हो ।

(3) जिन गांवों में फसल वर्ष 1979-80 के दौरान पोस्त की फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा हो और ऐसे नुकसान के संबंध में नारकोटिक्स आयुक्त का समाधान हो गया हो, उन गांवों के काश्तकारों को, चाहे उन्होंने कितनी भी उपज दी हो नारकोटिक्स आयुक्त के आदेशों के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान किए जा सकते हैं ।

(4) जिन गांवों में फसल वर्ष 1979-80 के दौरान नाशिकीटों, प्राकृतिक प्रकोपों, आदि के कारण पोस्त की फसल को कुछ नुकसान पहुंचा हो और जहां काश्तकारों ने ऐसे नुकसान की विधिवत रिपोर्ट भेजी हो और/अथवा विभागीय अधिकारियों द्वारा उस नुकसान का सत्यापन किया गया हो, उन गांवों के काश्तकार, बशर्ते उन्होंने वर्ष 1979-80 के दौरान प्रति हेक्टेयर 12 किलोग्राम से कम अफीम न दी थी । इस खण्ड के प्रयोजनार्थ ऐसे प्रत्येक गांव की पात्रता उप नारकोटिक आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(5) जिन काश्तकारों की लाइसेंस हेतु मनाही के खिलाफ अपीलें, पूर्ववर्ती फसल वर्ष के निर्धारण की अन्तिम तारीख के बाद स्वीकार की गई हों, वे काश्तकार ।

(6) जिन काश्तकारों ने वर्ष 1978-79 के दौरान पोस्त की काश्त की थी और वे फसल वर्ष 1979-80 के दौरान लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र थे, लेकिन जिन्होंने किसी कारणवश स्वेच्छया लाइसेंस नहीं लिया, वे काश्तकार ।

स्पष्टीकरण : ऊपर उल्लिखत अफीम की मात्रा 70 डिग्री गाढ़ता पर परिकलित की जाएगी

3. (ख) ऊपर उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले काश्तकार को निम्नलिखित शर्तें भी, जोउस पर लागू होती हों, पूरी करनी होंगी कि :

(क) उसने पोस्त की काश्त के लिए उसे आबंटित रकबे को जानबूझकर नहीं बढ़ाया ।

(ख) उसने कभी भी गैर कानूनी काश्त नहीं की अथवा वह, अनिष्टकर ओषधियों से संबंधित कानूनों के तहत किसी अपराध से सम्बद्ध नहीं था ।

(ग) फसल वर्ष 1979-80 के दौरान उसने किसी विभागीय अनुदेश का उल्लंघन नहीं किया था अथवा अपनी अफीम में जानबूझ कर मिलावट नहीं की थी ।

(क) लाइसेंस जारी करने संबंधी इन अनुदेशों का नारकोटिक विभाग के इस अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह किसी भी व्यक्ति का लाइसेंस, अफीम अधिनियम, 1857 की धारा 9 के उपबंधों के अनुसार रोक सकते हैं, जब वे ऐसा करना उचित समझें ।

मध्य प्रदेश में हीरे के निक्षेपों की खोज

6281. **श्री कमल नाथ** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य में हीरे के निक्षेपों की व्यापक खोज के लिए केन्द्रीय सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यापक खोज का कार्य कब शुरू किया जाएगा और उसमें राज्य के तंत्र का कहां तक सहयोग लिया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में हीरों की व्यापक खोज के लिए 1980 में एक योजना

मंजूर की है । ये योजना भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा खनिज गवेषण निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही है । सरकार ने इस काम के लिए खनिज विकास निगम को 2.51 करोड़ रुपए और भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था को 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं । कारण कामनवम्बर, 1980 में शुरू हुआ है और अभी जारी है । राज्य सरकार इस योजना में शामिल नहीं है ।

पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए नए वाहनों का आयात

6282. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या विदेशी पर्यटकों को और ज्यादा सुविधाएं देने की पुष्टि से विदेशों से कुछ नए वाहन आयात करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पर्यटन के लिए जिन उपायों की परिकल्पना की गई है, वे ये हैं—अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ पर्यटक केन्द्रों का सघन विकास, होटलों और स्थल परिवहन जसी पर्यटक आधारित संरचना का तेजी के साथ विकास, नेशनल एअर कैरियर्स के फ्लीट में वृद्धि, विदेश में फिल्मों, श्रव्य दृश्य प्रदर्शन, पर्यटक साहित्य के प्रकाशन, विज्ञापन, आदि जैसे विविध प्रचार माध्यमों के द्वारा संवर्धन को सघन बनाना, यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा लेखकों, पत्रकारों आदि को परिचायक दौरे पर विभाग के अतिथियों के रूप में आमन्त्रिक करते हुए, ताकि वे उसके बदले में भारत पर्यटन का संवर्धन करें, मीडिया-सम्पकों को बढ़ाना ।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने नए वाहनों को पर्यटक टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल करने हेतु इनका आयात करने संबंधी एक प्रस्ताव भेजा है जो सर कार के विचाराधीन है ।

भारतीय स्टेट बैंक से सहायक बैंकों को अलग करना

6283. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक और इसकी सहायक बैंक अनेक स्थानों पर अपनी-अपनी शाखाएं खोल कर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय स्टेट बैंक अपने सहायक बैंकों का लेखों को नामे लिख सकती है और अन्तर बैंक लेनदेन के सम्बन्ध में इसके कारण सारी धनराशि को पुनः प्राप्त कर सकती है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसी ही सुविधा सहायक बैंकों को नहीं दी गई;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार सहायक बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक से अलग करने और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह उन्हें केन्द्रीय सरकार के सीधे नियत्रण के अन्तर्गत एक इकाई के रूप में संघठित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, हां। कुछ केन्द्रों में जहां एक से अधिक वाणिज्य बैंक शाखाओं की गुंजाइश है, वहां भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों की एक या एक से अधिक शाखाएं विद्यमान हैं तथा लोगों को पूरी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रही हैं।

(ख) तथा (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इसकी "एजेंसी क्लियरिंग स्कीम" के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक उसके सहायक बैंकों की शाखाओं की एक दूसरे पर निकासी के लेनदेनों की सूचना भारतीय स्टेट बैंक के बम्बई स्थित एजेंसी क्लियरिंग विभाग को अथवा सहयोगी बैंकों के बम्बई में ही स्थित लिंक-कार्यालयों को देनी होती है। ऐसी सभी रिपोर्टों को एक साथ कम्प्यूटर पर संसधित किया जाता है तथा राशियों का व्यवस्थापन तो उसी दिन अथवा उससे अगले कार्य दिवस को कर दिया जाता है।

(घ) सहायक बैंकों के स्तर का प्रश्न, हमारे बैंकिंग तंत्र के समुचित ढांचे के बृहत् प्रश्न का एक अभिन्न अंग है तथा इसलिए इस पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन, सहायक बैंकों को अधिक आत्मनिर्भर तथा स्वायतशासी बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक बैंकिंग तंत्र में प्रशासनिक तथा स्वरूपात्मक परिवर्तन करने के उद्देश्य से अपने सहायक बैंकों के नियंत्रण तंत्र तथा कार्यकरण के तंत्र का पर्यवेक्षण करने के विभिन्न उपाय कर रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

6284. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे 27 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978 से, वर्ष बार, व्यक्तियों को दिल्ली में रोजगार कार्यालय से बुलाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने व्यक्तियों की भर्ती हो गई हैं और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध लोगों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) रोजगार कार्यालयों के माध्यम के बिना कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई है और क्या प्रत्येक मामले में रोजगार कार्यालय से अनुपलब्धता-प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो रोजगार कार्यालयों से अनुपलब्धता-प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना किन आधारों पर लोगो की सीधे ही भर्ती की गई थी और किन स्रोतों से उनकी भर्ती की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाउपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया अध्ययन

6285. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई अध्ययन किया गया है तथा उन जिलों के नाम क्या हैं जहां गत वर्ष के दौरान ऋण उपलब्ध कराए गए थे;

(ख) क्या यह सच है कि क्षेत्रवार किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के गरीब लोगों को सब से कम ऋण मिले हैं, जब कि उत्तरी पश्चिम तथा दक्षिणी क्षेत्रों को सबसे ज्यादा ऋण मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) रिजर्व बैंक द्वारा, बैंक ऋणों के स्थानिक वितरण का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी, अपनी सांख्यिकीय सूचना प्रणाली के एक भाग के रूप में, रिजर्व बैंक, प्रतिवर्ष जून/दिसंबर में समाप्त होने वाली छमाही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं और अग्रिमों के संबंध में राज्यवार/जिलावार आंकड़े दिए गए हैं।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि, जून, 1979 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण उपयोग+निवेश : जमा अनुपात इस प्रकार है :

	(प्रतिशत)
उत्तरी क्षेत्र	92.2
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	82.7
पूर्वी क्षेत्र	66.4
केन्द्रीय क्षेत्र	68.0
पश्चिमी क्षेत्र	75.6
दक्षिणी क्षेत्र	94.2
समस्त भारत	80.6

(ग) किसी क्षेत्र में बैंक ऋणों का विस्तार, उस क्षेत्र के आर्थिक कार्यकलापों के स्तर, विशेष रूप से मध्यम तथा बड़े उद्योग और व्यापार के संगठित क्षेत्रों तथा परिवहन, संचार, ऊर्जा, सिंचाई आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर होता है। फिर भी, बैंकों को, सलाह दी गई है कि वे अपनी उन क्षेत्रों की शाखाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा करें जहां ऋण का वितरण कम है तथा विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिक ऋण देकर ऋण प्रवाह बढ़ाने के ठोस उपाय करें। राज्य सरकारों द्वारा, कड़े रूप में आई० आर० डी० कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सहकारी समितियों का पुनर्गठन, जोतदार किसानों के अधिकारों का पंजीकरण तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाना, बिचौलियों के रूप में कार्य करने के लिए राज्य स्तर के निगमों की स्थापना आदि जैसे उपाय किए जा रहे हैं तथा बैंकों द्वारा जिला ऋण आयोजना, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने, तथा कृषि और लघु उद्योग आदि के क्षेत्रों में लगे कमजोर वर्गों तथा कृषि को ऋण देने के लिये किए जा रहे उपायों से, अपेक्षतया कठिन क्षेत्रों में भी बैंक ऋण प्रवाह बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम द्वारा मिलों का राष्ट्रीयकरण किये जाने की सिफारिशें

6288. **श्री एस० वी० पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम ने (एक) पुलगन काटन मिल, (दो) वेस्टर्न इंडिया स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स, बम्बई और (तीन) विजय मैन्युफैक्चरिंग (प्रा०) लिमिटेड, बडुएरा के प्रबंध को आई० (डी० एण्ड आर०) ऐक्ट के अधीन अन्ततोगत्वा इनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय से उपर्युक्त मिलों का राष्ट्रीयकरण किए जाने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकरण के प्रस्तावों को, यदि कोई हैं, जनहित में बताया नहीं जा सकता ।

विभिन्न लेवियों में वृद्धि

6287. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के लिए आम बजट पेश किए जाने के बाद और 1981-82 के लिए आम बजट पेश किए जाने से पूर्व विभिन्न लेवियों में कुल कितनी वृद्धि हुई; और

(ख) इन बनी हुई लेवियों का आम मूल्य-स्तर पर क्या प्रभाव होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) आम मूल्य स्तर का निर्धारण पूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर क्रियाशील अनेक तत्वों द्वारा होता है । इसलिए आम मूल्य स्तर पर करों की वृद्धि से पड़ने वाले समग्र प्रभाव का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

विवरण

सामान्य बजट 1980-81 के बाद और सामान्य बजट 1981-82 से पूर्व वृद्धियां

क्रम सं०	वस्तु	दर	परिवर्तन की तारीख
	क. संघ उत्पादन शुल्क		
1.	खाण्डसारी चीनी	विभिन्न दरें	21.10 80
2.	इस्पात के इनगोट और लोहा और इस्पात उत्पाद	110 रुपए से 210 रुपए प्रति मैट्रिक टन	13.2.81
3.	कागज (पेपर) और कागज के गत्ता (पेपर बोर्ड) :		
	(i) क्रीम लैण्ड और क्रीम वोव पेपर जो 65 जी० एस० एम० से अधिक न हो	21 प्रतिशत से 26.25 प्रतिशत तक बढ़ाई गई मूल्यानुसार	6.2.81

1	2	3	4
	(ii) संसेचित (इंप्रेग्नेटेड) फिल्टर पेपर की दशा में छूट केवल 100 मैट्रिक टन तक ही सीमित है	—	10.11.80
	ख. उपकर		
1.	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 9 के अन्तर्गत कागज, लुग्दी और कागज उत्पाद पर उपकर लगाया गया	1/8 प्रतिशत मूल्यानुसार	27.10.81
	ग. सीमा शुल्क		
1.	अन गढ़े तांबे के आयात पर आयात शुल्क	65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत मूल्यानुसार	1.11.1980
2.	एच० डी० पी० ई० एल० ई० पी० है, पी० वी० सी० और पोलिप्रोपाइलिन पर आयात शुल्क	विभिन्न दरें	16.10.1980
3.	मूंगफली पर निर्यात शुल्क	दुगनी	9.1.1981
4.	विस्कोस स्टेपल रेशों की कुछ किस्मों पर आयात शुल्क	10 प्रतिशत वृद्धि मूल्यानुसार	1.11.1980
5.	इलेक्ट्रोलिटिक तांबे की छड़ों पर बुनियादी आयात शुल्क	40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत मूल्यानुसार	26.11.1980
6.	सादे एल्यूमिनियम फौयल और पोलिथीलिन की परत चढ़े एल्यूमिनियम फौयल पर बुनियादी आयात शुल्क	शून्य से सांविधिक करों तक	20.12.1980
	पोलिथीलिन परत चढ़े चमकदार एल्यूमिनियम फौयल पर बुनियादी आयात शुल्क	27.5 प्रतिशत से 100 प्रतिशत मूल्यानुसार	

1	2	3	4
7.	सोडा ऐश पर बुनियादी सीमा शुल्क		
	(i) सघन किस्म (डेंसवेराइटी).	5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत मूल्यानुसार	6.1.1981
	(ii) हल्की किस्म (लाइटवेराइटी)	35 प्रतिशत से 45 प्रतिशत मूल्यानुसार	6.1.1981
8.	स्टेनलैस स्टील की चमकीली छड़ें (बार) और तार की छड़ें (रोड़)	35 प्रतिशत से 60 प्रतिशत मूल्यानुसार	29.11.1980

पारादीप पत्तन के माध्यम से उड़ीसा से क्रोम अयस्क का निर्यात

6288. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप पत्तन के माध्यम से उड़ीसा से क्रोम-अयस्क का निर्यात हाल के वर्षों में घट गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा से क्रोम-अयस्क की और अधिक मात्रा का निर्यात करने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से अगस्त, 1978 से सरणीबद्ध हो जाने के बाद पारादीप पत्तन के जरिये से क्रोम-अयस्क के निर्यातों मे वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :—

वर्ष	मात्र (लाख मे० टन)
1. 1977-78 (गैर सरणीबद्ध)	0.82
2. अगस्त, 1978 से मार्च 1979 तक	0.83
3. मार्च 1979 से मार्च, 1980 तक	2.17

अप्रैल 1980 से फरवरी, 1981 तक की अवधि में पारादीप पत्तन के जरिये से 1.45 लाख मे० टन क्रीम का निर्यात हुआ। यह गिरावट, इस्पात उद्योग में मन्दी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हुई मदी से आई है।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा पकड़े गए सामान की नीलामी

6289. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने कुल कितने मूल्य का सामान/वस्तुएं पकड़ीं;

(क) इस अवधि के दौरान कितने मूल्य का सामान/वस्तुएं नीलाम की गईं; और

(ग) सामान/वस्तुओं के नीलाम न किए जाने की वजह से सरकार को कितनी धनराशि के सम्भावित ब्याज की और इस सामान/वस्तुओं की हुई टूट-फूट की कितनी हानि हुई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए तस्करी के माल का मूल्य निम्नलिखित है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1978	30.94
1979	40.42
1980	52.84

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (नीलामी द्वारा अथवा अन्यथा निपटाए गए ऐसे माल का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1978	6.04
1979	11.47
1980	17.76

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

कपड़ा उद्योग के लिये लाइसेंस

6290. **श्री बो० आर० नहाटा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान कपड़ा उद्योग के लिए कितने लाइसेंस दिये गये थे और मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के लिए, अलग-अलग कितने लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) स्वाधीनता से पूर्व मध्य प्रदेश में कितनी कपड़ा मिलें थीं और इसके बाद वहां पर कितनी नई मिलों की स्थापना की गई थी और उनमें से कितनी मिलें संकटग्रस्त हैं और वे मिलें कितनी अवधि से संकटग्रस्त पड़ी हुई हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितनी मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने हेतु आवेदन किया है और इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) सूती वस्त्र उद्योग ऊनी उद्योग तथा कृत्रिम रेशम उद्योग के संबंध में जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों (विस्तार की स्वीकृतियों सहित) की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं। इस विवरण में रेशम क्षेत्र को पिछले दस वर्षों के दौरान जारी किये गये लाइसेंसों संबंधी जानकारी भी शामिल है।

(ख) आजादी मिलने से पहले मध्य प्रदेश में वस्त्र मिलों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस समय मध्य प्रदेश 24 सूती वस्त्र, 3 ऊनी तथा 1 कृत्रिम रेशम एकक हैं। प्रत्येक मामले में कुछ परिस्थितियों को देखते हुए समय-समय पर अलग-अलग मामले में किये गये मूल्यांकन के आधार पर रुग्णता का पता लगाया जाता है। अतः रुग्ण वस्त्र मिलों की संख्या बता पाना संभव नहीं है। तथापि, एक सूती वस्त्र मिल मई, 1977 से 'बंद' पड़ी है।

(ग) प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पास मध्य प्रदेश सरकार का कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

विवरण

गत 10 वर्षों के दौरान दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण :—

राज्य	दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या (विस्तार की स्वीकृतियों सहित)			रेशम उद्योग
	सूती वस्त्र उद्योग	ऊनी उद्योग	कृत्रिम रेशम उद्योग	
आंध्र प्रदेश	26	—	—	—

1	2	3	4	5
असम	3	—	—	—
बिहार	8	—	—	—
गुजरात	78	—	1	—
हरियाणा	6	7	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	2	—	1
जम्मू तथा कश्मीर	3	—	—	1
कर्नाटक	25	1	—	5
केरल	12	—	—	2
मध्य प्रदेश	11	3	—	—
महाराष्ट्र	51	3	3	—
मणिपुर	1	—	—	—
नई दिल्ली	1	—	—	—
उड़ीसा	7	—	—	—
पाण्डिचेरी	6	—	—	—
पंजाब	15	7	—	—
राजस्थान	13	5	—	—
तमिलनाडु	109	—	—	—
उत्तर प्रदेश	31	11	—	—
प० बंगाल	35	1	—	—
योग	441	40	4	9

हीरो के व्यापारियों द्वारा चलाये जा रहे गैर सरकारी न्यास

6291. **श्री बी० के० गधावी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीरा-व्यापारियों द्वारा कितने गैर-सरकारी न्यास चलाये जा रहे हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ऐसे न्यासों का धन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार किस प्रकार से निपटने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी ।

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत इक्विटी में कमी

6292. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 नवम्बर, 1980 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत इक्विटी में कमी के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की विदेशी कम्पनियां जो अपनी इक्विटी पूंजी को 40 प्रतिशत तक नीचे ले आई हैं "ने व्यापार को बड़े पैमाने पर अपने हाथ में ले लिया है ";

(ख) क्या उसमें दिया गया कथन सही है ;

(ग) उन तीन सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की कम्पनियों के क्या नाम हैं, जिन्होंने विदेशी शेयर धारिता कम करके 40 प्रतिशत तक कर दी है और आजकल व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न हैं ;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान इन कम्पनियों का कुल व्यापार कितना रहा ; और

(ङ) क्या सरकार के लिए यह बेहतर नहीं है कि वह विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की कम्पनियों को व्यापार गतिविधियों में रत रहने की अनुमति देने की अपेक्षा उनका उपयोग महत्वपूर्ण क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों में करें ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां ।

(ख) जिस "अध्ययन" का हवाला समाचार में दिया गया है, उनका पूरा ब्यौरा प्राप्त न होने के कारण, निकाले गए निष्कर्षों पर मतव्य प्रकट करना कठिन है ।

(ग) तथा (घ) जब एक कम्पनी अपनी अनिवासी सामान्य शेयरधारिता को घटा कर 40 प्रतिशत तक ले आती है तो वह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा शासित कम्पनी न रहकर भारतीय कम्पनी बन जाती है । इसलिए उनकी गतिविधियों के तथ्यों तथा आंकड़ों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत नहीं रखा जाता है । यदि किसी विशेष कम्पनी या

कम्पनियों के बारे में जानकारी आवश्यक है तो वह अन्य साधनों से इकट्ठी करके दी जा सकती है।

(ङ) जिन कम्पनियों की अनिवासी सामान्य शेयरधारिता 40 प्रतिशत से अधिक हो, वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ही नई गतिविधियों को शुरू कर सकती हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की कार्यवाही पहले ही पूरी हो चुकी है और केवल वे कंपनियां जो कि प्रधानत: महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा निर्यात के कारबार में लगी हुई हैं, उनको ही 51 प्रतिशत अनिवासी सामान्य शेयरधारिता बनाए रखने की अनुमति दी गई है।

"फेरा" कम्पनियों के मामले

6293. **श्री टी० एम० सावन्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध कम्पनियों के अतिरिक्त "फेरा" कम्पनी के कितने मामलों का विदेशी साम्य पूंजीधारिता की दृष्टि से अभी निर्णय किया जाना है ;

(ख) क्या मैसर्स साइमन्स और यूनियन कार्बाइड के मामलों में हाल ही में निर्णय करके उनको 51 प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी रखने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि साइमन्स के मामले में उनको 51 प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी रखने हेतु "फेरा" के मार्गदर्शी निदेशों का पालन करने की दृष्टि से अपनी कम्पनी का स्वरूप बदलने के लिए 1982 तक का समय दिया गया है ; और

(घ) क्या मैसर्स साइमन्स और यूनियन कार्बाइड के मामले का "फेरा" के अधीन निपटान करते समय 'फेरा' में निर्दिष्ट मार्गदर्शी से निदेशों भिन्न कोई अन्य पथ बनाया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री वेंकटरामन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां। मैसर्स साइमन्स के आवेदनपत्र का फैसला मार्च 1980 में और मैसर्स यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के आवेदन पत्र का फैसला मई 1980 में कर दिया गया था।

(ग) कम्पनी को अपनी गतिविधियों के पुनर्गठन के लिए, तथा परस्पर सम्बद्ध कंपनियों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के व्यापार के कार्य के निवर्तन के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

विवरण

1. आसाम आयल कम्पनी लि० आसाम

2. बरमा आयल कम्पनी (इंडिया) ट्रेडिंग आसाम

3. केस्टरोल लि० बंबई

4. आयल इंडिया लि० कलकत्ता

5. टाटा डिलवर्थ सैकर्ड मींघर एण्ड एसोसियेट्स ।

टिप्पणी : प्रथम चार मामले विचाराधीन हैं, क्योंकि सम्बद्ध कंपनियों के साथ उनका प्रबन्ध संभाल लिए जाने अथवा उनके साथ अन्य तरह के प्रबन्ध किए जाने के संबंध में बातचीत हो रही है ।

अंतिम मामला देरी से प्राप्त हुआ और उसकी तकमील की जा रही है

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की अखिल भारतीय सेवा परीक्षा 1978

6294. **श्री टी० नागरत्नम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की अखिल भारतीय सेवा परीक्षा 1978 में कितने सामान्य, अनुसूचित जनजाति कर्मचारी बैठे थे ;

(ख) प्रथम सूची के अनुसार कितने सामान्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी उत्तीर्ण हुए ;

(ग) कितने सामान्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को अधिकारी संवर्ग में नियुक्त किया गया है ;

(घ) क्या और सफल हुए प्रत्याशियों की कोई अनुपूरक सूची घोषित की गई थी, यदि हां तो उस अनुपूरक सूची के आधार पर कितने सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को सफल घोषित किया गया ; और

(ङ) अनुपूरक सूची के पीछे क्या औचित्य था ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने 1978 के लिए अखिल भारतीय सेवा परीक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित आंकड़े सूचित किए हैं :—

	सामान्य	अनु० जाति/अनु० जनजाति
1. परीक्षा में बैठे कर्मचारियों की संख्या	4964	111
2. प्रथम सूची के अनुसार परीक्षा में सफल हुए कर्मचारियों की संख्या	237	7

3. अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या (दूसरी सूची के कर्मचारियों सहित)	400	9

(घ) जी हां. । अनुपूरक सूची में 205 सामान्य उम्मीदवार तथा 3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था।

(ङ) लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था तथा यह ज्ञात हुआ कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके एक से अधिक उत्तर संभव थे। इसे ध्यान में रखते हुए, पुनर्मूल्यांकन किया गया था तथा उसके पश्चात् अनुपूरक सूची जारी की गई थी।

गंधक के गर्म चश्मों का सर्वेक्षण

6295. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गंधक के गर्म चश्मों का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) उड़ीसा में उनकी संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ; और

(घ) देश और उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों के लिए इन चश्मों का विकास करने हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गर्म पानी/गन्धक के चश्मों के बारे में कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने केवल हिमाचल प्रदेश में मनाली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर वशिष्ट में स्थित गर्म पानी के चश्मों का जल-सर्वेक्षण कराया था। भारतीत भूविज्ञान सर्वेक्षण के माध्यम से यह सर्वेक्षण जनवरी, 1976 से मार्च, 1976 तक और नवम्बर, 1976 से मार्च, 1977 तक की अवधि में कराया गया था। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण से हाल ही में केन्द्रीय पर्यटन विभाग को मिली है। वशिष्ठ में गर्म पानी के चश्मों पर स्नानगृहों, जो कि मनाली की यात्रा करने वाले पर्यटकों में पहले से ही लोकप्रिय हैं, पर मुहैय्या की जा रही सुविधाओं के विस्तार पर विचार करने की दृष्टि से यह सर्वेक्षण किया गया था।

उसके बाद, वशिष्ठ में गर्म पानी के चश्मों का और अधिक विकास करने के बारे में केन्द्रीय पर्यटन विभाग को सलाह देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (तकनीकी सहायता)

के अधीन एक स्नान चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञ की सेवाएं भी प्राप्त की गई थीं। विशेषज्ञ ने मनाली और वशिष्ठ का दिसम्बर, 1977 में और फिर फरवरी, 1978 में दौरा किया। उसकी सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने हिमाचल प्रदेश की सरकार से यह अनुरोध किया है कि वे वशिष्ठ में गर्म पानी के चश्मों पर स्नानगृहों के विस्तार और अन्य सुविधाएं की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराएं।

(घ) जब उड़ीसा में अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ-साथ पर्यटक आधारिक संरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के बारे में राज्य के पर्यटक अधिकारियों के साथ इस माह विचार-विमर्श होगा, तभी उड़ीसा में जिला ढेंकनाल में गर्म पानी/गन्धक के चश्मों के विकास के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

मद्रास शहर का दर्जा बढ़ाना

6296. **श्री एन० सुन्दर राजन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी शहर को ए-1 शहर अनुमोदित करने के लिए कितनी जनसंख्या अपेक्षित है;

(ख) मद्रास शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है; और

(ग) यदि मद्रास में अपेक्षित जनसंख्या है तो ए-1 शहर के रूप में इसका दर्जा क्यों नहीं बढ़ाया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता देने के प्रयोजन के लिए किसी नगर का उच्चतम वर्गीकरण 'क' श्रेणी नगर होता है। वर्तमान में, इस प्रकार के वर्गीकरण के पात्र होने के लिए, 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किसी नगर की जनसंख्या 16 लाख से अधिक होनी चाहिए।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) 1971 की जनगणना के अनुसार मद्रास को, उसकी जनसंख्या के आधार पर पहले से ही 'क' श्रेणी के नगर के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है।

बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना के एक कर्मकार का अस्पताल से लापता होना

6297. **श्री नीरेन घोष :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना

का एक कर्मकार, जो 21 फरवरी, 1981 को प्रोजेक्ट अस्पताल में दाखिल किया गया था, 26 फरवरी, 1981 से उक्त अस्पताल से लापता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के बेलाडिला निक्षेप संख्या-14 के एक भारी वाहन-चालन को अतिरुधिर तनाव तथा अवसाद के उपचार हेतु दिनांक 26 फरवरी, 1981 की परियोजना के अस्पताल में दाखिल किया गया था लेकिन पता चला है कि वह 28 फरवरी, 1981 को रात: 2.10 बजे से अस्पताल से लापता है। इस मामले के बारे में स्थानीय पुलिस को तत्काल सूचित कर दिया गया था। परियोजना के प्राधिकारियों ने भी परियोजना तथा इर्द-गिर्द के क्षेत्रों और गांव तथा अन्य ज्ञात क्षेत्रों में उसे ढूंढने के लिए अलग प्रयास किए। बाद में उसका शव एक ऐसे आदमी को मिला जो परियोजना का कर्मचारी नहीं था और उसने परियोजना के एक कर्मचारी को इसकी सूचना दी। उक्त कर्मचारी ने यह बात परियोजना प्राधिकारियों को दिनांक 14 मार्च, 1981 को सांय 7.00 बजे के लगभग बताई। स्थानीय पुलिस को भी इस बारे में तत्काल सूचना दे दी गई। पुलिस मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है।

आवंटन तथा कोटा निर्धारण की देखभाल करने के लिए पृथक महानिदेशक बनाना

6298. **श्री बी० एम० विजयराघवन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए० ई० पी० सी० द्वारा निर्यात सम्बन्धी दैनिक कार्य को उपयुक्त ढंग से न करने के कारण वस्त्रों के छोटे निर्यातकर्ताओं की भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि आवंटन और कोटा देने के कार्य की देखभाल करने के लिए एक पृथक महानिदेशक बनाया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) ए० ई० पी० सी० ने महानिदेशक के पद का सृजन किया है जो कि परिषद का मुख्य कार्यकारी होगा। इस पद के लिए चयन का मामला विचाराधीन है।

भारत को अमरीकी सहायता कार्यक्रम

6299. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान अथवा इसके आसपास भारत को अमरीकी सहायता के बारे में अमरीका ने कुछ कड़ा रवैया अपनाया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत की अमरीका से अधिक तथा निर्बाध सहायता, सहायता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) भारत को अमरीकी तथा अन्य सहायता के उपयोग में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) अमेरिका और अन्य विदेशी स्रोतों से प्राप्त सहायता के इस्तेमाल में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं :—

(1) परियोजना प्राधिकारियों/प्रशासनिक मन्त्रालयों, राज्य सरकारों आदि के परामर्श से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओ/कार्यक्रमो की निकट से समीक्षा करना और उन पर नजर रखना।

(2) परियोजनाओं के लिए आयोजनागत एव बजट संबधी पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।

(3) सीमेंट, इस्पात, एल्यूमीनियम आदि जैसी निवेश्य वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(4) परियोजनाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई करना।

(5) संवितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

एप्पैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल के कार्यकारी सदस्य द्वारा अनियमितताएं

6300. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिए सरकारी कोटा आबटित करने के मामले में एप्पैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल के कुछ कार्यकारी सदस्यों द्वारा कुछ अनियमितताए की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अनियमितताओं की जांच की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) अखिल निर्यात संवर्धन परिषद के कुछ कार्यकारी सदस्यों के खिलाफ आरोप प्राप्त हुए हैं।

(ख) तथा (ग) इनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है जो अभी चल रही है।

सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में उत्पादन के कम लक्ष्य

6301. **श्री अशोक गहलोत**
श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की तुलना में उत्पाद के कम लक्ष्य प्राप्त किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक इस्पात संयंत्र में उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई ठोस उपाय कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सबंधी कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 (अप्रैल-फरवरी, 1981) की अवधि में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन तथा लक्ष्य की प्राप्ति के प्रतिशत का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अलग-अलग कारखानों का उत्पादन अलग-अलग रहा है। उत्पादन कई बातों पर निर्भर करता है जिनमें आवश्यक आदानों, मुख्यतः कोयले और बिजली, की उपलब्धि महत्वपूर्ण है। लेकिन यह देखा जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात कारखानों का उत्पादन टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कारखाने के अनुरूप रहा है।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के उत्पादन में कमी मुख्य रूप से मात्रा तथा क्वालिटी दोनों की दृष्टि से कोककर कोयले तथा बिजली की कम उपलब्धि के कारण

हुई है । आवश्यक आदानों की सप्लाई में सुधार करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में मुख्य उपाय हैं :—मुख्य आदान सप्लाई विभिन्न अभिकरणों के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क रखना, इस्पात कारखानों की रक्षित विद्युत इकाइयों की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाना, इस्पात कारखानों को अपनी कोयला खानों से अधिकाधिक कोयला निकालना, कोककर कोयले की देशीय सप्लाई में वृद्धि करने के लिए राख की कम मात्रा वाले बढ़िया किस्म के कोककर कोयले का आयात करना तथा उच्चतम स्तर पर स्थिति पर नियमित रूप से निगरानी रखना ।

विवरण

1978-79, 1979-80 तथा 1980-1981 की अवधि में विक्रेय इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा

(हजार टन)

कारखाना	1978-79		1979-80		1980-81 (अप्रैल 80—फरवरी, 1981)	
	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य की प्राप्ति	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य की प्राप्ति	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य की प्राप्ति
		प्रतिशत		प्रतिशत		प्रतिशत
भिलाई	1846	95.4	1706	89.8	1618	97.2
दुर्गापुर	778	77.8	604	60.4	510	65.5
राउरकेला	1042	89.1	1045	89.2	858	87.5
बोकारो	931	62.8	849	61.7	727	53.5
इस्को	481	80.2	430	78.2	467	97.9
टिस्को	1516	97.8	1447	93.4	1386	98.4

33 वर्ष से ज्यादा सेवावधि पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान

6302. **प्रो० बी० डी० सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 33 वर्ष की सेवावधि पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 50 प्रतिशत पेंशन का भुगतान किया जाता है और इससे कम सेवावधि वाले कर्मचारियों के मामले में उनकी पेंशन की दर में आनुपातिक कमी कर दी जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि 33 वर्ष से ज्यादा की सेवावधि पूरी करने वाले कर्मचारियों की पेंशन में आनुपातिक वृद्धि नहीं की जाती; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पेंशन की वर्तमान दरें जो 31 मार्च, 1981 को लागू हुई थी, निम्न प्रकार हैं। ये दरें 33 वर्षों की अर्हक सेवा पर लागू होती हैं। यदि अर्हक सेवा 33 वर्षों से कम हैं, तो पेंशन आनुपातिक रूप से कम हो जाती हैं।

		मासिक पेंशन की राशि
(1)	पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों के पहले 1,000 रुपए तक	औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत
(2)	पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों के अगले 500 रुपये	औसत परिलब्धियों का 45 प्रतिशत
(ग)	पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों का शेष	औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत परन्तु शर्त यह है कि अधिकतम पेंशन 1500 रु० प्रति प्रास से अधिक न हो।

(ख) और (ग) पेंशन के लिए अधिकतम अर्हक सेवा की अधिकतम सीमा पेंशन फार्मूले का हमेशा मूल भाग रही है जिसके साथ अधिकतम पेंशन सम्बद्ध है। इस अवधि से अधिक की गई सेवा पर पेंशन की गणना के लिए ध्यान नहीं दिया जाता। 1-1-1973 से पहले पेंशन के लिए अधिकतम अर्हक सेवा 30 वर्षों तक सीमित थी। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर इसे 1-1-1973 से 33 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था।

बैंकों से ऋण लेने के लिए गारन्टी

6303. **श्री राम अवध** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों से ऋण लेने के लिए दो व्यक्तियों की गारंटी देनी आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या के पहलू पर विचार किया है कि कोई भी व्यक्ति गरीब लोगों के लिए गारंटी देना नहीं चाहेगा, और यथेष्ट गारंटी के अभाव में अनेक गरीब लोगों को इस ऋण सुविधा से वंचित रहना पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) तथा (ख) बैंक, विशेष रूप से छोटी राशि अथवा समाज के कमजोर वर्गों के ऋण प्रस्तावों को मात्र गारंटियों के न होने के कारण, सामान्यत: अस्वीकृत नहीं करते । उन्हें विशिष्ट रूप से यह सलाह दी गई है कि कृषि तथा सहायक कार्यकलापों के लिए 5000 रुपये तक के ऋणों को स्वीकृत करते समय वे मार्जिन, भूमि को बंधक रखने के रूप में सांपार्श्विक प्रतिभूति (कोलेटरल सिक्योरिटी), तथा तीसरे पक्ष की गारंटी की मांग न करें ।

विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन, बैंक छोटे उत्पादक कार्यकलापों में लगे पात्र ऋण-कर्ताओं को, 6500 रुपये तक के अग्रिम चार प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती दर पर प्रदान करतें हैं, भले ही उनके पास पेश करने के लिए किसी भी मूल्य की कोई ठोस जमानत मौजूद न हो अथवा वे कोई प्रतिभूति/गारंटी पेश न कर सकते हों, बशर्ते कि वें योजना में वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हों ।

बैंकों से यह भी कहा गया है कि शिल्पकारों, ग्रामीण/कुटीर उद्योगों के संबंध में एक शिल्पकार या एक ग्रामीण या कुटीर इकाई को उपस्कर के लिए वित्त या कार्यकारी पूंजी या दोनों के लिए 25,000 रुपये तक के बैंक ऋण एक सम्मिश्र ऋण के रूप में मंजूर किये जाने चाहिएं और बैंकों को ऐसे ऋणों के लिए मार्जिन, सम्पार्श्विक प्रतिभूति या गारंटी पर जोर नहीं देना चाहिए ।

मीनामबक्कम हवाई अड्डे पर पृथक देशी टर्मिनल

6304. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीनामबक्कम हवाई अड्डे पर एक पृथक देशी टर्मिनल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब शुरू किया जाएगा;

(ग) बोइंग विमानों की सर्विस करने के लिए मदुरई हवाई अड्डे के रनवे का विकास किए जाने को त्याग देने के क्या कारण हैं; और

(घ) तूतीकोरिन के समीप वगईकुलम् में हवाई अड्डा कब चालू हो जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) मद्रास हवाई अड्डे पर 10.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नए अंतर्देशीय टर्मिनल

कांम्पलेक्स के निर्माण को सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। इस परियोजना के 1983-84 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं :—

(1) एक अंतर्देशीय टर्मिनल भवन का निर्माण जिसकी व्यस्ततम घंटों में आने तथा जाने वाले यात्रियों की हैंडलिंग क्षमता 1207 होगी;

(2) एक आनुषंगिक एप्रन क्षेत्र, एप्रन लाइटों तथा रिफ्युएलिंग सिस्टम का निर्माण;

(3) टैक्सी-लिंक्स ग्राउंड सपोर्ट उपदस्कर तथा पार्किंग-क्षेत्र का निर्माण; और

(4) नए टर्मिनल के लिए अप्रोच-मार्गों तथा कार-पार्क क्षेत्र का निर्माण।

(ग) मदुरै हवाई अड्डे के धावनपथ को बोइंग-737 विमानों के लिए मजबूत करने के प्रस्ताव को धन की कमी के कारण स्थगित कर दिया गया है।

(घ) तूतीकोरिन के निकट वगाईकुलम में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने की फिलहाल कोई योजनाएं नहीं है।

अंडों का निर्यात

6305. **श्री टी0 दामोदर रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्ष वार भारत से कितने मूल्य के कितने-कितने अंडों का निर्यात किया गया ; और

(ख) अंडों के प्रमुख निर्यातकों के नाम क्या-क्या हैं और आयात करने वाले देश कौन-कौन से हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत से अंडों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य निम्नोक्त प्रकार रहे :—

वर्ष	मात्रा (सैकड़ा)	मूल्य (लाख रु० में)
1978-79	28,388	14 03
1979-80 (अप्रैल "79 से जनवरी 80")	52,546	20.51

(ख) भारत से अंडों के निर्यातकों का एक विवरण संलग्न है। आयातक देश है : कुवैत, बहरीन, दुबई, पी० डी० आर० वाई०, दोहा और सऊदी अरब।

विवरण

अंडों के निर्यातकों के नाम

1. मै० वेंकटेश्वर हैचरीज, पूना ।
2. मै० जैनिथ टिन वर्क्स, बम्बई ।
3. मै० एलाना संस प्रा० लि०, बम्बई ।
4. मै० अरबोर एकरेज फार्म इंडिया लि०, नई दिल्ली ।
5. मै० क्लेयर एक्सपोर्ट्स, बम्बई ।
6. मै० फार्म्स प्रा० लि०, नई दिल्ली ।
7. मै० माडर्न इंटरनेशनल, बम्बई ।
8. मै० एम० जे० दुराजी एंड ब्रदर्स, बम्बई ।
9. मै० नदीम इंटरनेशनल, बम्बई ।
10. मै० ईस्टर्न एक्सपोर्ट्स, दिल्ली ।
11. मै० ब्ल्यू स्टार लि०, बम्बई ।
12. मै० शान्ति लाल नेगीनदास, बम्बई ।
13. मै० हिन्दुस्तान कोल्ड स्टोरेज, बम्बई ।
14. मै० यूनिवर्सल इम्पोर्टस एक्सपोर्टस, बम्बई ।
15. मै० श्रीचन्द हरीराम, बम्बई ।
16. मै० डायमंड लेबोरेटरीज, बम्बई ।
17. मै० नितिन ट्रेडिग कं०, बम्बई ।

अहमदाबाद में स्वर्ण शोधन शाला

6306. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अहमदाबाद में एक स्वर्ण-शोधन शाला की मंजूरी दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकार

का विचार, अहमदाबाद सहित कुछ महत्वपूर्ण शहरों में सोने की परिष्करणशालाएं (सरकार द्वारा चलायी जाने वाली) स्थापित करने का है। तदर्थ ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

"टैक्सटाल ईइंपोर्ट लाइसेंस डिले एसक्पोर्टस टू इटली सफर हैवी लोस" शीर्षक से समाचार

6307. **श्री आरिफ मोहम्मद खां :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1981 के 'फाइनेंसिएल एक्सप्रेस" में 'टैक्साइल इंपोर्ट लाइसेंस डिले एक्सपोर्टस टू इटली सफर हैवी लोस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) सरकार को श्रेणी 2 (वस्त्रों) के लिए इटली के प्राधिकारियों द्वारा आयात लाइसेंस जारी करने में विलम्ब संबंधी समस्या के बारे में पता है। यह समस्या, हमारे निर्यात आंकड़ों तथा इटली के प्राधिकारियों के आयात आंकड़ों में अन्तर के कारण उत्पन्न हुई जिसके कारण इटली के प्राधिकारियों द्वारा 1980 के लिए कोटा उपलब्ध न होने के कारण कुछ खेपों को रोक लिया गया था। जब तक भारत में तथा इटली में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों का मिलान नहीं हो जाता तब तक के लिए रोकी गई खेपों को 1981 के कोटे में अनन्तिम रूप से डेबिट करके क्लियर किया गया है और मिलान होने के बाद उनमें समंजन किया जा सकेगा।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश पर हमला

6308. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकुओं के उस गिरोह को गिरफ्तार करने में कोई सफलता मिली है जिसने स्टेनगन जैसे स्वचालित हथियारों के साथ 20 जनवरी, 1981 को स्टेट बैंक आफ इंडिया की साहिबाबाद शाखा (गाजियाबाद के समीप) पर हमला किया था और लगभग 65 लाख रुपए लेकर चम्पत हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) तथा (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार साहिबाबाद डाकघर के अधिकार क्षेत्र में स्थित इसकी महाराजपुर शाखा 20 जनवरी, 1981 को पड़ी डकैती के सिलसिले में, एक व्यक्ति श्री जगतार सिंह, उर्फ "मेजर" को गिरफ्तार किया गया है।

बिहार के नालन्दा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लम्बित ऋण आवेदन पत्र

6209. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिला नालन्दा में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास ऋणों के लिये कुल कितने आवेदनपत्र दो महीनों से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं और ये कब से लम्बित हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त बैंकों के अधिकारी नीतियों का उल्लंघन करके हरिजनों, निर्धन किसानों, मजदूरों तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण देने में हिचकिचा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारी कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) :(क) रिजर्व बैंक द्वारा पिछले वर्ष जिला-स्तर पर बकाया ऋण आवेदन पत्रों के बारे में सूचना प्रदान करने वाली एक सुधरी हुई सांख्यिकीय सूचना प्रणाली विकसित की गयी है। लेकिन, सभी बैंकों के सम्बन्ध में विस्तृत तथा सम्पूर्ण आंकड़े अभी तक, उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

(ख) और (ग) बैंकों को, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने की सलाह दी गई है जिससे कि वह मार्च 1985 तक उनके कुल ऋण का 40 प्रतिशत हो जाये। कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्रों-जिसमें छोटे तथा सीमांकित किसान, भूमिहीन मजदूर, कारीगर, शिल्पकार, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग आदि शामिल हैं, समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त ऋण की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों के वास्ते विशिष्ट लक्ष्य भी निर्दिष्ट किये गए हैं। बैंकों को अनुसूचित जातियों/जनजातियों को अपनी जिला ऋण आयोजनाओं में अधिक महत्व देने तथा उन आर्थिक क्रियाकलाप के क्षेत्रों के वास्ते जिनमें ये लोग कार्यरत हैं। उपयुक्त विशिष्ट योजनाएं बनाने की सलाह भी दी है।

जब कभी इन निर्देशक सिद्धान्तों के अनुपालन न किये जाने की विशिष्ठ शिकायतें प्राप्त होती हैं तो जहां आवश्यक होता है तो उपचारात्मक कार्रवाई करने की ओर ध्यान दिया जाता है।

विदेशी ऋण

6310. **प्रो० सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों तथा संगठनों के नाम क्या हैं जहां से भारत सरकार ने विदेशी ऋण प्राप्त किया है;

(ख) अब तक प्राप्त हुई ऋण की देश-वार तथा संगठन-वार कुल राशि क्या है;

(ग) भारत सरकार को प्रतिवर्ष रुपये/डालर/स्टरलिंग/रूबल आदि के रूप में कुल कितना ब्याज देना पड़ता है;

(घ) रक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में विदेशी ऋण का आनुपातिक निवेश कितना है; और

(ङ) उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रों में विदेशी ऋण का आनुपातिक ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है।

(घ) से (ङ) विदेशी सहायता भारत सरकार को प्राप्त होती है और वह समग्र अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध साधनों में शामिल हो जाती हैं। विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली सहायता परियोजना-सहायता अथवा कार्यक्रम सहायता के रूप में होती है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कार्यक्रम सहायता विशेष रूप से वस्तुओं, अतिरिक्त पुर्जों, संघटकों और पूंजीगत माल के आयात में सहायता के लिए होती है। आयात की जाने वाली ये वस्तुएं विभिन्न गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के एककों, संस्थाओं, राज्यों और केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों आदि के इस्तेमाल के लिए होती हैं। परियोजना और परियोजना-भिन्न ऋणों के मामले में, सहायता का एक भाग 'सेवाओं' के लिए निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल की गई रकमों को अलग-अलग करके बताना संभव नहीं है।

विवरण-1

विवरण जिसमें 31-12-1980 तक विभिन्न देशों/संस्थाओं से भारत सरकार द्वारा प्राप्त ऋणों की कुल रकमों का ब्यौरा दिया गया है।

देश/संस्था	(करोड़ रुपए) रकम
1. आस्ट्रिया	32.07
2. बेल्जियम	62.49
3. कनाडा	458.36
4. डेनमार्क	30 75
5. जर्मन संघीय गणराज्य	1401.45
6. फ्रांस	426.97

1	2
7. इटली	35.80
8. जापान	809.28
9. नीदरलैंड	411.36
10. स्विटजरलैंड	37.87
11. ब्रिटेन	1211.06
12. संयुक्त राज्य अमेरिका	4295.28
13. संयुक्त अरब अमीरात	61.44
14. कुवैत निधि	48.48
15. आबूधाबी निधि	14.27
16. सऊदी निधि	53.89
17. इराक	157.15
18. ईरान	882.11
19. चैकोस्लोवाकिया	98.04
20. हंगरी	12.27
21. पोलैंड	29.96
22. यूगोस्लाविया	18.18
23. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	917.44
24. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	627.85
25. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	3681.17
26. ओपेक विशेष निधि	31.84
27. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (विशेष कार्रवाई ऋण)	41.68
28. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	6.29
29. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रशासित ट्रस्ट निधि	533.96
	16428.76

विवरण-2

विवरण जिसमें विभिन्न देशों/संस्थाओं से प्राप्त ऋण पर 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान भारत सरकार द्वारा दी जाने वाले ब्याज की राशि का ब्यौरा दिया गया है ।

(दाता देश की मुद्रा हजारों में)
(कोष्ठक में करोड़ रुपए)

देश/संस्थान (दाता देश की मुद्रा)	1980-81		1981-82	
	दाता देश की मुद्रा	रुपए	दाता देश की मुद्रा	रुपए
1. आस्ट्रिया (आ० शिलिंग)	11902	0.75	11857	0.69
2. बेल्जियम (बे० फ्रैंक)	25138	0.64	24231	0.62
3. कनाडा (कनाडी डालर)	2290	1.55	1783	1.20
4. डेनमार्क (कोर्नर)	242	0.03	189	0.03
5. जर्मनी संघ गणराज्य (ड्यूश मार्क)	74812	32.04	73377	30.04
6. फ्रांस (फ्रैंक)	81875	15.03	79598	14.01
7. इटली (इ० लीरा)	1048712	0.96	893107	0.80
8. जापान (येन)	9753135	36.35	9726440	38 91
9. नीदरलैंड (ड्यूक गिल्डर)	26874	10.50	35112	13.17
10. स्विट्जरलैंड (स्विस फ्रैंक)	2429	1.14	2150	0.97
11. ब्रिटेन (पौंड स्टर्लिंग)	4699	8.82	4069	7.82
12. संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिकी डालर)	66597	52.87	69570	55.66
13. संयुक्त अरब अमीरात (अमेरिकी डालर)	1750	1.40	1667	1.33
14. कुवैत निधि (कु० दीनार)	644	1.90	792	2.35
15. आबु धाबी निधि (दीराम)	2620	0.58	2675	0.61
16. सऊदी निधि (रियाल)	7364	1.77	12590	3.03
17. ईरान (अमेरिकी डालर)	26016	21.67	27972	23.38

1	2	3	4	5
18. ईराक (अमेरिकी डालर)	3501	2.88	3161	2.53
19. चेकोस्लोवाकिया (रुपए)	7277	0.73	6697	0.67
20. हंगरी (रुपए)	2569	0.26	2225	0.22
21. पोलैंड (रुपए)	1814	0.18	1597	0.16
22. यूगोस्लाविया (रुपए)	नगण्य	नगण्य	—	—
23. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ (रुबल)	5420	5 06	5792	5.41
24. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (अमेरिका डालर)	39533	31.36	42590	34.07
25. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (अमेरिका डालर)	33576	27.34	39686	31.75
26. 'ओपेक' (विशेष निधि) (अमेरिकी डालर)	219	0.17	262	0.21
27. यूरोपीय साझा बाजार विशेष कार्रवाई ऋण) (अमेरिकी डालर)	240	0.19	390	0.31
28. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (अमेरिकी डालर)	29	0.02	155	0.12
29. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रशासित न्याय निधि (अमेरिकी डालर)	1315	1.05	3463	2.76
		257.24		27..83

गैर सरकारी कम्पनियों में रोजगार पाने के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को अनुमति देना

6311. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें गैर-सरकारी कम्पनियों में रोजगार पाने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने यह जांच की है कि इन अधिकारियों ने जब से सेवा में थे इन कम्पनियों के मामलों का कर निर्धारण करते समय उन्हें कोई विशेष रियायत तो नहीं दी थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जब केन्द्रीय सेवा (समूह 'क') का कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्षों की समाप्ति से पहले, व्यावसायिक नियोजन स्वीकार करना चाहता है तो उसे सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। 1-4-79 से 31-3-81 तक की अवधि के दौरान आयकर विभाग के समूह 'क' के जिन अधिकारियों ने ऐसी अनुमति मांगी थी और जिन्हें ऐसे व्यावसायिक नियोजन स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गई थी उनकी सं० १ है।

अनुमति प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति अधिकारी उन कम्पनियों में सेवा आरम्भ नहीं करते जिनके मामलों की कार्यवाही से वे अपने सेवाकाल के दौरान सम्बद्ध रहे हों। चूंकि अधिकारियों को उन कम्पनियों में सेवा आरम्भ करने की अनुमति नहीं दी जाती है, जिनके मामलों की कार्यवाही से वे अपने सेवाकाल में सम्बद्ध रहे हों, अतः यह प्रश्न नहीं उठता कि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को कोई विशेष रियायत दी।

अभ्रक नीति का पुनरीक्षण

6312. **श्री जी० वाई० कृष्णनन**
श्री एन० ई० होरो : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण अभ्रक नीति का पुनरीक्षण करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सामरिक महत्व की अभ्रक का निर्यात करना चाहता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) सभी अन्य खनिजों की तरह अभ्रक संबंधी नीति की अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थितियों, स्वदेशी मांग तथा उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) तथा (घ) साधित अभ्रक के महत्वपूर्ण ग्रेडों के निर्यात को विनियमित करने के लिए मिटको ने यह व्यवस्था की है कि उच्च मूल्य के अभ्रक से संबंधित आदेश अनुपात 1 : 2 में आसानी से उपलब्ध होने वाली मदों के आदेशों द्वारा समर्पित होने चाहिए और अगर केवल उच्च मूल्य की मदें ही वांछनीय हों, तो खरीदारों को अधिसूचित निर्यात कीमतों से अधिक 25 प्रतिशत का प्रीमियम अदा करना पड़ेगा।

नकद प्रतिपूर्ति समर्थन

6313. **श्री के० ए० राजन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पादों के ग्रुप पर वर्तमान नकद प्रतिपूर्ति समर्थन प्रस्तावित सौ प्रतिशत निर्यात प्रधान युनिटों को भी दिया जाएगा ; और

(ख) क्या विदेशी सहयोग और/अथवा पूंजीगत माल के आयात में लगे युनिटों अथवा उपक्रमों को सामान्यत: दिये जाने वाले विभिन्न अन्य प्रकार के लाभ भी प्रस्तावित 100 प्रतिशत निर्यात प्रधान युनिटों को भी मिलेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिनांक 31-2-1980 के सरकारी संकल्प की प्रति जिसमें 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को स्थापित करने की योजना के ब्यौरे दिये गए हैं, लोक सभा में 20 फरवरी, 1981 को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० 79 के उत्तर में सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

प्याज का निर्यात

6314. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितने-कितने मूल्य की कितनी-कितनी प्याज का निर्यात किया गया ;

(ख) किस एजेन्सी के माध्यम से यह निर्यात किया गया;

(ग) उस एजेन्सी ने प्याज उगाने वाले प्रत्येक राज्य से प्याज की कितनी-कितनी मात्रा खरीदी ;

(घ) क्या यह सच है कि इस मौसम के दौरान, विशेष रूप से गुजरात राज्य में प्याज के मूल्यों में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने प्याज उत्पादकों के लाभ हेतु निर्यात करने के लिए गुजरात राज्य से प्याज खरीदने के संबंध में क्या कदम उठाए हैं और क्या इसके लिए गुजरात सरकार ने भी अनुरोध किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) निर्यात आंकडे निम्नोक्त तालिका में दिए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा	एफ० ओ० बी० मूल्य
(वित्तीय)	(मे/टन)	लाख रु० में
1975-76	1,11,998	1384.60
1976-77	1,63,533	1885.12
1977-78	56,821	907.35
1978-79	98,078	1388.96
1979-80	87,957	1261.26
1980-81 (18-3-1981 तक)	1,62,574	2597.28

(ख) निर्यात नेफेड के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

(ग) जानकारी निम्नोक्त तालिका में दी गई है :—

वर्ष (जुलाई-जून)	महाराष्ट्र	गुजरात	योग
1976-77	35,672	—	35,672
1977-78	94,308	1,748	96 056
1978-79	98,451	14,993	1,13,444
1979-80	1,89,000	15,510	2004,510
(1-7-80 से 1-10-80)	23,332	—	84,532
(1-11-80 से 18-3-81)	61,200	—	84,532

(घ) जी हां।

(ङ) नेफेड निर्यात की जाने वाली किस्मों का प्याज वाणिज्यक आधार पर गुजरात से खरीद सकता है।

भारत में पर्यटक यातायात की वृद्धि-दर

6316. **श्री कृष्ण कुमार गोयल**
श्री चिंगवाग कोनयक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार भारत में पर्यटन यातायात की वृद्धि-दर कितनी-कितनी रही है और इस संबंध में अन्य प्रमुख देशों की तुलना में इसका स्थान क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पोस्टिंग स्थानान्तरण और परियोजनाओं के चयन से संबंधित विभागीय कार्य-करण में नियमों का पालन नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पर्यटन को प्रोत्साहन देने में दक्षता लाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में पर्यटक यातायात की वृद्धि-दर इस प्रकार थी :—

वर्ष	वृद्धि-दर (प्रतिशत)
1978	16.8
1979	2.2
1980	4.6

चुने हुए प्रमुख देशों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पर्यटक यातायात की वृद्धि-दर दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। पर्यटन विभाग द्वारा तैनाती, स्थानान्तरण और परियोजनाओं के चयन के संबंध में नियमों/मानदण्डों का पालन किया जाता है।

(घ) यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में 2 से 3 यात्रा परिपथ अधिनिर्धारित किए जाएं और इसके बाद केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध सभी संसाधनों को एकत्र करते हुए इन यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले चुने हुए केन्द्रों पर आधारित संरचना संबंधी सुविधाओं का गहन रूप से विकास किया जाए। स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटन का संवर्धन करने के लिए तब इन यात्रा परिपथों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, फिल्मों, श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरणों, विज्ञापनों, आदि जैसे विभिन्न प्रचार मीडिया के माध्यम से और साथ ही यात्रा पत्रकारों, यात्रा अभिकर्ताओं और यात्रा प्रचालकों को विभिन्न पर्यटक केन्द्रों के परिचायक दौरों पर आमन्त्रित करते हुए विदेशों में संवर्धन कार्य को तेज किया जाएगा ताकि बदले में वे भारत का पर्यटन संवर्धन कर सकें। पर्यटन यातायात के संवर्धन के लिए अधिक से अधिक कार्य-कुशलता प्राप्त करने और संसाधनों का उपयोग करने की दृष्टि से पर्यटन विभाग और एअर इण्डिया के बीच "आपरेशन स्कीम" नामक घनिष्ठ सहयोग का प्रबंध पहले से ही मौजूद है।

विवरण

वर्ष 1977 से 1979 के दौरान भारत और चुने हुए प्रमुख देशों में पर्यटकों/यात्रियों के आगमन की वृद्धि-दर

प्रतिशतता आंकड़े

देश	1977	1978	1979
भारत	19.9	16.8	2.2
कनाडा	—2.4	0.4	—3.8

चेकोस्लोवाकिया	12.0	9.2	—7.4
फांस	4.9	2.2	4.3
हांगकांग	12.6	17.0	7.7
हंगरी	29.6	38.3	—1.0
इटली	12.1	4.6	13.3
जापान	12.4	1.1	7.1
मलेशिया	5.2	8.5	1.2
सिंगापुर	27.3	21.7	9.9
स्पेन	14.2	16.6	—2.7
स्विटजरलैण्ड	9.6	—5.8	—3.2
थाइलैण्ड	11.2	19.1	9.4
यू० एस० ए०	6.2	6.6	1.2

लघु उद्योगों में निर्धारित पूंजी और निवेश की सीमा

6317. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के मामले में निर्धारित पूंजी और निवेश की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो कब से और क्या रिजर्व बैंक लघु उद्योगों के लिए तदनुसार सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने, 14 फरवरी, 1981 को सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों को सलाह दी है कि वे लघु क्षेत्र के उद्योगों को संशोधित सीमाओं के अनुसार ऋण सहायता प्रदान करें ।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट लिया जाना

6318. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा ओवरड्राफ्ट पाने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस आधार पर निर्णय किया जाता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि ओवरड्राफ्ट के वर्तमान निर्धारण के बारे में राज्य सरकारों के बीच असंतोष है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का ओवरड्राफ्ट लिये जाने के निर्धारण हेतु नये मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों के लिए केवल सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं, जिनमें से राज्य सरकारें निकासी कर सकती हैं। जब कभी ऐसा हो जाता है कि किसी राज्य सरकार का व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक हो जाय तो ये सीमाएं उसको सुविधा प्रदान करती हैं। चूंकि किसी भी राज्य सरकार से स्वीकृत अर्थोपाय अग्रिमों से ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक से धन की निकासी करने की आशा नहीं की जाती, इसलिए ओवरड्राफ्टों के लिए किसी सीमा का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय बैंकों द्वारा कृषकों को दिया गया ऋण

6319. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान प्रत्येक राज्य के कृषकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि के ऋण देने सम्बन्धी कोई विशेष योजनाएं तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्तमंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट): (क) दिसम्बर, 1978 तथा 1979 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में कृषकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों तथा बकाया राशि के सम्बन्ध में आंकड़े विवरण में दिये गये हैं। इसके बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा छोटे किसानों के लाभ के लिए लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना, कमान क्षेत्र विकास परियोजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं प्रायोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के अनुदेश दिये गये हैं कि 2 वर्ष 1983 तक किसानों को दिये जाने वाले अग्रिमों का 50 प्रतिशत छोटे तथा सीमांतिक किसानों को दिया जाये।

विवरण

निम्न वर्ष के अन्तिम शुक्रवार को स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को दिये जाने वाले अग्रिम

राशि लाख रुपयों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिसम्बर, 1978	दिसम्बर, 1978
	शेष बकाया	शेष बकाया
हरियाणा	9403.59	12083.65
हिमाचल प्रदेश	652.97	1010.32
जम्मू तथा कश्मीर	421.97	755.32
पंजाब	12361.71	15773.01
राजस्थान	8124.13	10681.59
चण्डीगढ़	1263.74	1874.53
दिल्ली	3769.82	2362.88
असम	968.75	1796.07
मणिपुर	86.80	122.96
मेघालय	55.08	78.01
नागालैंड	17.88	24.42
त्रिपुरा	290.92	297.32
अरूणाचल प्रदेश	0.75	8.27
मिजोरम	1.39	1.46
सिक्किम	—	—
बिहार	10623.09	13968.69
उड़ीसा	3534.86	5302.81
पश्चिम बंगाल	8657.67	13143.80
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.76	48.78
मध्य प्रदेश	9698.97	12772.71
उत्तर प्रदेश	24522.10	31323.25
गुजरात	12935.91	16271.27

1	2	3
महाराष्ट्र	24895.39	29664.56
गोआ, दमन और द्वीव	625.92	93868
दादरा और नगर हवेली	3.04	2.69
आंध्र प्रदेश	24625.36	30720.26
कर्नाटक	18446.87	21709.1द
केरल	6909.46	10730.30
तमिलनाडु	17469.34	24041.53
पांडिचेरी	658.73	765.41
लक्षद्वीप	0.76	1.43
	200952.73	258295.09

विश्व बैंक से ऋण

6320. **रास बिहारी बहेरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से गत तीन वर्षों में वर्षवार परियोजनागत और गैर-परियोजनागत सहायता की कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(ख) क्या सार्थसंघ ने इस सहायता को कई शर्तों तथा निर्यात में वृद्धि आदि से जोड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 में प्राप्त कुल परियोजना और परियोजना-भिन्न सहायता (अर्थात संवितरित राशि, इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक		अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	
	परियोजना सहायता	परियोजना-भिन्न सहायता	परियोजना सहायता	परियोजना-भिन्न सहायता
1978-79	149.39	—	269.48	1.47
1979-80	120.80	—	445.32	—
1980-81 (जनवरी, 1982 तक)	118.03	—	342.29	—

(ख) भारत सहायता संघ की वार्षिक बैठकों में आलोच्य वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में सामान्य रूप से विचार विमर्श किया जाता है। सहायता संघ द्वारा कोई शर्तें नहीं लगाई जातीं। इस विचार-विमर्श के बाद सदस्य देशों/संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने द्वारा उपलब्ध की जाने वाली संभावित सहायता का संकेत देते हैं और यह भी बताते हैं कि यह सहायता किस रूप में दी जाएगी।

निर्यात संवर्धन परिषद् के लिए कार्यकारी दल

6321. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात संवर्धन परिषद् के संगठनात्मक ढांचे तथा कार्यकरण की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव के ब्यौरों को अभी तय किया जाना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकिंग गतिविधियों में ऋण जमा खातों का अनुपात

6322. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बैंकिंग गतिविधियों में ऋण जमा-खातों में जून 1978 में जो अनुपात 38 प्रतिशत था वह जून 1979 में 36 प्रतिशत हो गया था जबकि राष्ट्रीय स्तर का औसत 65 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या गिरावट की यह प्रवृति जारी है; और

(ग) सरकार का स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों का ऋण : जमा अनुपात (स्वीकृति के अनुसार जो जून में 38 प्रतिशत था, घटकर जून, 1979 में 36 प्रतिशत हो गया और मार्च 1980 में बढ़कर 39.1 प्रतिशत हो गया है।

परन्तु, ये अनुपात इस क्षेत्र में बैंक राशियों के उपयोग के बारे में पूरी तस्वीर चित्रित नहीं करते क्योंकि वे अग्रिम जो इस क्षेत्र से बाहर की शाखाओं द्वारा मंजूर किये गये, परन्तु जिनका उपयोग इस क्षेत्र के अन्दर किया गया और बैंकों द्वारा राज्य सरकारों तथा उनके सहायक निकायों की प्रतिभूतियों में लगाई गई पूंजी इन अनुपातों में प्रतिबिम्बित नहीं होती। जून, 1979

के अन्त की स्थिति के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उपयोग में लाये गए अग्रिमों और बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में राज्य सरकारों और उनके सहायक निकायों की प्रतिभूतियों में लगाई गई पूंजी के बारे में जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनको देखने से यह पता चलता है कि उनके ऋण+निवेश : जमा अनुपात 82.7 प्रतिशत था। तत्सम्बन्धी अखिल भारतीय अनुपात 80.6 प्रतिशत था।

(ग) बैंक ऋण की मात्रा और उसका क्षेत्रीय वितरण विभिन्न बातों पर निर्भर होता है जिनमें कृषि, लघु उद्योग और अन्य क्षेत्रों में अर्थक्षम योजनाओं को तैयार करने की पर्याप्त व्यवस्था, मध्यम और बड़े उद्योग तथा व्यापार के संगठित क्षेत्रों में कार्यकलाप का स्तर और बिजली, परिवहन, संचार तथा सिंचाई आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता शामिल हैं। लेकिन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ऋण प्रदान करने की गति बढ़ाने में बैंकों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनकी ओर सरकार तथा रिजर्व बैंक विशेष ध्यान दे रहे हैं और शाखा विस्तार कार्यक्रम की गति तीव्र करने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने, सहकारी समितियों को पुनर्गठित करने, बैंक ऋण प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर निगमों की स्थापना करने, इस क्षेत्र में कार्यरत चार मुख्य बैंकों के प्रशासनकि ढांचे को सुदृढ़ करने, स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती करने और बैंकों तथा राज्य सरकारों आदि के अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने जैसे उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

"रिटर्न टू पंजाब"

6323. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राज्य व्यापार निगम के भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा लिखित पुस्तक "रिटर्न टू पंजाब" को उद्धृत करते हुए 26-12-80 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि किस तरह राज्य व्यापार निगम ने सोवियत ऐकाधिकार उद्यमों और पश्चिमी उत्पादक संघ दोनों के भारतीय एजेन्टों की पहुंच से प्रभावित हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम अपने आयातों के लिए सामान्यत: मालिक से मालिक के आधार पर विदेशी सप्लायरों के साथ सौदा करते हैं। राज्य व्यापार निगम सप्लायरों की क्षमताओं तथा संविदात्मक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उत्पादन सुविधाओं पर अपने सहायुबंध/नियंत्रण के संबंध में स्वयं को सन्तुष्ट करता है। वह कठोर वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर और सामान्य खरीद क्रियाविधियों को अपनाने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिष्ठित व्यापारिक सदनों के साथ संविदाएं भी करता है।

अपने निर्यातों के संबंध में राज्य व्यापार निगम सरकार की पूर्व स्वीकृति लेकर ही एकमात्र बिक्री अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकता है। अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

स्पंज आयरन इन्डिया लि० की क्षमता को दुगुना करने का प्रस्ताव

6324. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पंज आयरन इन्डिया लि० ने संयंत्र की क्षमता को दुगुना करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य की अस्थायी लागत अनुमान क्या हैं;

(ग) क्या यू० एन० डी० पी०/यू० एन० आई० डी० ओ० से इस सम्बन्ध में सहायता के लिए अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) स्पंज आयरन इन्डिया लिमिटिड, कोत्तगुडेम स्थित स्पंज आयरन संयंत्र की क्षमता को दुगुना करने के एक प्रस्ताव पर कार्रवाई कर रही है। पता चला है कि फिलहाल वे इस प्रस्ताव को निदेशक-मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए इस पर पुनः कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

ईरान से गंधक तथा कच्चे तेल की सप्लाई

6325. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री बी० वी० देसाई : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान से आने वाली गंधक की जो सप्लाई उस क्षेत्र के युद्ध के कारण रुक गई थी, अब पुनः शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, अब तक कुल कितनी सप्लाई आ चुकी है ;

(ग) क्या ईरान ने भारत को कच्चा तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई भी शुरू कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो जनवरी तथा फरवरी 1981 के दौरान कितनी सप्लाई की गई और मार्च 1981 में तथा वर्ष 1982 के दौरान कितनी सप्लाई होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) सितम्बर 1980 से सप्लाइयों में रुकावट के बाद, जब ईरान-इराक युद्ध आरम्भ हो गया था जनवरी 1981 में ईरानियन पत्तनों से भारत के लिए 45,500 मे० टन गंधक का निर्यात किया गया।

(ग) तथा (घ) कच्चे तेल के हमारे स्रोतों में ईरान एक है। इस सम्बन्ध में कोई और ब्यौरा देना जन हित में नहीं होगा।

तेल निर्यातक विकासशील देशों के साथ बातचीत के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना

6326. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तेल निर्यातक विकासशील देशों में पूंजी-निवेश पर बातचीत करने के लिए राज्य सरकारों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या किन्हीं समान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अभाव में भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली भिन्न-भिन्न बातचीतों से राज्य सरकारों की उस समय परेशानी की हालत हो जाएगी जब स्वीकृति हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष आएंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) तेल निर्यातक विकासशील देशों द्वारा निवेश के लिए दी जाने वाली नई सुविधा वर्तमान लाइसेंस तथा विदेशी निवेश नीतियों के ढांचे के अनुरूप ही है। साधारणतः राज्य सरकारों को यह मालूम है कि बड़ी रकमों के निवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए क्या-क्या बुनियादी आवश्यकताएं रहती हैं, जिनमें तद्विषयक परिमाण संबंधी आवश्यकता भी शामिल है। इस बारे में उनके लिए कोई विशेष मार्ग निर्देशक सिद्धान्त जारी करना आवश्यक नहीं समझा जाता। जिन मामलों में राज्य सरकारें किसी परियोजना का मूल्यांकन करने में केन्द्र से सहायता मांगेगी, इस प्रकार की सहायता उन्हें दी जाएगी। विदेशी निवेशों के अनुमोदन की मौजूदा पद्धति को देखते हुए ऐसी परिस्थिति के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है जिसमें सरकारों अथवा केन्द्र को कोई परेशानी हो सकती है।

विदेशी निवेश नीति का तेल निर्यातक विकासशील देशों पर प्रभाव

6327. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल निर्यातक विकासशील देशों के लिए नई विदेशी निवेश नीति का भारतीय उद्यमियों और तेल निर्यातक विकासशील देशों से निवेश में रुचि रखने वाले व्यक्तियों पर प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) उक्त नीति के कार्यकरण का लेखा-जोखा रखने के लिए क्या तंत्र अथवा एजेंसी होगी ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का ध्यान 27-2-1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1760 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

बिड़लाओं द्वारा विदेशों में उद्योगों की स्थापना करना

6328. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिड़लाओं को विदेशों में औद्योगिक संयंत्र लगाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और बिड़लाओं द्वारा किस-किस देश में किस प्रकार के संयंत्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) देश के औद्योगिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) कुछ भारतीय कंपनियों को, जिनके साथ बिड़ला सहयोगी हैं, अन्य विदेशी पार्टियों के साथ सहयोग करके विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के वास्ते भाग लेने की अनुमति दी गई है ।

(ख) अब तक की स्थिति के अनुसार कुछ कंपनियों को, जिनके साथ बिड़ला सहयोगी हैं, उनको प्रदान की गई वास्तविक अनुमतियों की संख्या 23 है, जिसमें से 15 में काम हो रहा है और शेष 8 के बारे में बताया गया है कि वे कार्यान्वयन के अधीन हैं । जो संयुक्त उद्यम सरकार के अनुमोदन के अनुसार पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं, उनके बारे में अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है ।

(ग) इन कंपनियों द्वारा संयुक्त उद्यमों की स्थापना से विदेश स्थित संयुक्त उद्यम कंपनी को भारत से संयंत्र तथा मशीनरी, फालतू पुर्जों तथा संघटकों के निर्यातों के फलस्वरूप सीमा तक औद्योगिक उत्पादन बढ़ सकता है ।

विवरण

उन कंपनियों द्वारा विदेशों में स्थापित किए गए संयुक्त उद्यम, जिनके साथ बिड़ला भी सहयोगी हैं।

क्रमांक	भारतीय कपनी का नाम	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	सहयोग का देश/क्षेत्र
1	2	3	4
1.	दि सेंच्युरी स्पि० एड मैन्यु० कं० लि०	पी० टी० एलिजेन्ट टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज	इन्डोनेशिया/यार्न
2.	भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज लि०	पी० टी० हारिजन सिन्टैक्स	इन्डोनेशिया/टैक्सटाइल यार्न
3.	कुसुम प्राडक्ट्स लि०	पी० टी० कुसुम प्राडक्ट्स इंडोनेशिया	इन्डोनेशिया/मार्जरीन सार्टेनिंग आदि का विलायक निस्सारण तथा विनिर्माण
4.	ओरियंट पेपर मिल्स लि०	पैन अफ्रीकन पेपर मिल्स (ईए)	कीनिया लुगदी तथा कागज
5.	बिगड़ा काटन स्पि० एंड वीविंग मिल्स लि०	इंडिया मलेशिया टैक्सटाइल बी० एच० डी०	मलेशिया/संश्लिष्ट मिश्रित वस्त्र
6.	बेरार आयल इंडस्ट्रीज	इडिबल आयल प्राडक्ट्स (एम०) बी० एच० डी०	मलेशिया/ताड़ के तेल का प्रभाजन
7.	दि सेन्च्युरी स्पि० एंड मैन्यु० कं० लि०	पैन सेंच्युरी इडिबल आयल एस० डी० एन० बी० एच० डी०	मलेशिया/ताड़ के तेल का शोधन तथा प्रभाजन
8.	इंडिया लिनोलियम लि०	नलिन इडस्ट्रीज ए० डी० एन० बी० एच० डी०	मलेशिया/ताड़ के तेल की प्रोसेसिंग
9.	बिड़ला ब्रदर्स प्रा० लि०	नाइजीरिया इंजी० वर्क्स	नाइजीरिया/हल्का इंजी० माल
10.	बिड़ला ब्रदर्स प्रा० लि०	पैन अफ्रीकी कंसल्टेन्सी सर्विसेज	नाइजीरिया/परामर्श सेवाएं
11.	ईस्टर्न स्पि० मिल्स लि०	इन्डो-पिल टैक्सटाइल मिल्स इन्का	पिलीपीन/यार्न
12.	बिड़ला ब्रदर्स प्रा० लि०	इन्डो-थाई सिन्थेटिक्स कं० लि०	थाईलैंड/सिंथेटिक तथा काटन यार्न
13.	दि ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यु० (वीविंग)कं० लि०	थाई रेयन कं० लि०	थाईलैंड/विस्कोज स्टेपल रेशा
14.	दी ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यु० (वीविंग) कं० लि०	आई० कार्बन ब्लाक कं० लि०	थाईलैंड/कार्बन ब्लैक
15.	बिड़ला जूट मैन्यु० कं० लि०	उगांडा एंड हेसियन मिल्स लि०	उगांडा/पटसन साल

पर्यटन स्थलों के विकास के लिए धनराशि के आवंटन हेतु कर्नाटक राज्य का अनुरोध

6329. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए राज्यों की धनराशि आवंटित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य ने 1981-82 के दौरान राज्य में राष्ट्रीय महत्व रखने वाले पर्यटन स्थलों के विकास के लिए धन-राशि के आवंटन हेतु अनुरोध किया है ; और

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य को कितनी धन राशि आवंटित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पर्यटन परियोजनाओं के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है, क्योंकि पर्यटन सेक्टर के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना से ही समाप्त कर दी थीं। अतः पर्यटन योजनाएं केन्द्रीय सेक्टर में अथवा राज्य सेक्टर में प्रारंभ की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा राज्य में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

6330. **श्री राम चन्द्र रथ :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा राज्य में कुल कितने पर्यटक होटल अथवा "होम्स" चलाये जा रहे हैं ;

(ख) वे किन-किन स्थानों पर स्थित है ;

(ग) क्या सरकार का 1981-82 के वित्तीय वर्ष में कुछ और पर्यटक होटल अथवा होम बनाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां तो उपरोक्त प्रस्ताव की क्रियान्विति के बारे में ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) इस समय भारत पर्यटन विकास निगम भुवनेश्वर में एक होटल कलिंग अशोक नामक तीन स्टार होटल और कोणार्क में एक यात्री गृह का प्रचालन कर रहा है।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1981-82 में होटलों के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए का एकमुश्त प्रावधान किया गया है जिसमें पुरी में संयुक्त उद्यम होटल परियोजना और कोणार्क में कुटीरों का एक कम्पलेक्स शामिल है। 1981-82 के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य प्रारम्भ किए जाने की संभावना है बशर्ते व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन संतोषजनक हों और संसाधन उपलब्ध हो जाएं।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वाणिज्य बैंकों को मार्गदर्शी निदेश

6331. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यकम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी निदेश भेजे हैं ;

(ख) यदि हां तो उड़ीसा के विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उस राज्य के निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लोगों के आर्थिक पुनर्वास के लिए क्या विशिष्ठ उपाय किए गए हैं अथवा किया जाने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 20-सूत्रीय आर्थिक कार्यकम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी निदेश भेजे हैं।

(ख) और (ग) उड़ीसा में विभिन्न वाणिज्यिक बैंक अन्य बातों के साथ-साथ, उन किसानों को जिन्हें खेती के लिए जमीन आवटित की गई है, उन बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुए उन व्यक्तियों को जो कृषि और सम्बद्ध सहायक गतिविधियों में लगना चाहते हैं और छोटी सिचाई योजनाओं, हथकरघा उद्योग तथा विशेषत: कमजोर वर्गों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं।

20-सूत्री आर्थिक कार्यकम के अधिकांश लाभ प्राप्तकर्ता, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की धारणा में व्याप्त हो जाते हैं। दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उड़ीसा राज्य में प्राथमिकता तथा कमजोर वर्गों को दिये गए अग्रिमों के सम्बन्ध में आंकड़े यहां दिये गये हैं :—

1979 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	खातों की संख्या	(लाख रुपयों में) बकाया राशि
निम्नलिखित के लिए अग्रिम :—		
1. कृषि	311544	530281
2. लघु उद्योग (कारीगरों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों सहित)	22130	414238
3. अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	70494	277001
जोड़	404168	10215.20

वेरावल पत्तन के समीप निषिद्ध माल का पकड़ा जाना

6332. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सौराष्ट्र तट पर वेरावल पत्तन के समीप हाल ही में 50 लाख रुपये के मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया था ;

(ख) क्या जल पोत में तस्करी का माल ले जाने वाले लोग अरब देशों के थे ; और

(ग) यदि हां, तो वे किस देश के हैं और भारत और अरब देशों के बीच तस्करी को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): (क) जी, हां। 23/24-2-81 को सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, अहमदाबाद के अधिकारियों ने वेरावल तट से दूर "अल-बरकतों" पोत को रोककर उससे कुल लगभग 53 लाख रुपये मूल्य का अवैध माल जैसे, इलेक्ट्रानिकीय सामान, कलाई-घड़ियां और सश्लिष्ट फैब्रिक पकड़ा था।

(ख) और (ग) पोत पर सवार छः भारतीय राष्ट्रकों और एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक को गिरफ्तार किया गया था।

सीमाशुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को मजबूत बनाया गया है। अत्याधुनिक किस्म के अतिरिक्त अवरोधी यान प्राप्त करके सीमाशुल्क विभाग के तीव्रगामी किश्तियों के मौजूदा बेड़े में इजाफा किया गया है।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मदों के लिए ऋण प्राप्त करना

6333. **श्री प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे विभिन्न योजनाएं क्या हैं जिनके अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अधीन विभिन्न मदों के लिए (एक) विशिष्ट (डिफरेंशियल) दरों, और (दो) ब्याज की सामान्य दरों पर ऋण/सहायता प्राप्त की जा सकती है ;

(ख) 1980-81 के दौरान देश में ऐसे प्रत्येक बैंक द्वारा राज्य-वार कितनी राशि दी गई है ;

(ग) क्या इन योजनाओं को 1981-82 के दौरान जारी किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त आवंटन किया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के अधीन लाभ प्राप्तकर्त्ताओं का निर्धारण राज्य विकास अभिकरणों द्वारा किया जाता है । बैंकों को, ऐसे लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की सहायता की समुचित अर्धक्षम योजनाओं का निर्माण सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है। केवल वही ऋणकर्ता, जो विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने के पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं, 4 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर से बैंक वित्त प्राप्त करने के पात्र हैं, अन्य व्यक्ति यह वित्त सामान्य दरों पर प्राप्त करते हैं। सामान्यतः राज सहायता (सबसिडी राज्य सरकारों द्वारा बनाई हुई योजनाओं के अधीन उपलब्ध होती है तथा बैंक कोई राज सहायता नहीं प्रदान करते।

(ख) से (घ) बैंकों को, जिला ऋण आयोजनाओं तथा वार्षिक कार्य आयोजनाओं में, 20-सूत्री कार्यक्रम के लाभप्राप्तकर्त्ताओं की सहायता के वास्ते योजनाएं बनाने की सलाह दी गयी है। उन्हें यह भी सलाह दी गयी हैं कि 1981 तथा 1982 की वार्षिक कार्य आयोजनाओं में, विशिष्ट रूप से ऐसे लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को सहायता देने की व्यवस्था की जाए । ऐसे लाभ प्राप्त कर्त्ताओं को बैंकों द्वारा दी गयी/आवंटित सहायता का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोला जाना

6334. **श्री प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य में जिलावार किन-किन स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सभी शाखाओं के खोले जाने के लिए लाइसेंसों को स्वीकृति दे दी है ;

(ग) यदि नहीं, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां के लिए अभी स्वीकृति दी जानी बाकी है ; और

(घ) प्रत्येक मामले में किस तिथि तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति 1979-81 का तीन वर्ष की अवधि को व्याप्त करती है इस नीति के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने, दिसम्बर 1979 में, राज्य में बैंक कार्यालयों की स्थापना के लिए, रिजर्व बैंक को 50 केन्द्रों की सिफारिश भेजी थी। इनमें से नौ स्थान ऐसे पाये गये जहां पहले से ही बैंक मौजूद थे अथवा जिनके लाइसेंस बैंकों के पास बकाया थे। शेष बचे 41 केन्द्रों में से अब तक 37 केन्द्र विभिन्न बैंकों को आवंटित किये जा चुके हैं। चार और केन्द्रों के आवंटन का प्रश्न रिजर्व बैंक के विचाराधीन है। इन 50 केन्द्रों का ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है। नवम्बर 1980 में, राज्य सरकार ने, बैंक कार्यालय खोलने के लिए 29 केन्द्रों की एक और सूची, रिजर्व बैंक को भेजी थी। इनमें से 3 केन्द्रों के संबंध में, या तो बैंकों के पास लाइसेंस बकाया थे अथवा उनकी शाखाएं खोली जा चुकी हैं बैंकों से शेष 26 केन्द्रों मूल्यांकन करने को कहा गया है तथा गुणावगुण के आधार पर यथासमय उनका आवटन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। इन 29 केन्द्रों के संबंध में ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण-1

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नवम्बर 1980 में सिफारिश किये गये केन्द्रों की सूची

जिले का नाम	केन्द्र का नाम	टिप्पणी
ऊना	1. खेरविन	लाइसेंस यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के पास बकाया
	2. सुहारी टकाली	—
बिलासपुर	3. घेरविन	—
	4. कलोल	—

1	2	3
मंडी	5. पिडला	—
	6. जामनी	—
	7. दलवान	—
	8. बगसैद	—
चम्बा	9. होली	—
शिमला	10. मंडल	—
	11. पंडरुन्नू	—
	12. घाना हट्टी	—
	13. कोलीघाट	—
	14. रोड्रू	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की शाखा काम कर रही है।
सिरमोर	15. थमला	—
सोलन	16. कुछोर	—
	17. दोमेहर	—
	18. साधुपुल	—
हमीरपुर	19. भूमपाल	—
	20. कंग	—
	21. गलोर	—
किन्नौर	22. टपरी	—
कुल्लू	23. शवार	—
कांगड़ा	24. बड़ोह	—
	25. मंगवाल	—
	26. गुलेर	—
	27. झमुखा	—
	28. टिहरी	—
	29. डाडासिबा	पंजाब नेशनल बैंक कार्य कर रहा है।

विवरण—2

हिमाचल प्रदेश में शाखा विस्तार के लिए, दिसम्बर, 1979 में, हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा सिफारिश किए गए केन्द्रों की सूची

(नवम्बर, 1980 के अन्त के अनुसार की स्थिति)

जिला	केन्द्र का नाम	आवंटित बैंक	टिप्पणी
1	2	3	4
चम्बा	1. छतराई	भारतीय स्टेट बैंक	लाइसेंस बकाया
	2. गेहरा	यूनाइटेट कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोल दिया है।
	3. वैरागढ़	—	आवंटन भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।
	4. किहार	—	—तदेव—
मण्डी	5. कोटलू	—	—तदेव—
	6. भराऊ	—	—तदेव—
	7. जयदेवी	स्टेट बैंक आफ पटियाला	लाइसेंस बकाया
	8. बालीचौकी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक है/लाइसेंस बकाया
	9. भंबिया	—तदेव—	—तदेव—
सोलन	10. जौनाजी	भारतीय स्टेट बैंक	लाइसेंस बकाया
	11. डार्लाघाट	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोल दिया है
	12. पट्टा महलोग	पंजाब नेशनल बैंक	लाइसेंस बकाया
	13. राम स्नेहर	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोल दिया है
	14. बलेरा	पंजाब नेशनल बैंक	लाइसेंस बकाया
किन्नौर	15. कल्पा	पंजाब नेशनल बैंक	कार्यालय खोल दिया है

1	2	3	4
	16. संगला	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोल दिया है
	17. सुंगरा	भारतीय स्टेट बैंक	बैंक है/लाइसेंस बकाया
लाहौलस्पीति	18. जलमान	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	लाइसेंस बकाया
	19. सुमधु	भारतीय स्टेट बैंक	लाइसेंस बकाया
	20. रंगास	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोल दिया है
	21. आवादेवी	स्टेट बैंक आफ पटियाला	लाइसेंस बकाया
	22. लडरौर	पंजाब नेशनल बैंक	—तदेव—
कुल्लू	23. गाडसा	यूनाइटेट कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोल दिया है
	24. फोजल	पंजाब नेशनल बैंक	लाइसेंस बकाया
	25. सैंज	भारतीय स्टेट बैंक	—तदेव—
	26. डलास	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	—तदेव—
शिमला	27. सैंज	पंजाब नेशनल बैंक	लाइसेंस बकाया
	28. डेल	स्टेट बैंक आफ पटियाला	—तदेव—
	29. नरवा	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोल दिया है
	30. खडराला	सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया	लाइसेंस बकाया
	31. मडौल	भारतीय स्टेट बैंक	—तदेव—
कांगड़ा	32. ढीरा	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक है/लाइसेंस बकाया
	33. चडिहार	—तदेव—	—तदेव—
	34. खुंडियान	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	लाइसेंस बकाया
	35. सुलाकम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	—तदेव—
	36. अलमपुर	—तदेव—	कार्यालय खोल दिया है
	37. भडवार	—तदेव	लाइसेंस बकाया
	38. चडी	—तदेव—	बैंक है/लाइसेंस बकाया

1	2	3	4
ऊना	39. मरोली	सेंट्रल बैंक आफ इन्डिया	लाइसेंस बकाया
	40. नहरियान	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोल दिया है
	41. लठयानी	—तदेव—	—तदेव—
	42. चोकी मन्यर	पंजाब नेशनल बैंक	लाइसेंस बकाया
बिलासपुर	43. नम्होल	भारतीय स्टेट बैंक	—तदेव—
	44. कुठोरा	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोल दिया है
	45. हटवार	पंजाब नेशनल बैंक	लाइसेंस बकाया
सिरमोर	46. नौरा	भारतीय स्टेट बैंक	—तदेव—
	47. नराग	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोल दिया है
	48. रोनहाट	स्टेट बैंक आफ पटियाला	—तदेव—
	49. कौलावाला भुज	पंजाब नेशनल बैंक	लाइसेंस बकाया
	50. घोला कुआ/ रामपुर	भारतीय स्टेट बैंक	लाइसेंस बकाया

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति परीक्षा से पूर्व कोचिंग ट्रेनिंग

6335. **श्री आर० आर० भोले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने विभागीय पदोन्नति के मामलों में आरक्षित कोटे को भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति परीक्षा से पूर्व कोचिंग ट्रेनिंग योजना लागू कर दी है ;

(ख) उन बैंकों के नाम क्या है जिन्होंने इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) यथा उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

आयकर विभाग में निरीक्षकों के पदों के आरक्षित कोटे का न भरा जाना

6336. **श्री आर० आर० भोले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए निरीक्षकों तथा अन्य संवर्ग के आरक्षित पद बड़ी संख्या में, आयकर विभाग दिल्ली में खाली पड़े हुए हैं;

(ख) क्या आयकर आयुक्त, दिल्ली ने गत एक वर्ष से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं बुलाई है ;

(ग) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय बोर्ड, प्रत्यक्षकर के आदेशों के अनुसार वरिष्ठता सूची को संशोधित किया जा रहा है ;

(ङ) कब तक इसके संशोधित हो जाने की संभावना है ; और

(च) यह देखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि वरिष्ठता सूची के संशोधन में दीर्घ विलम्ब के कारण अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी परेशान न हों ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर विभाग, दिल्ली में निरीक्षकों और संवर्गों के अनूसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित कुछ पद खाली पड़े हैं ।

(ख) जी, हां । जिन मामलों में उच्च श्रेणी लिपिक के संवर्ग से पदोन्नति होती है उनमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं बुलाई गई है ।

(ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अनुदेश जारी किए हैं कि उच्च श्रेणी लिपिकों की वरिष्ठता सूची में भूत-सुधार किये जाने तक पदोन्नतियों को विचाराधीन रखा जाय ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) तथा (च) वरिष्ठता सूची पहले ही परिचालित कर दी गई है तथा आपत्तियां मांगी गई हैं । वरिष्ठता सूची को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने के उपाय किए जा रहे हैं ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित किसी भी कर्मचारी को कोई अनुचित कठिनाई न हो ।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

6337. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष एशियाई विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर एशियाई विकास बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

इस्पात का निर्यात

6338. **श्री निहाल सिंह :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन के अनसार इस्पात और कच्चे लोहे की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण यह आशंका बन गई है कि इस्पात का निर्यात भविष्य में बंद हो जायेगा ; और

(ख) सरकार ने विदेशों में इस्पात की मांग को बनाए रखने तथा भारतीय निर्यातकों को विदेशों में प्रतियोगिता में भाग लेने में सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) स्टील की कीमतों में 9 फरवरी, 1981 से वृद्धि होने पर अध्यक्ष, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आशंकाएं व्यक्त की गई कि कीमतों में वृद्धियों के फलस्वरूप इंजीनियरी माल के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। मामले पर विचार करने के बाद सरकार ने पहले ही निर्णय कर लिया है कि इंजीनियरी माल के लिए जो पात्र निर्यात संविदाएं 8 फरवरी, 1981 को चल रही थी उनको 9 फरवरी, 1981 को की गई कीमत वृद्धि के संदर्भ में स्टील तथा कच्चे लोहे के संबंध में कीमत संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य निर्यात संविदाओं के कार्यान्वयन के लिए इंजीनियरी माल के जो निर्यात किए गए हैं उनके संबंध में यह निर्णय किया गया है कि स्टील के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें ली जाएंगी।

जहां तक स्वयं स्टील के निर्यातों का सम्बन्ध है, उत्पादन में कमी और भारत के अन्दर बढ़ी हुई मांग के कारण मुख्यत: पिछली वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए निर्यातों में भारी कमी करके उन्हें न्यूनतम आवश्यक सीमा तक कर दिया गया है।

जापान के होके क्लब ग्रुप द्वारा भुवनेश्वर के समीप धौली में जापानी होटल काम्पलेक्स स्थापित किया जाना

6339. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान का होके क्लब ग्रुप उड़ीसा में भुवनेश्वर के समीप धौली में जापानी होटल काम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय की इस परियोजना को खर्च देने की योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और कब यह परियोजना तैयार हो जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया तथा जापान का मैसर्ज होक क्लब इस विषय पर संभावनाओं का पता लगाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अत: अभी इस स्थिति में यह कह सकना कि परियोजना कब प्रारम्भ होगी, संभव नहीं है।

महालेखार कार्यालय, त्रिचुर, केरल के लिए कार्यालय भवन

6341. **श्री के० ए० राजन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में त्रिचुर स्थित महालेखाकार के कार्यालय के लिए कार्यालय भवन निर्माण हेतु एक प्लाट अधिग्रहीत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसंगाधीन भूखण्ड बी० 3446 हैक्टेयर का है, फरवरी, 1976 में राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से कोचीन देवस्वरूप बोर्ड से 2,20,500 रुपये की लागत पर अधिग्रहीत किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले ले-आउट प्लान, अनुमान आदि तैयार करने जैसी कुछ औपचारिकतायें पूरी की जानी थी और प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की स्वीकृति प्राप्त की जानी थी। निर्माण कार्य के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, अब प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र ही निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है।

पर्यटन के लिए मास्टर-प्लान बनाने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम को उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया भुगतान

6341. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु उड़ीसा के लिए एक मास्टर प्लान की तैयारी के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम को 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए) का भुगतान किया है ;

(ख) यदि हां, तो मास्टर-प्लान कब तैयार किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(घ) इस तरह के असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिए सामान्य परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु और यात्रा व्यय के क्रमशः 25,000 रुपए और 4,000 रुपए की राशि प्राप्त की।

(ख) और (ग) जनवरी/फरवरी, 1979 में पर्यटक केन्द्रों का एक सर्वेक्षण किया गया था और अक्तूबर, 1979 में सामान्य परिप्रेक्ष्य योजना की सिफारिशों के सारांश का एक मसौदा उड़ीसा सरकार को प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किए गए थे और विस्तृत रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने में देर का कारण यह था कि इस कार्य के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में पर्यटक केन्द्रों की बड़ी संख्या के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े और अन्य प्रासंगिक सूचना एकत्रित करने का कार्य शामिल था।

लेपजेग मेले में भाग लेने वाले देश

6342. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष मार्च में जर्मन जनवादी गणतन्त्र में लेपजेग मेले में भाग लिया था ; और

(ख) अन्य किन-किन देशों में उसमें भाग लिया; और

(ग) उसमें हुए व्यापारिक क्षेत्रों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) मार्च, 1981 के दौरान हुए लेपजेग स्प्रिंग मेले में भारत द्वारा सरकारी तौर पर भाग नहीं लिया गया। तथापि, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा इस मेले में कुछ भारतीय फर्मों द्वारा सीधे ही भाग लेने के लिए अनुमति दी गई।

(ख) तथा (ग) चूंकि भारत ने इस मेले में सरकारी तौर पर भाग नहीं लिया, इसलिए इस मेले में अन्य देशों द्वारा भाग लिए जाने के बारे में अथवा बुक किए गए व्यवसाय के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पटना केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क क्लेक्टरी में कलेक्टरों के रिक्त पद

6343. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क क्लेक्टरी में कलेक्टरों के दोनों पद वर्ष 1978-79 में कई महीनों तक रिक्त पड़े रहे थे और एक पद अब भी रिक्त है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह रिक्त पद कब भरा जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं। पटना में समाहर्ता के दोनों पदों में से इस समय कोई भी पद खाली नहीं पड़ा है। वर्ष 1978-79 के दौरान सीमाशुल्क समाहर्ता (निवारण), पटना के पद पर वर्ष भर एक नियमित पदधारी तैनात रहा। जहां तक केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ता, पटना के पद का संबंध है नियमित पदधारी के सेवानिवृत्त होने के परिणामत: और 16-8-78 को उनके एवजी द्वारा पद ग्रहण किए जाने तक वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान 4-1/2 महीने की अवधि के लिए सीमाशुल्क समाहर्ता (निवारण) पटना में इस पद को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में सम्हाला।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क पटना समाहर्तालय की क्षेत्रीय परिषद की बैठक

6344. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क पटना समाहर्तायल की क्षेत्रीय परिषद् की बैठक गत कई महीनों से नहीं बुलाई गई है; यद्यपि इसके संविधान के अनुसार दो महीनों में एक बार इसकी बैठक अवश्य होनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस गलती के लिए कौन जिम्मेदार थे; और

(ग) उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं। संविधान के अनुसार, जैसा कि यह वर्ष 1980 के दौरान और उससे पहले था, क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठकें संगठित और लघु उद्योग दोनों क्षेत्रों के लिए एक वर्ष में दोबार की जानी थीं। केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्तालय, पटना में वर्ष 1980 के दौरान संगठित क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठकें, दिनांक 30-4-80 और दिनांक 20-12-80 को हुई थीं और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऐसी दो बैठकें दिनांक 8-9-80 और दिनांक 22-12-80 को हुई थीं। संगठित क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सलाहकार समिति की एक बैठक दिनांक 23-3-81 को भी हुई थी।

सरकार ने अब केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ताओं को यह सलाह दी है कि क्षेत्रीय सलाहकार समितियों को क्रियाशील बनाने के लिए, इन समितियों की बैठकें **छः महीने में एक बार करने की बजाय** जैसा, वर्तमान में है, **तीन महीने में एक बार** की जाएं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइंस को 1979-80, 1980-81 के दौरान हुई भारी हानि

6345. **श्री शिव कुमार सिंह**
श्री डी० पी० जवेजा
श्री माधवराव सिंधिया : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस को वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान भारी हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो भावी संभावनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) इंडियन एयरलाइन्स को वर्ष 1979-80 के दौरान 2.34 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 1980-81 में घाटा 3.78 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स को विभिन्न ऐसे मितव्ययिता उपाय, जैसे मार्गों को सीधा बनाना, मानव शक्ति लागतों, समयोपरि भत्ते तथा टेलीफोन खर्चों में कमी करना तथा राजस्व खर्च एवं पूंजी खर्च में अनेक प्रकार की और भी कटौती करना इत्यादि अपनाने के कारण वर्ष 1981-82 में 0.83 करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान है।

ब्रिटेन के साथ करार

6346. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और ब्रिटेन के साथ व्यापार संतुलन में सुधार करने के लिए अन्य निर्यात की बाधाएं दूर करने के लिए ब्रिटेन के किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो हस्ताक्षर किये गये इस करार का स्वरूप क्या है और इसका ब्रिटेन को किये गये हमारे निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जी नहीं भारत तथा ब्रिटेन आर्थिक समिति की पिछली बैठक में जो 19 से 22 जनवरी, 1981 में नई दिल्ली में हुई थी, तीसरे देश के उद्यमों में भारत-ब्रिटिश सहयोग की संभावनाओं सहित भारत ब्रिटिश व्यापार, आर्थिक औद्योगिक सहयोग के प्रश्न पर सामान्य रूप से बातचीत की गई किन्तु किसी विशिष्ट करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।

मुद्रा परिचालन

6347. श्री ए० के० राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, 1981 को देश में कितनी राशि की मुद्रा परिचालित थी और विभिन्न करेंसी नोटों में उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : कुल परिचालित मुद्रा की राशि (सिक्कों सहित) 27.2.1981 को 13385.84 करोड़ रुपए थी और 6.3.1981 को 13448.00 करोड़ रुपए थी। पहली मार्च, 1981 जो रविवार था उसके संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। अगस्त, 1980 को मूल्यवर्ग-वार मुद्रा के आवंटन के संबंध में अद्यतन उपलब्ध सूचना यहां दी गई है :—

	करोड़ रुपयों में मूल्य
1 रुपया	205.71
2 रुपया	241.03
5 रुपया	610.49
10 रुपया	1,851.44
20 रुपया	961.73
50 रुपया	1,932.46
100 रुपया	6,304.62
जोड़	12,107.48

सहारा सेविंग्ज एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में जनता का पूंजी निवेश

6348. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आम जनता के व्यक्तियों ने सहारा सेविंग्ज एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कम्पनी में भारी धन-राशि का पूंजी निवेश किया हैं और यदि हां तो इसकी अनुमानित राशि कितनी है ;

(ख) यह कम्पनी किस कानून के अन्तर्गत पूंजी निवेश ले रही है और क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि क्या यह कम्पनी इस बारे में सभी नियमों का ठीक प्रकार से पालन कर रही है और क्या लोगों द्वारा निवेश की गई पूंजी इस कम्पनी में सुरक्षित है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आम जनता के हित में आवश्यक स्पष्टीकरण देने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि यह कम्पनी, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में कार्य कर रही अपनी शाखाओं के माध्यम से "इनामी चिटें" जारी करने के कार्य करने में लगी हुई थी। इनामी चिटों को जारी किये जाने पर, इनामी चिट तथा धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 द्वारा जो 12 दिसम्बर, 1978 से प्रभावी हुआ था, रोक लगा दी गई है। राज्य सरकारों में, इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने तथा इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके, नियम बनाने का प्राधिकार निहित किया गया था। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, इनामी चिट कंपनियों के प्रवर्तकों को अपनी मौजूदा स्कीमों का परिसमापन करने के लिए अधिक से अधिक दो वर्षों का

समय दिया गया था। इस प्रयोजन के लिए, प्रवर्तकों द्वारा, विवरणों की सारणी तथा परिसमापन आयोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों के अनुमोदनार्थ भेजी जानी थीं। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, कंपनी अपनी मौजूदा स्कीमों के संबंध में परिसमापन कार्यक्रम भेज चुकी है। 30 सितम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बिना आडिट किये गये तुलन पत्र, जो कि परिसमापन कार्यक्रम के साथ भेजा गया था के मुताबिक कंपनी द्वारा चलाई जा रही इनामी चिटों/धन परिचालन स्कीमों के अभिदाताओं (जनता) को कंपनी द्वारा 31.37 लाख रुपए की राशि वापस अदा की जानी थी। ऐसी कम्पनियों को जमाओं की राशि को वापिस अदा करने के लिए बाध्य करने की सांविधिक शक्तियां न तो सरकार और न ही रिजर्व बैंक के पास हैं। जमाओं का स्वीकार किया जाना जमाकर्ता तथा संबंधित कम्पनी के बीच एक संविदा जैसा होता है तथा संविदा भंग होने के मामले में न्यायालय से उसका उपचार कराना होता है।

मोटर के पुर्जों का निर्माण कर रही प्रमुख कम्पनियों पर आयकर की बकाया राशि

6349. **श्री के० लकप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और फरीदाबाद में मोटर के पुर्जों का निर्माण कर रही कुछ प्रमुख कम्पनियों पर आयकर अपवंचन की एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और उन पर आयकर की बकाया राशि का ब्योरा क्या है ;

(ग) इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) आयकर आयुक्त, दिल्ली और रोहतक से सूचना मांगी गई है। अपेक्षित सूचना यथासंभव शीघ्र एकत्र करके भेज दी जाएगी।

होटल उद्योग में विदेशी सहयोग पर समझौता

6350. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल उद्योग में विदेशी सहयोग के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय भारत में निम्नलिखित 8 होटल विदेशी सहयोग से चल रहे हैं:—

कम सं०	होटल का नाम	भारतीय पार्टी का नाम	विदेशी पार्टी का नाम
1.	होटल ओबेराय इन्टरकान्टी-नेन्टल, नई दिल्ली	दि ईस्ट इण्डिया होटल्स लिमिटेड, दिल्ली	इन्टरकान्टीनेंटल होटल्स कापोरेशन यू० एस०ए०
2.	होटल ताज महल इन्टर-कान्टीनेन्टल , बम्बई	दि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, बम्बई	—वही—
3.	होटल हालिडे इन बम्बई	ईस्टर्न इन्टरनेशनल होटल्स लि०, बम्बई	हालिडे इन्नस इन्कार्पोरेटिड, यू० एस० ए०
4.	होटल अडयार गेट, मद्रास (निर्माणाधीन)	मैसर्स अडयार गेट होटल लिमिटेड, मद्रास	—वही—
5.	होटल हालिडे इन आगरा	नार्दन इंडिया होटल्स लिमिटेड	—वही—
6.	होटल मौर्या शेराटन, नई दिल्ली	आई० टी० सी० लिमिटेड	शेराटन इन्टरनेशनल यू० एस० ए०
7.	होटल मुगल शेराटन, आगरा	—वही—	—वही—
8.	होटल चोला शेराटन, मद्रास	—वही—	—वही—

हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के सेवों का विपणन

6351. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के सेवों के विपणन के दिनों में उनकी बाजार में भारी उपलब्धता तथा अलाभकर स्तर तक उनके मूल्यों में गिरावट को दूर करने की दृष्टि से इनके निर्यात के महत्व की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो बागवानी की शीघ्र नष्ट होने वाली इस वस्तु, जो देश के इस आर्थिक दृष्टि से पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र की नकदी वाली फसल तथा अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, के विपणन के लिए किन-किन देशों के साथ सम्पर्क किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे सेव उत्पादकों की रक्षा न किये जाने के क्या कारण हैं जो इस व्यापार में कमीशन एजेन्टों तथा बिचौलियों द्वारा शोषित किये जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) निर्यातकों द्वारा विभिन्न देशों में पूछताछ की गई जिनमें खाड़ी के देश, मलयेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, बंगलादेश, श्री लंका आदि शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

व्यय विभाग में हिन्दी का काम करने वाले कर्मचारियों की समस्या

6352. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जून, 1979 से पहले व्यय विभाग में हिन्दी कार्य के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों की न तो वैयक्तिक शिकायतें थीं और न ही कोई प्रशासनिक समस्या थी ;

(ख) यदि कोई शिकायत थी, तो उनका ब्यौरा क्या है और उक्त विभाग के पास 30 जून, 1979 तक कर्मचारियों के कितने अभ्यावेदन अथवा शिकायतें विचाराधीन थी ;

(ग) क्या यह सच है कि उसके बाद हिन्दी कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं और यदि हां, तो वे शिकायतें किस तरह की थीं और कितने मामलों में कार्यवाही की गई है तथा कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

(घ) क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए पक्षपात, भ्रष्ट तरीकों तथा अनियमितताओं के परिणामस्वरूप हिन्दी कर्मचारियों में असंतोष की शिकायतें मिली थी और यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) व्यय विभाग में जून, 1979 से पहले भी हिन्दी कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों की प्रशासनिक समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन मिलते रहे हैं। 30 जून, 1979 की स्थिति के अनुसार इस विभाग में कोई शिकायतें विचाराधीन नहीं थी। पहले प्राप्त दो अभ्यावेदन उस तारीख को विचाराधीन थे। ये सम्बद्ध कर्मचारियों के उनके वर्तमान पदों पर स्थायी रूप से ले लिए जाने और उच्चतर पदों पर पदोन्नति के बारे में थे।

(ग) और (घ) हिन्दी कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में, बाद में मिली शिकायतें मुख्यतः कुछ हिन्दी कर्मचारियों की नियुक्ति के तरीकों और साथ ही कुछ कर्मचारियों के व्यवहार केबारे में थी। इन शिकायतों की विधिवत जांच की गई और यह पाया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध पक्षपात, भ्रष्ट तरीकों और अनियमितताओं के आरोपों का कोई आधार नहीं था।

खेतड़ी तांबा काम्प्लैक्स में प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने में प्राथमिकता

6353. श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा काम्प्लैक्स स्थापित करने के लिए जिन व्यक्तियों की भूमि और मकानों का अधिग्रहण किया गया है उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी;

(ख) क्या कई मामलों में भूमि के संयुक्त रूप से एक 'खाते' में 10 व्यक्ति मालिक थे और उनके नाम 'खाता खतौनी' में दज थे परन्तु उन्हें अलग-अलग रोजगार नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या अकुशल कार्यों के लिए भी खेतड़ी और राजस्थान के लोगों को नहीं लिया गया है ;

(घ) खेतड़ी और राजस्थान के जिन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है उनका अनुपात अन्य राज्यों के व्यक्तियों की तुलना में कितना है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि कुशल कारीगर और अधिकारियों के रूप में राजस्थान के उच्च योग्यताधारी व्यक्तियों को भी रोजगार नहीं दिया गया है और अन्य राज्यों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई है ; यदि हां, तो इन वर्गों में स्थानीय और बाहरी व्यक्तियों का क्या अनुपात है ; और

(च) क्या स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ कराए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) कंपनी द्वारा जिन लोगों की जमीन ली गई है उनमें और उनके आश्रितों में से प्रति अधिग्रहीत भूखंड के पीछे एक व्यक्ति के हिसाब से रोजगार देने पर विचार किया जाता है। भले ही वह भूखंड एक खसरे में हो या एक से अधिक खसरे में हो। खेतड़ी प्रोजेक्ट यह सुनिश्चित करता है कि कथित भूखंड के बदले खातेदारों के आश्रितों को ही रोजगार मिला है ।

(ग) सभी अकुशल कार्यों के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय की मार्फत भर्ती की जाती है । समझौता करार की शर्तों के अनुसार जिस दैनिक मजदूर ने मार्च, 1976 से अगस्त, 1978 के दौरान 50 दिन भी काम किया था उसे भी अकुशल किस्म का नियमित काम दे दिया गया है। अब तक ऐसे 252 दैनिक मजदूर लिए गए हैं जिनमें से 237 राजस्थान के हैं ।

(घ) 1977 में संकलित जानकारी के अनुसार कंपनी में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में राजस्थान के व्यक्ति 76.19 प्रतिशत हैं ।

(ङ) यह कहना सही नहीं है कि राजस्थान के बाहर के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। कंपनी में भर्ती रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम के अनुसार की जाती हैं। जब रोजगार कार्यालयों से उम्मीदवारों के नाम नहीं मिलते हैं तभी अखिल भारतीय आधार पर समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन जारी किया जाता है जिसके उत्तर में राजस्थान के व्यक्ति भी आवेदन करते हैं।

(च) स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने की कार्रवाई प्रोजेक्ट द्वारा पहले से ही की जा रही है।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा अपनी विदेशी पूंजी को कम करना

6354. **श्री एस० एम० कृष्णन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपनी विदेशी पूंजी को कम करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ कम्पनियों ने इसको मानने से या तो इन्कार कर दिया है अथवा उन्हें 74 प्रतिशत विदेशी पूंजी, जो कि अधिकतम अनुमत सीमा है, रखने की अनुमति दी गई है अथवा दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो वे कम्पनियां कौन-कौन सी हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक 13-9-1981 के अतराांकित प्रश्न संख्या 3449 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है। विदेशी इक्विटी का अनुमत्य स्तर लगभग 20 औषध कम्पनियों के मामले में निर्धारित नहीं किया गया है। जब निर्देश जारी कर दिए जाते हैं तो कोई भी कम्पनी उनका अनुपालन करने से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि ये निर्देश सांविधिक होते हैं।

एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ईरान/इराक के साथ गुजरात औद्योगिक निवेश निगम का संयुक्त उद्यम

6355. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ में संयुक्त उद्यम के रूप में एल्यूमिना के उत्पादन के लिए गुजरात औद्योगिक निवेश निगम, जो कि गुजरात सरकार का एक उपक्रम है, ने हाल ही में ईरान/इराक सरकार से एक करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तकनीकी जानकारी का ब्योरा क्या है, एल्यूमिना का कितना वार्षिक उत्पादन किया जाएगा और संयंत्र के उत्पादन करने के लिए समय सारणी क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूंजी निवेश के बारे में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के साथ बैठक

6356. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 मार्च से 18 मार्च 1981 तक बड़ी बहुराष्ट्रिक कंपनियों तथा भारत सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक के दौरान किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था ;

(ग) क्या इन बहुराष्ट्रिक कम्पनियों में भारत में पूंजी निवेश के बारे में किसी अन्तिम निर्णय पर सहमति हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) इस प्रकार की कोई उच्चस्तरीय बैठक नहीं हुई । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक कार्यकारी सेवाओं के द्वारा 15 मार्च से 18 मार्च, 1981 के बीच आयोजित एक गोलमेज भी सम्मेलन के समक्ष संभाषण देने के लिए सरकार के कुछ प्रतिनिधियों को निमन्त्रित किया गया था । सामान्य रुचि के मामलों पर खासतौर पर, विदेशी निवेश को शासित करने वाली नीतियों तथा कार्यप्रणालियों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया ।

(ग) तथा (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

कपड़ा उद्योगों का विकास कार्यक्रम

6357. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है और उसे स्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इसके कियान्वयन के समय आय की प्रतिवर्ष विकास दर क्या होगी; और

(घ) हथकरघों से कितना उत्पादन होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) छठी योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) रोजगार के अधिक अवसर बनाने के लिए विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में हथकरघों अधिकतर संभव वृद्धि की अनुमति देना ;

(2) कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन में बढ़ौतरी तथा उसके वितरण ढांचे में सुधार ;

(3) समूचे उद्योग के आधुनिकीकरण तथा पुररुत्थान के लिए बजटीय प्रावधान में हर संभव सहायता प्रदान करना ;

(4) घरेलू एवं निर्यात बाजार दोनों में मांग के रुख को ध्यान में रखते हुए वि प्रकार के रेशों के उत्पादन तथा उपयोग का सुव्यवस्थित संतुलन बनाये रख यद्यपि वस्त्र उद्योग में उपयोग के लिए रुई ही मुख्य रेशा रहेगा ; और

(5) छटी योजनावधि अर्थात् 1984-85 के अन्त तक कपड़े की कुल आवश्य 13,600 मिलियन मीटर का अनुमान लगाया है।

(ग) 5.2 प्रतिशत की आय वृद्धि की दर पर विचार किया गया है।

(घ) योजनावधि अर्थात् 1984-85 के अन्त तक, हथकरघा क्षेत्र में 4,100 मिलि मीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो में प्रबंधकीय काडर में पदोन्नति

6358. श्री बी० वी० देसाई)
श्री जी० वाई० कृष्णन्) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उनकी उत्पादकता तथा दक्षता अधिकतम स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रबधकीय काडर में पदोन्नति करने का निर्णय किया है

(ख) यदि हां, तो इस योजना का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों की विशेषता को प्राप्त करने के लिए नई प्रबंध सेवा पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो इस योजना का अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ङ) इस योजना के कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ; और

(च) इस प्रबंधकीय काडर के निर्माण से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को किस हद सहायता मिलेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (च) सभवत: माननीय सदस्यों का आशय सरकारी उद्यमों में बोर्ड स्तर से नीचे के प्रबंधकीय संवर्गों की प्रोन्नति से है। ऐसी कोई नई योजना चालू नहीं की गयी है। बोर्ड स्तर से नीचे के प्रबंधकीय पदों को बनाने और उन पर नियुक्ति करने की शक्तियां उद्यमों को ही सौंप दी गई हैं। उन्हें इन प्रबंधकीय पदों का संवर्ग बनाने और प्रबंधकों के विकास को समुचित योजनाएं चालू करने का भी दायित्व सौंपा गया है। तथापि सरकार ने इन उद्यमों के शीर्ष पदों पर नियुक्ति का दायित्व अपने पास रखा है। इन शीर्ष पदों के लिए चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया सरकारी उद्यम चयन मण्डल की स्थापना करने वाले दिनांक 30 अगस्त, 1974 के संकल्प में निर्धारित की गई है।

पटसन उत्पादक देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय करार

6359. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन उत्पादक देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय करार करने की दिशा में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : एस्कैप के तत्वावधान में पटसन उत्पादक देशों की दिसम्बर, 1980 में हुई बैठक में पटसन उत्पादक देशों के बीच सहयोग के बारे में सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया गया है तथापि, यह महसूस किया गया कि विशिष्ट उद्देश्यों, कार्यों तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं पर अलग-अलग संबंधित सरकारों द्वारा और आगे ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

लद्दाख में बोरेक्स और गन्धक के पाए गए निक्षेप

6360. **श्री पी० नामग्याल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख की पूगा घाटी में गन्धक और बोरेक्स के बड़े निक्षेप साथ-साथ पाए गए हैं ;

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो बोरेक्स और गन्धक की अलग-अलग अनुमानत: कितनी मात्रा पाई गई है और प्रत्येक खनिज का अनुमानत: कुल कितना मूल्य होगा; और

(ग) खनिजों को निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : लद्दाख की पूगाघाटी में गंधक और बोरेक्स के छिट-पुट निक्षेप होने का संकेत मिला है।

(ख) पूगाघाटी में लगभग 5400 टन बोरेक्स होने का अनुमान है। इसके अलावा सतही परतीकरण के रूप में हर साल 1200 टन बोरेक्स और जमा होते जाने की आशा है तथा पारदर्शक और अपारदर्शक दोनों ही स्थितियों में 8.65 से 24.40 प्रतिशत शुद्धता वाले कच्चे गंधक के लगभग 2,10,700 टन भंडार होने का अनुमान है। शुद्ध बोरेक्स लगभग 4500 रुपए टन और एलीमेंटल गंधक 1400 रुपए टन से अधिक पर बेचा जाता है।

(ग) बोरेक्स का शोधन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गंधक का विदोहन आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है।

लद्दाख में खनिजों का सर्वेक्षण

6361. **श्री पी० नामग्याल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के सर्वेक्षण दलों ने लद्दाख क्षेत्र में खनिजोंतथा अन्य सामग्री का सर्वेक्षण कार्य कब शुरू किया था;

(ख) अब तक मिले भिन्न-भिन्न खनिजों तथा अन्य सामग्री के नाम क्या हैं और इनकी अनुमानित मात्रा तथा मूल्य कितना है; और

(ग) प्रत्येक मद के बारे में क्या कार्यवाही अथवा सिफारिश की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार लद्दाख क्षेत्र में पहला सर्वेक्षण सन् 1865 में किया गया था। नियमित आधार पर खनिज अन्वेषण कार्य 1962 से शुरू किया गया था।

(ख) तथा (ग) लद्दाख क्षेत्र में अभी तक जिन प्रमुख खनिज निक्षेपों का पता चला है, वे हैं—5400 टन क्रूड बोरेक्स, 0.525 मि० टन चूना पत्थर, 8.65 से 24.40 प्रतिशत शुद्धता वाला 2,10,700 टन क्रूड सल्फर और 0.2 मि० टन पोटाश लवण। अन्य जिन छिट-पुट खनिज निक्षेपों का पता चला है, उनमें जिप्सम, फ्लूस्पार, क्रोमाइट, तांबा अयस्क आदि शामिल है। शोधित बोरेक्स लगभग 4500 रु० टन और एलिमेंटल सल्फर लगभग 1400रु० टन के हिसाब से बिकता है। उपर्युक्त खनिज निक्षेपों का आकलन चल रहा है। सिफारिशें तथा विदोहन का काम आकलन के परिणामों पर निर्भर होगा। तथापि, जे० एन्ड के० मिनरल्स लि० द्वारा पूगा में बोरेक्स निकाला जा रहा है।

जनता कपड़ा

6362. **श्री निहाल सिंह :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 की अवधि में ऐसी कौन-कौन सी मिलें हैं जिन्होंने निर्धारित मात्रा

से कम कपड़ा सप्लाई किया है और ऐसी कौन-कौन सी मिलें हैं जो सरकार को कंट्रोल का (जनता) कपड़ा बिल्कुल सप्लाई नहीं कर सकी हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : कंट्रोल का कपड़ा योजना इस समय ठेके के आधार पर चल रही है और प्रत्येक मिल पर कंट्रोल के कपड़े की पूर्ति करने का कोई दायित्व नही है। अत: मिलों द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा की पूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विमान में चढ़ने से पहले वैमानिक लूट खसोट

6363. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वैज्ञानिक लूट खसोट के मामले में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने विमान पर चढ़ने से पूर्व यात्रियों की जांच करने और परिचालन क्षेत्र में कर्मचारियों के, चाहे वे ड्यूटी पर हों अथवा ड्यूटी पर न हों, आने जाने पर कठोर नियंत्रण करने के लिए कुछ और कारगर उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) सभी हवाई अड्डों पर अपहरण एवं तोड़फोड़ विरोधी सुरक्षा-उपायों को कड़ा कर दिया गया है। हवाई अड्डे के परिचालन-क्षेत्र मे कर्मचारियों के यातायात को एक मूल सुरक्षा उपाय के रूप में विनियमित किया जाता है।

हवाई अड्डे की सुरक्षा पर सरकार द्वारा कड़ी तथा लगातार निगरानी रखी जाती है। नागर विमानन के साथ अपहरण, तोड़फोड़ तथा अन्य प्रकार के गैरकानूनी हस्तक्षेप को रोकने के लिए, गुप्तचर विभाग की रिपोर्टों तथा अन्य घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा-प्रबंधों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

भारत-कुवैत सहयोग

6364. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुवैत सरकार ने कुवैत मे अनेक उद्योगों की स्थापना करने में भारत का सहयोग मांगा था ;

(ख) यदि हां तो जिन उद्योगों के लिए सहयोग मांगा गया है, उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) भारत-कुवैत निवेश वर्ताओं के दौरान, जो फरवरी, 1981 में नई दिल्ली में हुई, कुवैतियों ने अन्य बातों के साथ-साथ कुवैत में अपने लघु उद्योगों का विकास करने व औद्योगिक एस्टेटें स्थापित करने के लिए भारत से विशेषज्ञता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। इससे पहले, सितम्बर, 1980 में अपनी भारत की यात्रा के दौरान, कुवैती उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री ने भारतीय सहायता से कुवैत में पैट्रो-कैमीकल तथा मशीन टूल उद्योगों की सहायता में विशेष रूप से रुचि दिखाई दी। तथापि, कुवैत सरकार से इन में से किसी के बारे में कोई औपचारिक प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

वाणिज्यिक प्रतिनिधि-मंडलों की भारत यात्रा

6365. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरान कितने वाणिज्यिक प्रतिनिधि-मण्डलों ने भारत की यात्रा की;

(ख) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है अर्थात् प्रत्येक प्रतिनिधि-मण्डल किस देश से आया, उसमें कितने सदस्य थे, उसका उद्देश्य और यात्रा की तारीख क्या ; और

(ग) उन्हें उनके ठहरने की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी गईं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों के संबंध में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है, [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—2288/81] इस मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों/निगमों आदि के अनुरोध पर 1980-81 के दौरान जो वाणिज्यिक प्रतिनिधिमण्डल भारत आये होंगे उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

100 बड़ी कम्पनियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशियों की बकाया राशि

6366. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री के० ए० राजन) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (एक) एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 100 बड़ी कम्पनियों (दो) लघु उद्योग (तीन) छोटे तथा सीमान्त किसानों और (चार) गैर-सरकारी वाणिज्यिक क्षेत्र को दी गई अग्रिम राशियों में से 31 दिसम्बर, 1980 को कितनी राशियां बकाया थीं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : 31-12-1979 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार

अधिनियम 1969 के अंतर्गत पंजीकृत 86 बड़े औद्योगिक घरानों की कम्पनियों को दिये गये अग्रिमों की बकाया रकम 1644.87 करोड़ रुपये थी। परन्तु, शीर्षस्थ 100 कम्पनियों के संबंध में इस प्रकार की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है।

जून, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की बकाया रकम 2618.95 करोड़ रुपये थी।

सितम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 5 एकड़ तक की जोत वाले छोटे और सीमांतिक किसानों को दिये गये अग्रिमों की बकाया रकम 571 करोड़ रुपये थी।

आंकड़े इकट्ठे करने की भारतीय रिजर्व बैंक की प्रणाली के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गैर सरकारी वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले अग्रिमों की बकाया राशि के बारे में अलग से सूचना इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं है।

चाय कंपनियों की सम्पत्तियां तथा लाभ

6367. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **वित्त** मंत्री चाय-कंपनियों की सम्पत्तियां तथा लाभ के बारे में 5 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2614 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त जानकारी प्राप्त करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या अब तक एकत्रित कर ली गई जानकारी सभा-पटल पर रखी जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी इकट्ठी कर ली गई है और उसे 30 मार्च, 1981 को सभा-पटल पर रख किया गया है।

सरकारी उपक्रमों में चेयरमैन के रिक्त पद

6368. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों के चेयरमैनों तथा अन्य उच्च कार्यकारी अधिकारियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और वे कब से रिक्त हैं ; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित रिक्त पदों का उपक्रमवार ब्यौरा क्या है और इतने लम्बे समय तक उन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) वांछित

जानकारी अनुबन्धों में दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2289/81] जैसा कि अनुबन्धों में दी गई जानकारी से स्पष्ट है, इस समय अंशकालिक अध्यक्ष के 15 पद, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 19 पद, कार्यनिदेशकों के 37 पद ऐसे हैं जो कि रिक्त हैं अथवा नियमित रूप से भरे गये हैं। इनमें से अंशकालिक अध्यक्ष के 100 पदों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 16 पदों और कार्यनिदेशकों के 21 पदों के लिए चयन को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इन पदों के लिए की गई सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस प्रकार अंशकालिक अध्यक्ष के केवल 5, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 3 और कार्यनिदेशकों के 16 पद ऐसे हैं जिनके लिए चयन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। सरकारी उद्यमों में इस स्तर के कुल पदों की संख्या की तुलना में इन रिक्तियों का प्रतिशत बहुत ही कम है। सरकार यह भली-भांति जानती है कि सरकारी उद्यमों में शीर्ष पदों को भरने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए तथा इस विषय में समुचित कार्रवाई की जा रही है। यदि कहीं ऐसी रिक्तियों को भरने में विलम्ब होता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं कि सरकारी उद्यमों के कार्य में हानि न हों।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मूल्यों में वृद्धि

6369. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धांत हैं ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम ने अपने विभिन्न मुख्य उत्पादों (उपक्रमवार और उत्पादवार) के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की है ;

(ग) इन उत्पादों में ऐसे कौन से उत्पाद हैं जिनका निर्माण गैर-सरकारी क्षेत्र भी कर रहे हैं ; और

(घ) ऐसे उत्पादों जिनका उत्पादन सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों में होता है, के मूल्यों में, क्रमवार और उत्पादनवार वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं (मूल्यों के वास्तविक आंकड़ें और मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता भी बताएं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए अपनाए गए सिद्धांतों का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1979-80 के अध्याय 17 के पैरा 2 में दिया गया है, जिसे 27.2.81 को सभा पटल पर रखा जा चुका है।

(ख) से (घ) लोक उद्यम सर्वेक्षण 1979-80 के अध्याय 17 में कुछ आधारभूत कच्चे माल और काम में आने वाली सामग्री जैसे उर्वरक, इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम और खाद्यान्न के मूल्यों में पिछले वर्ष के दौरान हुई घटा-बढ़ी संबंधी जानकारी भी दी गई है। लोक उद्यम सर्वेक्षण अर्थात केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य की वर्ष 1978-79

और 1977-78 की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 22 और 17 में भी सरकारी उपक्रमों द्वारा उत्पादित प्रमुख औद्योगिक सामग्री के मूल्यों में घटा-बढ़ी संबंधी जानकारी दी गई है।

इन व्यापारिक वस्तुओं की मदों और प्रदत्त सेवाओं की विशाल संख्या और विविधता को देखते हुए इन सभी मदों के बारे में पिछले 5 वर्ष के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विनिर्मित वैसी ही वस्तुओं के मूल्य का तुलनात्मक विवरण संकलित किया जाना व्यवहार्य नहीं है।

फसल बटाईदारों, बेगारदारों और किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई राशि

6370. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1977 से 1980 के बीच राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य बैंकों में से प्रत्येक ने राज्यवार फसल, बटाईदारों, बेगारदारों और गरीब किसानों को कितना ऋण दिया गया ; और

(ख) कितने लोगों को यह ऋण मिला और कितनों को ऐसा ऋण नहीं दिया गया ;

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) तथा (ख) बंटाईदारों, बरगादारों तथा गरीब किसानों के संबंध में जिस रूप में राज्यवार सूचना मांगी गई है, उस रूप में वह उपलब्ध नहीं है। फिर भी, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे और सीमांतिक किसानों को दिए गए अग्रिम तथा 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानो को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा, पिछले पांच वर्षों के दौरान दिये गए अग्रिम विवरण में दिए गए हैं। ये आंकड़े, खातों के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं न कि वित्त पोषित किये गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में। उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में, जिन्हें बैंक ऋण का लाभ उठाने का अवसर नहीं दिया गया, सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम

वर्ष	छोटे और सीमांतिक किसानों को अग्रिम		समग्र प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम	(करोड़ रुपए)
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
मार्च 1975	11,73,936	139.80	18,19,547	461.33
1976	17,96,978	234.82	26,31.583	641.17
1977	25,02,442	329.58	36,22,329	868.34
1978	28,60,703	432.60	42,16,874	1099.43
1979	34,82,358	555.57	50,75,778	1446.13

2. पी० ए० सीज द्वारा उन किसानों को दिए गए ऋण जिनकी जोत की सीमाएं निम्न सीमा तक हैं।

वर्ष	जोड़	1 हेक्टेयर से कम	1 से 2 हेक्टेयर तक	किराए के कृषकों को	कृषि मजदूरों का
1974-75	900,32	97.11	157.83	18.89	8.50
1975-76	1023.45	122.27	181.26	22.87	10.41
1976-77	1211.08	177.56	243.15	19.51	8.26
1977-78	1272.66	197.56	246.35	30.90	13.99
1978-79	1458.45	213.18	272.39	24.36	22.43

3. भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

वर्ष	जोड़	जिसमें से वे किसान जिनकी जोत की सीमा	
		एक हेक्टेयर	1 से 2 हेक्टेयर
1974-75	180.75	10.15	26.81
1975-76	215.35	11.45	32.12
1976-77	278.08	19.62	32.68
1977-78	237.90	29.21	37.65
1978-79	240.57	23.15	38.41

विशाखापटनम हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाया जाना

6371. **श्री डी० पी० जवेजा**
श्री पी० राजगोपाल नायडू) : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोइंग 737 विमान को उतारने के उद्देश्य से विशाखापत्तनम हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ;

(ग) इस पर कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ;

(घ) इसके कब तक पूरा होने की आशा है ;

(ङ) क्या कोई अन्य हवाई अड्डा भी ऐसा है जिसका दर्जा बढ़ाया जाना है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 19 हवाई अड्डों का बोइंग-737 विमानों के परिचालन के लिए तथा 5 हवाई अड्डों का एयरबस विमानों के परिचालन के लिए विकास किया जा रहा है/करने का प्रस्ताव है ।

(च) विवरण संलग्न है ।

विवरण

बोइंग-737 विमानों के लिए विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित हवाई अड्डे

1. भावनगर : टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार ।
रन-वे, एप्रन और टैक्सी-पथ का विस्तार और मजबूत करना ।
भूमि का अधिग्रहण ।

2. राजकोट : टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार ।
पेवमैंट्स का विस्तार तथा मजबूत करना ।
भूमि अधिग्रहण ।

3. जम्मू : नये टर्मिनल भवन का निर्माण ।
धावनपथ का विस्तार तथा मजबूत किया जाना ।
भूमि अधिग्रहण ।

4. जामनगर : टर्मिनल भवन का विस्तार ।
(आई० ए० एफ०) केवल एप्रन एवं टैक्सी-वे को मजबूत तथा विस्तार किया जाना ।

5. अगरतला : टर्मिनल भवन का विस्तार ।
पेवमैंट्स का विस्तार एवं मजबूत करना ।

6. बड़ोदा : टर्मिनल भवन का विस्तार ।
रन-वे को मजबूत किया जाना, एप्रन तथा टैक्सी-वे का विस्तार तथा मजबूत किया जाना ।

7. इन्दौर : टर्मिनल भवन का विस्तार ।
भूमि का अधिग्रहण ।

8. सांची : टर्मिनल भवन ।
एप्रन व टैक्सी-वे का मजबूत किया जाना ।

9. मंगलौर : टर्मिनल भवन ।
नये धावनपथ का निर्माण ।

10. औरंगाबाद : टर्मिनल भवन ।

11. लेह : टर्मिनल भवन ।

12. जोरहाट : नये टर्मिनल भवन का निर्माण ।
बी-737 के लिए टर्मिनल भवन ।
एप्रन को मजबूत करना ।
टैक्सी-वे को मजबूत करना ।

13. मोहनबाड़ी : रन-वे तथा सहायक पेवमैंट्स को एल० सी० एन० 40 तक विस्तार/मजबूत करना ।
डिपार्चर होल्डिंग एरिया ।

14. कोचीन : टर्मिनल भवन ।
एप्रन व टैक्सी-वे का विस्तार/मजबूत करना ।

15. लखनऊ : एप्रन तथा टैक्सी-वे को एल० सी० एन०—40 तक मजबूत करना ।

16. खजुराहो : टर्मिनल भवन ।

17. जयपुर : धावनपथ व टैक्सी-ट्रैक की मरम्मत ।

18. आगरा : टर्मिनल भवन का विस्तार ।

19. पटना : टर्मिनल भवन ।
अंतर्देशीय टर्मिनल भवन का अंतर्राष्ट्रीय विंग ।
धावनपथ तथा सहायक पेवमैंट्स का एल० सी० एन०-40 तक मजबूत किया जाना ।
धावनपथ का विस्तार ।
धावनपथ के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण ।

एयरबस परिचालन के लिए विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित हवाई अड्डे

1. त्रिवेन्द्रम : धावनपथ तथा सहायक पेवमैंटों का एल० सी० एन०-60 तक विस्तार/मजबूत किया जाना।
टर्मिनल भवन।
नया अतर्राष्ट्रीय ब्लॉक।

2. गोहाटी : टर्मिनल भवन।
धावनपथ तथा सहायक पेवमैंटों को एल० सी० एन०-60 तक मजबूत करना।

3. हैदराबाद : टर्मिनल भवन।
धावनपथ तथा सहायक पेवमैंटों को एल० सी० एन०-60 तक मजबूत करना।

4. डबोलिम : सेमी-पर्मानेन्ट टर्मिनल भवन।
एस० एच० : आगमन कक्ष
रन-वे को एल० सी० एन० – 60 तक मजबूत करना।

5. बंगलौर : धावनपथ तथा सहायक पेवमैंटों को एल० सी० एन०—60 तक मजबूत करना।

उपर्युक्त विकास कार्यों के अलावा इन विमान क्षेत्रों पर यथावश्यक अवतरण तथा दिक्चालन उपकरणों को मोहय्या/वृद्धि कराने के प्रस्ताव हैं।

आयात लाइसेंस

6372. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात और आयात के उप मुख्य नियंत्रक, भोपाल ने 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिए ; और

(ख) उपरोक्त लाइसेंसों में से कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के लिए लघु उद्योग, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए कितने-कितने मूल्य के लाइसेंस दिए गए ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) आयात व निर्यात के उप मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय, भोपाल द्वारा जारी किए आयात लाइसेंसों की संख्या तथा मूल्य इस प्रकार हैं :—

(वास्तविक संख्या)
(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	संख्या	मूल्य
1978-79	322	48.34
1979-80	447	41.13
1980-81 (जनवरी1981 तक)	489	50 15

(ख) (1) कच्चे माल उपस्करों, अतिरिक्त पुर्जों तथा उपभोज्य वस्तुएं तथा (2) लघु औद्योगिक एककों तथा बड़े एवं मझौले औद्योगिक एककों के लिए पूंजीगत माल के लिए जारी किए गए वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंसों का मूल्य।

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	लघु औद्योगिक एकक		बड़े तथा मझोले औद्योगिक एकक	
	कच्चा माल आदि	पूंजीगत माल	कच्चा माल आदि	पूंजीगत माल
1978-79	2.94	0.12	42.73	0.55
1979-80	3.56	0.08	34.15	0.78
1980-81 (जनवरी, 81 तक)	4.63	0.24	39.99	1.83

लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए निर्यात-प्रोत्साहन

6373. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान भोपाल स्थित आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक के कार्यालय ने मध्य प्रदेश के लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए निर्यात प्रोत्साहन के रूप में कितनी-कितनी नगद-धनराशि की सहायता दी है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उद्योगों द्वारा कुल कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया गया ; और

(ग) मध्य प्रदेश स्थित एककों द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान आयात तथा निर्यात के उप मुख्य नियंत्रक के कार्यालय, भोपाल द्वारा लघु, मझोले तथा बड़े पैमाने के उद्योगों को शुल्क वापसी के बदले में दी गई कुल नकद मुआवजा सहायता, जिसमें अनुपूरक नकद सहायता भी शामिल है क्रमशः (1) 1.11 करोड़ रु० (2) 1 10 करोड़ रु० तथा (3) 3.34 करोड़ रु० है ।

(ख) जिन निर्यातों पर उपरोक्त नकद मुआवजा सहायता दी गई, उनका एफ० ओ० बी० मूल्य क्रमशः (1) 6.55 करोड़ रु०, (2) 4.62 करोड़ रु० तथा (3) 7.70 करोड़ रु० था ;

(ग) मध्य प्रदेश एककों से निर्यातों की मुख्य मदों में थी—(1) इंजीनियरी तथा सम्बद्ध उत्पाद, (2) प्लास्टिक उत्पाद, (3) हस्तशिल्प की वस्तुए, (4) ऊनी कालीन (5) साधित खाद्य पदार्थ आदि ।

सीमा शुल्क निकासी एजेन्ट

6314. **श्री विद्यूष तिरकी** : क्या **वित्त** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने सीमाशुल्क निकासी एजेंट हैं, नाम और पूर्ण ब्यौरा क्या-क्या हैं ;

(ख) ऐसे लाइसेंस प्रदान करने के मानदण्ड क्या हैं ;

(ग) आय कर के रूप में प्रत्येक ऐसे एजेंट से कितने-कितने राजस्व की वसूली होती है ; और

(घ) जनवरी, 1970 से जनवरी, 1981 तक (वर्ष वार) प्रत्येक एजेंट ने विदेशी मुद्रा में कितनी-कितनी धनराशि अर्जित की ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथा समय सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ऐसे लाइसेंसों की जारी करने संबंधी कार्यवाही, सीमाशुल्क गृह एजेंट्स अनुज्ञापन विनियम, 1965 द्वारा शासित होती है ।

(ग) तथा (घ) इस प्रश्न के भाग (ग) तथा (घ) में मांगे गए आंकड़ों को इकट्ठा करने में जो प्रयास करने पड़ेंगें तथा उसमें जो समय, व्यय और श्रम लगेगा वह इस प्रश्न में निहित प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगा । परन्तु यदि माननीय सदस्य किसी सीमाशुल्क गृह एजेंट विशेष के

मामले में कोई विशिष्ट सूचना चाहते हों, तो आवश्यक होने पर, सम्बन्धित एजेंट से कह कर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के प्रिन्टर और डिजायनर

6375. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जननरी 1976 से दिसम्बर 1980 तक (वर्ष-वार) एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स में क्रमश: "कैश वैल्यू डॉक्यूमैंट", प्रचार सामग्री तथा अन्य लेखन सामग्री के जो प्रिंटर और डिजाइनर थे, उनके नाम सहित पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे कार्य के लिए दर आदि मांगने के लिए समाचार पत्रों तथा अन्य प्रचार माध्यमों में दिए गए ज्ञापनों का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) "कैश वैल्यू डॉक्यूमेंट्स" के प्रिंटरों सहित जिन प्रिन्टरों और लेखन सामग्री के सप्लाईकर्ताओं ने 1976 से 1980 तक अपना एकाधिकार बना रखा था, उनके नाम क्या हैं ;

(घ) एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स की यदि कोई बोर्ड हैं जो ऐसे कार्य के लिए कोटेशन (दर सूची) स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो उनके नाम और पदनाम क्या हैं ;

(ङ) क्या उपरोक्त सामग्री को स्वयं छापने के लिए सरकार की कोई योजना अपना स्वयं का प्रेस लगाने की है ; और

(च) यदि हां, तो योजना का पूरा ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

एयर-इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा प्रचार और विज्ञापन पर खर्च की गई धनराशि

6376. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1978 से जनवरी, 1981 तक एयर इण्डिया" और "इण्डियन एयरलाइन्स ने पृथक-पृथक रूप से प्रचार और विज्ञापन की मद पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की है ; और

(ख) सम्बन्धित विज्ञापन एजेंसियों के नाम क्या-क्या हैं और उन्हें (वर्ष-वार) कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में और विदेशों में एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के बुकिंग एजेंटों के नाम

6377. **श्री पियूष तिरकी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि भारत में और अन्य देशों में एयर इण्डियन और इण्डियन एयरलाइन्स के बुकिंग एजेंटों के क्या नाम हैं, उनके पूरे विवरण क्या हैं और इस प्रकार की एजेंसियां देने के क्या मानक हैं और जनवरी, 1971 से जनवरी, 1981 तक उन्हें वर्ष-वार और एजेन्टवार कमीशन के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

पर्यटन और नागर विमान मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जहां तक उपलब्ध हो सकेगी, यथासंभव सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात के लिए तीसरे स्तर की विमान सेवा

6378. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में तीसरे स्तर की विमान सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में इस विमान सेवा से किन-किन स्थानों को जोड़े जाने की संभावना है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) वायुदूत द्वारा परिचालित की जा रही फीडर सेवाओं का पूर्वोत्तर क्षेत्र से इतर क्षेत्रों में भी विस्तार करने का मामला सरकार के विचाराधीन है। गुजरात के स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने के प्रश्न पर निर्णय, इस मामले में कोई सामान्य निर्णय ले लिए जाने के बाद ही लिया जाएगा।

विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों द्वारा भारत का दौरा

6379. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के दौरान कितने विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया ;

(ख) उक्त प्रतिनिधि मण्डलों ने किन-किन नगरों तथा औद्योगिक शहरों का दौरा किया ; और

(ग) उक्त वर्ष के दौरान कितने करार हुए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 30

(ख) प्रतिनिधिमंडलों ने दिल्ली के अलावा आगरा, बम्बई, बंगलौर, फरीदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, पुणे, मद्रास, चन्डीगढ़, पिंजौर, मोहाली, लुधियाना, कलकत्ता, गोआ, यमुनानगर, कोचीन तथा कानपुर आदि का दौरा किया ।

(ग) विदेशों से सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल या तो द्विपक्षीय व्यापार वार्ता करने या व्यापार करार पर हस्ताक्षर करने, या संयुक्त आयोग की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत का दौरा करते हैं तथा सामान्यतौर पर ऐसे प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा कोई संविदाएं नहीं की जाती ।

ब्रिटिश उद्योगपतियों के शिष्ट मण्डल द्वारा घोषित किए गए ऋण

6380. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ ब्रिटिश उद्योगपतियों के शिष्ट मण्डल द्वारा घोषित किए गए दो विशेष ऋणों में से एक मद्रास के सिम्पसन के 29 मिलियन डालर मूल्य के ब्रिटेन के 2650 फोर्ड ट्रक भारत में पहुंच गए हैं ; और

(ख) क्या टिस्को को अपने इस्पात संयंत्रों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने के लिए दिए गए 14 मिलियन पाउण्ड का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है तथा क्या इस संयंत्र का आधुनिकीकरण किए जाने का कार्यक्रम पूरा हो गया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) फोर्ड ट्रकों के जुडाव और अर्ध-जुडाव के लिए सैटों का आयात करने के उद्देश्य से सितम्बर, 1980 में यूनाइटेड किंगडम के लाजार्ड की ओर से मैसर्स सिम्ससन एण्ड कम्पनी को 120 लाख पौण्ड के एक ऋण की अभिस्वीकृति दी गई थी । मालूम हुआ है कि जितने सैटों का आर्डर दिया गया था उनमें से लगभग आधे भारत में आ चुके हैं और आशा है कि बाकी सैट भी आगामी वर्ष में प्राप्त हो जाएंगे ।

(ख) टिस्को के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के लिए 140 लाख पौण्ड के एक ऋण करार पर 4 फरवरी, 1981 को हस्ताक्षर किए गए थे, किन्तु यह करार अभी तक प्रवर्तन-शील नहीं हुआ है । आशा है कि टिस्को के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम 1963 में पूरा हो जाएगा ।

क्षतिपूरक नकद सहायता

6381. श्रीमती गीता मुखर्जी)
श्री के० ए० राजन) : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्माताओं द्वारा निर्मित उत्पाद-समूह पर क्षति पूरक नकद सहायता देना जारी रखने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह क्षतिपूरक सहायता जूट निर्माताओं, सूती कपड़ों, रसायनों तथा सम्बद्ध उत्पादों और इंजीनियरिंग वस्तुओं पर दी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) विनिर्माता निर्यातकों तथा व्यापारी निर्यातकों दोनों को ही कतिपय चुनिंदा मदों के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता का दिया जाना जारी है। नकद मुआवजा सहायता की दरें निर्यातों के एफ० ओ० बी० मूल्य के 5 प्रतिशत से लेकर 2 प्रतिशत तक अलग-अलग मदों पर अलग-अलग होती है। इन मदो में रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, सूती वस्त्र की मदें और इंजीनियरी माल शामिल हैं। जूट से बनी वस्तुओं के निर्यात पर इस समय कोई नकद मुआवजा सहायता नहीं दी जाती है।

इस्पात की कुछ किस्मों पर मूल्य में गिरावट

6382. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण वितरण केन्द्रों, राज्य लघु उद्योग निगमों और ई० ई० पी० सी० रिलीज आर्डर धारियों को प्राथमिक किस्म के सेमीज वार्स शंड्स और टोरस्टील के मूल्य में अब वह रियायत नहीं मिलेगी, जो अब तक उन्हें मिलती रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार मुख्य उत्पादकों को मूल्य निर्धारण के मामले में खुली छूट दे रही है ; और

(ग) यदि उपरोक्त (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार को पता है कि इससे सीमित साधनों वाले उपभोक्ताओं को बड़ी परेशनी होगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) 23/24 फरवरी, 1981 की मध्य-रात्रि से अर्द्ध-तैयार उत्पादों और छड़ों तथा गोल छड़ों को संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा मूल्य निश्चित करने के अधिकार क्षेत्र से निकाल दिया गया है और उत्पादकों को इन उत्पादकों के मूल्य बाजार के रुख को देखते हुए स्वयं निश्चित करने की अनुमति दे दी गई

है। अत: इन उत्पादों की आपूर्ति उत्पादकों के मूल्यों पर की जा रही है और राज्य लघु उद्योग निगम तथा ग्रामीण वितरण केन्द्र भी इन उत्पादों को स्वयं निश्चित किए गए मूल्यों पर बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं। जहां तक इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद के रिलीज आर्डर धारियों का सम्बन्ध है, जबकि उन्हें यह माल उत्पादकों द्वारा निश्चित किए गए मूल्यों पर सप्लाई किया जा रहा है, उनकी सहायता के लिए अलग योजनाएं हैं।

(ग) इन श्रेणियों का अधिकांश उत्पादक पुनर्वेलकों और लघु इस्पात कारखानों से आता है जिनके मूल्य संयुक्त संयत्र समिति द्वारा निश्चित नहीं किए जाते बल्कि सदा से बाजार के रुख के अनुसार रहे हैं। अत: मुख्य उत्पादकों द्वारा मूल्य निश्चित किए जाने से उपयोक्ताओं को बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विशेष धारक बांडों की विक्रय राशि में से हिस्सा दिए जाने की मांग

6383. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री सतीश अग्रवाल
श्री एन० के० शेजवलकर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने मांग की है कि विशेष धारक बांडों की विक्रय राशि में से उसे हिस्सा दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेष धारक बन्ध-पत्रों से होने वाली आमदनी में इस आधार पर हिस्से की मांग की है कि इस योजना के कारण आय पर करों से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण कुल राजस्व में कमी होगी। यद्यपि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में जवाब अभी भेजा जाना है तथापि उसका दावा अयुक्तियुक्त है क्योंकि विशेष धारक बंध-पत्रों से होने वाली आय में वे कर प्राप्तियां नहीं आतीं जिन्हें राज्य सरकारों के साथ बांटा जाना होता है। तथापि, धारक बंध-पत्रों से मिलने वाली प्राप्तियां राष्ट्रीय संसाधन समूह का हिस्सा होती है जिसमें से राज्यों को विभिन्न प्रयोजनकों लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

इस्पात तथा लोहे के मूल्यों में वृद्धि

6384. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री हीरालाल आर० परमार : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 8 वर्षों के दौरान इस्पात और लोहे के शासित मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई ;

(ख) प्रत्येक बार कितनी-कितनी वृद्धि की गई ; और

(ग) 8 वर्ष पूर्व इस्पात और लोहे (प्रतिटन) क्या मूल्य थे और अब कितने हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कम्पनियों को उत्पादन शुल्क की वापसी

6385. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनको 1980-81 में प्रत्येक को 50 लाख रुपये से अधिक के उत्पादन शुल्क की वापसी की गई है ;

(ख) क्या मैसर्स प्योर ड्रिंक (नई दिल्ली) लि० को लगभग 2 करोड़ रुपये की वापसी की गई है ; और

(ग) यह धनराशि वापिस दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

कडप्पा नगर को कुछ राज्यों की राजधानियों के साथ विमान सेवा से जोड़ना

6386 **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कडप्पा नगर को कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की राजधानियों से विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसे विमान सेवा द्वारा कब जोड़ा जा रहा है ; और

(ग) क्या नियमित उड़ानों तथा रात में विमानों के उतरने की सुविधा देने के लिए कडप्पा हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

"सुविन का निर्यात करने का निर्णय"

6387. **श्री सतीश अग्रवाल**
श्री एन० के० शेजवलकर) : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजिप्सियन रुई के स्थान पर भारत में उत्पन्न होने वाली काफी लम्बे रेशे वाली रुई की किस्म "सुविन" का निर्यात करने का निर्णय किया है ;

(ख) 1979-80 में देश में कितनी इजिप्सियन रुई का आयात किया गया और उसका मूल्य क्या था; और

(ग) भारत में इस किस्म की रुई का उपयोग करना सम्भव क्यों नहीं है, और क्या भारतीय रुई निगम का प्रस्ताव इस किस्म की रुई को थोक में मंगाने का है क्योंकि इसकी निर्यात की काफी सम्भावना है तथा इसका देश में उपयोग किए जाने की भी अच्छी सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ग) इस समय सुविन रुई का उत्पादन खपत सम्बन्धी आवश्यकताओं से कुछ अधिक होने का पता चला है। भारतीय रुई निगम ने सुविन रुई की विशेष मात्राएं खरीदने का विनिश्चय किया है जिसे वे घरेलू बाजार में बेच सकते हैं। रुई निगम से सुविन किस्म की रुई निर्यात संभाव्यता का पता लगाने के लिए कहा गया है।

(ख) 1979-80 रुई मौसम से देश में कोई इजिप्सियन रुई आयात नहीं की गई।

होटलों में मद्यनिषेध को समाप्त किया जाना

6188. **श्री सतीश अग्रवाल**
श्री एन० के० शेजवलकर
श्री जगदीश टाइटलर
श्री चिंगवांग कोनयक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सरकार से सिफारिश की है कि होटलों में मद्यनिषेध को समाप्त किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ;

(ग) यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो क्या वह केवल सरकारी होटलों पर ही लागू होगा अथवा सभी होटलों पर लागू होगा ; और

(घ) इससे होटलों की आय में कितनी वृद्धि होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि होटलों में मद्यनिषेद को समाप्त किया जाए। तथापि, विदेशी पर्यटकों के संबंध में सरकार की मद्यनिषेध नीति में ढील देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सोने की तस्करी

6389. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 1 वर्ष के बाद देश में सोने की तस्करी पुन: होने लगी और फरवरी, 1981 में बम्बई में लगभग 4.50 लाख रुपये मूल्य के सोने के बिस्कुट पकड़े गये थे ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से मार्च, 1981 तक विभिन्न राज्यों में कुल कितना सोना पकड़ा गया और सोने की तस्करी में वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में अवैध रूप से सोना लाये जाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में भारत में प्रचलित उसके ऊंचे मूल्य के कारण हाल ही में सोना भारत में तस्कर आयात किए जाने के आकर्षण वाली धातु बन गया है ।

फरवरी, 1981 में, बम्बई स्थित सीमाशुल्क अधिकारियों ने लगभग 8.3 लाख रुपये मूल्य का विदेशी मार्के का सोना पकड़ा । जनवरी, और फरवरी, 1981 के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्ग्रस्त पकड़े गए सोने की, जिसमें सोने के जवाहिरात भी शामिल है, कुल मात्रा लगभग 15.6 किलोग्राम थी ।

(ग) निवारक और गुप्त सूचना तन्त्र को मजबूत बनाया गया है और सीमाशुल्क अधिकारियों को चौकस कर दिया गया है जिससे सोने की तस्करी के किसी भी प्रयास को रोका जा सके ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ब्याज दर में वृद्धि

6390. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी विभिन्न ऋण-सहायता योजनाओं के लिए ब्याज की दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करने के लिए मुख्यत: यह कारण दिया जा रहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की निधि-लागत में एक वर्ष में 1-1/2 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है जिससे उसके लाभ की मात्रा काफी कम हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ब्याज की दर में कितनी वृद्धि होगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ब्याज दर ढांचे में, 2 मार्च, 1981 से, संशोधन करके उसे बढ़ा दिया गया है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ब्याज दर ढांचे में संशोधन करके उसे बढ़ाने की आवश्यकता अन्य बातों के साथ-साथ, बाजार उधारों की बढ़ी हुई ब्याज दर समेत निधियों के मूल्य में वृद्धि हो जाने, निधियों के प्रतिफल में कमी होने तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रियायती सहायता की मात्रा में वृद्धि के कारण हुई।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विभिन्न ऋण सहायता योजनाओं के वास्ते ब्याज की दरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का ब्याज दर ढ़ांचा

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

(क) प्रत्यक्ष ऋण	2-3-1981 से प्रभावी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की उधार दर
1. आधार उधार दर	14.00
2. रियायती दरें	
(क) विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में नई इकाइयों को, एक इकाई को कुल 2 करोड़ रुपए तक	12 50
(ख) सुलभ ऋण योजना के अन्तर्गत सुलभ अंश पर	12.50
3. पूरक ऋण (ब्रिजिंग लोन्स)	
(क) सामान्य ऋण	15.00
(ख) विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में एक इकाई को कुल 2 करोड़ रुपए तक	13.50
(ग) सुलभ ऋण योजना के अंतर्गत सुलभ अंश पर	13.50
4. विदेशी मुद्रा ऋण	
(क) सामान्य	14.00
(ख) विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में एक इकाई को कुल 2 करोड़ रुपए तक	12.50

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त स्कीम के अन्तर्गत दरें	बैंक	राज वित्तीय निगम*/ राज्य औद्योगिक वित्त निगम
		(प्रतिशत प्रतिवर्ष)
1. आधार उधार दर	10.00	10.50
2. विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए रियायती दरें :		
(क) प्रति इकाई 25000 रु० तक के संमिश्र ऋण	6.00	6.25
(ख) लघु इकाइयां	8.50	9.00
(ग) अन्य इकाइयां (सड़क परिवहन चालकों को छोड़कर)	8.50	9.00
3. गैर-पिछड़े क्षेत्रों में रियायती दरें :		
(क) प्रति इकाई 25000 रु० तक के संमिश्र ऋण	8.25	9.00
(ख) लघु इकाइयां	9.50	10.00
4. सड़क परिवहन चालकों के लिए दरें :		
(क) एक वाहन वाले	8.50	9.00
(ख) अन्य	11.00	11.50
5. अ०जा०/अ०ज०जा० से संबंधित व्यक्तियों द्वारा संचालित इकाइयों के लिए रियायती दरें (25,000 रु० प्रति इकाई तक)	6.00	6.75
6. विदेशी मुद्रा ऋण (आई०बी०आर०डी०/आई०डी०ए० ऋण)		
(क) लघु क्षेत्र की इकाइयों को ऋण :		
(1) विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में	—	9.00
(2) अन्य क्षेत्रों में	—	10.00
(ख) अन्य :		
(1) विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में	—	9.00
(2) अन्य क्षेत्रों में	—	10.50

* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों आदि जैसी संस्थाओं समेत जिन्हें ब्याज दर नहीं देना होता।

1	2	3
7. लघु (मिनी) इस्पात इकाइयां		
गैर पिछड़े क्षेत्रों की इकाइयां	8.50	9.00
पिछड़े क्षेत्रों में इकाइयां		
(1) छूट द्वारा व्याप्त (लघु इस्पात इकाइयों को दी गई)	8.50	9.00
(2) छूट द्वारा व्याप्त न होने वाले	8.50	9.00

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

(ग) आई० डी० बी० आई० की पुनर्भुगतान मशीनरी बिलों की योजना	2-3-1981 से प्रभावी आई० डी० बी० आई० की पुनर्भतान दर
बिलों/वचनपत्रों की असामाप्त अवधि	
(क) सामान्य	
(1) 6 महीने से 36 महीने तक	10.75
(2) 36 महीने से अधिक तथा 84 महीने तक	10 25
(ख) लघु क्षेत्र	
(बिक्रेता तथा/अथवा क्रेता)	
(1) 6 महीने से 36 महीने तक	9.50
(2) 36 महीने से अधिक तथा 84 महीने तक	9.00
(ग) पूर्वोत्तर तथा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में एस० ई० बी० तथा एस० आर० टी० सी० तथा पर्वतीय दार्जिलिंग जिले में प्रयोग के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में एल०ई०बी०	
(1) 6 महीने से 36 महीने तक	7.75
36 महीने से अधिक तथा 84 महीने तक	7.25

(घ) आई० डी० बी० आई० की निर्यात वित्त योजनाओं पर दरें	आई० डी० बी० आई० की बैंकों को पुनर्वित्त की दरें
निर्यात ऋण	
(क) मध्यावधि निर्यात ऋणों के वास्ते पुनर्वित्त	6.50
	ब्याज की दरें
(ख) विदेशी निवेश वित्त	12.50
(ग) लदान पूर्व के ऋण	12.50
(घ) भागीदारी निर्यात ऋण	7·75

मैसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, अमृतसर द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के बिना भट्टियों का लगाया जाना

6391. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, अमृतसर ने केन्द्रीय सरकार से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए बिना इस्पात बनाने के लिए भट्टियां लगा ली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फालतू क्षमता को सिद्ध करने के लिए लौह और इस्पात नियंत्रक के पास उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध हैं, सरकार का उक्त मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) फर्म ने दावा किया है कि उसने औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति की अवधि में क्षमता लगाने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं। इस अवधि में लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी और जब यह छूट वापस ले ली गई तो उन इकाइयों को, जिन्होंने छूट की अवधि में प्रभावी उपाय किए थे, कैरी-आन-बिजनस (सी० ओ० बी०) लाइसेंस दे दिए गए थे। मैसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, अमृतसर ने भी इस आधार पर सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए आवेदन किया था लेकिन उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने इस बारे में और अभ्यावेदन दिया है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० में पदोन्नतियां न होना

6392. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के कर्मचारी पिछले पांच वर्षों से एक ही ग्रेड में रुके हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां कार्यकारी तथा गैर कार्यकारी कर्मचारियों के बारे में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के निगम कार्यालय के कर्मचारियों से है। इस समय सेल के निगम कार्यालय में ऐसे 18 अधिकारी और 32 कर्मचारी हैं जिनकी उसी ग्रेड में सेवा 5 वर्ष से अधिक है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

ग्रेड	संख्या
(1) **अधिकारी :**	
रुपये 2500-3000	2
रुपये 2350-2750	2
रुपये 2250-2650	3
रुपये 1900-2500	3
रुपये 1100-1700	3
रुपये 800-1400	5
	18
(2) **कर्मचारी :**	
रुपये 650-1142	12
रुपये 540-988	2
रुपये 440-814	1
रुपये 490-777	1
रुपये 455-658	2
रुपये 400-488	13
रुपये 410-543	1
	32

5 वर्ष तक एक ही ग्रेड में रहने का अर्थ यह नहीं है कि वे उस ग्रेड में रुक गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत से जूतों के निर्यात में कमी

6393. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जनरल अग्रीमेंट आन टेरिफ एण्ड ट्रेड योजना के अधीन आने वाली मदों का (अन्य वस्तुयें जिनमें जूते खिलौने तथा यात्रा सामग्री भी शामिल है) औद्योगिकृत देशों द्वारा किए गए आयात का प्रतिशत कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त निर्यात में भारत का योगदान विशेषत: जूतों का निर्यात काफी कम हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) औद्योगीकृत देशों द्वारा मदों के आयात के लिए "गाट स्कीम" नामक कोई विशिष्ट योजना नहीं है । टैरिफ तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार (गाट) सरकारों के बीच एक बहुपक्षीय संधि है जिसमें अन्तर्गत विश्व व्यापार को उदार करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक नीति के क्षेत्र में अधिकारों व दायित्वों की व्यवस्था है ।

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

'ओपेक' देशों के साथ भारतीय व्यापार

6394. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेरह 'ओपेक' देशों के साथ भारत का व्यापार कितने प्रतिशत रहा ;

(ख) क्या यह सच है कि विकासशील देशों ने निर्यात के मामले में भारत के अंशदान की तुलना में हम देशों को अपनी निर्यात-आय बढ़ा दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कमी के क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद मालम खान) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत के कुल निर्यातों तथा आयातों में ओपेक (13 राष्ट्रों) का सापेक्ष अंश इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	निर्यात प्रतिशत भाग	आयात प्रतिशत भाग
1977-78	12.4	21.8
1978-79	12.3	20.0
1979-80 (अनन्तिम)	11.6	26.6

(ख) अनन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि गत तीन वर्षों के दौरान 'ओपेक' देशों को हुए भारतीय वस्तुओं के निर्यातों में समग्र रूप से अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा कम दर से वृद्धि हुई है। तथापि यदि परियोजना निर्यातों तथा परामर्शी आदि जैसी सेवाओं के निर्यात शामिल हैं तो संभवतः यह सही न हो।

(ग) हालांकि गत कुछ वर्षों के दौरान इन देशों को हमारे निर्यातों में वृद्धि हुई है परन्तु इन देशों के कुल आयातों में हमारा अश बहुत कम है। विपणन तथा अन्य अवस्थापना लाभों के कारण औद्योगिक देशों के निर्यातक ओपेक के बाजारों पर छाये हुए हैं, चावल, फल तथा सब्जियां मांस तथा मांस उत्पादों जैसी कुछ वस्तुओं के बारे में हमें कुछ लाभ है परन्तु इन उत्पादों के बारे में हमारी घरेलू बाधाओं के कारण पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सका जिसके लिए घरेलू कमी को दूर करने की दृष्टि से हमें कभी-कभी इन उत्पादों के निर्यातों को विनियमित भी करना पड़ा। तथापि, हाल में विनिर्मित उत्पादों, विशेषकर इंजीनियरी मदों के बारे में लाभप्रद रुख रहा है और इराक, साऊदी अरब तथा लीबिया जैसे ओपेक के कुछ देशों को इंजीनियरी मदों के हमारे निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

हाल ही में हम ओपेक के कुछ महत्वपूर्ण देशों को हमारे परियोजना निर्यातों को बढ़ाने की संभाव्यताओं पर जोर देते रहे हैं क्योंकि इन देशों ने काफी व्यापक विकासात्मक कार्यक्रम करने शुरू कर दिये हैं जिससे इन देशों को हमारे परियोजना निर्यातों में वृद्धि करने के लिए हमें काफी अवसर मिले हैं। हमने इसमें कुछ सफलता प्राप्त करली है और निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों में अनेक भारतीय कम्पनियों ने अधिकांशतः सिविल निर्माण के क्षेत्र में अनेक परियोजना संविदाएं प्राप्त की हैं। उदाहरण के तौर पर डब्ल्यू० ए० एन० ए० क्षेत्र में भारत ने इराक, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, साऊदी अरब, कुवैत तथा इस क्षेत्र में कुछ अन्य देशों में परियोजना सविदाएं प्राप्त की हैं जिनका कुल मूल्य पहले ही 3000 करोड़ रु० से अधिक हो गया है।

प्रचुर तेल वाले ओपेक देशों की बड़ी संभाव्यताओं को देखते हुए पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन दुबाई में फरवरी, 1981 में हुआ था। इस सम्मेलन के विचार-विमर्श जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य मन्त्री द्वारा की गई थी, के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र को हमारे निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि करने और परियोजना

गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए अनेक कार्रवाई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। पोतलदान पूर्व निरीक्षण पद्धति को सरल तथा कारगर बनाने, को सुकर बनाने को पोत लदान की सुविधाओं में सुधार करने और इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्रों में पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनियां आयोजित करके तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेकर प्रभावी प्रचार करने के लिए कार्यवाही योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं। इसके अलावा व्यापारिक दौरों/प्रतिनिधिमण्डलों के आदान प्रदान के लिए एक समन्वित योजना भी तैयार की जा रही है।

औद्योगीकृत देश को भारतीय निर्यात

6395. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान औद्योगीकृत देशों को अन्य विकासशील देशों द्वारा किए गए निर्यात की तुलना में भारतीय निर्यात की प्रतिशतता क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : 1974 से 1978 तक 5 वर्षों के लिए प्रमुख चुनिन्दा औद्योगिक देशों के आयात में, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों पर आधारित भारत और साथ ही विकासशील देशों के सम्बन्धित भाग निम्नोक्त प्रकार हैं :—

देश	वर्ष	प्रतिशतता के रूप में आनुपातिक भाग				
		1974	1975	1976	1977	1978
पश्चिमी जर्मनी						
विकाशसोल देश		22.7	20.3	20.7	20.6	18.0
भारत		0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
फ्रांस						
विकासशील देश		28.8	26.9	26.4	26.6	23.4
भारत		0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
ब्रिटेन						
विकासशील देश		26.3	24.1	24.1	21.1	18.5
भारत		0.8	1.0	1.1	1.1	0.8
सं० राज्य अमेरिका						
विकासशील देश		38.9	40.3	43.0	45.3	41.0
भारत		0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
जापान						
विकासशील देश		53.2	53.3	55.5	56.4	53.4
भारत		1.1	1.1	1.2	1.1	1.0

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आकड़ों की संयुक्त राष्ट्र ईयर बुक।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण और राजसहायता दिया जाना

6396. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों को प्रोत्साहन देने के लिए (एक) ब्याज की सामान्य दरों पर (दो) ब्याज की विशिष्ट दरों पर ऋण और सहायता देने की कोई योजना तैयार की है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1980-81 के दौरान इनमें से प्रत्येक बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश में विभिन्न मदों के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) क्या इन प्रयोजनों के लिए 1981-82 के दौरान अधिक उदार ऋण/ सहायता दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के विभिन्न मदों के कार्यान्वियन के लिए अर्थक्षम योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है । लाभ प्राप्तकर्त्ताओं का चयन राज्य विकास एजेंसियों द्वारा किया जाता है तथा विभेदी ब्याज की दर योजना के अंतर्गत पात्र ऋणकर्ताओं के मामलों को छोड़कर सामान्य ब्याज की दर के अन्तर्गत ऋण दिया जाता है । बिभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऐसे ऋणकर्त्ताओं को 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ऋण प्राप्त होता है । किसी योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कोई राजसहायता नहीं दी जाती है । बैंकों को जिला ऋण योजनाओं तथा वार्षिक कार्य योजनाओं में 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की सहायता के लिए योजनाएं शामिल करने की सलाह दी गई हैं ।

(ख) हिमाचल प्रदेश में 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को विभिन्न मदों के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये ऋणों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है ।

पटसन के मूल्य में गिरावट

6397. **श्री के० प्रधानी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों और भारतीय पटसन निगम द्वारा बाजार में उपलब्ध पटसन की खरीद न किये जाने के कारण पटसन के मूल्य में कोई गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक; और

(ग) सरकार ने पटसन उत्पादकों के हित की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) केवल उस

लो ग्रेड पटसन तथा मेस्टा के मामले में कीमतें कानूनी स्तरों से नीचे गिरी है जिसकी भारत अथवा बिदेशी दोनों में कम मांग है। बेहतर ग्रेडों के पटसन की कीमतें कानूनी न्यूनतम कीमतों से आमतौर पर उंची बनी रहीं।

1980-81 में भारतीय पटसन निगम तथा सहकारी समितियों द्वारा 10 लाख गांठों से अधिक पटसन खरीदी गई जो अब तक का रिकार्ड है। इसके अलावा अधिकांश खरीदारी उपजकर्ताओं से सीधे ही की गई है। अतिरिक्त खरीदारी का दबाव सांविधिक आदेश जारी करके उत्पन्न किया गया था जिसमें पटसन मिलों को निदेश दिया गया था कि वे दिसम्बर, 1980 के अन्त तक कच्चे पटसन की 16 सप्ताहों की आवश्यकताओं की माल सूची तैयार करलें।

उत्तर प्रदेश में स्थानीय तथा राष्ट्रीय पर्यटक स्थल

6398. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने स्थानीय तथा राष्ट्रीय पर्यटक स्थल हैं और वे कहां-कहां पर हैं (जिलावार);

(ख) क्या प्रत्येक राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के समीप कोई पर्यटक बंगले अथवा सरकारी अतिथि गृह बनाये गये हैं ;

(ग) गत 10 वर्षों के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में कितने पर्यटक केन्द्र खोले गये ;

(घ) क्या सरकार के पास पर्यटक केन्द्रों तथा तत्संबंधी कर्मचारियों की सख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में जिला वार पर्यटक स्थलों का अभिनिर्धारण करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। पर्यटक यातायात को देश भर में और अधिक समान रूप से फैलाने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए जाएं। इस प्रकार इन यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों का पर्यटन संवर्धन के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों को एकत्र करते हुए योजना अवधि 1980-85 के दौरान सघन रूप से विकास किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित यात्रा परिपथ इस प्रकार है :—

(1) वाराणसी-सारनाथ-गोरखपुर-कुशीनगर-फारेंदा-सनौली-पिपरहवा (कपिलवस्तु)-नौगढ़-श्रावस्ती-गोंडा-अयोध्या-वाराणसी-लखनऊ।

(2) (दिल्ली)-मुरादाबाद-काशीपुर-रामनगर-कॉरबेट-रानीखेत-कॉरबेट-दुधवा-लखनऊ-(दिल्ली)।

(3) कपकोट-लोहारखेत-धपकुरी-खाती-द्वाली-फुरकिया-पिंडारी-ग्लेशियर और वापिसी।

(ख) पिछली योजना अवधियों (अप्रैल, 1956 से मार्च 1980 तक) के दौरान पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में जुटायी गयी पर्यटक सुविधाएं दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश में आगरा और वाराणसी में 10 से अधिक वर्षों से अपने कार्यालय खोले हुए हैं। तथापि, फिलहाल पर्यटन विभाग की कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने अथवा उत्तर प्रदेश में कोई अन्य कार्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के भी राज्य में पर्यटक ब्यूरो हैं।

विवरण

पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगस द्वारा पिछली योजना अवधियों (अप्रैल, 1956 से मार्च, 1980 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में जुटाई गयी सुविधाएं

केन्द्र	जुटाई गयी सुविधाएं
1. पर्यटन विभाग	
कैलाश मानसरोवर मार्ग	1. विश्राम गृह सुविधाएं
	2. उत्तर प्रदेश में विभिन्न केन्द्रों पर पर्यटक ब्यूरो।
कृशी नगर	3. विकास की महा योजना
श्रावस्ती	4. विकास की महा योजना
आगरा	5. पर्यटक बंगला
	6. ताज तक पहुंच मार्ग
	7. ताज और किले के आस पाल के क्षेत्र का विकास
	8. प्राइवेट होटलों को ऋण
	9. पर्यटक कार प्रचालकों को ऋण
वाराणसी	10. विश्राम गृह
	11. सारनाथ की महा योजना तैयार करना

1	2
इलाहाबाद	12. पर्यटक बंगला
हरिद्वार	13. विश्राम गृह
रुद्रप्रयाग	14. शैड्स
लखनऊ	15. पर्यटक बंगला
	16. प्राईवेट होटलों को ऋण
कारबेट	17. ढिकाला विश्राम गृह का विद्युतीकरण
	18. मिनी बस
दुधवा	19. मिनी बस
नैनीताल	20. यूथ होस्टल
फतेहपुर सीकरी	21. विकास की महा योजना
ब्रज भूमि कम्पलैक्स	22. विकास की महा योजना
2. भारत पर्यटन विकास निगम	
कुशी नगर	23. यात्री गृह
आगरा	24. परिवहन यूनिट
	25. रेस्तरां
	26. होटल
वाराणसी	27. होटल
	28. परिवहन यूनिट

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशियां तथा उनके द्वारा दिए गए ऋण

6399. **श्री मोहम्मद असरार असमद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, की जमा राशियों और उनके द्वारा दिए गए ऋणों की राशि का अनुपात क्या है, उसका राष्ट्रीय औसत तथा अन्य राज्यों का अनुपात क्या है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के इस अनुपात में हाल ही के वर्षों में कमी हुई है ;

(ग) उत्तर प्रदेश में 1978, 1979 और 1980 (वर्षवार) ब्याज की अधिमान्य दरों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों की प्रतिशतता क्या है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा दी जाने वाली राशि की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) जून, 1977, 1978 और 1979 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण : जमा अनुपात का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात (स्वीकृति के अनुसार) जो जून, 1978 में जून, 1977 के 46.6 प्रतिशत से घटकर 46.1 प्रतिशत हो गया था, वह जून, 1979 में बढ़कर 48.2 प्रतिशत हो गया। अग्रिमों के उपयोग के अनुसार उपर्युक्त इन्हीं अवधियों में ऋण जमा अनुपात 52.2 प्रतिशत से घटकर 49.9 प्रतिशत हो गया था और वह फिर बढ़कर 52.9 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में अखिल भारतीय अनुपात 72.5 प्रतिशत से घटकर 69.8 प्रतिशत और फिर 69.1 प्रतिशत हो गया।

(ग) दिसम्बर 1977, 1978 और 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत दिए गए अग्रिमों की कुल बकाया राशि क्रमश: 7.76 करोड़ रुपये, 10.62 करोड़ रुपये और 20.20 करोड़ रुपये थी। इससे पहले के वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार इन बैंकों द्वारा इस राज्य में विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत दिए गए अग्रिमों की राशि उनके द्वारा राज्य में दिए गए कुल अग्रिमों की क्रमश: 1.52 प्रतिशत, 1.26 प्रतिशत और 1.85 प्रतिशत बैठती है।

(ग) बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पिछले वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर अपने कुल अग्रिमों का, कम से कम एक प्रतिशत भाग विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत प्रदान करेंगे।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात का राज्यवार ब्यौरा
(स्वीकृति तथा उपभोग के अनुसार) (प्रतिशत)

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृति के अनुसार — जून के अन्त में			उपभोग के अनुसार — जून के अन्त में		
	1977	1978	1979	1977	1978	1979
1	2	3	4	5	6	7
1; उत्तरी क्षेत्र						
1. हरियाणा	59.8	60.9	63.9	108.3	90.8	103.7
2. हिमाचल प्रदेश	21.2	24.2	27.1	21.8	24.9	27.9
3. जम्मू व कश्मीर	32.0	23.0	37.1	27.6	19.8	30.5
4. पंजाब	32.5	36.1	37.9	76.2	77.9	70.5
5. राजस्थान	60.3	59.2	66.7	67.5	65.1	72.9
6. चंडीगढ़	379.8	349.6	318.2	49.0	39.6	46 1
7. दिल्ली	141.6	116.8	104.9	133.0	115.5	99.6
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र						
1. असम	44.9	43.1	41.2	62.9	63.9	63.0
2. मणिपुर	33.5	34.9	23 8	35.5	35.1	27.9
3. मेघालय	16.4	19.2	18 2	18.5	21.1	18.9
4. नागालैण्ड	34.6	28.6	28.3	39.7	31.8	37.0
5. सिक्किम	3.3	6.1	2.5	3.3	6.3	2.5
6. त्रिपुरा	29.2	40.4	48.7	33.0	43.2	55.8
7. अरुणाचल प्रदेश	6.4	6.5	9.6	26.9	21.4	23.2
8. मिजोरम	3.2	6.6	7.5	1.1	6.3	10.0

1	2	3	4	5	6	7
3. पूर्वी क्षेत्र						
1. बिहार	38.4	41.2	39.2	54.2	53.4	49.6
2. उड़ीसा	61.3	60.8	64.2	70.8	70.0	73·0
3. पश्चिम बंगाल	66.1	64.2	60.6	60.5	58.0	55.2
4. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19.1	21.2	25.5	36.3	24.1	36.0
4. केन्द्रीय क्षेत्र						
1. मध्य प्रदेश	51.0	53.6	54.4	53.7	55.8	57.9
2. उत्तर प्रदेश	46.6	46.1	48.1	52.2	49.9	52.9
5. पश्चिमी क्षेत्र						
1. गुजरात	52 4	51.1	52.1	57.3	54.9	55.9
2. महाराष्ट्र	71.6	73.8	76.4	65.2	67.5	70.6
3. दादरा और नागर हवेली	126.1	85.7	63.5	160.9	111.7	93 3
5. गोआ, दमन और दीव	38.1	39.3	38.5	43.1	42.6	42.4
6. दक्षिणी क्षेत्र						
1. आन्ध्र प्रदेश	66.4	70.4	70.4	69.1	72.3	72.5
2. कर्नाटक	37.9	80.0	77.7	91.4	32.4	79.7
3. केरल	64.0	62.1	65.6	65.6	60.7	67.8
4. तमिलनाडु	100.9	93.4	91.3	99.7	92.8	90.8
5. लक्षद्वीप	3.9	6.6	8.2	3.9	6·6	3.2
6. पांडिचेरी	77.3	70.5	65.7	93.4	78.9	74.2
अखिल भारतीय	72.5	69.8	69.1	72.5	69.8	69.1

सोवियत-रूस और भारत के बीच विमान यातायात

6400. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और सोवियत रूस के बीच यात्री और माल दोनों में वृद्धिगत विमान यातायात का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए दोनों देशों के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोनों ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) भारत को इससे कितना लाभ होगा और क्या अमरीका और अन्य यूरोपीय देशों के साथ इसी प्रकार के करार करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत तथा यू० एस० एस० आर० के बीच 1965 में कुल 12,757 तथा 1979 में कुल 45,854 यात्री ले जाए गए तथा इस प्रकार 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत तथा यू० एस० एस० आर० के बीच वहन किए गए कार्गो का वजन 1965 में 520 टन तथा 1979 में 896 टन थी, और इस प्रकार लगभग 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) भारत सरकार तथा यू० एस० एस० आर० की सरकार के बीच 2 जून, 1958 को एक विमान सेवा करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अन्तर्गत भारत द्वारा नामित एयरलाइन तथा यू० एस० एस० आर० द्वारा नामित एयरलाइन को एक दूसरे देश के भू-भाग को/से होकर परिचालन करने की इजाजत है। करार पर भारत की ओर से परिवहन तथा संचार मंत्रालय (संचार तथा नागर विमानन विभाग) में उस समय सचिव श्री एम० एम० फिलिप तथा यू० एस० एस० आर० की ओर से श्री पी० जिगारवे ने हस्ताक्षर किए थे। करार में अंतिम बार अप्रैल, 1972 में संशोधन किया गया तथा उस पर भारत की ओर से पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री एन० खोसला तथा यू० एस० एस० आर० की ओर से नागर विमानन मंत्रालय के श्री बुरोव गन० वी० ने हस्ताक्षर किए।

द्विपक्षीय समझौते में, भारत तथा यू० एस० एस० आर० के बीच के मार्गों पर, प्रत्येक नामित एयरलाइन द्वारा सप्ताह में पांच सेवाओं के परिचालन की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) भारत किस हद तक लाभान्वित होगा यह एयर इंडिया तथा एयरोफ्लोट द्वारा दोनों एयरलाइनों के बीच हुए मूल समझौते के अन्तर्गत वहन किए गए यातायात की मात्रा पर निर्भर करेगा। एयर इंडिया को एयरोफ्लोट से 1977-78 के वर्ष के लिये 247.64 लाख

रुपए, 1978-79 के वर्ष के लिए 255.69 लाख रुपए और 1979 80 के वर्ष के लिए 290.50 लाख रुपए प्राप्त हुए ।

भारत ने यू० एस० ए० तथा अन्य यूरोपीय देशों यथा बेलजियम, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, हंगरी, इटली, नीदरलैंड. पोलैंड, स्कैंडिनेवियन देश और यू० के०, के साथ विमान सेवा करार किए हैं ।

इन करारों में भारत और इन देशों के बीच भारत द्वारा नामित विमान कम्पनी, अर्थात् एयर इंडिया और संबंधित देशों द्वारा नामित विमान कम्पनियों द्वारा अनुसूचित विमान सेवाओं से परिचालन की व्यवस्था की गई है ।

तम्बाकू का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात

6401. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व के अग्रणी तम्बाकू निर्यातकर्ताओं में से एक है ;

(ख) प्रति वर्ष कुल कितने मूल्य के तम्बाकू का निर्यात किया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिचौलिये तम्बाकू निर्यात का अनुचित लाभ उठा रहे हैं ;

(घ) निर्यात व्यापार में इस समय कौन-कौन सी पार्टियां लगी हुई हैं और क्या सरकार का विचार तम्बाकू के निर्यात को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने पर विचार करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो कब ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले 4 वर्षों के दौरान अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात इस प्रकार हुए हैं :—

वर्ष	मात्रा (मिलियन किग्रा०)	मूल्य (करोड़ रु०)
1977-78	89.4	113.21
1978-79	78.6	110.71
1979-80 (अनन्तिम)	64.8	99.53
1980-81 (अप्रैल-जनवरी) (अनन्तिम)	68.1	110-86

(ग) न्यूनतम निर्यात कीमतों तथा तम्बाकू बोर्ड में निर्यातकों के पंजीकरण की शर्तों के अधीन अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात मुक्त रूप से करने की अनुमति है ।

(घ) से (च) प्रमुख तम्बाकू निर्यातकों के लाभ नीचे दिये गये हैं :—

1. आई० टी० सी० लिमिटेड ।
2. नवभारत इन्टरप्राइजिज प्रा० लि० ।
3. श्री जयलक्ष्मी टुबेको प्राइवेट लि० ।
4. पॉलिसेट्टी सोमासुन्दरम प्रा० लि० ।
5. सुन्दरम टुबैकोज ।
6. विश्व भारत एग्रोप्रोडक्ट्स प्रा० लि० ।
7. ईस्ट इंडिया टुबैको कं० लि० ।
8. एग्रीम्मकोर प्रा० लि० ।
9. सिलेमनखान एण्ड महबूबखान टुबैको लि० ।
10. माडी वेन्कटरत्नम एण्ड कं० प्रा० लि० ।
11. माडी लक्ष्मैया एण्ड कं० प्रा० लि० ।
12. डन्कन्स एग्रो इण्डस्ट्रीज लि० ।
13. नोमीडाला ब्रदर्स लि० ।
14. सुपारी वाला एक्सपोर्ट्स ।
15. गुजरात टुबैको ट्रेडिंग कं० ।
16. त्रिभुवनदास भिखाई भाई ।
17. गुजरात टुबैको कं० ।
18. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि० ।
19. गोगिनी टुबैकोज ।
20. श्री दुर्गा टुबैको कं० ।

अन्य गैर सरकारी निर्यातकों के अलावा राज्य व्यापार निगम भी तम्बाकू निर्यात कर रहा है । तथापि राज्य व्यापार निगम की मार्फत तम्बाकू के निर्यात को सरणीबद्ध करना वांछनीय नहीं समझा जाता क्योंकि इस समय तम्बाकू का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार खरीददारों का बाजार है, कुछ वर्षों में कुछ विदेशी आयातकों व भारतीय निर्यातकों के बीच मजबूत संबंध स्थापित हो गए हैं और अन्य निर्यातक देशों से भारत को बड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की राशि

6402. श्री एडुआर्डो फेलीरो : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, गोवा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए थे ;

(ख) छोटे किसानों, बेरोजगार युवकों और समाज के कमजोर तथा निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ;

(ग) निर्धन तथा कमजोर वर्गों को ऋण देने के किए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) वर्ष 1981 के क्या लक्ष्य हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जून, 1975 से 1979 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमन और दीव के गोवा जिले में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के (स्वीकृति के अनुसार) अग्रिमों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1975	5306
1976	5903
1977	6651
1978	7942
1 79	9324

(ग) आंकड़े जिस रूप में मांगे गए हैं वे सूचना-प्रणाली द्वारा प्राप्त नहीं होते। यद्यपि, संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमन और दीव में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सितम्बर, 1979 के अन्त तक किसानों को दिए गए अग्रिमों के उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि कृषि को दिए गए 16,000 ऋण-खातों में 1.95 करोड़ रुपये की राशि के कुल प्रत्यक्ष वित्त में से, 1.27 करोड़ रुपये तथा 14,000 ऋण खाते छोटे तथा सीमांतिक किसानों के सम्बन्ध में हैं।

दिसम्बर, 1979 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के 14,283 खातों में दी गई राशि 1.36 करोड़ रुपये थी।

(ग) बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने की सलाह दी

गई है जिससे कि वह मार्च 1985 तक उनके कुल ऋण का 40 प्रतिशत हो जाए। कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्रों, जिनमें छोटे तथा सीमांतिक किसान, भूमिहीन मजदूर, कारीगर, शिल्पकार, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग आदि शामिल हैं, समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त ऋण की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के वास्ते विशिष्ट लक्ष्य भी निर्दिष्ट किए गए हैं। बैंकों को अनुसूचित जातियों/जनजातियों को अपनी जिला ऋण आयोजनाओं में अधिक महत्व देने तथा उन आर्थिक क्रियाकलाप के क्षेत्रों के वास्ते, जिनमें ये लोग कार्यरत हैं, उपयुक्त विशिष्ट योजनाएं बनाने की सलाह भी दी गई है।

(घ) वर्ष, 1981 के लिए वार्षिक कार्य आयोजना तैयार की जा रही है।

एयर इण्डिया के साथ उसके एजेंटों द्वारा एक करोड़ रुपये की ठगी

6403. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया से उसके द्वारा हांगकांग, फिलिपीन्स तथा भारत में नियुक्त किए गए एजेंटों ने एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि ठग ली है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एजेंट के साथ हुए ठेके की शर्तें क्या हैं, प्रत्येक को कितने प्रतिशत कमीशन दिया जाता है और प्रत्येक ने कितने समय से राशि का भुगतान नहीं किया है ;

(ग) क्या कर्तव्य के प्रति लापरवाही अथवा कुप्रबंध के कारण इस घोटाले में एयर इंडिया का कोई अधिकारी भी अन्तर्ग्रस्त है ;

(घ) प्राप्त न हुई उक्त राशि को एजेंटों से वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विदेशों तथा भारत में कार्यरत इन एजेंटों की करार-शर्तों तथा कार्य निष्पादन की जांच की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इंडिया का, ईरान, फिलिपाइन्स तथा भारत स्थित, अपने एजेंटों की तरफ लगभग 75 लाख रुपये बकाया है।

(ख) सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एयर इंडिया के कर्मचारियों के विरुद्ध, इस चूक के लिए उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए, अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(घ) चूककर्ता एजेंटों से राशि वसूल करने के लिए उनके विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी कार्यवाहियां प्रारम्भ की गई हैं।

(ङ) यह देखना एयर इंडिया का कार्य है, जिन्हें ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे एजेंटों की काम की शर्तों एवं कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण करें ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके ।

संसद् का व्यय

6404. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् का कुल व्यय कितना है ; और

(ख) संसद् का प्रति घंटा व्यय कितना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वर्ष 1981-82 के लिए बजट में शामिल किया गया संसद् का कुल प्रत्यक्ष व्यय 965.81 लाख रुपये है । इसमें विधायी और गैर-विधायी कार्यों की मदों पर संसद् को सूचना देने के संबंध में मंत्रालयों द्वारा किया गया व्यय शामिल नहीं है जिसके बारे में व्यय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए न तो कोई स्थायी व्यवस्था विद्यमान ही है और न ही सेवा करना व्यवहारिक है ।

(ख) सांकेतिक कार्य दिनों की संख्या के आधार पर (रविवार, दूसरा शनिवार और 16 पूर्ण अवकाश के दिनों को छोड़कर) संसद् पर होने वाला औसत व्यय प्रति दिन 3.39 लाख रुपये या प्रति घण्टा 48 हजार रुपये बैठता है । किन्तु, यदि वास्तविक कार्य दिनों/घण्टों की गणना की जाये तो प्रति घण्टा व्यय और अधिक होगा ।

क्षेत्रीय सलाहकार पैनल के गठन का प्रस्ताव

6405. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
प्रो० के० के० तिवारी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्रीय आयात निर्यात सलाहकार पैनल के गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जी हां । एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उत्तरी जोन, पश्चिमी जोन, दक्षिणी जोन तथा पूर्वी जोन प्रत्येक के लिए चार क्षेत्रीय निर्यात आयात समितियां स्थापित की जा रही हैं ।

2. प्रत्येक जोन के लिए समिति के सदस्य व्यापार तथा उद्योग, निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के सरकारी प्रतिनिधि होंगे ।

3. समिति की अवधि दो वर्ष के लिए होगी ।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नोक्त होंगे ।

(क) निर्यातकों को नकद प्रतिपूर्ति सहायता के वितरण सहित चालू आयात एवं निर्यात नीतियों और क्रियाविधियों के कार्यचालन में व्यापार तथा उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर विचार करना और सुधार के लिए उपाय सुझाना ;

(ख) सीमाशुल्क क्लीयरेंस, शिपिंग, ऋण, बीमा तथा निर्यात निरीक्षण के मामले में निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर विचार करना तथा ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपाय सुझाना; तथा

(ग) आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठनों तथा व्यापार एवं उद्योग से संबंधित अन्य सरकारी विभागों के कार्यचालन एवं जनसंपर्क के तरीकों में सुधार के लिए सुझाव देना ।

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थिति पर मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वहां स्थिति बिगड़ रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल 377 के अधीन अनुमति दी थी । और हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत इस पर फिर से विचार कर सकते हैं । आप इस बारे में नोटिस दे दीजिए और हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : पुलिस कैम्पस में घुस गई है और उन्होंने छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है । छात्र संघ के अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा । (**व्यवधान**) कृपया बैठ जाइए । मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपको क्या कहना है ।

श्री आनंद गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : पश्चिम बंगाल में एक अत्यन्त गम्भीर घटना हुई है अध्यक्ष (**व्यवधान**) पश्चिम बंगाल में अकारण गोली चलाए जाने से 30 तारीख को तीन व्यक्ति मारे गए । उसके खिलाफ.....

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है ।

श्री आनंद गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : आज पश्चिम बंगाल में पूरी हड़ताल है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला हे (**व्यवधान**)* हम इस पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा हूं। मैंने उन्हें स्वीकृति नहीं दी है (**व्यवधान**) * कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि दोनों ही बोल रहें हैं (**व्यवधान**) * मैं स्वीकृति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा (**व्यवधान**)* कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा (**व्यवधान**)*

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : हम उसके स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने इस बारे में नोटिस दिया है ? क्या किसी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम उनके स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है ? मुझे कोई भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस नहीं मिला है (**व्यवधान**) * आप बैठिये। (**व्यवधान**) * मेरी इजाजत बिना कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा (**व्यवधान**)

श्री इंद्रजीत गुप्त खड़े हुए : (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कुछ सुन सकता हूं ? (**व्यवधान**) कृपया बैठ जाइए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : न मेरे पास कोई मोशन है, न कोई और चीज है। इस तरीके से करने से कोई फायदा नहीं होता। हाउस का इस तरीके से टाइम क्यों लेते हैं आप लोग ? (**व्यवधान**) वेस्ट बंगाल का कैसे होगा ? मेरे पास कोई मोशन है क्या? (**व्यवधान**) बैठिये आप। (**व्यवधान**) बैठेंगे नहीं तो मैं क्या करूंगा ? (**व्यवधान**) मैं ऐसा कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं कर सकता जिसमें राज्य संबंधी विषय है। (**व्यवधान**) जो कानून होता है, उससे होता है। मैं तो कुछ करता नहीं। (**व्यवधान**) यदि नियम मुझे इसकी स्वीकृति देंगे तभी मैं ऐसा कर सकता हूं। (**व्यवधान**) मेरी इजाजत के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत शामिल नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)।

श्री आनंद गोपाल मुखोपाध्याय : मैं नियम 355 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। वहां कानून और व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : वहां की सरकार को कार्यवाही करने दीजिए। (**व्यवधान**)* श्री इन्द्र जीत गुप्त आप कुछ कहना चाह रहे थे।

श्री इंद्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : कल उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था .....

* *कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।*

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत इसकी अनुमति दे दी है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : एक मिनट सुनिए। महोदय.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत इसकी अनुमति दे दी है।

श्री इंदरजीत गुप्त : वित्त मंत्री को कुछ संकेत देना चाहिए.....

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने कहा है। इसे पहले ही नियम 377 के अन्तर्गत स्वीकृति दी जा चुकी है। अब आप इसे फिर से क्यों उठा रहे हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त :...वित्त मंत्री को कुछ ऐसा संकेत देना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों को क्रियान्वित किया जाएगा... .

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत इसकी अनुमति दे दी है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : यदि वह ऐसा कुछ करते हैं तो हो सकता है शायद हड़ताल वापस ले ली जाए। यदि वित्त मंत्री स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा तो हड़ताल जारी रखने का यही एकमात्र कारण होगा। पिछली बार भी उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के प्रतिकूल कार्य किया था। इसलिए कर्मचारी आश्वस्त नहीं हैं कि सरकार क्या करने जा रही है .....

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है। मैंने ही नियम 377 के अन्तर्गत इसकी अनुमति दी है। इसलिए अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब मैं इसकी स्वीकृति नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : एक बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी कालेज आफ मैडिकल साइंसेज, सफदरजंग की मान्यता समाप्त कर दी है। छात्र धरना दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। हम इस पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। मैं इस पर विचार करूंगा (व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर एल० आई० सी० एम्पलाइज हड़ताल पर...।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसका निपटान कर चुका हूं। इसकी स्वीकृति नहीं है। (व्यवधान) मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। मेरी इजाजत के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है? क्या आपने इसका कोई नोटिस दिया है?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने तीन दिन पहले नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वह मेरे विचाराधीन है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वह मेरा और श्री उन्नीकृष्णन का है नोटिस दिया जा चुका है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है । मैं यह बता चुका हूं कि वह मेरे विचाराधीन है । हम इसकी सूचना आपको दे देंगे । (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैंने एक पत्र भी लिखा है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे आशा हैं कि आपको मिल गया होगा । यह पुलिस की निगरानी से संबंधित है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे मिल गया है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे नहीं कहूंगा । वह अपने आप चाहें तो वक्तव्य दें सकते हैं । मैं किसी को भी किसी प्रकार के निर्देश नहीं दूंगा ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, सबसे गम्भीर मामले पर मैंने एडजार्नमेंट मोशन दिया है । उत्तर प्रदेश में .....

अध्यक्ष महोदय : विधान सभा का सत्र चल रहा है । वह अपने आप इससे निपट सकते हैं ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : अध्यक्ष जी, देश की सुरक्षा को लेकर मैंने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया है । चीन का डेलीगेशन.....

अध्यक्ष महोदय : हम विदेश नीति पर पूरी तरह वाद-विवाद कर चुके हैं और आपको मालूम है कि ऐसा नहीं किया जा सकता ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : देश की सुरक्षा को इसी समय खतरा पैदा हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बेकार ही क्यों परेशान होते हैं । आप कृपया नियम पढ़ें और फिर मेरे पास आएं ।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैडिकल कालेजेज को सरकार ने टेक ओवर करने का.....।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कहना चाहता हूं .....।

एक माननीय सदस्य : आप गृह मंत्री को एक वक्तव्य देने के लिए कहना चाहिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं क्यों कहूं ? आप गृह मंत्री से अनुरोध करें। मैं किसी भी मंत्री से वक्तव्य देने के लिए नहीं कह रहा हूं। कृपया बैठ जाइए (व्यवधान) इससे पहले कि मैं अगली कार्यवाही शुरू करूं (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप होम मिनिस्टर को कहिए न।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर को आप कहिए मैं क्यों कहूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा।(व्यवधान) कृपया बैठ जाइए इस समय मैं खड़ा हुआ हूं।

इससे पहले कि मैं पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी कार्यवाही शुरू करूं, मैं सदन का ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि (व्यवधान) दो दिन पहले भी हमारे समक्ष हिन्दी और अंग्रेजी के संस्करणों की समस्या थी और मैं इस विषय में चिन्तित हूं (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इसे नहीं उठा रहा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे नहीं उठा रहे हैं। परन्तु इस सदन के हितों को देखना मेरा फर्ज है। मैं चाहता हूं कि यह हो जाए, यह हो जाना चाहिए। परन्तु मुझे बताया गया कि कुछ विशेष कठिनाइयां आ गई हैं। इसीलिए मैं श्री मुखर्जी को अनुमति दे रहा हूं। परन्तु मैं चाहूंगा कि आने वाले सत्र में सभी सुविधाएं मिलें जिससे कि हमें दोनों संस्करण एक साथ मिल सकें। मैं इस बारे में काफी चिन्तित हूं। अब श्री मुखर्जी।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं सभा पटल पर.....

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैंने श्री ज्योतिर्मय बसु के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे विचाराधीन है। मुझे उस पर विचार करने दीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : आपको निर्णय लेने में कितना समय लगेगा। 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं.....

अध्यक्ष महोदय : यह तो मैं नहीं कह सकता। इसमें समय लगता है। जल्दी करने में भी समय तो लगता ही है।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री ज्योतिर्मय बसु ने एक वक्तव्य दिया है। यह बहुत गंभीर मामला है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अब श्री प्रणब मुखर्जी।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना, आयात नीति अप्रैल, 1981-मार्च, 1982 तथा एक विवरण

वाणिज्य और इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सां० आ० 703 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को अधिसूचना में क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज के बारे में यथा-आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विस्तृत खोज करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 2265/81]

(2) आयात नीति, अप्रैल, 1981-मार्च 1982 की एक प्रति।

(3) अप्रैल, 1981-मार्च, 1982 की आयात नीति का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिये एल० टी० सं० 2266/81]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(1) मध्यम अथवा कुटीर क्षेत्रों में उत्पादित माचिसों पर लागू उत्पाद-शुल्क की रियायती दर के लिए पात्रता हेतु डिब्बियां बनाने और लेबल लगाने के संबंध में बिजली का प्रयोग करने अथवा न करने संबंधी शर्तों को 1 जुलाई, 1981 तक आस्थागित किए जाने संबंधी सा० सां० नि० 255 (ङ) से 257 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये एल० टी० सं० 2267/81]

(2) कुटीर क्षेत्र में उत्पादित माचिसों के लिए उत्पाद-शुल्क योजना सम्बन्धी दिनांक 1 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 43/81-सीई के संशोधन के बारे में सा० सां०

नि० 258 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(3) सा० सां० नि० 264(ङ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा मद 68 के अन्तर्गत आने वाले माल को, जिसका निर्माण ऐसे परिसर में किया गया हो जो कारखाना अधिनियम, 1948 में यथा-परिभाषित "कारखाना" नहीं हो, दी गई छूट को 1 अप्रैल, 1981 से समाप्त करने के लिए बजाय 31 मार्च, 1981 के बाद भी जारी रखने सम्बन्धी दिनांक 1 मार्च, 198। की अधिसूचना संख्या 46/8।—सीई में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(4) सा० सां० नि० 265(ङ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा 1 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 47/81-सीई का विखंडन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(5) भारत सरकार की टकसाल द्वारा निर्मित मानक स्वयं छड़ों को उत्पाद शुल्क के उतने भाग से जो किसी भी रूप में सोने की ऐसी मानक स्वर्ण छड़ों के परिवर्तित करने की लागत पर उदग्रहणीय शुल्क से अधिक हो, छूट देने सम्बन्धी सा० सा० नि० 266(ङ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के भारत के राजस्व में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए एल० टी० सं० 2267/8।]

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : महोदय, मैं वर्तमान सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) विधेयक, 1981

(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 1981

(3) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1981

(4) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1981

(5) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1981

(6) मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981

(7) मणिपुर विनियोग विधेयक, 1981

(8) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1981

(दो) महोदय, मैं वर्तमान सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 1981 की राज्य सभा के महा-सचिव द्वारा विधिक प्रमाणित एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

लोक लेखा समिति

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित मैसर्स इन्टरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड, यू० के० पर लोक लेखा समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पूर्वोत्तर क्षेत्र में गाड़ियों के पटरी से उतरने की कथित घटनाएं

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेल मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल मर्गों पर होने वाले बम विस्फोटों के कारण गाड़ियों के पटरी से उतरने की कथित अनेक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : महोदय.....

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव गृह मंत्री तथा रेल मंत्री के लिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने निर्णय किया है कि रेल मंत्री इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : गृह मत्री को सदन में, उपस्थित होना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए गृह मंत्री का उपस्थित होना अत्यावश्यक है। यह मामला केवल रेल मंत्रालय से ही सम्बद्ध नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। रेल राज्य मन्त्री को भी बुला लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार आपके अनुरोध को सुन चुकी है और यह निर्णय किया गया है कि रेल मंत्री उत्तर देंगे।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : इस विषय के प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मामले से किसका अधिक सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह राज्य मंत्री पहले से ही यहां मौजूद हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : गृह मंत्री की अनुपस्थिति में बहस करना अर्थहीन होगा। रेल मंत्री केवल यही कह देंगे कि विस्फोट होने के कारण ऐसा हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय हो चुका है कि रेल मंत्री उत्तर देंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुद्दा केवल यही नहीं है कि रेलों में कुछ विस्फोट हो रहे हैं। यह एक व्यापक मुद्दा है। मेरे विचार से गृह मंत्री को ही यह मामला निपटाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को समझता हूं। परन्तु यह निर्णय हो चुका है कि रेल मंत्री उत्तर देंगे।

श्री चित्त बसु : हमारा उनका निरादर करने का कोई इरादा नहीं है। परन्तु यह मामला गृह मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय दोनों से ही सम्बद्ध है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : इस बात का निर्णय सरकार को करना होता है।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : बहरहाल, एक ही मंत्री ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे सकता है। दोनों मंत्री उत्तर नहीं दे सकते।

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : यह मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है। मैं एक कैबिनेट स्तर का मंत्री हूं और मैं वक्तव्य दे रहा हूं। इस के लिए यही पर्याप्त है।

श्री सतीश अग्रवाल : ऐसी बात नहीं है कि हम यह नहीं जानते कि आप एक कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। हम यह जानते हैं।

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : चूंकि आपने यह मामला उठाया है मुझे यह बात दोहरानी पड़ी है।

विवरण

महोदय,

31-3-81 को लगभग 23.40 बजे जब 3 अप असम मेल पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मरियानी-तिनसुकिया इकहरी लाइन मीटर आमान खंड के सेलेग हाट और आमगुड़ी स्टेशनों के

बीच चल रही थी, उस समय गाड़ी का इंजन साथ के 7 सवारी डिब्बों सहित पटरी से उतर गया। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और 12 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं।

इस सूचना के प्राप्त होने पर, तिनसुकिया और मरियानी से चिकित्सा राहत यान दुर्घटना-स्थल पर रवाना हो गये। जोरहट के सैनिक प्राधिकारियों ने भी दुर्घटनास्थल पर एक रोगी वाहन भेजा। पुलिस के आयुक्त, उपायुक्त, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सेना के विस्फोट विशेषज्ञ, रेलवे के महाप्रबन्धक तथा अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी दुर्घटना-स्थल पर पहुंच गये।

दुर्घटना-स्थल का गहन निरीक्षण करने के पश्चात्, पुलिस विभाग ने 11.00 बजे गाड़ियों को फिर से चलाने की स्वीकृति दे दी और 1-4-81 को 15.00 बजे थ्रू यातायात आरम्भ कर दिया गया था।

यह पता चला है कि जिन विस्फोट विशेषज्ञों ने दुर्घटना-स्थल की जांच की थी, उन्होंने यह राय व्यक्त की है कि पटरी जोड़ों में किसी विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करने के कारण यह दुर्घटना हुई थी।

2. इसके थोड़ी देर बाद अर्थात् 1-4-81 को लगभग 01.00 बजे, बोंगाईगांव-चांगसारी इकहरी लाइन खंड पर नलबाड़ी और घोगरापार स्टेशनों के बीच अप० एस० एन० 18 माल गाड़ी का इंजन 29 माल डिब्बों के साथ पटरी से उतर गया और उलट गया जिससे सीधा संचार अवरुद्ध हो गया।

सौभाग्य से इस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई।

उप मंडल अधिकारी, राजकीय रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों ने दुर्घटना स्थल की जांच की थी। गहन निरीक्षण करने के पश्चात् 1-4-81 को 09.50 बजे फिर से गाड़ियां चलाने की स्वीकृति दे दी थी; 2-4-81 को 22.00 बजे थ्रू यातायात फिर से चालू होने की संभावना थी।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, इस दुर्घटना का कारण तोड़-फोड़ की कार्यवाई होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

31-3-1981 और 1-4-1981 के बीच असम राज्य में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर अनेक बम विस्फोट हुए हैं, जिनके कारण रेल सचलन पर दुष्प्रभाव पड़ा है। इन घटनाओं के ब्यौरे संक्षेप में नीचे दिए गये हैं :—

1. 31-3-1981 को लगभग 21.30 बजे गुवाहाटी-फकीरग्राम मीटर लाइन खंड पर कोकराझाड़ स्टेशन पर एक बम विस्फोट हुआ था। इससे रेलपथ को मामूली सी क्षति पहुंची।

रेलपथ निरीक्षक ने 22.45 बजे रेलपथ को ठीक कर दिया। पुलिस ने दुर्घटना-स्थल की जांच की थी।

2. 1-4-81 को लगभग 00.45 बजे कामाख्या और गुवाहाटी स्टेशनों के बीच एक बम विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप 0.5 मीटर लम्बी रेल की पटरी उड़ गई। पटरी का एक टुकड़ा 3.0 मीटर की दूरी पर पाया गया था। इस विस्फोट के कारण डाउन लाइन पर 0.5 मीटर गहरा और 0.3 मीटर व्यास का एक छेद हो गया। जिस समय यह विस्फोट हुआ उसके ठीक पहले उस जगह से एक माल गाड़ी गुजरी थी। 03.00 बजे इकहरी लाइन संचलन प्रारम्भ किया गया था। पुलिस ने इस दुर्घटना-स्थल की जांच की थी।

3. 1-4-1981 को लगभग 0.10 बजे बराहु और जागी रोड स्टेशनों के बीच पुल सं० 84 पर एक विस्फोट हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप पुल के गर्डर को मामूली सी क्षति पहुंची थी।

4. 1-4-1981 को लगभग 02.05 बजे गुवाहाटी-रंगिया दोहरी लाइन खंड पर चांगसारी और अगथोरी स्टेशनों के बीच अप लाइन पर एक बम विस्फोट हुआ था जिसके परिणामस्वरूप दो मीटर लम्बी पटरी अपने स्थान से हट गई। सभी गाड़ियो को एक ही लाइन पर चलाना आरम्भ किया गया। पुलिस प्राधिकारियों ने दुर्घटना-स्थल की जांच की थी।

5. 1-4-1981 को लगभग 04.30 बजे मरियानी-तिनसुकिया इकहरी लाइन खंड पर बालिमारा और नाहरकटिया स्टेशनों के बीच एक बम विस्फोट हुआ था। एक तरफ की एक फुट लम्बी पटरी उड़ गई थी। पुलिस प्राधिकारियों ने दुर्घटना-स्थल की जांच की थी।

इन सभी घटनाओं पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी तक न तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और न ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली है। आस्तविक ब्योरा और हानि की मात्रा निर्धारित की जा रही है। तथापि, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार रेल परिसम्पत्ति की हुई हानि/क्षति बहुत अधिक हुई प्रतीत नहीं होती।

निवारक उपाय के रूप में पुलिस अधीक्षक, असम के समग्र नियंत्रण के अधीन राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के साथ-साथ इंजीनियरी विभाग के गैंगमैनों द्वारा रेलपथ की गश्त लगाने का काम आरम्भ कर दिया गया है।

गुवाहाटी और रंगिया के बीच डाक एक्सप्रेस गाड़ियों के आगे-आगे विशेष गश्ती गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिन्हें अब नलबाड़ी तक बढ़ा दिया गया है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पांडे जी से हम लोग मिल कर भी आये थे और कहा था कि जब आप अच्छी हिन्दी जानते हो और जबाब

[श्री राम विलास पासवान]

भी लिखा हुआ है हिन्दी में तो हिन्दी में ही जरा सा हमको सुना दीजिए ताकि हम लोग भी समझ जाएं ।

जो अभी रेल एक्सीडेंट हुआ है, और रोज सदन में चर्चा हो ही रही हैं, और जैसा मंत्री महोदय को मालूम है बहुत से माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कहा है कि इनका रेल मंत्रालय एक्सीडेंट मन्त्रालय हो गया है, और कोई ऐसा दिन नहीं होता है, खास कर के प्रत्येक सप्ताह को यदि आप प्रैस क्लिपिंग निकाल कर देख लें, तो ऐसा लगता है कि रेल एक्सीडेंट्स की जैसे बाढ़ आ गई है । कल फिर हो गया । एक प्रश्न पूछा गया था कि रेलवे एक्सीडेंट्स में जो सिर्फ पटरी से उतरने वाले एक्सीडेंट्स हैं वह कितने हैं ? उसका जवाब राज्य सभा में आया था, उसमें बताया गया था कि अगस्त 1980 से जनवरी 1981 तक जो पटरी से उतरने के कारण एक्सीडेंट्स हुए, उनमें मध्य रेलवे में 64, पूर्व रेलवे में 26, उत्तर रेलवे में 54, पूर्वोत्तर रेलवे में 44, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 34, दक्षिणी रेलवे में 49, दक्षिण मध्य रेलवे में 39, दक्षिणी-पूर्व रेलवे में 76 और पश्चिम रेलवे में 48 ।

यह कुल संख्या 434 है । यह अगस्त 1980 से जनवरी, 1981 तक 6 महीने का पीरियड है । इतना ही नहीं, यदि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में देखें तो इसी पीरियड में 70 पटरी से उतरने की घटनाएं हैं ।

एक और प्रश्न के जबाब में 20-2-81 को मंत्री महोदय ने कहा कि 1980 में कुल जो रेल दुर्घटनाएं हुईं हैं, उसका टोटल 976 है और इसमें 227 लोग मारे गये ।

कैटेगरी वाइज इन रेल दुर्घटनाओं के पीछे किस का हाथ हो सकता है, इसके बारे में बताया गया कि रेल कर्मचारियों की गलती से 442 घटनाएं घटीं, अन्य व्यक्तियों की गलती से 123, यांत्रिक उपस्करों की खराबी से 189, रेल पथ की खराबी से 42, बिजली उपस्करों की खराबी से 3, तोड़फोड़ की कार्यवाही से 4, ऐसे कारण जिनका पता नहीं चल सका उससे 27 और ऐसे कारण जिनको अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया, उससे 67 और आकस्मिक से 79 रेल दुर्घटनाएं हुईं । यह मंत्री महोदय का जबाब है जिसमें इन्होंने बताया है कि इन दुर्घटनाओं में कौन-कौन से तत्व हो सकते हैं, किन का हाथ हो सकता है ।

मैंने उस दिन भी कहा था कि आप सुपर फास्ट ट्रेन चला रहे हैं, और दूसरे तरीके पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान ही नहीं दिया है । 189 दुर्घटना यांत्रिक उपस्करों की खराबी या रेल पथ की खराबी से हो रही हैं और आप इसमें सुपर फास्ट ट्रेनों की व्यवस्था करते जा रहे हैं । दूसरी तरफ यह जानकारी नहीं करते हैं कि जो रेलवे लाइने हैं, पटरियां हैं, उनमें इन सुपर फास्ट गाड़ियों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है या नहीं । सन् 1979 तक साढ़े 5 हजार

किलोमीटर रेलवे लाइन ऐसी थी जिसमें यह सम्भावना थी कि इनमें फ्रेक्चर हो सकता है। अब इन दो सालों में यह संभावना बढ़कर कितनी हो गई होगी, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर हो सकती है। यह किसी भी समय में टूट सकती हैं और उसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं।

आपको याद होगा जब जनता पार्टी की हुकूमत थी, उस समय भी जब बहुत ज्यादा इस तरह की कार्यवाही होने लगी थी, खासतौर से सेबोटाज के कारण मामला बढ़ गया था, तो हमको याद है, हमारे भूतपूर्व रेल मन्त्री यहां सदन में इस समय बैठे हुए हैं, उन्होंने यह घोषणा की थी और 25 हजार के करीब गेंगमैन और आर० पी० एफ० के जवान लगाये थे जिनकी रेक्रियो 12 हजार और 13 हजार की थी, और उस समय जब हाउस में जबाब आया था तो यह माना गया था कि 1 लाख रुपये प्रतिदिन इस व्यवस्था पर खर्चा बैठता है, लेकिन उसका इतना असर हुआ था कि वह सेबोटाज वाला सारा मामला खत्म हो गया था। पटरी पर से उतरने के कारण जो एक्सीडेंट्स होते थे, वह सारा मामला चैक हो गया था। खर्च जरूर एक लाख रुपये प्रतिदिन का पड़ रहा था।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : सारे तो सेबोटाज वाले आपके साथ है, तो क्या करें ?

श्री राम विलास पासवान : किस के साथ हैं वह ? आपको तो सब चीजों में हम ही नजर आयेंगे। इसी से तो देश गर्त में जा रहा है। कभी भी आपने जवाबदेही अपने सिर पर ली ही नहीं है। जब होम मिनिस्टरी का मामला आयेगा तो होम मिनिस्टर भी कहेंगे कि हम लोगों का हाथ है। नहीं कुछ हमारे खिलाफ मिलेगा, तो कहेंगे कि विदेशी हाथ है। आपको इसमें अभी तक विदेशी हाथ नजर नहीं आया है, कुछ दिन के बाद आप भी कहियेगा कि इसमें विदेशी हाथ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके आगे बैठे हैं।

श्री राम विलास पासवान : पीछे से हमारे एक साथी कह रहे हैं हाई जेकर, रेलवे जेकर नहीं हाई जेकर। जब उनको आप एम० पी० और एम० एल० ए० बनाना चाहते हैं तो फिर किस का हाथ हो सकता है यह देखें ? (व्यवधान) इसीलिए एक लिस्ट उसकी ले लीजिए, सब का लिस्ट बना हुआ है कि कितने आपके पास हाई जैकर्स हैं, कितने स्मगलर्स हैं। यह कहने और बताने की जरूरत नहीं। अपनी गलती को टालने के लिए ये लोग हमेशा ऐसी बातें कहते रहते हैं। आसाम की समस्या के बारे में ये लोग शुतुरमुग के समान आंख मूंद कर चल रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : होम मिनिस्टर आ गए हैं।

श्री राम विलास पासवान : हम लोग यह मांग कर रहे थे कि यह मामला होम मिनिस्ट्री से सम्बन्धित है, इसलिए होम मिनिस्टर भी सदन में रहें। ठीक है, जूनियर होम मिनिस्टर आ गए हैं।

[श्री राम विलास पासवान]

आसाम में एक विशेष पारिस्थिति है । वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है । सेंटर जबर्दस्ती उस सरकार को कायम किए हुए हैं । और वहां के लोगों पर लादे हुए है ।

सेबोटेज, ट्रेन एक्सिडेंट्स और दूसरे मामलों के बारे में, जो कि हमारे कालिंग एटेन्शन नोटिस का विषय है, मैंने बताया है कि हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी, उस समय उसका निश्चित रूप से लाभ हुआ था । यदि उसका लाभ नहीं हुआ था, तो मंत्री महोदय बतायें कि वह एक्सपेरिमैंट फेल हो गया और उससे लाभ नहीं हुआ । उस व्यवस्था पर एक लाख रुपए प्रतिदिन का खर्चा होता है । जब कोई एक्सीडेंट होता है, तो लोगों की जानें जाती हैं और सरकार को उसका काम्पेन्सेशन भी देना पड़ता है । तो क्यों न पहले से ही सुरक्षा की व्यवस्था की जाये; ताकि ऐसी घटनायें न घटें ? सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ।

मैं यह नहीं कहता कि केवल वही अन्तिम उपाय है । मंत्री महोदय के सामने दूसरे उपाय भी हो सकते हैं । लेकिन इस मामले को एक घिसे-पिटे ढंग से नहीं लेना चाहिए । हम पार्लियामैंट में सवाल पूछते हैं, कालिंग-एटेन्शन के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाते हैं और सरकार के द्वारा एक ही जवाब दे दिया जाता है । लेकिन ज्यों-ज्यों हम मर्ज का इलाज करते हैं, त्यों-त्यों वह बढ़ता चला जाता है । अफसर लोग क्या कहते हैं, उनकी तरफ से क्या स्लिप जाती है, मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान न दें । उन्हें बहुत पुराना अनुभव है । वह इस पर विचार करें कि वह क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से देश की जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि भविष्य में ये ट्रेन की दुर्घटनायें और गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनायें नहीं होंगी ।

मैंने अभी फिगर्ज पढ़ कर बताया है कि इन दुर्घटनाओं के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं । मंत्री महोदय का जवाब है कि रेल कर्मचारियों की गलती से 442 दुर्घटनाएं और अन्य व्यक्तियों की गलती से 123 दुर्घटनाएं हुई । यांत्रिक उपस्करों की खराबी से 189 दुर्घटनाएं हुईं । यांत्रिक उपस्कर किस के हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है ? रेल-पथ की खराबी के कारण 42 घटनाएं हुई हैं । यह भी शुद्ध सरकार का मामला है । इसी तरह बिजली उपस्करों की खराबी से 3 दुर्घटनाएं हुई । उसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर है । 4 दुर्घटनाएं तोड़-फोड़ की कार्यवाही की वजह से हुई ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है । मैं मंत्री महोदय से खास तौर से जानना चाहता हूं कि 5500 किलोमीटर से ज्यादा जो रेलवे लाइन करीब-करीब एकदम डैमेज्ड है, फ्रैक्चर की स्थिति में है, उसके स्थान पर नई रेलवे लाइन बिछाई गई है या नहीं; तो वह यह काम कब तक करने जा रहे है । 5500 किलोमीटर की फिगर तो 1979 की है । अब उससे बढ़ कर कितने किलोमीटर रेलवे लाइन फ्रैक्चर की स्थिति में हो गई है और क्या उसको बदला गया है या नहीं; अगर नहीं, तो उसको कब तक बदला जा रहा है ?

सरकार गैंगमैन और आर० पी० एफ० को एक्स्ट्रा ड्यूटी दे और उन्हें एक्स्ट्रा पैसा दे, ताकि इन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हमने हमेशा यह सुझाव दिया है कि रेलवे इंजिन में आटोमैटिक वारनिंग सिस्टम लगाया जाये, ताकि अगर कहीं कोई खतरा हो, तो ड्राइवर को पहले से ही पता चल जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आटोमैटिक वारनिंग सिस्टम को उपयोग में लाने जा रहीं है या नहीं।

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा है, वह एक काम्प्रिहैंसिव सवाल है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जवाब भी ऐसा ही होना चाहिए।

श्री केदार पांडे : यह जो कालिंग एटेन्शन है, वह तो एक लिमिटिड दायरे में है। बम एक्सप्लोज़न की वजह से ट्रेन का डीरेलमेंट हुआ, जिससे 1 आदमी मर गया और 12 आदमी घायल हो गए। यह एक्सिडेंट बाकी एक्सिडेंट्स से सरोकार नहीं रखता है। (**व्यवधान**) यह सैबोटेज का मामला है, बम एक्सप्लोज़न का मामला है, ट्रैक को उखाड़ने का मामला है।

श्री राम विलास पासवान : सब में नहीं है। आप दूसरा पढ़िए, दूसरे में आप ने कहा है कि रेल उतरी है·····(**व्यवधान**)···

श्री केदार पांडेय : यह भी इसी तरह की चीज है। इस में मुख्य बात यह है कि आसाम का एजीटेशन बहुत दिनों से चल रहा है। जब जनता पार्टी की हुकूमत थी उसी वक्त से, सितम्बर, 79 से यह सब काम शुरू हुआ जब कि आप इधर थे और अब हम इधर हैं। इसलिए यह समाज की एक बात है, समाज की एक तस्वीर है और उस में असाम की जो घटना है, वहां जो एजीटेशन बहुत दिनों से चल रहा है, एक इसीडेंट एक स्टेट में चल रहा है, जिस का बहुत बड़ा असर सारे देश पर है। उस का इंतजाम हम लोग करना चाहते हैं। आप ने भी किया जब आप इधर थे। आप भी नहीं चाहते कि इस तरह का एजीटेशन हो, कोई नहीं चाहता। जितने सदन के माननीय सदस्य हैं सब इस पर चिन्तित हैं, मैं मानता हूं इस बात को क्योंकि आसाम में जो एजीटेशन हो रहा है उस का अन्त होना चाहिए। उस के लिए प्रयास भी हो रहा है। प्रयास हुआ। आज वहां पर एक गवर्नमेंट बनी, और अभी चल रहा है, लेकिन जब एजीटेशन होगा तो उस का प्रोजेक्शन सब जगह होगा। समाज का प्रोजेक्शन होगा और रेल पर भी उस का असर पड़ेगा। उसी से एक्सप्लोज़न और यह सब है। इसलिए यह जो एक्सीडेंट है यह आसाम के एजीटेशन का एक रूप है। उसी का एक प्रतिविम्ब है, उसी का एक प्रोजेक्शन है।

अब उसी दायरे में हम इस बात को मानते हैं कि एजीटेशन ख़त्म होना चाहिए, बम-एक्सप्लोज़न नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में इस तरह के लोग हैं जो बम चलाते हैं, जो वायलेंस में विश्वास करते हैं और उनके गुस्से के इज़हार का ज़रिया हो जाता है कि ट्रैक उखाड़ दो, बम चला दो, डिरेलमेंट कर दो। ·····(**व्यवधान**)·····हम तो किसी एक व्यक्ति

[श्री केदार पांडे]

का नाम नहीं लेते हैं और न किसी पार्टी का नाम लेते हैं। हम तो समाज की जो तस्वीर है उस को बता रहे हैं और सब किसी को मन ही मन समझना चाहिए, हम भी समझें, आप भी समझें, जार्ज फर्नान्डीस साहब भी समझें। इस बात को सभी को समझना है और सब के समझने के बाद इस का इलाज खोजना है। तो एक तो यह बात मैं कहना चाहता हूं यह जो एक्सीडेंट है इस के बारे में।

यह बात ठीक है कि जो रोलिंग स्टाक हमारा है, हिन्दुस्तान की रेलवे का उस से काफी संतोष हम को नहीं है। रिन्युअल रिप्लेसमेंट होना चाहिए और उस के लिए अभी जो बजट और सिक्थ फाइव ईयर प्लान है उस में 5100 करोड़ रुपया जो रखा था उस का परसेंट रिन्युअल रिप्लेसमेंट पर रखा है। उसी में ट्रैक का रिप्लेसमेट होगा। जो पांच हजार रूट किलोमीटर की बात आप करते हैं कि इतने में गड़बड़ी है उस में से एक एग्जाम्पल मैंने यहीं पर रखा था कि कटिहार-मामला लाइन में 40 फैक्चर है और उस को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। 1 करोड़ 88 लाख रुपया उस पर खर्च होगा। इसी तरह से और भी हैं। इस बात से में इनकार नहीं करता हूं। इंडियन रेलवे में आप देखें रोलिंग स्टाक का रिन्युअल रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। बहुत वर्षों से उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस के बिना काम नहीं चलेगा। इसीलिए छठी पंच वर्षीय योजना में जो रकम रखी गई है 5100 करोड़ उस का करीब-करीब आधा हम इसी में खर्च करने जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं तो अभी बजट की जो बातें चल रही थीं उस में ये सारी बातें आई हैं। उस की जानकारी तमाम लोगों को है। तो उस को तो हम करेंगे। यह उन्हें सोचना चाहिए, उस तरफ हम कदम बढ़ा चुके हैं। नयी लाइन तो हम ने इस बजट में दी नहीं, जानबूझकर नहीं दीं, इसलिए कि पैसा उसी में खर्च करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि यह जो बजट है यह रिहैबिलिटेशन बजट है। जो आप कह रहे हैं, मेरे साथ तो आप सहमत हैं, इस में ढील कहां, हैं ? हम इस को करना चाहते हैं और आप लोगों को फुल कोआपरेशन इस में चाहिए। अर्नेस्ट डिजायर यह हमारी है कि इंडियन रेलवे को राइट लाइन पर लाया जाय और जहां पर भी गड़बड़ी है उस को दूर किया जाय। लेकिन देहात में हमारे यहां एक कहावत है कि हजार वर्ष का कुष्ट एक एकादशी से साफ नहीं होगा। समय लगेगा उस में।

ऐक्सीडेंट्स की जहां तक बात है, सन् 62 से लेकर आज तक के ऐक्सीडेंट्स के बारे में हम ने कुछ अध्ययन किया। कभी 800, कभी 900 और 750 एक्सीडेंट्स हुए लेकिन 750 से कभी कम कभी नहीं हुए। यह हिन्दुस्तान को रेलवेज़ का इतिहास है। 1962 में 1600 एक्सीडेंट्स हुए थे वह घटते रहे लेकिन 750 से कम कभी नहीं हुए। यह इतना बड़ा आर्गेनाईज़ेशन है और इसमें अभी कमियां भी हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। वार्निंग सिस्टम लागू करने की बात है। अगर हमारा ट्रैक मजबूत हो जाए, कोई गड़बड़ी न हो और इंजन ठीक चले तब तो कोई बात नहीं है लेकिन यह इतना बड़ा देश है, राजनीतिक असर भी पड़ता है, समाज में आर्डर भी

है और डिस-आर्डर भी है, उसका भी प्रोजेक्शन होता है, सैबटाज का मामला है, बम एक्सप्लोजन की बात है, यह सारी बातें हैं। हम चाहते हैं कम से कम एक्सीडैन्ट्स हों लेकिन एकदम कोई एक्सीडेन्ट ही न हो—ऐसी गारन्टी कोई नहीं दे सकता है लेकिन एक्सीडेंट्स जहां तक सम्भव हो कम से कम हों। यही हमारा एम है। यह इतना बड़ा संगठन है और इसमें ह्यूमन एरर भी हो सकती है। ह्यूमन एरर सबसे जबर्दस्त है। सिस्टम में भी चेंज करने की जरूरत है। इस तरह के उपाय किए जायें जिनसे भरसक एक्सीडेन्ट्स न होने पायें क्योंकि कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसके प्रति ममता जागृत होती है। इसलिए अभी जो बात हमारे सामने आई है, एक्सीडेन्ट्स के बारे में, उसमें एजाटेशन एक आफशूट है। इस सिलसिले में हमें आप सभी के कोआपरेशन की जरूरत है ताकि एजिटेशन्स कम हो जायें। आप सभी लोग इसमें हमारी मदद करें और वहां असम में स्टैबल सरकार चले।

श्री राम विलास पासवान : आप उस सरकार को खत्म कर दीजिए। जितना आप उसको चलायेंगे उतना ही गड़बड़ होगा।

श्री केदार पांडे : वह तो जो होगा, होगा लेकिन किसी गवर्नमैंट को डिसप्लेस करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए ताकि वहां पर ला ऐंड आर्डर बना रहे और बम एक्सप्लोजन की जो बात है वह भी न होने पाए।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने अपने स्टेटमेंट में इस पासिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया है कि यह सैबटाज का मामला है। मेरा अपना खयाल है कि यह बिल्कुल सैबटाज का मामला है। हमें इसकी ब्रैक-ग्राउन्ड में जाना पड़ेगा। असम एजिटेशन जोरों पर चल रहा था, वहां की सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो चुकी थी, तेल असम से बाहर नहीं जा रहा था, सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में नहीं जा रहे थे, रेलगाड़ियां नहीं चल रही थीं, बसेज नहीं चल रही थीं, ट्रैफिक बिल्कुल हाल्ट हो गया था और असम के लोगों तक जरूरी सामान दूसरे भागों से नहीं पहुचाया जा रहा था। ऐसी हालत में असम में एक पापुलर सरकार बनाई गई, उस पापुलर सरकार की मुख्य मंत्री माइनारिटी कम्युनिटी की एक महिला बनीं, जो कि पहली बार असम में हुआ, और यह उस मुख्य मंत्री और उनकी सरकार का क्रेडिट है कि इस थोड़े समय में उन्होंने असम के आन्दोलन पर पूरी तरह से काबू पा लिया। वहां पर लाइफ नार्मल हुई, रेलगाड़ियां चलने लगीं, बसेज चलने लगीं, सरकारी कर्मचारी अपना काम करने लगे, जरूरी सामान असम में दूसरे भागों से पहुंचने लगा और तेल की धारा असम से देश के दूसरे भागों तक बहने लगी। वहां का जनजीवन बिल्कुल सामान्य हो गया और सत्याग्रह, एजिट्रेशन नाम की कोई चीज असम में दिखाई नहीं दी। असम में वह शान्ति का वातावरण बड़ी तेजी के साथ वापिस आ रहा था और जो ऐजीटेटर्स थे, आन्दोलनकारी थे, वे राजनीतिक तौर से हट रहे थे, बैकग्राउण्ड में जा रहे थे। असम के लोगों पर जो उसका असर था, वह धीरे-धीरे समाप्त हो रहा था। इस बैकग्राउण्ड में हमें यह देखना होगा कि

[श्री जैनुल बशर]

यह जो रेलवे की लाइन उखाड़ी गई, रेलवे की गाड़ियां उल्टी गईं और ये जो इस प्रकार की घटनायें हैं, ये अकेली नहीं है, पिछले तीन महीनों से देखते आ रहे हैं: रेडियो स्टेशन ब्लास्ट हुआ है । रेलगाड़ियों में जान-माल नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पिछले तीन महीनों से कहीं-न-कहीं कोई-न-कोई बलास्ट हो रहा है । असम के एजीटेशन में जो उग्र तत्व हैं, जो विध्वंसकारी तत्व हैं, उन्होंने, ऐसा लगता है कि फैसला कर लिया है कि चूंकि जनता के बीच में उनकी कोई जगह नहीं रही, अब उनको कोई पब्लिसिटी नहीं मिलने वाली है, अब कोई हड़ताल, धरना या बन्द नहीं करा पा रहे हैं तो इसके लिए उन्होंने यह सैबोटाज का रास्ता अख्तियार किया है । विध्वंसकारी प्रवृत्ति का रास्ता अख्तियार किया है, ताकि बाहर उनको कुछ पब्लिसिटी मिल सके और यह जाहिर हो सके कि असम के आन्दोलन में, असम के एजीटेशन में कुछ जान बाकी है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्री इनोसेंट हैं, पता नहीं किस जगह के रहने वाले हैं, कहां के हैं, उनको असम की राजनीति से लेना-देना कुछ नहीं है, ऐसे लोग इस विध्वंसकारी प्रवृत्ति के निशाने बनते हैं । इस प्रकार के लोगों को जख्मी होना पड़ता है, ऐसे लोगों की जानें जाती हैं और इसी प्रकार के लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है—इसलिए सरकार को इस पर पूरी तवज्जह देनी चाहिए ।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए ।

श्री जैनुल बशर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता था कि आप हिन्दी नहीं समझते हैं ।

श्री जैनुल बशर : मेरा अनुमान था कि आप हिन्दी नहीं जानते ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात को नहीं जानते कि मैं हिन्दी अच्छी तरह से जानता हूं ।

श्री जैनुल बशर : उपाध्यक्ष महोदय, असम में जरूरत इस बात की है कि असम में जो रेलवे लाइनें हैं या नार्थ-ईस्टर्न-रीजन में रेलवे लाइन है, उसको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए । नागालैंड में जब उपद्रव शुरू हुए थे, तो नागालैण्ड के उपद्रव के जमाने में भी इसी प्रकार का सैबोटाज शुरू हुआ था और उस समय पूरे नागालैंड के नार्थ ईस्टर्न-रीजन में रेलवे लाइनों की सुरक्षा की गई थी । इस के लिए सिर्फ आसाम को पुलिस पर ही भरोसा करना ठीक नहीं है । हजारों किलोमीटर की रेलवे लाइनों को केवल असम की पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती इसके लिए बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० के लोगों की भी सहायता लेनी चाहिए । इस बात का भी आपको पता लगाना चाहिए कि यह जो सैबोटाज हुआ है, इसके

पीछे कौन से विध्वंसकारी तत्व हैं या कौन लोग हैं ? उनको ट्रेनिंग कहां से मिलती है, उनको सैबोटाज करने के बम्ब या और हथियार या मैटीरियल कहां से मिलते हैं ? इस के बारे में आपको पता लगाना चाहिए । अभी अखबारों में निकला है कि असम के गोलपारा जिले में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उनसे आसानी से इन चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि तीन महीने से इस प्रकार की विध्वसक घटनायें हो रही हैं, तो क्या उन्होंने नार्थ-ईस्टर्न रेलवे लाइनों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की थी ? इस तरह की घटनायें न हों, उसके लिए वह आगे क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से वे रेलवे लाइनों को प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं, ताकि यह जो घटनायें होती हैं वे न हों ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं - क्या आसाम गवर्नमैंट को वह इस प्रकार की मदद देने जा रहे हैं या नहीं, जिस से कि जो विध्वंसकारी एलीमेन्टस हैं, सेबोटयुर्स हैं उनका पता लग सके ? बिना सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट की मदद के यह आसाम गवर्नमेन्ट के बस की बात नहीं है । आसाम गवर्नमेन्ट ने राजनीतिक तौर पर एजीटेशन पर काबू पा लिया है, लेकिन विध्वंसकारी एक्टिविटीज को रोकने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को उनकी मदद करनी पड़ेगी । मैं जानना चाहता हूं सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इस मामले में आसाम गवर्नमेन्ट की क्या मदद कर रही है ?

श्री केदार पांडे : मैंने तो पहले ही उत्तर में सारी बातें बतलाई हैं । यह सही बात है कि यह जो इन्सीडेन्ट हुआ है यह सेबोटाज है, इन्सीडेन्ट आफ बाम्ब-एक्सप्लोजन है—यह बात इस्टेब्लिश्ड है, इस में कोई डाउट नहीं है । आगे ऐसी घटना न हो, इस के लिए वहां काफी पुलिस फोर्स स्ट्रेन्थन की गई है, आर० पी० एफ० और सी० आर० पी० दोनों में कोआर्डिनेशन लाने की कोशिश की जा रही है । जो ट्रैक-पेट्रोलिंग है उसे इन्जीनियरिंग गैंग-मैन से करा रहे हैं । सी० आर० पी० और आर० पी० एफ० सब एस० आर० पी० के कन्ट्रोल में काम कर रहे हैं । इसके लिए पेट्रोल स्पेशल ट्रेन्ज भी चलाई जाती हैं—मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्ज के आगे पेट्रोल स्पेशल ट्रेन चलती है ताकि इस तरह की घटना न घटे और यदि कोई बात हो तो उस पर तुरन्त एक्शन लिया जा सके । इसको नलबाड़ी तक लाया गया है । जितने ब्रेसेज हुए हैं उनका इन्वेस्टीगेशन करा रहे हैं । वहां पर इन्टेलिजेन्स की जरूरत है, जिसको काफी टाइट कर रहे हैं । अगर इन्टेलीजेन्स मजबूत होगा तो काफी जानकारी पहले से मिल सकती है । लेकिन अभी भी आसाम में डिस-आर्डर है, जिस को उतनी दूर तक कन्ट्रोल नहीं कर सके हैं जितना कि करना चाहिए । इसके लिए सब के कोआपरेशन की जरूरत है - इन्वलूडिंग अपोजीशन । डेमोक्रेसी में ऐसे इशूज पर यदि सब लोग मिलकर नहीं सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा । इनमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस तरह की गलती करते हैं, जिसका शिकार सब को होना पड़ता है ।

इसी तरह से रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए आर० पी० एफ० को टाइट किया है । जहां तक

[श्री केदार पांडे]

नार्थ-ईस्टर्न रेलवे और नार्थ-ईस्ट फ्रन्टीयर रेलवे की बात है दोनों पर विशेष ध्यान है और बजट में भी ज्यादा पैसा उस क्षेत्र पर खर्च करने जा रहे हैं ताकि वहां का इन्तजाम ठीक हो सके॥ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और स्टेट गवर्नमेन्ट दोनों में कोआपरेशन से काम हो रहा है। वहां पर डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने का काम हुआ है, वहां पर जो सरकार बनी है श्रीमती तैमूर उसकी चीफ मिनिस्टर हैं, हम, आप, सब लोग उनके हाथ मजबूत करें.....

श्री राम विलास पासवान : किसके हाथ को !

श्री केदार पांडे : वहां की गवर्नमेन्ट के हाथ को।

श्री राम विलास पासवान : उसको डिस्मिस कीजिए।

श्री केदार पांडे : पहले आप पूरा सहयोग दीजिए, उस को चलाइए, अगर नहीं चलेगा तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आप की इन्टेन्शन और एक्शन ठीक रहने चाहिए। इसको कीजिए, फिर देखिए, उसके बाद सब ठीक चलेगा।

श्री राम विलास पासवान : हमारा एक्शन और इन्टेन्शन दोनों साफ है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, रेल लाइनों पर हुए इस बम विस्फोट, जिसके परिणामस्वरूप रेलगाड़ी पटरी से उतरी, भारी नुकसान हुआ, लोगों को चोंटे आईं तथा जैसा कि कुछ समाचार-पत्रों में दिया था, कि इससे कुछ लोग हताहत भी हुए, के संबध में असम की परिस्थितियों और विशेषतौर पर वहां विदेशियों के बारे लम्बे समय से चल रहे आन्दोलन के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति को ध्यान के रखे बिना बिचार नहीं किया जा सकता। मेरा मुद्दा यह है कि इस मामले की गृह मत्रालय द्वारा निपटाया जा सकता था। वास्तव में मैंने जो नोटिस दिया था वह गृह मंत्रालय को ही सम्बोधित था। बहरहाल, यह मत्रिमडल की बुद्धिमता ही है कि इस मामले को निपटाने के लिए रेल मंत्री को प्राधिकृत किया गया है।

सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि असम में राजनैतिक स्थिति की वास्तविकता और मोटे तौर पर असम प्रशासन में व्याप्त सतर्कता के अभाव और रेल प्रशासन में भी सतर्कता के अभाव को ध्यान में रखते हुए स्थिति का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आप इस बात की ओर ध्यान देंगे कि इस बात के पर्याप्त संकेत मौजूद थे जिनसे यह पता चलता था कि असम के उग्रपन्थियों जिन्हें आन्दोलन के शुरू में जनता का समर्थन मिल रहा था अब वे इस चीज से वंचित हो गए हैं और उन्होंने हिंसात्मक गतिविधियां प्रारम्भ कर दी हैं। यह एक भारी परिवर्तन देखने में आया है कि देशभक्त और जनतन्त्र में आस्था रखने वाले लोग इस तमाशे को देख चुके हैं। इसलिए इस घटना को वहां की जनता का भारी समर्थन मिल रहा है कि देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखा जाये तथा असम की बुनियादी समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से

एवं बातचीत द्वारा हल किया जाये। इस पर जनता का समर्थन प्राप्त न होने के कारण कुछ उग्रपन्थी हिंसात्मक कार्यों में लग गए हैं। पहली अप्रैल को रेल लाइनों पर हुए ये सभी बम विस्फोट शायद आपको याद होगा, असम के कोई 5 जिलों में छः स्थानों पर लगभग एक ही समय हुए थे। इनका मुख्य उद्देश्य समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की संचार व्यवस्था को भंग करना था। समाचार-पत्रों से ज्ञात होता है कि गत 2-3 महीनों में रेल लाइनों पर लगभग 25 से 30 बम विस्फोट हुए।

रेल प्रशासन से मेरी पहली शिकायत यह है कि जबकि गत 3 महीनों से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि रेल लाइनों पर कम से 25-30 बम विस्फोट हो चुके हैं, तो रेल प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही क्यों नहीं की कि रेल लाइनें सुरक्षित हैं अथवा नहीं और दोबारा बम विस्फोट न हों। उग्रपंथियों ने न केवल रेल मार्गों पर ही हमले किए बल्कि दिसपुर स्थित एम० एल० ए० होस्टल के सामने दो बम विस्फोट हुए। समाचार पत्रों ने इस खबर को छापा था और आपके समाचार पत्र नेशनल हैरल्ड में भी यह खबर छपी थी कि गुप्त हथियारों और गोला-बारूद का एक अन्तर्राज्यीय घोटाला किया जा रहा है जिस का संचालन गोहाटी तथा दूसरे स्थानों से हो रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुज्जफरपुर) : इसका अधिकेन्द्र आगरा में है।

श्री चित्त बसु : यदि ऐसा है, तो भी ठीक है। अतः गुप्त हथियारों और गोला बारूद का एक अन्तर्राज्यीय घोटाला चल रहा है। समाचार पत्रों में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि देश के भीतर की और बाहरी शक्तियां जो देश की एकता और अखण्डता को नष्ट करना चाहती हैं, इन हिंसक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही हैं।

यह केवल रेलवे की ही बात नहीं है। यह बेचारे रेल मंत्री की ही जिम्मेदारी नहीं है, यह केवल उन्हें ही नहीं देखना है, अपितु भारत सरकार के समस्त प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी ईमानदारी से साबित करें कि वे इन उग्रवादी तत्वों से निपटने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, क्षेत्रीय संकीर्णता में विश्वास रखते हैं तथा देश की एकता और अखडता को नष्ट कर रहे हैं। महोदय, यह स्थिति का एक पहलू है। इस का दूसरा पहलू भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु जी, आप भोजन अवकाश के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब श्री वेंकटरामन अपना वक्तव्य देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : कृपया एक मिन्ट सुनिए, इस सदन का समय बचाने के लिए वह इसी समय जीवन बीमा निगम के बारे में भी वक्तव्य दे दें। कल उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है। तथा जीवन बीमा निगम में हड़ताल जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वह अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह एक मिनट ले सकते हैं ।

श्री चित्त बसु : वह केवल जिक्र कर सकते हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जीवन बीमा निगम में हड़ताल चल रही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : कल का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है ।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : यह एक विवरण है । यह परिचालित कर दिया गया है। उन्हें वक्तव्य देना है । (व्यवधान) अब श्री वेंकटरामन वक्तव्य देंगे ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किश्त के भुगतान और पेंशनरों को राहत देने के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान महगाई भत्ता योजना के अधीन जोकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है। थोक भाव सूचकांक के 12 महीने औसत में प्रत्येक 8 प्वाइंट बढ़ने पर कर्मचारियों को महगाई भत्ते की किस्त देने पर विचार किया जाता है । इस आधार पर 376 के औसत सूचकांक पर कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अन्तिम किस्त का भुगतान 1-9-1980 से किया गया था । नवबर, 1980 के अन्त में सूचकांक औसत 384 प्वाइंट पार कर गया परिणामतः कर्मचारियों को 1-12-1980 से महगाई भत्ते की और किस्त देय हो गई । सरकार ने यह किस्त नकद देने का फैसला किया है । प्रति मास 1600 रु० तथा आस पास तक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को इस किस्त से लाभ होगा। इस किस्त से 1981-82 में राजकोष पर 77.50 करोड़ रु० का बोझ पड़ेगा जिसमें 15.50 करोड़ रु० की बकाया राशि भी शामिल है । किस्त की वार्षिक आवर्ती राशि 62 करोड़ रुपये होगी ।

अब तक केन्द्रीय सरकार के पेंशन धारियों तथा पारिवारिक पेंशन धारियों को मंहगाई राहत, थोक भाव सूचकांक के 12 महीने औसत में प्रत्येक 16 प्वाइंट बढ़ने पर, उन की पेंशन का 5 प्रतिशत दी जाती थी लेकिन राहत की यह राशि 5 रु० से कम तथा 25 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए । इस आधार पर पेंशन धारियों को अंतिम किस्त 1.9.1980 से 376 औसत सूचकांक के आधार पर दी गई । तथापि,जैसी कि लोक सभा में 28.2.1981 को अपने बजट भाषण में मेरे द्वारा "पेंशनरों को राहत" नामक घोषणा की गई है अब सूचकांक औसत में 8 प्वाइंट की बढ़त होने पर मासिक पेंशन के 2½ प्रतिशत के हिसाब से किस्त का भुगतान किया जाएगा। तदनुसार, सरकार ने पेंशन लेने वालों को 1.12.1980 से मासिक पेंशन के 2½ प्रतिशत के हिसाब से राहत किस्त देने का निर्णय किया है परंतु यह राशि 2.50 रु० से कम एवं 12.50 रु० से

अधिक नहीं होनी चाहिए। इस से राजकोष पर 1981-82 में 6 13 करोड़ रु० का बोझ पड़ेगा। इसके 1.53 करोड़ रु० की बकाया राशि शामिल है।

198.-82 वर्ष के बजट में इस खर्च के लिए पहले ही व्यवस्था है। सेवारत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते तथा पेंशन धारियों को राहत किस्त का भुगतान करने के आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएगे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होती है और अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होगी।

इस के पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए
2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इस के पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात
2 बजकर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं का समाचार—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, आप एक प्रश्न कर रहे थे।

श्री चित्त बसु : मैं आखिरी बात पर आ रहा हूं लेकिन यह आवश्यक है कि घटनाओं का संक्षेप में उल्लेख कर दूं। मैं घटनाओं का तथा 1 अप्रैल की घटनाओं का विश्लेषण कर रहा था और अगर आप इन घटनाओं की जांच करें तथा समस्त स्थिति का विश्लेषण करें तो आप को पता चलेगा कि एक डेढ़ घंटे की अल्पावधि में ही असम छः विभिन्न जिलों में छः स्थानों पर छः विस्फोट हुए। अतः स्पष्ट है कि यह कार्रवाही एक निश्चित उद्देश्य को लेकर बहुत ही समन्वित ढंग से और तैयार हो कर की गई थी। इसका उद्देश्य कुल मिला कर समस्त उत्तर पूर्व क्षेत्र में आवा जाही समाप्त करना था। मंत्री महोदय ने वक्तव्य में बताया है :

"यह दुर्घटना रेल लाइन के जोड़ो में कुछ विस्फोटक पदार्थ रखे जाने के कारण हुई"

यह कैसे हो सकता है ? यह नही किया जा सकता। यह तभी संभव है जब परिष्कृत साधन काम में लाए जाएं। इन कामों के लिए दिमाग लगाने की जरूरत है। मैं यह पूछता हूं कि रेल प्रशासन ने इस बारे में क्या किया ? सिगलन, और संकेत क्या काम कर रहे हैं। इस बात के संकेत थे कि कुछेक अतिवादी इस प्रकार के आन्दोलन का सहारा ले रहे हैं तथा वे परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग करेंगे। उस समय सरकार की सतर्कता विंग क्या कर रही थी ? उपलब्ध

[श्री चित्त बसु]

जानकारी के अनुसार यह पता चलता है कि तोड़-फोड़ की कुछ घटनाओं के कारण इस दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। ये अत्यधिक परिष्कृत उपकरण कहां से प्राप्त हुए ? इस के पीछे कुछ विदेशी ताकतों का हाथ है। मेरा प्रश्न यह है : क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है अथवा नहीं ? अन्त में, महोदय, यह असम आन्दोलन का परिणाम है। तथा सरकार को इस सब पर ध्यान देना चाहिए, अखिल असम छात्र यूनियन का बहुत बड़ा भाग, जिसने कि इस आन्दोलन में भाग लिया था, अब वे शान्ति पूर्ण बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं ताकि इस समस्या का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से किया जा सके। जब तक इस का राजनीतिक समस्या के रूप में समाधान नहीं कर लिया जाता तब तक स्थिति में सुधार आने की कोई संभावना नहीं है। बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान निकाला जाए तथा सच्चाई यह है कि कुछ तो बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि भारत सरकार ही इस मामले में हिचकिचा रही है। आप जल्दी समाधान नहीं करना चाहते, आप के अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए घातक हैं। ऐसा है कि केवल वही इस के लिए जिम्मेदार हैं, भारत सरकार पर भी इस की जिम्मेदारी आती है। क्या कारण है कि बातचीत नहीं हुई ? आमने-सामने बातचीत क्यों नहीं की गई ? अतः मैं सरकार से यह कहूंगा कि यह केवल रेल दुर्घटनाओं का प्रश्न ही नहीं है। आप ने क्या किया है और क्या नहीं किया, हमें पता है। लेकिन मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहता। इस समय तक रेल मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए क्योंकि वो तो दुर्घटना मंत्री हो गए हैं। उन्हें श्री लाल बहादुर शास्त्री का अनुसरण करना चाहिए था। मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। यह मामला केवल दुर्घटनाओं से संबंधित नहीं है। यह देश का एक प्रमुख राजनीतिक मसला है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं केवल दो बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात यह है कि उग्रवादी ताकतें मौजूद हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में नियम काफी स्पष्ट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो वह प्रश्न पूछ रहे हैं। आप को काफी पहले ही यह बात उठानी चाहिए थी। अब वे प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री चित्त बसु : मैं नियमों से बाहर नहीं गया है। महोदय, इन सब परिणामों को देखते हुए क्या मैं भारत सरकार से यह पूछ सकता हू कि क्या वे असम की स्थिति का फिर से जायजा लेने के लिए तैयार हैं ? क्या रेल मंत्री अपने प्रशासन के साथ इस प्रकार की सख्ती बरतेंगे ताकि उग्रवादियों की ये हिंसक वारदातें देश में और देश के बाहर की राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा अब जारी न रह सकें। क्या आप यह भी बताएंगे कि सरकार ने पहले इस बारे में क्या कार्यवाही की है तथा भविष्य में उसका क्या करने का विचार है ? क्या माननीय रेल मंत्री, जो कि इस मामले को देख रहे हैं, मंत्रीमंडल को विशेष रूप से प्रधान मंत्री को यह सलाह देंगे कि इस बारे में तुरंत ही बातचीत की जाएं जिससे कि असम के लोगों को संतुष्ट करने के

लिए इस समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढा जा सके तथा देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके तथा उसे और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

श्री केदार पांडे : मेरे मित्र श्री चित्त बसु द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की मैं अवश्य ही प्रशंसा करता हूं। जहां तक असम में हुई दुर्घटनाओं का संबन्ध है, वह असम में काफी महीनों से चले आ रहे आन्दोलनों का एक अंग है। यह सच है कि एक रात में पांच जिलों में 5 अथवा 6 बम विस्फोट हुए हैं। यह देश में और देश के बाहर के राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा जानबूझ कर किया गया षडयंत्र है। जो लोग ऐसी गतिविधियों में भाग लेते हैं वे भारतीय नहीं हैं। भारत में रहते हुए भी वे राष्ट्रविरोधी हैं और उनकी गतिविधियां राष्ट्र-विरोधी होती हैं। हम इस बात की निन्दा करते हैं और मैं समझता हूँ कि इस संबंध में समूचा सदन ही मेरे साथ होगा।

जैसाकि मैंने शुरू में कहा था कि मैं एक केबिनेट स्तर का मंत्री हूं और हमारी जिम्मेदारी संयुक्त हैं। यहां गृहमंत्री के उपस्थित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां हूं। मैं मंत्रीमण्डल के विचारों का प्रतिनिधित्व करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन लोगों को बार-बार क्यों सता रहे हैं कि आप केबिनेट स्तर के मंत्री हैं ? हम जानते हैं कि आप केबिनट स्तर के मंत्री हैं।

श्री केदार पाण्डे : आपको समूची स्थिति का अच्छी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए। असम की स्थिति का अच्छी प्रकार से मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। आप इसका मूल्यांकन जरूर करें। सरकार इस स्थिति को काफी गंभीरता से ले रही है। निसंदेह वह इसमें काफी हद तक सफल भी रही है लेकिन अभी तक उसे इस कार्य में पूर्ण सफलता नहीं मिली है। हम क्या करें ? मैं पुन : आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरकार के साथ सहयोग करें। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात का काफी महत्व है और सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को यह महसूस करना चाहिए। हम सभी देशभक्त हैं और हम भारतीय हैं तथा अंत तक भारतीय ही रहेंगे। हम बंगाली बिहारी या असमी नहीं हैं। हम सबसे पहले भारतीय हैं बाद में कुछ और। यह भावना प्रत्येक भारतीय के मन में बैठानी है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कुछ समाज-विरोधी तत्वों के मन में यह भावना है कि असम केवल असमियों के लिए, बंगाल केवल बंगालियों और बिहार केवल बिहारियों के लिए ही है। ऐसा करने से तो समूचे राष्ट्र के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। हमें इस प्रकार की भावना को रोकना होगा। किसी भी लागत पर देश के विघटन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं और हम अपनी सफलता के प्रयास कर रहे हैं तथा इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि अन्तत: हम सफल होकर ही रहेंगे।

ये कार्य कुछ निराश लोगों के हैं। जब कोई व्यक्ति निराशावादी हो जाता है, तो वह हिंसा का सहारा लेने लगता है। ये बातें उन हतोत्साहित लोगों की भावना को दर्शाती हैं जिन्हें उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली थी। ये तोड़-फोड़ तथा षडयंत्रकारी कृत्य हैं। हमें इस बात को

[श्री केदार पांडे]

समझना चाहिए। यहां सभी संसद के सदस्य बैठे हैं तथा संसद एक सर्वोच्च निकाय है। इस सर्वोच्च निकाय को इस घटना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह बात एकदम सही है कि हम सब एक हैं और हम सब मिलकर कार्य करेंगे तथा यह प्रयास करेंगे कि असम समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाए। जैसाकि मैंने पहले कहा था हम सब सबसे पहले भारतीय हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मसले पर हमारा सुबह ही आग्रह था कि गृह मंत्री यहां रहते, बयान अपना देते तो ठीक रहता। आज जब से यह कालिंग अटेंशन मोशन पेश हुआ है, रेल मंत्री ने उस पर जो अपना बयान पढ़ा है और हम से पहले जो 3 सदस्यों ने अपने सवाल पूछे, उनका जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है, वह सब सुना है। यह सब सुनने के बाद हमको यह बात महसूस हो रही है कि इस प्रश्न का गृह-मंत्री को जबाब देना चाहिये था, रेल मत्रालय के बसकी यह चीज नहीं है।

एक परेशानी हमें उनके जवाब से हो रही है कि कहीं रेल प्रशासन के निकम्मेपन से जो भी अपघात इसके पश्चात् अमम में होंगें, उन सारे अपघातों की जिम्मेदारी जानबूझकर यह किन्हीं विदेशी हाथों और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर डालकर, अपने आप को बचाने का काम तो नहीं करेंगे, हमारे साथी श्री राम विलास पासवान ने पिछले कुछ महीनों के आंकड़े आपके सामने रखे है, उन्होंने बताया है कि रेल की कुल व्यवस्था कैसे बिगड़ती जा रही है। और यह कोई नहीं बिगड़ी है। उन्होंने जिक्र किया है कि 5500 किलोमीटर रेल ट्रैक कैसे फ्रैक्चर हो कर पड़ा है और उसको ले कर कैसे अपघात बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि इस समय कितना रेल ट्रैक उस हालत में है। हम समझते हैं कि मंत्री महोदय इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि लगभग दस हजार किलोमीटर रेल ट्रैक ऐसी अवस्था में है कि उसकी सिर्फ़ मरम्मत करना नहीं, बल्कि उसको बदलना आवश्यक है —अगर सरकार लोगों को देश भर में होने वाले रेल एक्सीडेंट्स से बचाना चाहती है।

मगर आसाम का आज का जो सवाल है, वह रेल ट्रैक से सम्बन्धित नहीं है, रेल मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है। हम लोगों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया 31 मार्च की घटनाओं को ले कर। जैसा कि हमारे मित्र, श्री चित्त बसु, ने कहा है, एक जगह पर नहीं, बल्कि पांच जिलों में ये अपघात हुए। और वे किस तरह से हुए, वह मंत्री महोदय ने अपने बयान में बताया है। ये अपघात उस समय होने लगे, जब वहां की सरकार को येन-केन-प्रकारेण बनाए रखने का फैसला इन लोगों ने किया। अब, वे अपघात होने चाहिए थे या नहीं, लोगों को यह रास्ता अपनाना चाहिए था या नहीं, मैं उन बहस में नहीं जाऊंगा। पिछले तीन दिन से इस सदन में हमारी यह कोशिश रही है कि आसाम के मसले पर, और विशेषकर वहां जिस सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है, जो सरकार अल्पमत में है, सरकारी दल के भीतर के संघर्ष से बिगड़ी हुई उस सरकार को हटा देना चाहिए, इस विषय पर यहां बहस हो। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपने और अध्यक्ष ने इस पर बहस नहीं होने दी।

आज मैं इस विषय को इस सवाल के साथ इस लिए जोड़ रहा हूं कि ये सारे अपघात, जिन को ले कर यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है, उसके बाद हुए, जबकि इन्होंने आसाम में उस

सरकार को बचाने का काम किया। हमारे मार्क्सिस्ट साथी इन लोगों को कुबड़ी देने के लिए पहुंच गए और उस कुबड़ी पर इनकी आसाम की सरकार चल रही है।

एक माननीय सदस्य : कुबड़ी क्या ?

श्री जार्ज फ़र्नान्डीस : क्रचिज—बैसाखी। **बन पार्ट इज प्रोवाइडिड बाई दि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया**—संविधान, गवर्नर आदि, हर प्रकार से कानून तोड़ कर जो भी करना है, करो। **दि अदर पार्ट इज प्रोवाइडिड बाई दि सी० पी० आई (एम०)**। अगर उनको यह उम्मीद थी कि आसाम की सरकार को बचाने से पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार को ये लोग बचा लेंगे, तो इनके लोग पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उसका जवाब दे रहे हैं। अभी खाने की छुट्टी से पहले श्री सपर मुखर्जी कह रहे थे कि बन्द दिखाने के लिए रेलवे ने स्वयं समूचे पश्चिम बंगाल में रेलों को बन्द रखा है। उनको टेलीफोन आया साढ़े बारह बजे। उनसे पूछ लीजिए। रेल मंत्रालय ने सब रेलों को बन्द रखा है। वहां पर जितने सरकारी प्रतिष्ठान हैं, उनको सरकार ने स्वयं बन्द रखा है। फ़िनांस मिनिस्टर चले गए हैं। बैंकों को फ़िनांस मिनिस्ट्री ने बन्द रखा है।(व्यवधान)

श्री केदार पांडे : यह बिल्कुल ग़लत है। ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जार्ज फ़र्नान्डीस की गाड़ी पटरी से उतर गई है। आप उनसे कहें कि वह **टु दि पायंट बोलें**। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीस। आप अपने निश्चित प्रश्न पर आएं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहस हो रही हो।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत महत्व रखती है। कृपया आप रिकार्ड देखें। उन्हें देखने से पता चलेगा कि एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में रेल मंत्री ने.....(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाता हूं। नियम 197 के अधीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा कोई भी माननीय सदस्य, जिसका सूची में नाम दिया गया हो, वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय या उद्देश्य के संबंध में सीधे से प्रश्न कर सकता है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने कुछ क्षेत्रों में हुई रेल दुर्घटनाओं की ओर सदन का ध्यान दिलाया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार के बने रहने या सरकार विश्वसनीयता के प्रति कोई संदेह नहीं किया जा सकता और इस संबंध में कल्पना के घोड़े दौड़ाना बेकार है।

श्री फर्नान्डीस ऐसा ही कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जैसाकि आपने स्वीकार किया है इस सदन की कार्रवाई नियमों के अनुसार चलती है। इन नियमों का सबसे पहला उल्लंघन तो यही है कि माननीय सदस्य लम्बे-लम्बे वक्तव्य दे रहे हैं। दूसरे वे ऐसे विषयेतर मुद्दे उठा रहें हैं जिन्हें रिकार्ड में लिए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अथवा आप श्री फर्नान्डीस से कहें कि वे सरकार के औचित्य से संबंधित कोई मामला न उठाएं। यदि वे सरकार के बने रहने संबंधी मुद्दे पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं तो वे सदन में अन्य नियमों के अधीन ऐसा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था संबंधी प्रश्न को उचित ठहराता हूं। श्री फर्नान्डीस जैसे वरिष्ठ सदस्य नियमों का पालन करेंगे।

श्री राम विलास पासवान् (हाजीपुर) : नियम 197 के अधीन मैं भी एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाता हूं। (**व्यवधान**) आप को याद होगा कि जब मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मूव किया था तो मैंने सिर्फ जो रेल मंत्रालय से संबंधित मामला था उसी को रखा था। मैं जानता था कि आसाम की समस्या क्या है और मैं जानता था कि यह पोलिटिकल विवाद छिड़ेगा, आप रिकार्ड्स देखिए, मैंने एक भी पोलिटिकल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने शुद्ध रेलवे से संबंधित मामले को पूछा। लेकिन मंत्री ने जब जवाब दिया तो आसाम के सारे मामले को वह उस में खींच कर लाए, अपोजीशन को ड्रेग करने की कोशिश की और इसलिए अपोजीशन का यह फर्ज हो जाता है कि सरकार ने जो आरोप लगाया है उस का खण्डन करे। इसलिए श्री जार्ज फर्नान्डीस हर प्रकार से सही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना नियमानुसार ही है। इसलिए व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री राम विलास पासवान् : मैं नियमों के अनुसार ही व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक हैं। मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं श्री फर्नान्डीस से कहूंगा कि वे अपनी बात पूरी करें उन्होंने विषय की पृष्ठभूमि तो दे दी है। हमेशा पहले हरेक विषय की पृष्ठभूमि देते है तब असली मुद्दे पर आते है...

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। मैं जब कभी बोलने के लिए खड़ा होता हूं...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस कभी भी नीचे से ऊपर नहीं आते वे तो सीधे ही ऊपर आते हैं। चलिए अब अपने प्रश्नों पर आईए। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्र शेखर सिंह (बांका) : वे तो रेल दुर्घटनाओं के क्षेत्र के माने हुए विशेषज्ञ हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मंत्री महोदय। यह कहना चाहते हैं कि—मैं उनका नाम ले रहा हूं और मुझे विश्वास है कि वे यही कहेंगे कि उन्होंने इस संबंध में वक्तव्य दे दिया है ये दुर्घटनाएं असम आंदोलन के कारण हुई हैं। मंत्री महोदय आपने वक्तव्य दिया था। ये दुर्घटनाएं असम आंदोलन के कारण हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस पर प्रश्न कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वस्तुतः असम आंदोलन है क्या ? हर कोई इसके बारे में जानता है। असम में क्या हो रहा है ? जब तक आप इस मूल प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे कि असम में क्या हो रहा है तब तक इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करने का कोई फायदा नहीं होगा।

आप ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार मत करिए इस पर विचार मत करिए। हम दुर्घटनाओं के बारे में जानते हैं । हम जानते हैं कि रेल की पटरियों पर बम रखे गए थे। उन्हें डायनामइट से उड़ाया गया था और गाड़ियां पटरियों से उतर गई थीं। हम यह सब जानते हैं। इसलिए इसमें विचार करने की क्या बात है ? हम तो मूल प्रश्न पर विचार करना चाहते हैं। आप जानते हैं मैं विषयेतर बातें नहीं उठाता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत विस्तार में जाते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जाना पड़ता है। मैं जरूर उसमें जाऊँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : समय पूरा हो गया है (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह लेख मेजर जनरल के० एस० बाजवा द्वारा लिखा गया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं नियम 197 के अधीन व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है नियम 197 के अन्तर्गत। आप देखें इसमें यह दिया है कि "ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जाये कोई वाद-विवाद नहीं होगा।" और यह माननीय सदस्य वाद-विवाद में फंस गए हैं और वाद-विवाद भी वह जो इरेलिवेंट है।

दूसरा यह है कि "प्रत्येक सदस्य जिस के नाम में कार्य-सूची में यह मद दिखाई गई हो अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा।" इन्होंने तो ढेर सारे प्रश्न लगा रखे हैं। यह इस नियम के तहत नहीं आता है इसलिए इन को रोका जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था संबंधी प्रश्न को स्वीकार करता हूं और श्री जार्ज फर्नान्डीस से अनुरोध करता हूं कि वे नियमों का पालन करें। (व्यवधान) लेकिन वे कभी नहीं सुनते। समय बर्बाद किया जा रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं अपनी बात पूरी कर चुका होता। यह लेख सेवानिवृत मेजर जनरल के० एस० बाजवा ने 29 मई, 1980 के दी इण्डियन एक्सप्रेस में लिखा था। यह विषय से संबंधित है। यह इस प्रश्न से संबधित है कि असम में क्या हो रहा है। इस विषय में जनरल क्या कहता है। वह कहता है :

> "सभी प्रकार की हिंसक घटनाओं को कानून और व्यवस्था की समस्याएं बना देना केवल राजनैतिक असफलताओं को छिपाना है। बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा की घटनाओं के मूल कारण का पता लगाना चाहिए और उन्हें सुलझाया जाना चाहिए।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

मैं मंत्री महोदय को उनके स्वयं के वक्तव्य के आधार पर यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

"असम के विद्यमान आंदोलन के संदर्भ में वहां की स्थिति का अध्ययन करना होगा। एक के बाद एक सरकार द्वारा उनकी समस्याओं की ओर ध्यान न दिए जाने और अनेक वर्षों तक ऐसी स्थिति को चुपचाप बर्दाशत करने के बाद...(व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : उद्धरण ही उद्धरण...

उपाध्यक्ष महोदय : हर कोई जानता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : लेकिन यह जरूरी है कि मामले पर बहस की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आप सही विषय पर आइए। हमने असम समस्या पर विचार किया था। अब आप इसे यहाँ क्यों घसीट रहे हैं? कृपया इसे पूरा करें। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : तब आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? मुझे हमेशा ही इस समस्या का सामना करना पड़ता है? जब कभी भी मैं कोई मूल समस्या उठाता हूं तो मुझे व्यवस्था संबंधी प्रश्नों व्यवधानों का सामना करना पड़ता है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कहीं कोई बुनियादी गड़बड़ है।

श्री बापूसाहिब पारुलेकर : यह बुनियादी गड़बड़ किसके साथ है?

उपाध्यक्ष महोदय : वह मेरे और जार्ज के बीच होगी। हम एक दूसरे को जानते हैं। (व्यवधान) न तो उनके साथ कोई गड़बड़ है और न ही मेरे साथ कोई गड़बड़ है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ...एक के बाद एक राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी समस्याओं की ओर ध्यान न दिए जाने और अनेक वर्षों तक ऐसी स्थिति को चुपचाप बर्दाश्त करने के बाद असमी लोग अब गुस्से से भरकर खड़े हो गए हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बापूसाहिब पारुलेकर : यह नियमों का उल्लंघन है। यह वक्तव्य से संबंधित होना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं? मंत्री महोदय ने विरोधी दलों का सहयोग मांगा है? आप अब भी ऐसा चाहते है? मंत्री महोदय ने अत्यधिक...(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : यह मंत्री महोदय ही थे जिन्होंने असम आंदोलन के परिणामों का मुद्दा उठाया था उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे मंत्री महोदय के वक्तव्य का उद्धरण दे सकते हैं और वक्तव्य के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मंत्री महोदय ने हमसे सहयोग करने का अनुरोध किया है। मंत्री महोदय ने हमें प्रजातन्त्र पर एक भाषण दिया है। वे समाजविरोधी तत्वों पर बोले हैं। वे विदेशी तत्वों पर बोले हैं। बहुत सी बाते सामने आई हैं। मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक निश्चित प्रश्न कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप ऐसा क्यों कहते हैं ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने प्रश्न पर आ रहे हैं। जार्ज कृपया अपने प्रश्न पर आईए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे अपनी बात कहनी है। मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे अपनी बात कहने दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना प्रश्न कीजिए व्यवस्था संबंधी अनेक प्रश्नों के बावजूद मैंने आपको अनुमति दी है। कृपया मेरा भी तो कुछ ख्याल कीजिए। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यदि मैं उनकी आंखों में खटकता हूं तो मैं क्या करूं ? मैं कुछ नहीं कर सकता (**व्यवधान**)। उनके चिल्लाने मात्र से आप ऐसा क्यों कहते हैं ? वे आपको भयभीत कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं वे व्यवस्था संबंधी प्रश्न कर रहे हैं। (**व्यवधान**) हमें कोई नहीं धमका सकता। आप उपयुक्त प्रश्न कीजिए। आप प्रश्न कीजिए। आप कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप मुझे वह प्रश्न पूछने ही नहीं दे रहे जो मैं पूछना चाहता हूं। क्या मैं प्रश्न करूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल प्रश्न पूछने की ही अनुमति दूंगा। मैं आपको अब भाषण नहीं देने दूंगा। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : असम में हुए विस्फोट व असम में रेल संबंधी तोड़-फोड़ की घटनाए असम की स्थिति से ही संबंध रखती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप प्रश्न करिए। (**व्यवधान**) मैं भाषण की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप अनुमति क्यों नहीं देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज, आप की सूचना के लिये मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे पुस्तिका से नियम 1५ पढ़ता हूं :—

*"...अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से, कोई भी सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के कि विषय की ओर मंत्री का ध्यान दिला सकता है ।"

इसकी सीमायें हैं । इसके लिये अधिक समय नहीं दिया गया है ।

मद (2) इस प्रकार है :—

"जिस समय ऐसा व्क्तव्य दिया जाता है उस समय उस पर किसी वाद-विवाद अनुज्ञा नहीं होती लेकिन वह प्रत्येक सदस्य जिसके नाम से कार्यसूची में वह मद अध्यक्ष की अनुज्ञा से स्पष्टीकरण मांगने वाला विशिष्ट और संक्षिप्त प्रश्न पूछ सक है । ध्यानाकर्षण पर एक दिन में कुल आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगाया जा चाहिये ।"

जार्ज ने स्वयं ही आधा घंटा लगा दिया ।

"स्पष्टीकरण मांगने वाला प्रश्न करते समय.....प्रस्तुत करने वाले सदस्य को 3 मि से अधिक समय नहीं लेना चाहिये ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कृपया क्या आप रिकार्ड देखने की कृपा करेंगे और यह देखेंगे अन्य सदस्यों ने इससे पहले कितने मिनट लिये हैं और अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर कित समय लिया गया है ;

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ नियम बता रहा हूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जब भी मैं बोलने खड़ा होता हूं तभी आप को नियमों की य क्यों आती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम से बंधा हुआ नहीं हूं । मैं अपनी बुद्धि का भी प्रयोग क हूं । मैं चाहता हूं कि आप प्रश्न करें यदि आप प्रश्न करने के लिये तैयार नहीं हैं और यदि बोलते हैं, तो वह रिकार्ड नहीं किया जायेगा । (व्यवधान) × × अगला विषय, श्री शाह द्व याचिका का प्रस्तुतीकरण (व्यवधान) × × इनमें से कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा । मैं इस अनुमति नहीं दे रहा हूं । कोई भी चीज रिकार्ड में नहीं जायेगी । (व्यवधान) × × मैं अनुम नहीं दे रहा हूं । मैंने अगला विषय ले लिया है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव समाप्त हो गया है। पास अब अगला विषय है । श्री अजीत कुमार शाह द्वारा याचिका का प्रस्तुतीकर (व्यवधान) × × यह रिकार्ड नहीं किया जा रहा है । मैं मद 7 पर पहुंच गया हूं । मैं किसी भी अनुमति नहीं दे रहा हूं (व्यवधान) × × कृपया बैठ जाईये । मैंने श्री परुलेकर को अनुम दे दी है ।

× × कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : हम नियमों एवं परम्पराओं द्वारा शासित होते हैं। आप ध्यानाकर्षण नोटिस से सम्बन्धित परम्पराओं को जानते हैं। हमारे कितने ही माननीय सदस्य इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल चुके हैं और आपने उन सभी को अनुमति दी है क्योंकि यह परम्परा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनको भी अनुमति दी है। (व्यवधान) उन्होंने तीस मिनट लिये हैं (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने माननीय जार्ज फर्नान्डीस को प्रश्न पूछने के लिये दो से अधिक बार अनुरोध किया था। जब हमारे दो अन्य माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि वह समुचित प्रश्न को पूछें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री चित्त बसु और श्री परुलेकर मेरा समर्थन करेंगे। जब भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं हम उन्हें अनुमति दे देते हैं। यह एक परम्परा है और एक प्रक्रिया है लेकिन इस की भी एक सीमा है। श्री परुलेकर, श्री चित्ताबसु और यहां बैठे हुए और भी अनेकों माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जब उन्होंने ज्यादा समय लिया तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। और मैंने उस व्यवस्था के प्रश्न की पुष्टि की थी। संसदीय जनतंत्र और प्रक्रिया का यह तकाजा है कि जब मैंने यह कहा था तो तत्काल ही जार्ज फर्नान्डीस को यह कहना चाहिये था, "महोदय, मैं प्रमुख प्रश्न पर आता हूं" यह सही प्रक्रिया है। यदि कोई माननीय सदस्य सभापति की आज्ञा का उल्लंघन करता है और यदि जार्ज यहां बैठे हों तो क्या वह इस सदन की कार्यवाही चला सकते हैं; मैं तो केवल आप लोगों की ही तरह एक संसद सदस्य हूं। मुझे एक प्रोफेसर अथवा एक मास्टर के रूप में नहीं समझना चाहिये जो आपको नियम सिखाये। लेकिन मैं नियम मे बंधा हुआ भी नहीं हूं। एक सहज बुद्धि भी होनी चाहिए। जब मैंने व्यवस्था के प्रश्न की पुष्टि की और जार्ज को यह बताया कि मेरा अच्छा मित्र और वरिष्ठ सांसद कौन है तो उन्हें नियमों का पालन करना चाहिये था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे हम कार्यवाही नहीं चला सकते।

श्री बापू साहिब परुलेकर : हमें आपस में सहयोग करना चाहिए वह पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह अब प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे अपनी बात कहनी ही होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आप प्रश्न पूछिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप मुझसे क्या प्रश्न कराना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आपको मालूम होगा कि आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं आपको केवल प्रश्न पूछना चाहिये न कि भाषण देना चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मुझे अपनी बात कहनी चाहिये।..,

एक माननीय सदस्य : यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा है कहां ? सार्वजनिक व्यक्ति को प्रत्येक मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये । मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप हर मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं । अब मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना प्रश्न पूछिये । इस सदन में बैठे हुये अनेकों सदस्य श्री जार्ज से मेरे सम्बन्धों को नहीं जानते हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के ऊपर इससे पहले तीन सदस्यों के जवाब में यह कहा है कि यह बात राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ी हुई है, असम के आन्दोलन के साथ जुड़ी हुई है और उस आन्दोलन में कई प्रकार के तत्व वहां पर काम कर रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में, जबकि मंत्री महोदय स्वयं इस बात को महसूस करते हैं कि असम के आन्दोलन के साथ यह मामला जुड़ा है और हमारे मित्र श्री चित्ते बसु ने बहुत स्पष्ट शब्दों में एक प्रश्न आपसे पूछा था कि क्या आप प्रधान मंत्री जी को और सरकार को यह बताने का कष्ट करेंगे कि वहां जो स्थति है, उस स्थति को काबू में लाने की दृष्टि से, समस्याओं को हल करने की दृष्टि से सरकार तत्काल ही कुछ कदम उठावे, तो मैं यह जानना चाहता हूं नं० 1, कि आप के दल के भीतर वहाँ पर जो झगड़ा है, जिस झगड़े को हल करने के लिए पिछले दो सप्ताहों में आपके तीन साथी यहाँ से वहां पहुंचे···(**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): यह बिल्कुल इर्रेलेवेंट हैं । 197 में प्रश्न ही पूछ सकते हैं । यह जो बोल रहे हैं, यह सवाल नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर समस्या है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रोनिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० पी०एन० सिंह): महोदय, आपने कहा है कि माननीय श्री फर्नान्डीस आपके मित्र हैं । जब आपने व्यवस्था के प्रश्न की पुष्टि करते हुए विनिर्णय दिया था तो आपने कहा था कि श्री जार्ज फर्नान्डीस इसे मानेंगे । दूसरी बात जब विनिर्णय दिया तो आपने फिर कहा कि श्री जार्ज फर्नान्डीस इसका पालन करेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया । इसके बावजूद आप उन्हें अपना मित्र कहते हैं । आपने कहा है कि वह एक प्रश्न पूछेंगे । क्या यह एक प्रश्न है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जो मुसीबत में काम आये वही सच्चा मित्र हैं । वह मेरे मित्र हैं अथवा मेरे शत्रु, मालूम हो जायेगा :

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं मानकर चलता हूं कि आज का जो टाइम्स आफ इन्डिया है, उसको आपने भी पढ़ा होगा । आज के टाइम्स आफ इन्डिया में जो बात आई है, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा हालांकि मैंने उस को पूरा पढ़ने का इरादा किया था लेकिन आप लोगों के आग्रह पर, उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, मगर आज के टाइम्स आफ इन्डिया का एक वाकया, सिर्फ एक वाकया, क्योंकि उस पर हम आपका जवाब चाहते हैं, ही पढ़ूंगा । मेरा प्रश्न यह है कि आपके मंत्री श्री जाय चन्द्र नागबंशी ने यह कहा है :

"श्रीमती तैमूर के साथ समझोते का कोई प्रश्न ही नहीं है । उन्हें जाना ही चाहिए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पर आइये ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : तो आपके दल के भीतर जो यह झगड़ा है।

प्रो० के० के० तिवारी : इसको प्रोमीडिंग्स में से निकालिये। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस :—उपाध्यक्ष महोदय, आप यह महसूस करेंगे । आपकी सुविधा के लिए मैं अंग्रेजी में बोलूंगा । बम्ब फटने की यह घटनाएं 31 और··· के बीच हुई।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, क्या यह प्रश्न है? क्या आप इस सदन में इसकी अनुमति दे सकते हैं ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह मुख्य प्रश्न पर आ रहे हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस यह घटनाएं उस पृष्टभूमि में हुई हैं जिसमें सरकार ने स्वयं ही सारी संवैधानिक यथार्थताओं 'और उपबन्धों' को भुला दिया है तथा सी० पी० एम० की बैसाखी का सहारा लिया है । इस पृष्ठ भूमि के विरुद्ध मैं आप से पूछ रहा हूं । जब उनके अपने ही मंत्रियों ने अगले दिन ··

उपाध्यक्ष महोदय रेल दुर्घटना के प्रश्न पर आइये ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस इसका कोई सवाल नहीं है कि श्रीमती तैमूर···

उपाध्यक्ष महोदय आप राजनीति दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं । कृपा रेल दुर्घटना के प्रश्न पर आईये ।

श्री जार्ज फर्नांडीस मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं । आप इस बात की भी इसमें जांच करेंगे ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) ; महोदय, मैं इस पर आपत्ति करता हूं । क्या यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है; आप किस बात के लिए अनुमति दे रहे है ? क्या यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित है;

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज, कृपया अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री जार्ज फर्नांडीस : मैं पूछ रहा हूं । अब मैं समाप्त कर कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न सीधे ही पूछिये ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो अलग-अलग आप जांच करने जा रहे हैं; उसमें क्या आप इस बात की भी जांच करेंगे कि जो लोग आपके दल के भीतर मुख्य मंत्री के खिलाफ शिकायत लिखे है, उस सरकार से इस्तीफा दिये हैं, क्या वही तो इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं ? "श्रीमती तैमूर के साथ समझौते का कोई प्रश्न ही नहीं । उन्हें जाना ही चाहिए जो कह रहे हैं; इन लोगों का हाथ बस में हैं या नहीं; मिसिज तैमूर को बदनाम करने के लिए और आपकी सरकार को हटाने के लिए ये लोग इसमें कोई दिक्कत

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

तो नहीं पैदा कर रहे हैं ? मैं चाहूंगा कि इस एंगिल की भी जांच करने का कष्ट करें और इसका जवाब देने का काम करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न समाप्त हो गया । मंत्री महोदय, आप उत्तर दीजिये ।

श्री सी० जे० के० जाफर शरीफ : महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और कहता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है सब का सब असंगत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप बिल्कुल ही असंगत बातें उठा रहे हैं । मुझे खेद है कि वे सब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बंधित नहीं हैं ।

श्री जार्ज फर्नांडीस : मैं कोई भी असंगत बात नहीं कह रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप राजनीतिक भाषण दे रहे हैं । मैं आपको राजनीतिक भाषण देने की अनुमति नहीं दूंगा । मंत्री महोदय आप उत्तर दीजिये ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मुझे यह एक निवेदन करना है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है सब का सब असंगत है । कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा करना चाहता··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही की जांच करूंगा । क्या आप एक मिनट के अन्दर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नांडीस : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिये कृपा करके एक मिनट से अधिक समय मत लीजिये । आप प्रश्न पूछने के अलावा और कोई बात न करें ।

श्री जार्ज फर्नांडीस : मैं केवल एक ही प्रश्न नहीं करूंगा । कृपया इसे सुनेंगे तो मैं एक पत्र पढ़ रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा । मैं किसी व्यवस्था की अनुमति नहीं दूंगा । यह रिकार्ड में शामिल नहीं किया जायेगा ।— **(व्यवधान)**** यदि आप केवल प्रश्न ही पूछें तब तो यह रिकार्ड में शामिल कर लिया जायेगा । **(व्यवधान)**** नहीं, नहीं । सीधे प्रश्न ही पूछिये । प्रश्न के अलावा कोई चीज रिकार्ड में नहीं जायेगी । **(व्यवधान)****

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि कोई भी नहीं बोल सकता **(व्यवधान)**** यदि आप केवल प्रश्न ही पूछें तो यह रिकार्ड में शामिल किया जायेगा । अन्य वक्तव्य या कुछ और रिकार्ड में शामिल नहीं किया जायेगा ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, जहां तक मंत्री महोदय के वक्तव्य का सम्बन्ध है उन्होंने कहा है :—

> 'सुरक्षात्मक उपायों के रूप में इंजीनियरी विभाग के गैंग मैनों द्वारा तथा राजकीय रेलवे पुलिस कर्मचारियों एवं रेलवे सुरक्षा दल के सिपाहियों द्वारा पुलिस अधीक्षक असम के समग्र नियंत्रण के अधीन रेलवे लाइनों की निगरानी किया जाना शुरू कर दिया गया है।"

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में यह प्रबंध क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने कहा है, "मैं यह जानना चाहता हूं" यह प्रश्न पूछने का एक तरीका है। क्या आप प्रश्न पूछने के तरीके के लिए कोई विशेष कक्ष चला रहे हैं? चौथी लोक सभा का सबसे पहला प्रश्न मैंने ही किया था। मुझे इसका अनुभव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में यह प्रबंध क्या है? जो असम का पुलिस अधीक्षक (व्यवधान)। आपने कहा है :—

> "सुरक्षात्मक उपायों के रूप में इंजीनियरी विभाग के गैंग मैनों द्वारा तथा राजकीय रेलवे पुलिस कर्मचारियों एवं रेलवे सुरक्षा बल के सिपाहियों द्वारा पुलिस अधीक्षक असम के समग्र नियंत्रण के अधीन रेलवे लाइनों की निगरानी किया जाना शुरू कर दिया गया है।"

सही अर्थों में यह प्रबंध क्या है? मैं यह जानना चाहता हूं। कुल रेल लाइन की लम्बाई कितनी है जिसकी निगरानी की जाती है? कुल पुलिस कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कुल गैंग मैन कितने हैं? उनके सामान्य कार्य क्या हैं और वे किस प्रकार की विशेष निगरानी का कार्य करेंगे। जिसके लिए पुलिस अधीक्षक पर्यवेक्षण का कार्य करेगा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि असम के विभिन्न जिला स्तरों और विभिन्न प्रभागीय स्तरों पर 50 से लेकर 100 तक पुलिस अधीक्षक होंगे। अनेकों पुलिस अधीक्षक असम में हैं। संक्षेप में मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का प्रभारी अधिकारी कौन सा अधिकारी है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर सिंह : आपने ठीक उदाहरण स्थापित नहीं किया। सभी सदस्य महसूस करते हैं।

सब की फीलिंग वहीं है, जो मैं बतला रहा हूं।

श्री केदार पाण्डे : रेलवे के बहुत से सुपरिंटेंडेंट हैं, आसाम में भी हैं, इसलिए उसके माने यह न समझा जाए कि वह जी० आर० पी० की ही बात है। हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो सुपरिंटेंडेंट है, उनके जिम्मे यह काम दिया गया है। इसका जवाब तो यह हुआ, बाकी जो पालिटिक्स की बात आई है, मैं समझता हूं कि इर्रेलिवेंट है, इसका मैं क्या जवाब दूं। फर्नान्डीस जी ने शुरु में तो बहुत अच्छी बात कहीं, लेकिन बाद में उन्होंने पालिटिक्स की बातें

[श्री केदार पाण्डे]

कह दीं। एक बात मैं बतलाना चाहता हूं कि करीब 66 हजार किलोमीटर इंडियन रेलवे की लम्बाई है, उसमें से 630 किलोमीटर आसाम के अन्दर है। वहां कुछ ज्यादा खराबी है यह मैं मानता हूं। मैंने पहले भी जवाब में बताया है। हमारी छठी पंचवर्षीय-योजना में 5100 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें से 49 परसेंट रिन्यूवल एण्ड रिप्लेसमेंट के लिए रखा गया है। इस बारे में आसाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह जो 630 किलोमीटर का रूट है, इसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ी है, मैं मानता हूं, इसलिए नार्थ-ईस्ट रीजन में असम में केन्द्र सरकार का विशेष ध्यान है और हमारी प्रधानमंत्री का इस ओर विशेष ध्यान है और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बढ़िया तौर पर काम हो, ताकि आपको आगे चलकर इस तरह का सवाल न उठाना पड़े।

विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1980 के बारे में याचिका

श्री अजीत कुमार साहा : (विष्णुपुर) मैं विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 1980 के बारे में श्री ज्ञान शंकर मजूमदार और श्री आर० हांडा द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

संविधान (46वां संशोधन) विधेयक, 1981

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सबाई की रस्सियों और साल की पत्तियों की ढुलाई के लिए उड़ीसा को और अधिक रेल-वैगनों की सप्लाई

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

उड़ीसा में विभिन्न रेलवे स्टेशनों को रेलवे वैगनों की सप्लाई काफी असंतोषजनक है। साल की पत्तियां और सबाई की रस्सियां रेलवे वैगनों द्वारा अन्य राज्यों को भेजी जाती हैं। किन्तु रेलवे के वैगन काफी लम्बे समय से मांगपत्र के अनुसार सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप साल की पत्तियों के लाखों की तदात में ढेर लग गए हैं तथा सबाई की रस्सियां दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर सम्भाग में विभिन्न रेलवे स्टेशनों विशेषकर अमहर्दा रोड, बस्ता, रूपसा हल्दीपाड़ा रेलवे स्टेशनों पर पड़ी हैं जो इन वस्तुओं के भेजने के लिए प्रमुख स्टेशन हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सबाई की रस्सियां और साल की पत्तियां निर्धन आदिवासियों

द्वारा तैयार की जाती हैं जो अपना जीविकोपार्जन करने के लिए इन वस्तुओं को मध्यस्थ लोगों को बेचते हैं तथा ये मध्यस्थ लोग इन्हें हमारे देश के विभिन्न राज्यों को भेजते हैं। इन वस्तुओं के भेजे न जाने से इन आदिवासियों को काफी परेशानी हो रही हैं। क्योंकि मध्यस्थ लोगों के पास इन्हें रखने के लिए उनके गोदामों में स्थान नहीं है तथा पैसे की कमी के कारण भी वे इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं। इन वस्तुओं की कीमतें दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। उड़ीसा के बालासोर और मजूरमंज जिले के लाखों आदिवासियों को बिना किसी रोजगार के भूखों मरना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में, मैं रेलवे मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह बिना कोई और देरी किए मांग पत्रों के अनुसार इन रेलवे स्टेशनों को तत्काल रेलवे वैगन भेजने की व्यवस्था करें।

(दो) ईरान ईराक युद्ध के कारण खाड़ी में फंसे जहाजों को यहां से लाने और दुबई से खजूर लाने के लिए भारतीय जहाजों का उपयोग किये जाने के लिए कार्यवाही

श्री दौलत सिंह जदेजा (जामनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि ईरान-ईराक युद्ध के कारण भारत की लगभग 30 यंत्रचालित नावें खाड़ी में फंसी हुई हैं। उनमें से 6 पूर्णतः नष्ट हो गई हैं और उनके कर्मीदल सुरक्षित भारत लौट आये हैं। जब से युद्ध शुरु हुआ है तबसे 22 नावें बसरा में और 3 एफ० ए० ओ० में फंसी हुई है और इनके कर्मीदल की संख्या 4 0 से भी अधिक है। कर्मीदल और नावों के मालिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान और ईराक के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के बावजूद हम इन असहाय भारतीयों की सहायता करने में असमर्थ रहे हैं जो निर्धन परिवारों से सम्बन्धित हैं। ईराकी सरकार ने उनसे कहा है कि वे नावों और कर्मीदलों के ज्यादा देर ठहरने के लिए जुर्माना अदा करें। यह उन लोगों की गलती नहीं है जो युद्ध के कारण फंस गए हैं। पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई यंत्रचलित नावें काफी निर्धन परिवारों की थी उनके जीविकोपार्जन का एक मात्र स्रोत ही समाप्त हो गया है। उन्हें अपने व्यवसाय को फिर से शुरु करने के लिए पर्याप्त मुआवजा और सहायता देने की व्यवस्था की जाए।

शीघ्र ही मानसून आने वाला है और इन 25 यंत्रचालित नावों और उनके कर्मीदलों को खाड़ी से बाहर निकाने में होने वाली और देरी से प्रभावित परिवारों को लिए अनर्थकारी साबित होगा।

पिछले काफी वर्षों से, भारत सरकार ने नाव उद्योग की सहायता करने के उद्देश्य से खजूरों के आयात पर भारतीय नावों के अतिरिक्त अन्य किसी ढंग से लाने पर पाबंदी लगा दी थी। नाव उद्योगों के व्यापार और आय का एक मात्र यही स्रोत है। लगभग 500 नावें तो खजूरों के आयात पर ही निर्भर करती हैं। यहां तक कि राज्य व्यापार निगम और नाफेड को भी खजूरों का आयात करने के लिए नावों के माध्यम से अपने प्रेक्षण मंगवाने के लिए बाध्य किया गया। उस समय जब नाव उद्योग संकट में है, एक विदेशी जहाज "हादी" नाफेड के लिए

[श्री दौलत सिंह जवेजा]

31 मार्च, 1981 को दुबई में 1600 टन खजूर लाया। यह भी पता चला है कि भारत को 1500 टन खजूर और भेजे जाने के लिए दुबई में अन्य जहाज में लदान हो रहा है। नियमों की इस अवहेलना को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए तथा नाव उद्योग की सहायता के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। अनुमानत;, भारत में 30,000 टन खजूरों का आयात किया जाता है इसे केवल भारतीय नावों द्वारा लाने के लिए कठोरता से आरक्षण किया जाना चाहिए।

(तीन) राजस्थान के बूंदी जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : राजस्थान राज्य का बून्दी जिला खनिज व वन सम्पदा से भरपूर होते हुए भी आज तक एक भी बड़ा अथवा माध्यमिक उद्योग आकर्षित नहीं कर पाया। जिले में सिमेंट, चूना कांच, संगमरमर, इमारती पत्थर व अनेक बहुमूल्य खनिज प्रचूर मात्रा में हैं। कृषि उत्पादन की दृष्टि से भी इस क्षेत्र में गन्ने का रिकार्ड उत्पादन होता है

परन्तु औद्योगिक विकास के लिए आधार ढांचा अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर नगण्य है। सड़क व रेलवे मार्ग की दृष्टि से उपेक्षित यह क्षेत्र अलग-थलग पड़ा हुआ है। इसीलिए यह क्षेत्र निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया। इसलिए आवश्यक है कि इस बून्दी जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए।

अत: इस लोक महत्व के विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे बून्दी जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करें।

(चार) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ की आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थापना करने की आवश्यकता

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बेंच खुलवाने का आन्दोलन चल रहा है। यह आन्दोलन दिन प्रति दिन फैलता जा रहा है। उसी आन्दोलन में मथुरा जिले के लगभग पांच सौ वकील भाग ले रहे हैं। वकीलों के साथ मथुरा की जनता भी भाग ले रही है। 23 मार्च को पूरा मथुरा नगर पूर्णत: बन्द रहा। 16 मार्च से कचहरी बन्द है। तनाव बढ़ता जा रहा है। कालेज के छात्रों के भाग लेने की सम्भावना है क्योंकि वहां एल० एल० बी० की शिक्षा दी जाती है। 28 मार्च से वकीलों की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। वकीलों की पत्नियों की भाग लेने की योजना बन गई है। तनाव बढ़ रहा है। देहात में फैलने की सम्भावना है। आन्दोलनकर्ताओं की मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बेंच खुले। उ० प्र० सरकार घोषणा कर चुकी है। पश्चिमी उ० प्र० में आगरा नगर सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। पश्चिमी उ० प्र० के मध्य में है। मुगलकाल में राजधानी रहा है। सड़कों और रेल लाइनों का केन्द्र है। उत्तर प्रदेश दो प्रदेश को मिला कर बना है जिस में से एक प्रदेश आगरा है। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की राय ली जाएगी तो बहुमत आगरे के पक्ष में होगा।

यदि सरकार नहीं चाहती कि आन्दोलन चले तो उसे अविलम्ब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बेंच खोलने की घोषणा कर देनी चाहिये। आशा है कि सरकार जनहित को दृष्टि में रखते हुए शीघ्र घोषणा करेगी।

(पांच) दिल्ली के स्कूलों में पर्याप्त संख्या में उर्दू के अध्यापक नियुक्त करने और उर्दू में परीक्षा लेने की व्यवस्था करने के उपाय

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : दिल्ली में काफी संख्या में हायर सकैंडरी और सीनियर हायर सकैंडरी स्कूल हैं जिनमें उर्दू बोलने वाले छात्रों को उर्दू माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने की सुविधायें प्रदान की गई हैं। मेरे ध्यान में यह लाया गया है कि बालिका विद्यालयों सहित बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां उर्दू अध्यापकों की तैनाती नहीं की गई है। कुछेक स्कूलों में, उर्दू अध्यापकों की रिक्तियों के स्थान पर नियुक्त किए गए अध्यापकों को उर्दू हीं नहीं आती। इसके परिणाम-स्वरूप, उर्दू लेने वाले बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को नुकसान हो रहा है।

मुझे यह भी बताया गया है कि उर्दू माध्यम के छात्रों के लिए पर्चे उर्दू में नहीं छापे जाते। दिल्ली शिक्षा विभाग ने परीक्षा समय में इन पर्चों के उर्दू में अनुवाद की व्यवस्था की है किन्तु वह प्रथा मुश्किल से ही अपनायी जाती है। उर्दू माध्यम के छात्र इन पेपरों को पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं तथा वे अपने पेपर अच्छी तरह कर भी नहीं सकते।

मेरे ध्यान में यह भी लाया गया है कि उर्दू माध्यम की उत्तर पुस्तिकायें उन परीक्षकों को भेजी जा रही हैं जिन्हें उर्दू आती ही नहीं। परिणाम यह होता है कि वे उनकी उचित जांच नहीं करते और उर्दू माध्यम के छात्रों को घाटा होता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस स्थिति को सुधारने हेतु स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति करे प्रश्न पत्रों की उर्दू में व्यवस्था करे और यह देखे कि उर्दू माध्यम की उत्तर पुस्तिकायें उर्दू जानने वाले परीक्षकों को ही भेजी जायें।

(छः) जीवन बीमा निगम के श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों की कथित अनिश्चितकालीन हड़ताल और इन कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का हाल का फैसला

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : 2 अप्रैल, 1981 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश द्वारा जीवन बीमा निगम बोनस और मंहगाई भत्ते के बारे में 2 फरवरी, 1981 की सरकारी अधिसूचना के संचालन पर रोक लगा दी, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार और जीवन बीमा निगम को निर्देश दिया वे 1974 के समझौते के अनुसार सभी वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और बोनस का भुगतान करें।

जीवन बीमा निगम के वर्ग 3 और 4 के सभी कर्मचारियों द्वारा 2 अप्रैल, 1981 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का मामला काफी गम्भीर है। अनिश्चित कालीन हड़ताल जीवन बीमा कर्मचारियों पर थोपी गई है क्योंकि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के 10 नवम्बर, 1980 को दिए गए एक निर्णय पर जिद्दी रवैया अपना रखा है। 2 अप्रैल, 1981 को सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम आदेश कर्मचारियों के न्यायसंगत दावे को प्रमाणित करता है। माननीय वित्त

[श्री सुनील मैत्रा]

मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि वह सदन में यह ब्यान दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए भुगतान किया जायेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : नियम 377 के अधीन अभी-अभी जो कुछ उन्होंने कहा है उस बारे में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए मेरी अनुमति लेनी आवश्यक है ।

प्रो० मधु दंडवते : व्यवस्था का प्रश्न उठाने हेतु अनुमति आवश्यक नहीं होती । कृपया मुझे माफ करें । मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए अनुमति नहीं चाह रहा हूं । उसके लिए अनुमति लेना कतई आवश्यक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए अनुमति आवश्यक है । जब कोई बहस नहीं हो रही हो और दो चरणों के बीच में अन्तराल हो तो व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए अनुमति आवश्यक होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगली मद "संचार" है ।

गृह राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकट सुब्बय्या) : अब अन्तराल है । मैं जानता हूं कि उन्हें मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपकी अनुमति से व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति दे रहा हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय की कृपा से ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं । आपको पहले अनुमति लेनी चाहिए । यह नियम है ।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह मामला जो अभी-अभी माननीय सदस्य ने उठाया था 12.00 बजे भी उठाया गया था जब अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे और उस समय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अनुरोध किया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही निर्णय दिया है और इस निर्णय के अनुसार सरकार के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह जीवन बीमा निगम के वर्ग 3 और 4 के सभी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कर दे । उस समय उन्होंने उत्तर दिया था । यह कार्यवाही में सम्मिलित है कि "हम मामले की जांच करेंगे ।" जहां तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध है, सम्बन्धित पार्टियों के लिए मामले की छानबीन अथवा विचार किए जाने का कोई विकल्प नहीं रहा जाता । विवाद के पक्षों के लिए यह अनिवार्य है कि वे इसके कार्यान्वियन को सुनिश्चित करें । अतः मेरी नियमापत्ति यही है । सरकार के लिए यह अनिवार्य नहीं है·····।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय आपका व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अधीन है ?

प्रो० मधु दंडवते : नियम 376 के अधीन आठ दस वर्ष से इस सदन का सदस्य होने के नाते हमने इसे कण्ठस्थ कर रखा है, हमें वह सब याद है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 के अधीन है। क्या सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कार्यान्वित हो ? ठीक इसी प्रश्न को उन्होंने 377 के माध्यम से उठाया है.....।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी सभा में उपस्थित था। यह प्रश्न श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने शून्य-काल के दौरान उठाया था। मुझे याद है कि अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि वह सरकार को विवरण देने के लिए निदेश नहीं दे सकते। यही बात मैं अब आपके व्यवस्था के प्रश्न पर कहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया रिकार्ड देखें। मैं उन शब्दों को पुन: दोहरा सकता हूं। मेरी स्मरण शक्ति उतनी न हो जितनी आपकी है। फिर भी मुझे याद है .....।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने कहा था.....।

प्रो० मधु दंडवते : तत्पश्चात मंत्री ने कहा कि "यह मामला विचाराधीन है"। आप रिकार्ड से इसकी जांच कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर आप इस मुद्दे को कल उठा सकते हैं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ भी कहा हो, मैं उनके निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकता। मैंने अध्यक्ष को यह कहते सुना था कि वह सरकार को विवरण देने का निर्देश नहीं दे सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : जैसा भी हो, मेरे लिए आपकी सलाह अथवा निदेश यह है कि मुझे व्यवस्था के प्रश्न को स्थगित कर देना चाहिए। ठीक है, मैं इसे कल उठाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगली मद।

अनुदानों की मांगें—1981-82

संचार मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन सेठी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कल मैंने कुछेक विशेष कमियों की ओर ध्यान दिलाया था जो सम्पूर्ण डाकतार विभाग में अक्षमता तथा कभी-कभी भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। मैंने पहले बताया है कि डाकतार विभाग की भर्ती प्रक्रिया दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें रिक्तियों को भरने में तीन से छः महीने का समय लग जाता है। इसी तरह विभाग के नियम भी दोषपूर्ण हैं ; इनके अधीन कोई कर्मचारी तीन से सात दिन तक अनुपस्थित रह सकता है जिसके बाद वह संबंधित प्राधिकारियों को डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है, और वह भी किसी अनधिकृत चिकित्सक से। क्योंकि ये नियम पुराने तथा अप्रचलित हो चुके हैं, अत: सरकार उनमें संशोधन करने के प्रश्न पर विचार क्यों नहीं करती। हमारी आवश्यकताओं के अनुसार तथा जो नए परिवर्तन आए हैं उनके अनुसार उन नियमों में संशोधन करने पर विचार

[श्री अर्जुन सेठी]

क्यों नहीं करती ? इसी प्रकार जैसे कि अन्य माननीय सदस्यों ने यहां बताया है कि सरकार अपने कर्मचारियों को प्रति वर्ष 27 करोड़ रुपये समयोपरि भत्ते के रूप में दे रही हैं। इस संबंध में क्या मैं माननीय मंत्री को यह कह सकता हूं कि वह नए कर्मचारी नियुक्त करने की सोचें ताकि हमारे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का एक तरह से समाधान किया जा सके और साथ ही यह समयोपरि भत्ता भी समाप्त हो जाएगा।

जैसे कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी यहां कहा है, जहां तक दूरभाष प्रणाली का संबंध है हम विदेशी जानकारी पर निर्भर रह रहे हैं तथा हम अपने टेलीफोन केन्द्रों तथा अन्य कार्यालयों के संचालन के लिए काफी आयात करते हैं। इस प्रसंग में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो विदेशी उपकरण देश में आयात किए जा रहे हैं तथा टेलीफोन केन्द्रों आदि के संचालन के लिए लगाए जा रहे हैं वे हमारे देश की जलवायु के अनुरूप नहीं हैं तथा हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध है करना चाहता हूं कि वह और अधिक देशी उत्पादन का प्रयास करें जिससे कि विदेशी जानकारी अथवा आयात पर हमारी निर्भरता कम हो सके।

अन्ततः मैं अपने राज्य तथा उड़ीसा सरकल की कुछ विशेष समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछले दिनों माननीय प्रधान मंत्री ने हमारे राज्य का दौरा किया तथा अनेक लोग उनसे मिले। उडिया के एक दैनिक-पत्र 'समाज' के विद्वान सम्पादक डा० रथ ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें उन सभी कठिनाइयों तथा अव्यवस्थित परिस्थितियों का उल्लेख किया गया था जो हमारे सरकल में विद्यमान हैं। मुझे सभा का तथा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहिए कि पिछले छः महीने से वहां दूर संचार सरकल के लिए पूर्ण-कालिक महाप्रबंधक नहीं है और एक दूर संचार निदेशक इसका प्रभाराधिकारी है। वह वहां पिछले पांच वर्ष से काम कर रहा है और उसके विरुद्ध अनेक शिकायतें तथा भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मुझे यह भीबता या गया है कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरों भी उसके खिलाफ है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री यथाशीघ्र वहां एक नया महा प्रबन्धक तैनात कर रहे हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार की यह समस्या तथा टेलीफोन विभाग की अव्यवस्थित हालत सम्बन्धी समस्याएं समाप्त हो सकें।

इसी तरह, महा डाकपाल का पद - मैंने कम से कम 1974 से आज तक यह देखा है - अधिकांश समय वह रिक्त ही पड़ा रहा है। हाल ही में, एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी और उसके खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं यह कहूंगा कि वह एक कुशल अधिकारी हैं। लेकिन यदि वे कर्मचारी जिनके ऊपर वे कार्य कर रहे हैं, कार्यकुशल नहीं हैं तो मुझे यह कहना होगा कि एक ही व्यक्ति हरेक काम स्वयं नहीं कर सकता तथा इस प्रकार विभाग की स्थिति को सुधार नहीं सकता।

जहां तक सार्वजनिक टेलीफोन तथा टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रश्न है, पिछले एक वर्ष से अनेक सार्वजनिक टेलीफोन तथा टेलीफोन केन्द्र मंजूर किए गए हैं लेकिन वहां के लोगों की

भलाई के लिए कोई भी टेलीफोन केन्द्र अथवा सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोला गया है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम उन्हें देखना चाहिए कि इन समस्याओं का यथा शीघ्र समाधान हो।

महोदय, हमने पिछली सरकार से भी अनुरोध किया था तथा मौजूदा सरकार से भी किया है और हम अनेक बार यह आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तावित टेलीफोन फैक्टरी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी, लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अतः मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राज्य के लोगों की आशाओं को पूरा करने के लिए भुवनेश्वर में यथा शीघ्र उक्त फैक्टरी स्थापित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम (तिरुनेलवाली) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूर संचार मंत्रालय के 1981-85 की अनुदानों की मांगों का स्वागत करते हुए तथा अपना समर्थन देते हुए मैं कतिपय सुझाव देना चाहता हूं। मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि मैं ये सुझाव लोक सभा के रिकार्ड में आने के प्रयोजन से नहीं दे रहा हूं और न ही समाचार पत्रों में प्रचार पाने के लिए दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहे अथवा नहीं, लेकिन आप जो कुछ भी कहेंगे वह लोकसभा के रिकार्ड में आ जाएगा और वह समाचार पत्रों में भी आ जाएगा।

श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम : देश के सभी महत्वपूर्ण कस्बों को माईक्रो-वेव प्रणाली से जोड़ने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा किये जा रहे प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। माइक्रो-वेव स्टेशन अनेक स्थानों पर स्थापित कर दिए गए हैं। दुर्भाग्य से, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में जिस स्थान पर यह स्टेशन लगाया जाना है वह स्थान एक प्राईवेट व्यक्ति का है जो इस विवाद को लेकर न्यायालय में चले गये। अब न्यायालय का निर्णय सरकार के पक्ष में हो गया है लेकिन उस व्यक्ति ने उच्चतर न्यायालय से रोक आदेश प्राप्त कर लिये हैं। सरकार को उस रोक आदेश को रद्द कराने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए संबंधित विधान में संशोधन किया जाना चाहिए।

"डाक बचत योजना का देहाती लोग लाभ उठा रहे है। वे जो भी थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। डाकघर में बचत खाते में डाल देते हैं। वे ऐसा सरकार में विश्वास रखते हुए करते हैं, न कि डाक कर्मचारियों में। मैं एक उदाहरण दूंगा कि रामनाथ पुरम जिले के सिक्कल डाकघर में किस प्रकार डाक कर्मचारी बचत खाते में जमा की गई राशि को लेकर लापता हो गया है। अब विभाग छोटे जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस करने में अनिच्छुक है। सरकार को चाहिए कि वह विभाग को निर्देश दे कि छोटे जमाकर्ताओं का पैसा वापस किया जाए और एक डाक कर्मचारी द्वारा पैसा गबन किए जाने के लिए जमाकर्ताओं को सजा न दी जाए।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवादका हिन्दी रूपान्तर

[श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम]

दो वर्ष पहले कुछ डाक लिफाफों, कार्डों, डाक प्रमाण-पत्र के फार्मों आदि की अत्याधिक कमी थी। अब स्थिति में सुधार हो गया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की कमियां फिर न होने पाएं।

मेरे माननीय वरिष्ठ साथी, श्री कोशल राम ने 16.3.81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3613 के माध्यम से उन जिला नगरों के नाम जानना चाहे थे जहां हस्त चालित टेलीफोन प्रणाली विद्यमान है। उसके उत्तर से आपको यह मालूम होगा कि 1300 नगरों में हस्त चालित प्रणाली विद्यमान है जिनमें 14 जिला नगर भी शामिल हैं। यह स्थिति 31.3.1980 की है। खेद है कि अभी भी 148 जिला नगरों में हस्त चालित प्रणाली के टेलीफोन केन्द्र हैं। तमिल नाडू में नागरकायल, कुड्डा लोट, थेंजावुर और तिरूनेलवेली तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में हस्त चालित टेलीफोन केन्द्र हैं। मैं नहीं जानता कि किसी नगर में स्वचालित केन्द्र खोलने के लिए क्या विनिर्दिष्टताएं निर्धारित की हुई हैं। कुछ 12 वर्ष पहले तिरूनेलवेली में एक स्वचालित केन्द्र खोलने के लिए एक भवन निर्माण किया किया गया था। उपकरण भी उस भवन में पहुंच गए। लेकिन, किसी प्रकार वे उपकरण भी किसी अन्य स्थान को भेज दिए गए और आज वह भवन टूटी-फूटी स्थिति में है। मेरी यह मांग है कि तिरूनेलवेली में एक स्वचालित केन्द्र अविलम्ब खोला जाना चाहिए। उत्तरी आर्कोट जिले में तिरूपट्टूर एक व्यापारिक केन्द्र है और वहां स्वचालित केन्द्र के साथ साथ एस० टी० डी० सुविधा की हर तरह से जरूरत है। नवेली भी जो कि लिगनाईट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का स्थान है, स्वचालित केन्द्र तथा एस० टी० डी० सुविधा देने के मामले पर विशेष ध्यान देने के योग्य है। मेरे वरिष्ठ साथी, श्री माया तेवर डिंडीगुल में स्वचालित केन्द्र तथा एस० टी० डी० सुविधा देने की जरूरत पर बार-बार बल देते आए हैं। माननीय मंत्री महोदय को इसकी भी जांच करनी चाहिए।

अब मैं सभा का ध्यान भारत की राजधानी में टेलीफोन विभाग के कार्य संचालन की ओर दिलाऊंगा। 28 मार्च 1981 को प्रातः 10 बजे मैंने तिरूनेलवेली के लिए एक 'अर्जेन्ट 'काल' बुक कराई और क्योंकि सायं 5 बजे तक मुझे कनेक्शन नहीं मिला, मैंने उसे रद्द कर दिया। 29 मार्च 1981 को सायं लगभग 8.42 बजे मैंने दोबारा एक और 'अर्जेन्ट' 'काल' बुक कराई और रात 11.30 बजे तक 'काल' नहीं मिल सकी। अतः मुझे उसे रद्द करना पड़ा। क्योंकि मुझे तिरूनेलवेली में 30.3.81 को कुछ लोगों से जरूरी बात करनी थी अतः मैंने प्रातः 7.30 बजे एक 'अर्जेन्ट काल' बुक कराई। मैंने 10.30 बजे तक कनेक्शन मिलने की प्रतीक्षा की। तब मैंने उसे एक लाईटनिंग 'काल' में परिवर्तित कर दिया और 11.30 बजे तक मुझे लाईटनिंग काल' मिली। इस प्रकार के असामान्य विलम्ब को दूर किया जाना चाहिए। मेरा निवास स्थान मुक्कोडल, तिरूनेलवेली से लगभग 12 मील दूर है। यदि मैं तिरूनेलवेली के लिए काल बुक कराऊं तो लगभग डेढ़ से दो घंटे का समय लग जाता है। यदि मैं कर्मचारियों से विलम्ब का कारण पूछता हूं तो उत्तर मिलता है कि "लाईन खराब है।" इन समस्याओं का अविलम्ब समाधान होना चाहिए।

दिल्ली एक अन्तरराष्ट्रीय नगर है। लगता है टेलीफोन विभाग के कर्मचारी केवल हिन्दी जानते है और हम लोगों के लिए जो कि हिन्दी नहीं जानते। उन लोगों से बात करना अत्याधिक कठिन होता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यही समस्या उन विदेशी उच्च-अधिकारियों को हो रही है जो विदेश में अपने समक्ष अधिकारियों से सम्पर्क करना चाहते हैं। टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों को हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भी जानना अनिवार्य होना चाहिए, विशेषकर उनके लिए जो दिल्ली में तैनात हैं, जिससे कि प्रयोक्ताओं को परिहार्य कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

कार्य निष्पादन बजट में मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि 14 स्थानों में एस० टी० डी० कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि एस० टी० डी० सुविधा देने के लिए क्या शर्तें होती हैं। यदि तिरूनेलवेली उन शर्तों को पूरा करता है तो वहाँ एस० टी० डी० कनेक्शन दिया जाना चाहिए। अनुदानों की मांगों के ब्यौरे की पुस्तिका के पृष्ठ 3.7 पर कतिपय नई योजनाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन प्रत्येक योजना के संबंध में यह टिप्पणी दी गई है कि "मंजूरी अभी नहीं दी गई है।" यदि ऐसा है तो उसका उल्लेख अनुदानों की मांगों में क्यों होना चाहिए ? मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसका स्पष्टीकरण दें।

तुरन्त वितरण प्रणाली व्यापारियों तथा व्यावसायियों के लिए बहुत उपयोगी थी। मेरी मांग है कि इस प्रणाली को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। मैं मीना बाग में रह रहा हूं। मैं उद्योग भवन डाकघर में हवाई डाक का लिफाफा लेकर गया और वहाँ एक भद्र पुरुष से यह सलाह मांगी कि उस लिफाफे को श्रीलंका भेजने के लिए मुझे कितने पैसे की टिकटें लगानी है। मुझे 50 पैसे की टिकटें दी गई जो मैंने लिफाफे पर लगा दीं और उसे डाक में डाल दिया। जब मैं वापस आया तो मुझे अपनी डायरी से यह देखकर हैरानी हुई कि मुझे उस लिफाफे को श्रीलंका भेजने के लिए 1.75 रुपये की टिकटें लगानी चाहिए थी। ऐसे कर्मचारियों को इन मामलों में उचित तथा पक्का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

डाक कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मेरी मांग है कि यह बोनस उन डाक कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए जो सेना डाक सेवाओं के लिए सेवा करने का अपना विकल्प देते है। इसी समय उन्हें बोनस नही मिल रहा है। इसी तरह, जबकि अन्य कर्मचारी 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता पाते हैं सेना डाक सेवा के लिए सहमति देने वाले डाक कर्मचारियों को केवल 10 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलता है मेरी मांग है कि उन्हे 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाना चाहिए।

3-3-81 को मुझे मध्य प्रदेश में बिलास पुर से एक तार भेजा गया था। मुझे वह तार 5 मार्च 1981 को 29 घंटे के विलम्ब के पश्चात् मिला। इस पर बल देने की जरूरत नहीं कि तारों के मामले में इस प्रकार के विलम्ब दूर किये जाने चाहिए।

[श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम]

मांग संख्या 14 के अन्तर्गत, वर्ष 1980-81 के लिए संचार मंत्रालय की मूल प्राक्कलन की राशि 12.50 करोड़ रुपये तथा संशोधित प्राक्कलन की राशि 12.26 करोड़ रु० थी प्राक्कलन में 2.4 लाख रु० के अन्तर का कारण मशीनरी तथा उपकरण के प्रावधान में की गई कमी बताया गया है। इसी प्रकार मांग संख्या 18 के अन्तर्गत डाक तथा तार पर पूंजी परिव्यय के मूल प्राक्कलन की राशि 451 करोड़ रुपये तथा संशोधित प्राक्कलन की राशि 410 करोड़ रुपए थी प्राक्कलन में 40 करोड़ रु० के अन्तर का कारण सामग्री की नियमित सप्लाई न मिलना तथा दूर संचार उपकरण इत्यादि के आयात में कमी बताया गया है। वर्ष 1981-82 के लिए 512 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है। मैं अनुरोध करता हूँ कि वर्ष 1981-82 के संशोधित प्राक्कलन में ऐसी कोई कमी नहीं की जानी चाहिए। वर्ष 1981-82 में 1600 नये डाकखाने खोले जाने हैं। यह तुरन्त किया जाना चाहिये। इसके साथ-साथ सारे देश में गैर विभागीय डाकखानों को पूर्णकालिक कार्यालय बनाया जाना चाहिए। इन डाकखानों के अंशकालिक कर्मचारियों के वेतन में भी समुचित बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। जब हम यह मांग करते हैं कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकार भी अपने कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन दे।

भारतीय स्मारक डाक-टिकट इतने आकर्षक हैं कि संसार भर के लोग इन्हें खरीदकर अपने पास रखना चाहते हैं। मुहर लगे हुए प्रथम दिवस आवरणों की भी बहुत मांग है। चूंकि टिकट संग्रहकर्त्ताओं के लिए भारत स्वर्ग बन गया है, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रथम दिवस आवरणों को खराब न किया जाये तथा इन आवरणों पर सावधानीपूर्वक मुहर लगाई जाये ताकि ये खराब न हों।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य शुरू होगा। श्री रामनाथ दुबे।

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन से जो 1 अप्रैल, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 20 वें प्रतिवेदन से, जो 1 अप्रैल, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

विधेयक पुरःस्थापित

भू संरक्षण विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयकपुरस्थापित किये जायेंगे। डा० पंडित।

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : महोदय, मैं भूस्खलन से भूमि संशाधनों को संरक्षण प्रदान करने तथा अन्य प्रयोजनों से संबंधित विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूस्खलन से भूमि संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने तथा अन्य प्रयोजनों से संबंधित विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० बसन्त कुमार पंडित : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 48 ख आदि का अन्तःस्थापन)

श्री दिग्वजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : महोदय मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने संबंधी विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने संबंधी विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला विधेयक भी आपको ही पुरःस्थापित करना है।

विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : महोदय, मैं भारत में सभी विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करने संबंधी विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में सभी विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

सरकारी सेवाओं में पदों और शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानों का (आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए) आरक्षण विधेयक

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :—

सरकारी सेवाओं में पदों और शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानों का लोगों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी सेवाओं में पदों और शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानों का आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० पी० सिंह देव—अनुपस्थित। श्री आर० एल० पी० वर्मा।

बहु-विवाह उन्मूलन विधेयक

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :—

देश में अबाध गति से बढ़ रही जनसंख्या की विपदा की रोकथाम करने हेतु समाज के विभिन्न वर्गों में प्रचलित बहु-विवाह और द्विविवाह के उन्मूलन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में अबाध गति से बढ़ रही जनसंख्या की विपदा की रोकथाम करने हेतु समाज के विभिन्न वर्गों में प्रचलित बहु-विवाह और द्विविवाह के उन्मूलन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

छोटे किसान सहायता विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री के० लकप्पा द्वारा 20 मार्च, 1981 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि छोटे किसानों को ऋणों तथा अनेकों प्रकार की सहायता मंजूर करने की व्यवस्था करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

अभी भी लगभग 19 माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने इस पर बोलने के लिये अपने नाम दिये हैं। इस विधेयक के लिये 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सभा ने इस विधेयक पर पहले की 1 घंटा और 28 मिनट विचार कर लिया है। अतएव हमारे पास इस विधेयक पर विचार करने हेतु केवल 32 मिनट ही बचे हैं। परन्तु प्रत्येक सदस्य ने अनुरोध किया है कि उसे बोलने का अवसर दिया जाये। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि कि इस विधेयक के लिये निर्धारित समय समाप्त होने के बाद समय बढ़ाने की अनुमति दे।

अब श्री राजगोपाल नायडू अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि 80 प्रतिशत किसान सीमान्त किसान हैं। भूमि के वितरण के परिणामस्वरूप लगभग एक करोड़ कृषि मजदूरों को भूमि प्राप्त हुई थी तथा ऐसी भूमि का विकास करने के लिये इन लोगों की मदद करनी होगी। न तो हमारे केन्द्रीय बजट में तथा न ही राज्यों के बजट में ऐसी भूमि के विकास का कोई प्रावधान किया गया है। अतः हमें एक उप-योजना अवश्य बनानी चाहिये तथा ऐसी भूमि के विकास के लिये पृथक राशि निर्धारित करनी चाहिये। इसमें से अधिकतर भूमि सीमान्त भूमि है तथा उस पर केवल वृक्षारोपण ही किया जा सकता है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : लगभग 28 सदस्यों ने इस विधेयक पर बोलना हैं। सम्बन्धित मन्त्री इन सदस्यों के विचार सुनने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं। कृषि मन्त्री को यहां अवश्य उपस्थित होना चाहिये।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सम्बन्धित राज्यमन्त्री यहां उपस्थित हैं। (श्री के०

(श्री के० राजामल्लू पीठासीन हुए)

श्री पी० राजगोपाल नायडू : उप योजना में कुएं खोदने, भूमि बराबर करने, फलों के बाग लगाने तथा ऐसी भूमि पर वन-रोपण के लिये धन की व्यवस्था की जानी चाहिये। ऐसी बंजर भूमि का विकास करके लाभ उठाया जा सकता, तथा निर्धन व्यक्ति इससे फायदा उठा सकते हैं।

महोदय, छोटे किसानों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास सही दिशा में हैं। हमारी सरकार ने डी० पी० आई० पी० के अन्तर्गत भी छोटे किसानों की विकास एजेंसी आरम्भ कर दी है। हाल ही में हमारे वित्त मन्त्री ने कहा है कि 5 हजार रु० तक का ऋण लेने के लिये कोई जमानत नहीं देनी पड़ती, तथा उनके लिये ब्याज की विभेदी दर पर भी ऋण प्राप्त करना सम्भव है। यद्यपि नियम पुस्तिका में ये सभी नियम दिये हुए हैं, तथापि वास्तव में इन नियमों का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं नहीं खोल रहे हैं, इन गरीब लोगों को ऋण नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिये बैंकों की निधि में कुछ राशि सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों को ऋणों के लिये देनी पड़े। तभी ये गरीब लोग इन ऋणों को प्राप्त कर सकते हैं तथा इन ऋणों को खंड विकास प्राधिकारियों के माध्यम से दिया जाना चाहिये। परन्तु खण्ड विकास अधिकारियों के पास इतना अधिक काम है कि वे इन राशियों के आयोजन पर निगरानी नहीं रख सकते। आन्ध्र प्रदेश में ही कुल मिलाकर हम 80 करोड़ रु० की राशि इस शीर्ष के अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों को दे रहे हैं। परन्तु वास्तव में यह राशि उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच रही है जिनके लिये इस शीर्ष के अन्तर्गत इसका आबंटन किया गया है। इसका कारण यह है कि इन पर निगरानी नहीं रखी जाती तथा इन लोगों को समय पर यह राशि नहीं मिल पाती। अतः इन निधियों पर निगरानी रखने के लिये ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन जिलों में ऋण अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए। तभी यह धनराशि उन व्यक्तियों तक पहुँच सकती है, जिनके लिये इनका आबंटन किया गया है।

जहां तक ब्याज की विभेदक दर का सम्बन्ध है, इनका कहना है कि ऋणों पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा। परन्तु इन लोगों को दिये गये ऋण की प्रतिशतता कितनी है ? एक प्रतिशत नहीं है। इसका कारण यह है कि इसके लिये कोई निर्धारण नहीं किया गया है। अतः इस कार्य के लिये उचित निर्धारण अवश्य किया जाना चाहिए। हाल ही में हमारी सरकार ने छोटे किसानों की सहायता करने का निर्णय लिया है तथा वित्त मन्त्री पहले ही कह चुके हैं कि इन लोगों को कुछ और सुविधाएं भी दी जाएंगी। यह एक अच्छी बात है।

जहां तक राजसहायता का सम्बन्ध है, सीमान्त किसानों को 33 1/3 प्रतिशत, छोटे किसानों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को कुछ और अधिक दर पर यह मिल रही है। गिरिजनों को 50 प्रतिशत राज सहायता मिल रही है। परन्तु उन्हें राजसहायता लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा अधिकारियों से मिलने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरा करने में उन्हें बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है। वास्तव में उन्हें 80 प्रतिशत धन भी नहीं मिलता; ऋण लेने के लिये उन्हें बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है। इस कार्य के लिये कुछ स्वयंसेवी संगठन होने चाहिये। इन संगठनों को इन गरीब लोगों को ऋण दिलाने के कार्य में इनकी मदद करनी चाहिए।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री लकप्पा द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। संयोगवश वह इस समय यहां पर नहीं है। मैंने उनका पूरा भाषण पढ़ा है। उन्होंने इस विषय पर सविस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं किसानों के सम्बन्ध में उनके द्वारा उल्लेख किए गए कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिलाऊंगा और किसानों की समस्याओं पर भी अपने विचार व्यक्त करूंगा।

महोदय, यह विधेयक छोटे किसानों के सम्बन्ध में है और इसलिए इसकी परिभाषा विधेयक के निर्माता ने विधेयक में दी है। यद्यपि यह विधेयक छोटे किसानों के सम्बन्ध में है किन्तु उन्होंने देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा जोती जा रही जमीन की किस्मों के सम्बन्ध में नहीं बताया है और यदि देश के विभिन्न भागों में भूमि की किस्मों पर ध्यान दिया जाए तो बहुत सी अन्य बातों पर भी गम्भीरता से विचार करना होगा। इस समय श्री लकप्पा यहां नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे ये विचार आपके माध्यम से उन तक पहुंच जाएं।

यह विधेयक छोटे किसानों को ऋण देने तथा अन्य राज्य सहायता प्रदान करने के विचार से पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह ऋण ब्याज की बहुत कम दरों पर दिए जाने चाहिए तथा राज सहायता भी उन्हें दी जानी चाहिए। छोटे किसानों को यह सहायता सहकारी समितियों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। 1971-72 से सरकार द्वारा अनेक योजना बनाई गई हैं और अपने देश में लघु कृषक विकास एजेन्सियां काम कर रही हैं। पांचवीं योजना में यह निर्णय किया गया था कि छोटे किसानों और कृषि मजदूरों के लिए एक संयुक्त एजेन्सी बनाई जाए और इस पर कार्य भी आरम्भ हो गया था। मेरे सहयोगी श्री लकप्पा का मुख्य विचार यह था कि सरकार विभिन्न योजना बना रही है, उसके लिए पर्याप्त धन देने को तैयार है किन्तु उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाईयां हैं।

मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ? दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1845 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर से पता चलता है कि यद्यपि यह योजना 1971-72 में आरंभ की गई थी किन्तु दिसम्बर, 1979 तक इसका लाभ देश के कुल 76.14 लाख व्यक्तियों को ही दिया जा सका था। हमारा देश एक ग्राम प्रधान और कृषि प्रधान देश है, वही हमारे देश के आधार हैं किन्तु गत दस वर्षों में जबकि पर्याप्त धन उपलब्ध था, बड़े-बड़े कार्यालय स्थापित थे और बड़े-बड़े अधिकारी नियुक्त थे तब भी इसका लाभ केवल 76.14 लाख व्यक्तियों को ही दिया सका। इसमें कुछ परस्पर विरोध भी प्रतीत होता है क्योंकि एक महीने पहले कृषि मन्त्रालय द्वारा दिए गये उत्तर में यह बताया गया था कि इसका लाभ 80,33,802 परिवारों को मिला नवम्बर के महीने में ऐसे परिवारों की संख्या 80 लाख बताई गई थी जबकि दिसम्बर इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 76 लाख बताई गई है। यह आं सरकार के पास उपलब्ध हैं।

[श्री बापू साहिब परुलेकर]

इसके अलावा, इन योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभों में भेद-भाव बरता जा रहा है। मुझे पता चला है कि 1971-72 से इस योजना के अंतर्गत 27 राज्यों में कुल 179 परियोजनाएं चलाई गई हैं किन्तु इनमें भेद-भाव यह है कि इन 179 परियोजनाओं में से 101 परियोजनाएं 6 राज्यों में हैं अर्थात् अन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल में हैं। 59 परियोजनाएं 9 राज्यों में हैं और शेष 9 योजनाएं 8 राज्यों में हैं। मुझे पता चला है कि लक्ष द्वीप, मिजोरम तथा छोटे राज्यों में जहाँ पर कि, जैसा कि सभी सहमत है, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, कोई योजनाएं नहीं है। मैं माननीय कृषि मन्त्री से यह जानना चाहूंगा। जो यहां उपस्थित नहीं है कि यह भेदभाव क्यों है और छोटे राज्यों को सहायता क्यों नहीं दी जा रही है। सरकार इस बात के लिए काफी प्रयत्न कर रही है कि छोटे किसानों की हालत में सुधार हो किन्तु दुर्भाग्यवश जैसा कि मैंने पहले कहा है कि उसमें कुछ कठिनाईयां अवश्य हैं। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि यह कठिनाईयां क्या हैं और हम किस प्रकार किसानों को सरकार द्वारा यह दी गई धनराशि का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग कर सकते हैं। यह धनराशि किसानों को नहीं मिल पा रही हैं इसलिये हमें अपनी वित्तीय प्रणाली में सुधार करना चाहिये। श्री लकप्पा ने इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि कृषि श्रम और वित्त मंत्रालयों के बीच परस्पर समन्वय होना चाहिये, तथा कुछ और सहकारी बैंक खोले जाने चाहिये। मेरे जिले में बैंक केवल ताल्लुका स्थानों पर खोले जाते हैं। राष्ट्रीकृत बैंक सुदूर गांवों में अपनी शाखाएं खोलने को तैयार नहीं है और उन्हें जहां बैंक स्थित हैं उससे 8 मील से अधिक स्थानों पर रहने वाले लोगों को ऋण न देने के आदेश दिए गए हैं। ताल्लुका का एक क्षेत्र 40-50 मील तक हो सकता है (व्यवधान)

इन बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक की सुविधा प्रदान करने के लिये और अधिक बैंक खोलने होंगे। इन बैंक रहित क्षेत्रों के लोगों को एक राष्ट्रीकृत बैंक से दूसरे राष्ट्रीकृत बैंक तक तथा सहकारी बैंक से अन्य बैंकों के बीच चक्कर लगाने पड़ते हैं। विशेष रूप से इस देश के कोकण क्षेत्र के किसानों को इस असुविधा से बहुत कष्ट होता है।

मैं किसान रेलियों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य उनकी आलोचना करना नही है। ऐसी दो किसान रेलियां हो चुकी हैं और यह दावा किया जाता है कि एक रैली में 30 लाख किसान आए थे और दूसरी रैली में 5 लाख किसान आए थे। कृपया इन रैलियों में खर्च की गई धनराशि पर विचार कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि यह धनराशि सरकार द्वारा व्यय की गई थी। हम सभी राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखते हैं। हम इन किसानों की हालत मे सुधार करना चाहते हैं। लेकिन मेरे आंकड़े सही हैं तो मेरा अनुमान है कि इन परिवहन तथा डीजल पर लगभग 100 करोड़ रुपया व्यय हुआ था। यदि हम किसानों की हालत में सुधार करना चाहते है तो क्या हम इस धनराशि को किसानों की हालत में सुधार करने में व्यय नहीं कर सकते थे। पर हमारे आलोचक कहते हैं "कि आप के उद्देश्य वास्तविक हैं और आप किसानों की हालत में सुधार करने के लिए कटिबद्ध हैं।" इसलिए में अपने सभी मित्रों से तथा

सदन में सभी दलों से अनुरोध करता हूं कि राजनैतिक दलों के लिए इस प्रकार से समर्थन प्राप्त करने की बजाय, यदि वे वास्तव में किसानों का समर्थन करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए धन इकट्ठा करना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक स्थापित करने चाहिएं और किसानों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में अन्य बातों की चर्चा नहीं करूंगा। मैं श्रीलकप्पा का समर्थन करता हूं और मेरा विचार है कि फसल बीमा योजना पर काफी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उनकी फसल की बिक्री के लिए सस्ता परिवहन उपलब्ध कराने पर भी विचार करना चाहिए। हमें उनके लिए विपणन सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी चाहिए तथा बिचौलिए समाप्त कर देने चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे यहां रत्नगिरी में उत्पादक अपने आम को 25 रुपये सैंकड़ा बेचते हैं जबकि बम्बई में वह 100 रुपये प्रति दर्जन के भाव बिकता है। आप समझ सकते हैं कि इसमें लाभ का अधिकांश भाग किसकों जाता है। इस विधेयक के संबंध में अन्य बातों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोंकण तथा पश्चिमी तट के 3 जिलों थाना, रायगढ़, रत्नगिरी और गोवा के कुछ हिस्से की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। विधेयक में खण्ड 3 के अन्तर्गत छोटे किसान की परिभाषा यह दी गई हैं "वे किसान जिसकी कृषि भूमि 10 एकड़ अथवा उससे कम असिंचित भूमि है।" अथवा 5 एकड़ या उससे कम सिंचित भूमि है। जैसा मैंने कहा है कि श्री लकप्पा ने केवल इस कारण ध्यान नहीं दिया है कि सम्भवतः उन्हें इस भूमि की किस्म के बारे में जानकारी नहीं थी जोकि पश्चिमी तट के इस भाग में है। हमारे पास वहां एक एकड़ कृषि योग्य भूमि है। और यदि दूसरे व्यक्ति के पास सैंकड़ों अकृषि योग्य भूमि पहाड़ों में है तो वे कुछ भूमि का वह हिस्सा सूखी पत्तियां इकट्ठा करने अथवा जलाने के लिए ईधन इकट्ठा करने के योग्य किया जाता है। उसको इसमें शामिल कर दिया जाता है किन्तु कोंकण में मेरे जिले का कोई किसान हो तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा यद्यपि जो कुछ वह पैदा करता है वह केवल तीन महीने के लिए पर्याप्त होता है। वहां भूमि की क्या किस्म है। मराठी में उसे नवाकिर्र अर्थात धान की खेती के लिए नई तैयार की गई भूमि कहते हैं इसमें कुछ पथरीला हिस्सा भी है। मि० रंगा इसके संबंध में अनुमान लगा सकते हैं हमारे यहां के किसान 6 इंच की पथरीली जमीन पर मिट्टी बिछा कर खेती करते है तभी वह उस पर हल चलाते हैं। हल चलाते समय उनको हल उठाना पड़ता है अन्यथा उससे पथरीले हिस्से पर रगड़ लगने का भय रहता है। वहां की यह स्थिति है। साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमने बागवानी तथा फलों को उगाने पर ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए यह बहुत अच्छा स्थान है। पिछले दिन एक प्रश्न पूछा गया था और एक प्रसिद्ध कृषिविद् ने कहा था "यह देश का वह भाग हैं जो भारत का केलिफोर्निया बन सकता है। ऐसी स्थिति में भी 10 एकड़ की भूमि पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कोंकण के इस भाग की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा जो कि उपजाऊ नहीं है। जहां पर कि किसान कृषि उपकरणों के अभाव में तथा धन के अभाव में उत्पादन नहीं कर पाते हैं।"

जहां तक बैंकों का संबंध है किसानों को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है वह बहुत कठिन है। कृषि के मौसम के दौरान यदि उसका बैल मर जाता है तो वह ऐसी

[श्री बापू साहिब परुलेकर]

स्थिति में नहीं होता कि वह बैल खरीद सके। जब वह किसी बैंक के पास जाता है तथा ब्रान्च प्रबन्धक के पास ऋण का आवेदन करता है। पहले उसका आवेदन महा प्रबंधक के पास भेजा जाता है और फिर वह बैंक में आता है तब तक कृषि का मौसम समाप्त हो जाता है और वह फसल पैदा नहीं कर पाता है। इन सभी बातों पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसकी भूमि की किस्म किसान का अपनी प्रकृति और उसकी भूमि के क्षेत्रफल की समस्या है। इन सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि समय के अभाव के कारण मैं और अधिक विस्तार पूर्वक नहीं बोल सकूंगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर विचार करें। बहुत सी और बातें हैं जिनको मैं समयाभाव के कारण नहीं उठा सकता और मैं सदन का सारा समय नहीं लेना चाहता। में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ बातें आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। आरम्भ में मैं किसान की दृष्टिकोण से वर्तमान सरकार को जिसमें कि अपने बजट में तथा बजट के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कुछ रियायतें दी हैं तथा किसानों को कुछ सहायता दी हैं तथा विशेष रूप से छोटे किसानों को कुछ सहायता पहले से ही दी जा रही है। उसके लिए धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में कुछ मुख्य तत्व हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। जिनमें से सब से प्रमुख तथ्य यह है कि जिसको कि मैं सदन के सामने तथा आपके सामने रखना चाहता हूं कि लगभग 80 से 85 प्रतिशत तक सम्पूर्ण भारत के किसान इस वर्ग के अन्तर्गत आते है। जिन्हें कि छोटा किसान कहा जाता है। जिनके पास 5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ असिंचित भूमि हैं। सभी बातों का सारांश यह है और आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह छोटा सा कार्य जो कि एक किसान अपनी पत्नी व अपने बच्चों के लिए करता है और ऐसी प्रसन्नता देने वाला कार्य नहीं है जिसे कि आज के जीवनयापन की परिस्थतियों की तुलना में तथा आवश्यकताओं को देखते हुए अच्छा कहा जा सके। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे पूरा मेहनताना भी नहीं मिल पाता है। हम इस तथ्य को स्वीकार करें तथा यह पता लगाएं कि उसकी क्या परेशानियां हैं तथा कैसे हम उसकी कठिनाई को तथा समस्या को अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि यदि तेल संकट की अवधि के दौरान जबकि कृषि उत्पादन रुक सकता था यदि हमारी सरकार इसको पर्याप्त मात्रा में सहायता प्रदान न करती। हमारे पास तेल की कमी थी और जिसकी वजह न कोई पम्प और न कोई ट्रेक्टर चल सकता था। उनके लिए किसी न किसी प्रकार तेल का प्रबंध किया गया और हमने अपने ट्रेक्टरों को और मशीनों को काम के लिए जारी रखा। इस प्रकार इस संकट का सामना किया गया। साथ ही उर्वरकों को सस्ते दाम पर भी बेचने की समस्या है तथा कुछ अन्य बातें और भी हैं। किन्तु इसके अलावा एक दो बातें ऐसी भी है जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि ऋण देने की प्रणाली छोटे किसानों को

सहायता देने में बहुत सहायक नहीं है। जिला बैंक से लेकर भूमि रहन बैंक तथा सहकारी समितियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता अथवा सरकार द्वारा तथा तहसीलदार द्वारा, जिला प्राधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सहायता पर 5 से लेकर साढ़े छः प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है और कुल मिलाकर गरीब किसान को लगभग 15 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है।

एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का अर्थ यह होता है कि ब्याज की दर बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है यह भी जानना चाहता हूं। सरकार से यही मेरी अपील है। हमें किसान को ऋण देने की प्रणाली को पुनः सुव्यवस्थित करना चाहिए चाहे वह छोटे ऋण हों चाहे वह किसी प्रकार के ऋण हों। इस बात को हमें सभी को संगठित होकर उठानी चाहिए और इसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण उदार रखना चाहिये। हमें यह सब करना चाहिये और सभी प्रकार के ब्यौरे तैयार करने चाहिए ताकि बिचौलिये जिस पर कि किसान को निर्भर करना पड़ता है, तथा वह भी उन से लाभ उठाता है, वह उनसे प्रतिमास 5 प्रतिशत की दर पर ब्याज लेता है। यदि गणना की जाए तो यह प्रतिवर्ष 60 प्रतिशत के बराबर होता है और इस पर उसे चक्रवृद्धि ब्याज भी देना होता है और गरीब किसान उसके चंगुल से नहीं निकल पाता। इसके लिये क़ानून में भी अभी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी बात न होने पाए। इसके सम्बन्ध में हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा हमें अन्य प्रणाली पर भी ध्यान देना होगा। सहकारी समितियां भी उनको सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहती हैं। किन्तु वे उनकी सहायता नहीं कर पाती क्योंकि उनका कार्यचालन इस प्रकार का नहीं जैसा कि होना चाहिए। हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा, मुझे फार्म मशीनरी के बारे में भी कुछ कहना है फार्म मशीनरी प्रगतिशील छोटे किसानो को काफी नुकसान पहुंचा रही है। छोटा किसान संयुक्त परिवार में रहना चाहता हैं और संयुक्त परिवार के लिए एक छोटा सा ट्रैक्टर भी खरीदना चाहता है। वह भूमि बंधक बैंक के द्वारा ऋण प्राप्त करके ट्रैक्टर खरीदता है। उसके बाद उसकी मशीनरी अच्छी तरह काम नहीं करती। इसके लिए उसे कुछ फालतू पुर्जे भी खरीदने पड़ते जिसके लिए काफी मूल्य देना पड़ता है। ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए तथा उसके रख-रखाव को देखने वाले संगठनों को भी उसे काफी पैसा देना पड़ता। अतः सरकार की ओर से तथा हम सब की ओर से कुछ ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए कि हम उसे सस्ती दरों पर और राज सहायता देकर फार्म मशीनरी, जिसमें उपकरण भी शामिल हैं, उपलब्ध करा सकें। उनकी मरम्मत के लिए उसे उतना पैसा देना पड़े जितना वह देने की स्थिति में है। यह ऐसी समस्या है जिसकी ओर में ध्यान दिलाना चाहता हूं।

तीसरे, आपको भारत के सभी जिलों के सभी खण्डों में ट्रैक्टर उपलब्ध कराने चाहिए और ऐसे सहायता केन्द्र बनाने चाहिए जहां से वह सामूहिक रूप से ट्रैक्टर और हल आदि ले सकें और जिसके लिए उसे बहुत मामूली कीमत देनी पड़े। इस तरीके से वह दो बैलों, जो उसके पांच एकड़ में से प्रतिवर्ष चारे के रूप में दो से तीन एकड़ तक की आमदनी खा जाते हैं, से छुट्टी पा सकेगा।

[श्री आर० एम० स्पैरो]

यह व्यवस्था इसलिए भी की जानी आवश्यक है कि वह भविष्य में प्रगतिशील जीवन बिता सके। इसके अलावा उसे अन्य प्रकार की सहायता भी दी जानी चाहिए जिससे कि उसकी पत्नी और बच्चे कुटीर उद्योगों तथा कुछ अन्य लघु उद्योगों से कुछ कमाई कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : समापति महोदय, 30 साल के बाद भी एक बात कही जा सकती है कि हिन्दुस्तान का काश्तकार कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जिन्दा रहता है और कर्ज में ही मरता है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। केवल 15 प्रतिशत बड़े-बड़े काश्तकार हैं, जिनको कुछ लोग कुलक कहते हैं, हालांकि मैं नहीं कहना चाहता। भगवान जाने कभी लैंड सीलिंग ऐक्ट लागू भी होगा कि नहीं, और लागू होगा भी तो कब लागू होगा। और सारी की सारी जमीन जो गरीबों के पास है, जो 70 प्रतिशत गरीब किसान है उनको आज भी किसी तरह का कोई लाभ नहीं पहुंचता। माननीय सी० पी० एन० सिंह साहब बैठे हुए हैं यह उपदेश देते हैं कि गांवों तक साईंस और टेक्नोलाजी ले जाओ, लेकिन वह बेचारे कैसे ले जायें? आज ही हमारे वित्त मंत्री जी ने उपदेश दिया उससे मालूम हुआ कि 5,000 रु० तक के लोन के लिये एक काश्तकार को अपनी जमीन, अपनी प्रौड्यूस को गिरवी रखना होगा। 1,000 रु० तक के लोन के लिये प्रौमिजरी नोट लिखना होगा। आप बताइये कि स्माल फार्मर्स किस प्रकार से इन हालात में चीजें खरीद सकते हैं। आखिर आज भी जो 43 प्रतिशत हमारी आबादी के लोग क्यों पावर्टी लाइन के नीचे हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि देश के काश्तकार को मजदूर की तरह भी मजदूरी नहीं दी जाती है। आज भी देश में मेहनत का मूल्य नहीं है। मूल्य है जो सम्पत्ति है उस पर कर्जा दिया जाता है। यों तो कहते हैं कि किसान हमारे आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन किसान का जो दमन और शोषण हो रहा है उसको कोई नहीं देखता। जब मद्रास और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने गरीब किसानों को 60,60 करोड़ रु० के ऋण से मुक्त किया तो हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में हम राज्य सरकारों की मदद नहीं कर सकते। यह मानी हुई बात है कि नेशनेलाइज्ड बैंक्स सारे लोन का केवल 4.9 प्रतिशत ही स्माल फार्मर्स को देते हैं। जितना लोन दिया जाता है, उसका केवल 4.9 प्रतिशत लोन स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाता है, इसीलिये केवल 15 प्रतिशत लोग ही इसका लाभ उठाते हैं। चाहे नेशनलाइज्ड बैंकों में देख लीजिए, लोन देने के इनके आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार लोन यह देते हैं। इनका लोन देने का तरीका यह है :—

> 'कृषि और सम्बद्ध कार्यों के लिए पांच हजार रुपये तक ऋणों के लिए ..... ऐसे ऋण, फसलों को बंधक रखकर या चल आस्तियों, जो ऋण की राशियों से बनायी जाती है, को बंधक रखकर दिये जाते हैं।"

आप कहते हैं कि इम्प्रूव्ड वैराइटी के सीड्स लीजिए, फर्टिलाइजर लीजिये, टैक्नोलाजी और साइन्स को काम में लीजिए, लेकिन अगर काश्तकार को 5 हजार रुपये का कर्जा न मिले

तो इस बिल का परपंज कब तक फुलफिल कर सकेंगे ? काश्तकार का कर्जा माफ नहीं होता है उसे अगली फसल पर देना पड़ता है । अगर वह नहीं देता है तो उसकी कुर्की और नीलामी हो जाती है । इसीलिये हिन्दुस्तान में आज भी 20 लाख बांडेड लेबर हैं, बन्धुआ मजदूर हैं, जो अपनी मजदूरी के कारण और दूसरे घरों पर नहीं जा सकते हैं 1974 में आपने बिल बनाया था स्पेशल बांडेड लेबर का ।

सब से ज्यादा बांडेड लेबर कर्नाटक में हैं, दूसरे नम्बर पर उड़ीसा में है, हमारे चिन्तामणि जी पाणिग्रही यहां बैठे हैं । हमारे राजस्थान में 67 हजार बांडेड लेबर हैं । उत्तर प्रदेश में भी बहुत हैं ।

श्री बापूसिंह पारूलेकर : किन्तु सरकार द्वारा दिये गए आंकड़े कुछ और ही हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : किताबों में बीस लाख के आंकड़े दिये गये हैं । इन्होंने 27,000 का पता लगा लिया है और 17,000 बंधुआ मजदूरों को छुड़ा लिया है । कर्नाटक में तो बड़े लोग इनके शोषण और दमन पर अपनी जिन्दगी के जीवन का आनन्द लूट रहे हैं बांडेड लेबर होने का प्रमुख कारण यह है कि काश्तकारों को कर्जा नहीं मिल रहा है ।

विश्व खाद्य संगठन के महानिदेशक डा० साओमा ने बड़े साफ शब्दों में सच्चाई की बात कही थी । उन्होंने कहा था कि संगठन की एक पुरानी रपट के अनुसार कृषि अनुसधान कार्य गलत पटरी पर चलने के कारण ही हरित क्रान्ति का लाभ देश के पन्द्रह प्रतिशत बड़े किसानों तक ही सीमित रह गया । देश के 80 फीसदी किसान जिनकी जात छोटी है, गरीबी की दलदल में धंसते गये । यह भी हुआ कि पश्चिमी आधार पर जिस उच्च टेक्नोलाजी को अपनाने की दिशा में अनुसंधान किया गया, वह बिल्कुल सफल नहीं हो पाई ।

यह उन्होंने साफ कह दिया । हिन्दुस्तान के समाजवाद की ये बातें करते हैं, मेरे खयाल से कुछ दिन के बाद यह शब्द कोई आदर्श वाक्य हो जायेगा । इसकी कीमत घट जायेगी । आपने जो कहा है कि काश्तकारों को लोन मिलना चाहिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं ।

आज काश्तकार को लोन देने के लिये तरीका क्या है, गांव में जो नेशनलाइज्ड बैंक की ब्रांच खोली हुई है, जो लोग उनमें बैठे हुए हैं, उनमें मानव की संवेदना है ही नहीं । कर्जा देने से पहले वह रुपया ले लेते हैं । आप इसको आजकल रिश्वत मत कहिये, नजराना कहिये ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : कमीशन ।

श्री मूलचन्द डागा : कमीशन नहीं, नजराना । लोग कहते हैं कि नजराना ले लीजिए और हमें कर्जा दीजिए ।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : शुक्रियाना ।

श्री मूलचन्द डागा : हिमाचल प्रदेश में इसे शुक्रियाना कहा जाता है ।

नेशनलाइज्ड बैंकों में जो व्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, बैठे हुए हैं, वे छोटे काश्तकारों को कर्जा क्या देते हैं, उन पर एहसान करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि काश्तकार ही हिन्दुस्तान का मालिक है, उसका दर्जा एमपीज के बराबर है । उसको भी गौरव से जीना है । इसलिए उसको तिरस्कार के साथ कर्जा देना बिल्कुल अनुचित है । अगर बाढ़ के कारण काश्तकार की खेती नष्ट हो जाती है, तो वह कर्जा वापस कैसे करेगा ? क्या उस कर्जे को माफ नहीं किया जा सकता है ? अभी तक अकाल और बाढ़ आदि विपत्तियों से रक्षा के लिए बीमे का कानून किसानों के लिए लागू नहीं हुआ है । आज वित्त मंत्री जी ने कहा कि अगर इण्डस्ट्री में बिजली का फेल्यूर हो जाये, तो हम उससे रिकवरी कैसे कर सकते हैं । लेकिन अगर बारिश न हो, तो काश्तकार क्या करेगा ?

इसलिए स्माल फार्मर्ज और मार्जिनल फार्मर्ज के लिए यह व्यवस्था की जाये कि एक तो उन्हें समय पर कर्जा मिलना चाहिए, दूसरे, उन्हें धनराशि ज्यादा मिलनी चाहिए और तीसरे, उन्हें कर्जा लम्बे अरसे के लिए—दो, तीन, चार साल के लिए—मिलना चाहिए । यह नहीं होना चाहिए एक एक साल के बाद उसे रिकवर कर लिया जाए । अगर हिन्दुस्तान में समाजवाद लाना है, हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना है, खेती का विकास करना है, तो गांवों को समृद्धिशाली बनाना होगा, काश्तकारों को राहत देनी होगी ।

मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य, श्री लकप्पा, सिंचित जमीन के आंकड़े कहां से लाए हैं । हमारे राजस्थान में तो सिंचित भूमि सिर्फ 17 परसेंट है । हम तो वर्षा पर, इन्द्र भगवान की कृपा पर, निर्भर करते हैं । हमारे पास ऐसी जमीन है कि काश्तकार बहुत मेहनत करके उत्पादन कर सकते हैं । वे लोग अपना खून पसीना देते हैं, तब अनाज के दाने पैदा होते हैं । किसान का खेत उसकी यज्ञशाला है, जिसमें वह अपनी जिन्दगी की आहुति देता है ।

छोटे किसानों की सहायता के लिए कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें लम्बे अरसे के लिए सस्ती दर पर लोन मिल सके, ताकि वे अपनी जिन्दगी को ऊँचा उठा सकें और देश का निर्माण करने में अपनी निश्चित भूमिका निभा सकें ।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

***श्री एस० मुरुगैयन** (तिरूपत्तूर) : सभापति महोदय, अपने मित्र श्री लकप्पा के विधेयक, जिसमें गरीब छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था है, का पूरी तरह से समर्थन करते हुए मैं कुछ उन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो उनके सामने हैं । छोटे किसानों के लिए विकास अभिकरण बनाये गये हैं, जिन्हें छोटे किसानों के उत्थान के लिए काफी अधिक पैसा दिया जाता है । इसके बावजूद भी उनकी समस्याएं हल नहीं हुई हैं ।

* तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी अनुवाद ।

केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमारी 50% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है और मुझे विश्वास है कि उनमें से अधिकांश छोटे किसान ही होंगे ।

महोदय, आप जानते हैं कि हमारी सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो वित्तीय सुविधाएं दी जा रही है उन्हें बड़े उद्योग प्राप्त कर रहे हैं और छोटे उद्योगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है । इसी प्रकार, वित्तीय प्रोत्साहन और सामग्री सम्बन्धी सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जा रही हैं बड़े किसान ही लिए जा रहे हैं और छोटे किसानों को उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है । पिछले 33 वर्षों के दौरान अनेक राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून क्रियान्वित किए हैं । इससे एक एकड़ और उससे कम के स्वामित्व वाले कई लाख छोटे किसान पैदा हो गए हैं । कृषक समुदाय का लगभग 80% इन किसानों का है किन्तु वे देश में कुल खेती योग्य भूमि के केवल 10% भाग पर ही खेती करते हैं आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि देश में लाखों छोटें किसानों को कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।

अफसोस की बात है कि राज्य सरकारे केवल बड़े किसानों का ही पक्ष लेती प्रतीत होती हैं और छोटे किसानों के हितों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है जैसे कि वे सौतेले हों । केन्द्र सरकार को राज्यों को धन देकर ही अपने दायित्व को समाप्त नहीं समझ लेना चाहिए । केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के लिए छोटे किसानों में धन वितरण हेतु स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने चाहिए । केन्द्र को छोटे किसानों के कल्याण के लिए राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं पर भी नजर रखनी चाहिए । हाल में ही बंगला देश में एफ० ए० ओ० के सर्वेक्षण से पता चला है कि छोटे किसान उस भूमि पर भी खेती कर सके जिसे कृषि विशेषज्ञों ने खेती योग्य नहीं माना था । छोटे किसान भूमि से जुड़े हुए हैं और वे खाद्यानों के उत्पादन में वृद्धि करने में समर्थ हैं । कृषि उनकी आजीविका का साधन है न कि शौक, जैसा कि बड़े किसानों के मामले में होता है । औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में 30% की वृद्धि हुई है जब कि कृषि उत्पादों के मूल्यों में उतनी वृद्धि नहीं हुई । इससे यही पता चलता है कि उन्हें अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं

तमिलनाडु में पिछले कई महीनों से किसानों का आन्दोलन चल रहा है । राज्य प्रशासन ने हाल में ही लगभग 20,000 किसानों को बन्दी बनाया और उन्हें कई तरह से तंग किया । छोटे किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि न तो उनके पास अपने भरण-पोषण के संसाधन होते है और न ही वे प्रभावशाली होते हैं कि ऐसी कठिनाइयों से बच सकें । यही समय है जब केन्द्र सरकार छोटे किसानों के हित में हस्तक्षेप कर सकती है और उन्हें समाप्त होने से बचा सकती है ।

कृषि विपणन सोसाइटियां छोटे किसानों के हितों की पूर्ति के लिए स्थापित की गई थीं । दुर्भाग्यवश यह सोसाइटियां बिचौलियों के हाथों में शोषण संस्थाएं बन कर रह गई हैं । इन कृषि विपणन सोसाइटियों को समुचित और प्रभावी ढंग से कार्यशील करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाया जाना चाहिए ताकि छोटे किसान इनसे अधिकतम लाभ उठा सकें । इनके निष्पक्ष कार्यकरण के लिए भी आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाने चाहिए ।

[श्री एस० मुरुगैयन]

चूंकि कृषि एक मौसमी कारोबार है। छोटे किसानों को उस समय जब कृषि का मौसम नहीं होता रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। छोटे किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए ग्रामिण क्षेत्रों में छोटे और बहुत छोटे उद्योग लगाए जाने चाहिए। तभी ये छोटे किसान अपने वर्तमान अत्यन्त निम्न जीवन स्तर से ऊपर उठ सकेंगे।

सूखे के दौरान छोटे किसान संकट को सह सकने में असमर्थ होते हैं। वह अपने परिवारों को संरक्षण नहीं दे पाते और न ही अपने पशुओं को। पशुओं की तो बात ही अलग है, उनको अपने लिए भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। इस समय तमिलनाडू के अनेक जिलों में अभूतपूर्व सूखा पड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार का दल तमिलनाडू के सूखाग्रस्त इलाकों का इस समय दौरा कर रहा है ऐसे मामलों में दल की रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत की जानी चाहिए और केन्द्र सरकार द्वारा अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए। तभी छोटे किसानों को पूरी तबाही से बचाया जा सकता है।

यही सयय है जब केन्द्र देश भर के छोटे किसानों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए कोई सुविचारित कार्य योजना बना सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं श्री लकप्पा द्वारा रखे गए विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक सामायिक विधेयक है क्योंकि देश भर के किसान सचेत हो रहें हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार भी, जैसा कि हाल में राजधानी में हुई किसान रैली से हमने देखा हैं, किसानों की समस्याओं के प्रति सचेत है।

यदि हम देश की कृषि स्थिति को देखें तो पता चलता है कि लगभग 7 करोड़ कृषि योग्य जोतों में से 51% जोत ऐसे सीमान्त और छोटे किसानों के पास है जिनके पास एक हैक्टयर से कम जमीन है। और यदि इसके साथ दो हैक्टयर तक की जमीन वाले किसानों को मिला दिया जाए तो देश की कुल कृषि जोतों का 70% इनके अन्तर्गत जाता है। अतः छोटे और सीमान्त किसानों की समस्या देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है।

यदि आप राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी बैंकों द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों को दी जाने वाली राशि सम्बन्धी आंकड़े देखें तो आप आश्चर्य चकित रह जायेंगे। पिछले तीन सालों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को 2808 करोड़ रूपये और सहकारी बैंकों द्वारा 3387 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए। मैं इसमें सामूहिक ऋणों को नहीं जोड़ रहा हूँ। मेरे विचार में वह अलग हैं। मैं पिछले तीन वर्षो के दौरान इस देश में कृषकों को दिये गए ऋणों की पूरी स्थिति बता रहा हूँ।

यदि आप देश की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि भारत सरकार ने विदेशी ऋणों के रूप में 15,000 करोड़ रुपए का कुल ऋण देना है। राज्य सरकारों पर केन्द्रीय सरकार का कुल आठ हजार करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। किसानों को मूल ऋण संस्थानों, सहकारी समितियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुल छः हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

भारत जैसे देश में जो मूलतः उत्पादक देश हैं, खपत अधिक हो गई है क्योंकि उत्पादन कम हो गया है। देश के सामने वास्तव में यह एक गम्भीर मामला है। उत्पादक होने के कारण इस मामले में किसान ही सहायता कर सकते हैं। वे परिश्रम करते हैं और उत्पादन करते हैं। हमें इस समस्या के बारे में गम्भीरता से सोचना होगा। किसान लोग ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करें।

हम किसानों को सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हमने भूमि की अधिकतम सीमा लागू की है। हमने भूमि का वितरण किया है। जैसा कि श्री नायडू ने बताया है कि इससे एक करोड लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं बहुत से गांवों में गया हूँ क्योंकि मैं इंटक के ग्रामीण श्रमिक संघ से सम्बन्धित हूँ। वर्ष 1974 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि का वितरण किया गया था। अभी भी ऐसी भूमि शेष है जिसमें खेती नहीं हो पाती। जिन भूमिहीन लोगों को 45 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है, पानी उपलब्ध न होने के कारण वे उसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं। वहां अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं। उन्हें आवश्यक आदान भी उपलब्ध नहीं हैं। केवल भूमि का वितरण करके ही हम देश का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिन लोगों को भूमि दी गई है उन्हें उत्पादन की सभी सहायक सामग्री प्राप्त हों।

कार्यकारी दल की रिपोर्ट देखिये। हमारे यहां लघु और सीमान्त कृषक एजेंसियां, एस० एफ० जी० ए० और एम० एफ० ए० एल० हैं। ये एजेंसियां किसानों की सहायता करने के लिए हैं। परन्तु इनके परिणाम क्या निकले ? समस्त स्थिति की समीक्षा करने के लिए यह कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था। समेकित ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल ने इस कार्यक्रम की उपलब्धियां तथा इसके प्रभावों का जल्दबाजी में मूल्यांकन किया। उनकी रिपोर्ट क्या है ? रिपोर्ट में परियोजना क्षेत्रों में 130.56 लाख लघु और सीमान्त किसान बताए गए हैं। इसके विरुद्ध, लाभ केवल 9.95 लाख किसानों को होने का अनुमान है। यह संख्या पता लगाये गए लघु और सीमान्त कृषकों की संख्या का दस प्रतिशत है। हमने कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है। हमने लघु और सीमान्त कृषक एजेंसियों को दो करोड़ रुपये की राशि दी है। ताकि इन लघु और सीमान्त किसानों की स्थिति में सुधार हो। परन्तु यह रिपोर्ट का निष्कर्ष है। ग्रामीण, निर्धन संगठनों को भी सुदृढ़ किया है। यह कार्यकारी दल का निष्कर्ष है।

मूल्य सूचकांक के बारे में सरकार ने समितियां नियुक्त की। यदि आप कृषि क्षेत्र में कृषि वस्तुओं का और उपयोग क्षेत्र में उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का मूल्य सूचकांक देखिये तो आपको ज्ञात होगा कि जबकि कृषि वस्तुओं का मूल्य सूचकांक 199 था तो उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुएं जो कि किसानों को खरीदनी पड़ती है का मूल्य सूचकांक 274 था। अब दूसरा उदाहरण देखिए। फसल के समय तथा इसके कुछ महीने पश्चात कृषि उत्पादों के मूल्य में 15 से 40 प्रतिशत तक का अन्तर रहता है।

यह कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हमारे देश के किसानों को सामना करना पड़ता है। हमने गत तीस वर्षों के दौरान लाखों एकड़ भूमि मे सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। थोड़े समय में ही यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत से गांवों में गया हूँ। आयाकट क्षेत्र की

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

स्थिति क्या है ? वहां बहुत बड़ी धनराशि लोग हड़प रहे हैं। होता क्या है ? इंजीनियरों ने कहा है कि आयाकट क्षेत्र में दो हजार एकड़ भूमि होगी। सम्पूर्ण धनराशि दो हजार एकड़ पर खर्च की गई है। परन्तु पानी केवल एक हजार एकड़ भूमि में ही उपलब्ध होता है। किसानों को दो हजार एकड़ के आधार पर भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। वहां पानी नहीं है। क्या किसानों की सहायता करना सरकार के लिए आवश्यक नहीं है ? किसानों की शिकायत है कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। परन्तु उन्हें शुल्क देने के लिए बाध्य किया जाता है। किसान कहते हैं 'कि आप हमें पानी दें हम दुगनी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं' इसकी जांच की जानी चाहिए। अपने राज्य उड़ीसा में मैं विभिन्न स्थानों पर गया हूँ। और मैंने देखा है कि आधा मिलियन एकड़ से भी अधिक भूमि आयाकट क्षेत्र में शामिल की गई है परन्तु यहां किसानों को पानी उपलब्ध नहीं है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

हाल ही में कुछ माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न पूछा था कि आयकर की कुल बकाया राशि कितनी है। आयकर की बकाया राशि 790 करोड़ रुपये बैठती है। सरकार की आयकर की बकाया राशियों को वसूल नहीं कर रही है। परन्तु यदि किसी किसान पर किसी सहकारी संस्था के पांच रुपये भी बकाया होते हैं और किसान रुपये नहीं लौटा पाता तब किसान के बर्तन, गाय आदि सभी चीजें छीन ली जाती हैं। यह सब कुछ क्या है। न ही सरकार ऐसा चाहती है और न ही हम ऐसा चाहते हैं। परन्तु कुछ निचले वर्गों में ऐसी विचारधारा पैदा हो गयी है कि वे यह चाहते हैं कि किसानों को परेशान किया जाये।

मैं इन समस्याओं को प्रकाश में इसलिए लाना चाहता हूँ कि इन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। हम किसानों की मदद कर रहे हैं, किसानों को यह बात महसूस होनी चाहिए कि उनकी सहायता की जा रही है। जब तक किसान ऐसा महसूस नहीं करते तब तक हम उनके लिए चाहे जो भी करें किसान उसका गलत अर्थ ही लेंगे। मुझे विश्वास है कि किसान इस विषय में जागरुक हैं। वे संगठित हो रहे हैं। यहां तक कि मजदूर वर्ग, भूमिहीन खेतिहर मजदूर भी संगठित हो रहे हैं। वे अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि छठी योजना में जो व्यवस्थाएं की जाएगी उनमें इन समस्याओं पर, जिनका मैंने उल्लेख किया है, पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। मुझे आशा है कि सरकार इस विधेयक को स्वीकार करेगी। यदि विधेयक को स्वीकार नहीं करती तो इसके पीछे जो नाहित भावना है उसे सरकार अवश्य स्वीकार करेगी ताकि हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकेंगे जिनसे किसानों को सहायता मिलती है।

श्री आर० बाई० घोरपाडे (बैलारी) : सभापति महोदय, मैं श्री लकप्पा के विधेयक का समर्थन करता हूँ। उसे बहुत ही उचित समय पर लाया गया है साथ ही, मैं उन विषय के बारे में बोलना नहीं चाहता जिन पर मेरे माननीय मित्र दक्षतापूर्वक पहले ही बोल चुके हैं।

मैं सदन का ध्यान कृषि क्षेत्र द्वारा, जो एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है, किए गए अति उत्तम कार्य का ओर दिलाना चाहता हूँ। पूर्णतः शोषित, टूटा हल और भूखे बैल लेकर किसान ने बासवीं शताब्दी का एक आश्चर्य प्रस्तुत किया है। इस आश्चर्य से मेरा तात्पर्य यह है कि वर्ष 1947

में जब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की थी हमारी जनसंख्या तीन सौ मिलियन के लगभग थी आज हमारी जनसंख्या दुगुनी हो गई है और यह किसान एक इतने ही बड़े एक और भारत का पेट भरने में सफल हुआ है। यह वह किसान है जिसकी नौकरशाही द्वारा सदैव उपेक्षा की गई और जिसने कभी किसान की कठिनाइयों को नहीं समझा। यद्यपि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली हमारी वर्तमान सरकार सहित पहली सरकारों ने भी कृषि क्षेत्र के महत्व पर बार-बार बल दिया है परन्तु दिल्ली और बंबई में एयरकन्डीशन कार्यालयों में रहते हुए अफसरों ने किसानों को कभी नहीं समझा क्योंकि यह अफसर लोग कभी गांव में नहीं गये। इन अफसर लोगों और किसानों के बीच एकमात्र सम्पर्क तभी स्थापित होता है जब ये किसान संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर संसद के सेन्ट्रल हाल में बैठे। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि जब इतनी बड़ी संख्या में किसान संसद सदस्य के रूप में नियुक्त होकर आये और कृषि क्षेत्र उपेक्षित रह जाये। इस क्षेत्र की कभी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के महत्व पर बराबर बल दे रही हैं। किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए हमारी सरकार ने बार-बार निर्णय किया हैं परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे निर्णयों की भावना और हमारे दल तथा नेता के विचार इन्हीं अफसर लोगों के कारण गांवों तक नहीं पहुँच पाये क्योंकि ये अफसर लोग निहित स्वार्थों और और उद्योगपतियों के हाथों में खेलते हैं।

मैं एक उदाहरण देता हूं। औद्योगिक क्षेत्र को दी गई रियायत को लीजिये निर्यात प्रधान चाहे कितना भी छोटा उद्योग हो उसे भी कुछ न कुछ रियायत दी जाती है। श्री रंगाजी तथा दक्षिण से आने वाले माननीय मित्र मेरी बात से सहमत होंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हो सकता है विधेयक से इसका कोई संबंध न हो। परन्तु अपनी बात प्रमाणित करने के लिए मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि बागान क्षेत्र के प्रति अफसर लोगों का बिल्कुल ही प्रतिकुल रवैया है। यह दक्षिण का एक संगठित क्षेत्र और इसे कोई भी रियायत नही दी जाती जोकि छोटे-से-छोटे निर्यात प्रधान उद्योग को दी जाती है। इन अफसरों ने वैज्ञानिक रूप से और रचनात्मक रूप से इन रियायतों को इस क्षेत्र से दूर ही रखा है। उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब छोटे से छोटे उद्योग को वे रियायत देते हैं तब बागानों की पूर्णतः उपेक्षा क्यों की जाती है। बागानों की राजकोष के करोड़ों रुपया देने में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है अपितु इनसे देश के लिए विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी राशि की आय होती है।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि कृषि क्षेत्र को ऋण और राज सहायता फर्मों का का विकास करने, सिंचाई सुविधा प्रदान करने, अच्छे बीज खरीदने तथा आवश्यक कृषि औजार खरीदने के लिए दी जाती है। परन्तु ऋणों की अदायगी तथा ब्याज की राशि बहुत कम होनी चाहिए। ये ऋण दीर्घावधि होने चाहिए और इन पर उन वित्तीय संस्थानों की निगरानी होनी चाहिए जो यह ऋण किसानों को देते हैं। ऋण उपयुक्त समय पर दिए जाने चाहिए और यह भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि इनका उपयोग उचित रूप में किया गया है। परन्तु यह सब करने के लिए समय किसके पास है।

सरकार ने सदन में बार-बार कहा है कि वे किसानों को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं। हाल ही में, किसानों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले दलों में अपना विश्वास व्यक्त

[श्री आर० वाई० घोरपाडे]

किया है जिसका प्रदर्शन दिल्ली में हाल ही में आयोजित किसान रैली में किया गया है। परन्तु क्या इन अफसरों ने श्रीमती गांधी के नेतृत्व में किसानों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास की भावना को समझा है ? नहीं। आज भी वे इस क्षेत्र को कुचलना चाहते हैं। यह बात कहते हुए मुझे किसी प्रकार का भय नहीं। जब हमारी प्रधान मंत्री हमारी नेता किसानों को संरक्षण प्रदान करना चाहती हैं, तब इसमें कौन बाधा उत्पन्न कर देता है। किसानों के हितों के विरुद्ध यदि कोई है तो वे बंबई और दिल्ली के एयरकन्डीशन कार्यालयों में बैठने वाले अफसर लोग हैं। इन लोगों की निगरानी रखी जानी चाहिए।

हमारे सामने बाधायें क्या है ? परिवहन, विपणन और भण्डारण हमारी बाधायें हैं क्या इन बाधाओं को दूर करना संभव नहीं है। क्या इनको कम भी नहीं किया जा सकता। यह जलों पर नमक छिड़कने के समान है। जब देश में किसानों की जनसंख्या 80% हो तब यह कैसे ह सकता है कि कोई भी निर्यात प्रधान कृषि नीतियों के बारे में विचार न करें। इसमें गलती क्या है, इसमें कठिनाई क्या है। आप निर्यात को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं तब कृषि क्षेत्र के लिए निर्यात् प्रधान नीतियां क्यों नहीं बनाई जातीं। मुझे विश्वास है कि प्रो० रंगा और श्री डागा जो मुझसे पहले बोल चुके हैं मेरी बात से सहमत होंगे। यदि आप आज किसान से यह कहते हैं कि उसे अमुक उत्पाद के लिए अमुक मूल्य दिया जायेगा तो वह उस वस्तु के उत्पादन में किसी से पीछे नहीं रहेगा। परन्तु वह इस उत्पादन का क्या करेगा। उसके पास भण्डारण सुविधायें नहीं है, परिवहन सुविधायें नहीं है और विपणन सुविधायें भी नहीं है। तब वह क्या कर सकता है। इस लिए फसल के मौसम में और उसके बाद भी उसे बिचौलियों के शोषण का शिकार बनना पड़ता है। क्या यह बात शर्मनाक नहीं होगी अगर हम उस भूमिका को महसूस न करें। जो इस भूखे शोषित किसान ने हमारे देश की व्यवस्था के निर्माण में निभाई है ? जैसा कि बताया जा चुका है वह इस समय एक भारत से अधिक की जनसंख्या को भोजन खिला रहा हैं और ऐसा वह पिछले 20 वर्ष से भी अधिक समय से करता रहा है। क्या हमें इस मामले पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए ?उन विधेयकों को अथवा संकल्पों को अथवा ऐसे निर्णय लेने का कोई उपयोग नहीं है जिन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाये। हमें एक त्रिषय को निर्धारित करना चाहिए और यह कहने में समर्थ होना चाहिए कि उन्हें क्यों क्रियान्वित नहीं किया गया है। उल्लेख करना संभव है। मैं सारा दोष और अधिकांश जिम्मेदारी अफसरों की उस फौज पर डालता हूं जो बड़ी-बड़ी तनख्वाह लेते हैं और इन लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं। दिल्ली और बंबई में बैठे हुए इन अधिकारियों में से कितने अधिकारी गांवों में गये है ? क्या वे कभी ताल्लुक मुख्यालय में भी गये हैं ? मुझे इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उनमें से कई अधिकारी जिलों में भी न गये हों। फिर, ये किसानों की समस्याओं को कैसे समझ सकते हैं ? वे केवल उद्योगपतियों की भाषा को समझते हैं, क्योंकि 5 सितारे वाले होटल वहां पर हैं और विलासिता पूर्ण आतिथ्य सत्कार किया जाता है। बड़ी-बड़ी मर्सीडीज कारें उनके दरवाजे पर आकर खड़ी होती हैं। यही वे आदमी हैं, जो भारतीय किसानों का आज गला घोट रहे हैं। हांलाकि हमारी प्रधान मंत्री बार-बार चेतावनी देती रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री का क्रोध कब फूट पड़ेगा क्योंकि उन्होंने यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी है कि वह इस दलित क्षेत्र को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। हरिजनों के बारे में, इस और उस विषय

के बारे में बात करने का क्या फायदा ? आज के समय में हमें केवल किसान की चर्चा करना चाहिए, वह हरिजन है, वह किसान है, वह क्षत्रिय है वही ब्राह्मण है, वही लिंगायत हैं। वर्ग और समुदाय प्रत्येक क्षेत्र में होता है। 20 वीं शताब्दी में वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। उस कृषक परिवार के बारे में चर्चा करनी चाहिए क्योंकि वह देश की 80% जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी मुट्ठी भर लोगों द्वारा उपेक्षा की गई है और उन लोगों द्वारा उपेक्षा की गई है जिनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे देश के सेवक हैं उन्होंने ब्रिटिशकालीन विचारधारा से मुक्ति नहीं पाई है। नौकरशाही ने अपनी आदत को नहीं छोड़ा है। यही कारण है कि समस्या उत्पन्न होती है। प्रत्येक बार बाधायें और कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। क्या कभी उन्होंने इस बारे में सोचा है कि किसान समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए क्यों अनुरोध कर रहे हैं। यह नौकरशाह हर तीन महीने बाद नहीं, तो हर 6 महीने बाद मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने की मांग करते हैं। क्या किसान को वृद्धि की मांग करने का अधिकार नहीं है ? उसके उपकरण आदि आदानों की आज क्या कीमत है क्या उसे अधिक मूल्य नहीं मिलना चाहिए ? आप किसी भी कृषि उत्पाद के मूल्य की जांच कर सकते हैं औद्योगिक उत्पादनों के मूल्यों में 300% और 500% तक की वृद्धि हुई है। क्या कृषि उत्पादनों के मूल्य में 25% से अधिक बढ़ोत्तरी हुई हैं ? जी नहीं। मेरे विचार में यह वृद्धि उससे भी बहुत कम है। उसके द्वारा आश्चर्यजनक उपलब्धि प्राप्त करने के बावजूद—जैसा कि आप सब जानते हैं वर्ष 1957 तक भारत खाद्यान्न के लिए भिक्षापात्र लिए घूमता था, परन्तु आज हमें यह कहते हुए गर्व है कि हमारे यहां अपनी जरूरत से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है और इस सबके बावजूद भी अगर नौकरशाही के इस दृष्टिकोण को, अगर इस ब्रिटिशकालीन साम्राज्य वादी दृष्टिकोण के स्थान पर एक भारतीय दृष्टिकोण को स्थान दिया जाये, तो हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे और हम न केवल इस देश के लोगों के लिए ही खाद्यान्न उपलब्ध कर सकेंगे, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कर सकेंगे।

धन्यवाद।

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं।

मैं अपने पूर्व वक्ता के भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह यह बता रहे थे कि नौकरशाही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था अथवा कृषि विकास की दुखद विफलता के लिए उत्तरदायी है। मैं उनके साथ विनम्रतापूर्वक मतभेद व्यक्त करना चाहता हूं। यह तो इस कांग्रेस सरकार की नीति है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की इस विफलता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। नौकरशाह क्या कर लेंगे ? यदि बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा नीति का निर्धारण किया जाता है, अगर बड़े औद्योगिक घरानों के परामर्श से नीति निर्धारित की जाती है तो नौकरशाह अफसर क्या करेंगे मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि कांग्रेस (आई) पार्टी के ये सभी सदस्य जमीदारों प आश्रित हैं, साम्राज्यवादी ताकतों पर आश्रित हैं और बड़े एकाधिकारी गृहों पर आश्रित हैं यही कारण है कि हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की इतनी दुखद स्थिति है।

[श्री सुधीर गिरि]

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं साफ-साफ शब्दों में यह बता देना चाहता हूं—राजस्थान के अपने मित्र से मैं कभी बाद में बात करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शोषण की स्थिति बहुत गम्भीर है। गांव के साहूकार बड़े निर्दयी होते हैं। वे शोषक हैं। वे गरीब किसानों के रक्त को चूस रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप हमें क्या मिला है ? वर्ष 1964 में 60% परिवार ऋण ग्रस्त थे और वर्ष 1974-75 में यह संख्या बढ़कर 66% हो गई है। यही बात नहीं है रुपये के वास्तविक मूल्य के रूप में प्रति परिवार कुल ग्रस्तता 147 रुपए से बढ़कर 378 रुपये हो गई है। इसके अलावा निर्दयी साहूकारों और निहित स्वार्थों द्वारा शोषण किये जाने के कारण यह लोग बेघरबार हो गये हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्होंने साहूकारों से पैसा उधार लिया था अपनी जमीन उन साहूकारों को देने पर मजबूर होना पड़ा है। एक लम्बे समय में ये किसान भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति में आ गये हैं। एक समाचार के अनुसार वर्ष 1974-75 में ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों की संख्या 6 करोड़ थी।

मन्त्री महोदय बहुत जोर से बोल रहे हैं और मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने यह कहा था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार छोटे किसानों को सहायता दे रही है लेकिन यह सच नहीं है। एक दिन वित्त मन्त्री महोदय इसी सदन में यह बता रहे थे कि उन्होंने बैंकों और सहकारी समितियों को यह आदेश दिया है कि गरीब किसानों को ऋण दिए जाएं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में ये सहकारी बैंकें और राष्ट्रीयकृत बैंकें गरीब किसानों को ऋण देना पसन्द नहीं करती।

यह स्थिति है। इसलिए वे जो कुछ भी कहें, मैं इसे सिर्फ पाखण्ड समझता हूं पाखण्ड के सिवा और कुछ नहीं समझता। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह बताया गया है कि छोटे किसानों को आसान शर्तों पर ऋण दिये जाने को सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

खण्ड 2 में यह उपबन्ध भी है कि छोटे किसानों के हित में और कृषि विकास तथा संवर्धन के हित में इस विधेयक को पेश किया गया है। इस विधेयक की मूल भावना कृषि अर्थव्यवस्था का विकास करने और उसका संवर्धन करने की है। लेकिन 4% प्रतिवर्ष की दर पर केवल कुछ ऋण उपलब्ध करके कृषि अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख नहीं बनाया जा सकता। यह बात अन्य कारणों पर भी निर्भर करती है पर पहले केन्द्रीय सरकार ने कुछ आयोगों और समितियों का, उदाहरणार्थ लघु कृषक विकास एजेंसी, ग्रामीण श्रमिक जांच समिति और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का गठन किया था। इन सभी समितियों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। लेकिन क्या सरकार ने इनमें से किसी प्रतिवेदन को क्रियान्वित किया है। जी नहीं। क्यों ? क्योंकि इस सरकार को ग्रामीण क्षेत्र के जमींदारों का समर्थन मिला हुआ है इसलिए अगर वे उन प्रतिवेदनों को क्रियान्वित करते हैं तो बड़े-बड़े जमींदारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो इस सरकार के समर्थक हैं। और इसलिए इस वजह से तथा अन्य कारणों से सरकार ने उनकी जमीन को छुआ तक नहीं है।

यह सच है कि यद्यपि माननीय सदस्य ने छोटे किसानों और लघु कृषक परियोजनाओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है—मैं भी उनके साथ सहमत हूं लेकिन फिर सरकार द्वारा किए गए निर्णय को और सरकार द्वारा पहले पारित किये गए कानूनों को क्रियान्वित न करने के पीछे क्या कमी है ?

मेरे विचार में कमी यह है कि लेतिहर लोगों और श्रमिकों का एक ऐसा सशक्त संगठन होना चाहिए जो सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए सरकार और नौकरशाह अफसरों को बाध्य कर सके। दूसरे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कठोर राजनैतिक निर्णय नहीं लिये जा सके हैं। राजनैतिक नियंत्रण, राजनैतिक समर्थन अथवा राजनैतिक मार्गदर्शन का अभाव रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सब कांग्रेस सरकार द्वारा अब तक अपनायी गयी गलत नीति की वजह से हुआ है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के आधार पर योजना आयोग ने वर्ष 1971-72 में यह अनुमान लगाया था कि 21.51 मिलियन एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र फालतू होगा। परन्तु वर्ष 1977 में कृषि मन्त्री ने यह बताया कि केवल 5.32 मिलियन एकड़ ही फालतू भूमि उपलब्ध होगी। इस मात्रा में से केवल 1.73 मिलियन एकड़ भूमि का ही वितरण किया गया। एक ओर तो वे ग्रामीण कृषि विकास के लिए चिल्लाते हैं और नारे लगाते हैं और दूसरी ओर वे अप्रत्यक्ष रूप से चोरबाजारियों, साहूकारों और बड़े जमींदारों का समर्थन कर रहे हैं इसलिए अगर आप वस्तुतः इस विधेयक की भावना को क्रियान्वित करना चाहते हैं तो आपको अन्य तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। छोटे किसान और बहुत बड़ा श्रमिक बल बेरोजगार है। उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे वे अपने श्रम का खेतों में उपयोग कर सकें।

इस बारे में मैं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिये गए कुछ उपायों का उल्लेख करना चाहूँगा। 4 एकड़ तक सिंचित भूमि और 6 एकड़ तक असिंचित भूमि को लगान मुक्त कर दिया गया हैं। छोटे किसानों और उन कृषकों को, जिनके पास 4 एकड़ और 6 एकड़ भूमि है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिये गए ऋणों को माफ कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि सहकारी बैंकों से लिये गए ऋणों के बारे में यदि छोटे किसान मूलधन की अदायगी कर देते हैं, तो उस पर ब्याज की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। बटायीदारों का राज्य सरकार द्वारा रिकार्ड रखा जा रहा है और यही वजह है कि बड़े जमींदारों द्वारा इतना अधिक शोर मचाया जा रहा है और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में वे परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। वृद्ध किसानों को पेंशन दी जा रही है। उन बटायीदारों को जो वृद्ध हो चुके हैं पेंशन दी जा रही है। फसल बीमा योजना भी लागू की गई है। इस योजना का विस्तार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सुधीर गिरि : श्रीमान् जी, मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। यदि हम प्रभावी कृषि विकास करना चाहते हैं तो हमें किसानों को एक समान और निश्चित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करनी चाहिए। उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए उन्हें प्राथमिक शिक्षा तक प्रदान नहीं की गई है। बिना प्राइमरी शिक्षा के कोई भी किसान अर्थव्यवस्था का समुचित तरीके से विकास कैसे कर सकता है।

श्रीमान जी, सरकार को उन्हें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करने चाहिए। इसके अलावा कुछ आवश्यक बीज और कृषि उपकरण तथा आदान उन्हें निशुल्क उपलब्ध किये जाने चाहिए। उनके आवास स्थल का बीमा किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : पांच पंचवर्षीय योजनाओं में हमने स्माल और मार्जिनल फार्मर्ज के लिए जो काम किए हैं उनकी ओर हम देखते हैं और उनकी जो प्रगति हुई है उसकी ओर देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है। छठी योजना में हमने इन छोटे और मझोले काश्तकारों के विकास और उनकी प्रगति के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। इंटेग्रेटिड रूरल डिवेलेपमेंट प्रोग्राम के अन्दर हमने स्माल फार्मर्ज डिवलेपमेंट एजेंसी प्रोग्राम तथा स्पेशल लाइव स्टाक प्रोडक्शन प्रोग्राम को सम्मलित कर दिया है। उसके लिए जो हमने राशि का प्रावधान किया है वह 750 करोड़ रु० है। दूसरा जो डेजर्ट डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसके लिए 50 करोड़ रु० और ड्राउट प्रोन एरिया के लिए 175 करोड़ रु० का प्रोवीजन है। इन कार्यक्रमों के बारे में कहने का मेरा मतलब यह है कि जब तक हम स्माल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो स्कीम्स हैं उनके डेवलपमेंट की उनके बारे में छठी योजना में अधिक प्रावधान नहीं करेंगे तब तक उनकी प्रगति नहीं हो सकती। हम अवश्य ही इंटेगरेटेड प्रोग्राम के अन्तर्गत, रूरल डिवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत स्माल और मार्जिनल फार्मर्स की सबसिडी भी दे रहे हैं, ड्राउट प्रोन तथा डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत भी स्माल और मार्जिनल फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है और 33⅓ परसेंट सब्सिडी मार्जिनल फार्मर्स को देते हैं, 25 परसेंट स्माल फार्मर्स को और 50% शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है, परन्तु जो लोन्स के बारे में नीति है, और वह लोन्स भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद में स्माल और मार्जिनल फार्मर्स को मिलना शुरू हुआ है, उसके पहले तो उनको कर्ज मिलता ही नहीं था, जितना भी लोन मिलता है वह बड़े काश्तकारों को मिलता है और अभी भी स्माल और मार्जिनल फार्मर्स के कम्पेरिजन में बड़े काश्तकारों को यद्यपि उनकी संख्या कम है, परन्तु लोन उन्हीं को अधिक दिया जा रहा है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जो डायरेक्शन्स दिये हैं उनके मुताबिक, आज भी जो प्रश्न आया था उसमें कहा गया है कि :

> "यह सुनिश्चित करने के लिए ऋण दिये जाने के मामले में प्राथमिकता क्षेत्र में इन कमजोर वर्गों की ओर बैंकों द्वारा उचित ध्यान दिया जाये, यह फैसला किया गया है कि 1983 तक कृषि क्षेत्र जिसमें सहायक कार्य भी शामिल हैं, को दिये जाने वाले कुल सीधे ऋण का कम से कम 50 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र के कमजोर वर्गों को दिया जाए।"

मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो डायरेक्शन्स दिये हैं उनके अनुसार अगर स्माल और मार्जिनल फार्मर्स को लोन दिया जाय तब उनकी स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि जो लोन दिया जाय वह डिफरेंशियल रेट आफ इंटरेस्ट स्कीम के अन्तर्गत 4 परसेंट के ऊपर दिया जाय। आज ही प्रश्न आया था गुजरात में 17.19 करोड़ रु० का लोन दिया गया है। तो अगर ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए स्माल और मार्जिनल फार्मर्स लोन चाहते हैं तो उनको डिफरेंशियल रेट आफ इंटरेस्ट के अन्तर्गत ही दिया जाय जो कि 4 परसेंट है, तभी उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है।

अगर वास्तव में अपने देश की उन्नति करनी है, हमें ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ अगर हमने ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ओर ध्यान नहीं दिया और स्माल और मार्जिनल फार्मर्स को आधुनिक तरीके से खेती कराने

के लिए उस योग्य नहीं बनाया, उसके लिए साधन नहीं जुटाये, तो मुझे लगता है कि सभी को प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि हमने सेल्फ सफिशियेंसी प्राप्त कर ली है परन्तु जो सेंटर है, उसकी यूटिलिटी दिनोंदिन कम हो रही है, घट रही है और विषय स्थिति पैदा हो सकती है। अब तक स्माल और मार्जिनल फार्मर्स को वैज्ञानिक तरीके से खेती करना नहीं सिखायेंगे, इनको खाद 4 परसेंट के रेट से नहीं देंगे, तो प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा।

जो बिल प्रस्तुत किया है, इसमें डिजर्ट एरिया का एक भी स्माल और मार्जिनल फार्मर नहीं आ सकता है, क्योंकि 10 एकड़ बराबर 25 बीघा है। 150 बीघा में, 16 एकड़ संपन्न कृषकों के लिए तथा 30 एकड रेगिस्तानी इलाकों के लिए है। 25 बीघे के कारण तो हमारा कोई भी काश्तकार अपना जीवन नहीं चला सकता। अगर एलाट भी करते हैं तो 75 बीघा एलाट करते हैं। हमारे यहां डिजर्ट एरिया है जिसकी सीलिंग का हद 450 बीघा है। यानी 30 एकड़ एलाट करते हैं तो हमारे यहां स्माल फार्मर के लिए 150 बीघा यानी 60 एकड़ है और मार्जिनल फार्मर के लिए 30 एकड़ हो तब जाकर उसे रिलीफ मिल सकता है, नहीं तो इस कानून की कोई रिलीफ नहीं मिलती। डेजर्ट एरिया के लिए इसमें यह प्रोविजन किया जाना चाहिए, तब जाकर रिलीफ मिलेगा।

हमने अंग्रेजों के राज्य का मुकाबला कर लिया, राजाओं के राज्य का मुकाबला कर लिया, परन्तु जमीदारों के संघर्ष में हमने बहुत कमजोरी दिखाई, भूमिसुधार के कानून में कमजोरी दिखाई, जिसके कारण स्माल और मार्जिनल फार्मर्स और लेन्डलेस लेबरर्स का ग्रुप हमारे सामने है। जो जमीन मिली है, वह अन-इकनामिक होल्डिंग मिली है।

राजस्थान में यह प्रावीजन था कि अगर कोई भी जमीन सीलिंग के अन्तर्गत ली जाए तो रद्दी से रद्दी जमीन किसान को देंगे और उस होल्डिंग जमीन का उपार्जन करना और स्थिति को सुधारना बहुत कठिन है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को सजग होकर सहायता करनी है, तब हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के लिए जो समय नियत किया गया था, वह समाप्त हो चुका है और अब सभा इस समय को एक घंटा और बढ़ाना चाहती है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : अच्छा, तो समय एक घंटा बढ़ा दिया।

प्रोफेसर पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, आप इसमें 5 मिनट कम करके इसे 55 मिनट कर दीजिये ताकि मैं अपना विधेयक पुरःस्थापित कर सकूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इसमें क्या परेशानी है, इसको अगले गैर सरकारी कार्य दिवस को लिया जा सकता है।

सभापति महोदय : अब, श्री सिदनाल बोलेंगे।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं, कृषि तथा लघु कृषक के बारे में काफी कुछ कहा गया है। परन्तु यहां मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह मेरे सुझावों पर विचार करें। इन सुझावों का जिक्र मैं अपने भाषण में करूंगा। महोदय, पहली बात तो यह है कि अलग-अलग स्थानों पर लघु कृषक के अलग-अलग अर्थ लगाये जाते हैं। जैसा कि राजस्थान के माननीय सदस्य कह चुके हैं, हो सकता है 10 लोगों के पास 1 एकड़ सिंचित भूमि हो। दूसरी बात यह है कि मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कृषकों को प्रशिक्षण दे ताकि उनको सिंचाई और खेती (फार्मिंग) के बारे में तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो। इससे लघु और सीमान्त कृषक खेती के कार्य को खुद संभाल सकेंगे। कृषक को अपने औजारों का उपयोग करना नहीं आता। उसे बीज बोना नहीं आता और वह कृषि में यन्त्रों को अपनाने के तौर तरीकों से अनिभिज्ञ है। उसे कुछ पता नहीं है। वह तो केवल वर्षा को जानता और उस पर निर्भर करता है। यदि बारिश होती है तो बारानी खेती करने वाला किसान कुछ पैदा कर पाता है और यदि नहीं होती तो उसको अपनी विभिन्न देन दारियों से निपटाने के लिए अपनी जमीन-जायदाद तथा अन्य चीजें बेचनी पड़ती हैं।

यदि बैंक किसानों को ऋण देता भी है, तो भी कृषि के उचित प्रशिक्षण के बिना वे उसका उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रयोजनार्थ हमें प्रत्येक ब्लाक में तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने होंगे ताकि इन लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। इन लोगों को कृषि का समुचित प्रशिक्षण देने के बाद ही हम कृषि उत्पादन बढाने की बात सोच सकते हैं। इन कृषि स्कूलों में हम किसानों का मुर्गी पालन, डेरी फार्मिंग, रेशम के कीड़े पालने, सुअर पालने, मधुमक्खी पालन, भेड़ प्रजनन आदि की शिक्षा दे सकते हैं। इसके अभाव में इन इलाकों में इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इन चीजों को ठीक तरह से संगठित तथा समन्वित किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। किसान का बेटा जब एस०एस० एल० सी० परीक्षा पास करले तो उसे इन स्कूलों में डाल देना चाहिए। उसको बड़े शहरों में नौकरी की तलाश में भटकने की क्या जरूरत है। वह इन स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर खुद ही रोजी कमा सकता है। इस प्रकार प्रयोजनार्थ इस तरह के तकनीनी स्कूल खोलकर हम दो या तीन समस्याओं का समाधान कर पायेंगे। अन्यथा जैसा कि मैंने कहा गरीब, अज्ञानी लोगो को ऋण देने से कोई लांभ नहीं होगा। हम उनको शरण दे सकते हैं, किन्तु यदि इनका ठीक इस्तेमाल नहीं होता तो उसका फायदा ?

इस संबन्ध में एक और चीज का सुझाव देना चाहूँगा। सरकार को कुछ इन्जीनियर ग्रुप गठित करने चाहिये। उनको जगह-जगह जाकर भूगत जलवाले स्थानों का पता लगाना चाहिये। तथा पता लगाना चाहिए कि कुए कहां खोदे जा सकते हैं। वजाये इसके कि वह इस प्रयोजनार्थ किसानों को ऋण दे सरकार को बिना ढके कुए खोदने तथा भूगत जल का उपयोग करने के लिए कोई तकनीकी ग्रुप अथवा संगठन गठित करना चाहिए। किसान नहीं, अपितु इन ग्रुपों को खुद अपने धन से जो भी उनके पास हो, बिना ढके कुए खोदने चाहिए। उसके बाद इस कुए की लागत संबंधित किसान की जमीन पर होने वाली उपज से थोड़ा-थोड़ा करके वसूल की जा सकती है और इस कार्य में तहसीलदार अथवा अन्य संबंधित अधिकारियों को सहयोग किया सकता है। ऐसा किसान को सीधे ऋण दिये बिना किया जाना चाहिए।

ऐसा इसलिए है क्योंकि धन लगाने के बाद किसान को अपेक्षाकृत अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है। जब आप कहीं धन लगाते हैं तो आप यह आशा करते हैं कि उससे तत्काल आमदनी होने लगे। किन्तु यहां ऐसा नहीं है।

दूसरे 12 सीमान्त किसान के लिए चौपाये (पशु, बैल आदि) रखना जरूरी है। हमारे देश में अच्छी नस्ल के चौपाये (पशु, बैल आदि) नहीं है। यद्यपि सरकार ने अच्छी नस्ल के चौपाये तैयार करने के लिए चौपावों की नस्ल सुधार के लिए केन्द्र खोलने की दिशा में कुछ कदम उठाये हैं और इस दिशा में खासा काम किया है किन्तु इसका फायदा अभी आम आदमी को नहीं पहुँचा है इस बात पर विचार कि जाने की आवश्यकता है। क्योंकि श्री घोरपाडे पहले ही इस सम्बन्ध में उल्लेख कर चुके हैं, मैं इस सम्बन्ध में और नहीं कहूंगा।

मैं यह भी कहूँगा कि हमारे अफसरान काले अंग्रेज हैं। वे लोगों से मिलना नहीं चाहते। वस्तुत उनको इस हेतु प्रशिक्षण भी नहीं दिया है कि वे लोगों से मिलें। जब उनको सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता तब तक इस देश का भविष्य अंधकारमय है।

यदि आप आज विश्व के किसी महान देश के इतिहास पर दृष्टि करें तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने यहां कृषि आधार को सबसे मजबूत किया। उदाहरण के तौर पर अमरीका (संयुक्त राष्ट्र अमरीका) जापान, युगेस्लाविया अथवा और कोई पूंजीवादी समाजवादी अथवा कम्यूनिस्ट देश को लीजिये। रूस में 1935 में जब श्री ब्रेजनेव ने बर्फ गिरते देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कार्य तरीका निकाला जाये जिससे उस जगह से बर्फ को हटाकर कुछ खेती की जा सके इंगलैंड में तम्बू लगाकर सब्जियां उगाते है। और उनको सूअरों को खिलाते हैं और बाद में सूअरों को खाते हैं। हमारे देश में प्रचुर मात्रा में शक्ति, भूमि तथा जनशक्ति के होते हुए भी हमारा उत्पादन कम है।

मेरी राय में इन किसानों को प्रशिक्षित करना जरूरी है और साथ ही साथ अच्छी नस्ल के चोपायों की व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त किसानों को ऋण देते समय हमें इसमें भेद करना होगा कि जमीन पर पानी के साधन हैं अथवा वहां पानी का कोई साधन नहीं है। जहां पानी है उस भूमि के लिए अल्पावधि ऋण की ज्यादा जरूरत है और जहां पानी नहीं है वहां दीर्घवधि के लिए कम ऋण की जरूरत होती है। क्योंकि पानी का साधन न होने की स्थिति में किसान को मानसून पर निर्भर करना पड़ेगा। अत: ऋण की रकम अदा करने के लिए उसे ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इस मामले में ब्याज दर भी कम होनी चाहिए। अन्यथा चाहे कितने ही अच्छे विचार से हम लोगों के ऋण दें उसको समय पर वापस नहीं कर पायेंगे। अगली बार अधिकारी लोग जब ऋण की वसूली के लिए जायेंगे तो उनकी गायें, चौपाये तथा अन्य चीजें ले आयेंगे।**

सभापति महोदय : आपको ऐसा नहीं कहना चहिए।

इसको कार्यवही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० बी० सिदनाल : गरीब लोगों को ये सब परेशानियां उठानी पड़ती हैं; हमारे इलाके में अथवा किसी भी इलाके में पानी वाली एकड़ भूमि से पानी वाली 18 एकड़ भूमि की अपेक्षा ज्यादा आय हो सकती है। मेरा सरकार से नम्र निवेदन यह है कि उसे कोई मास्टर प्लान बनानी चाहिए और वैज्ञानिक ढंग से कृषकों को प्रशिक्षण देना शुरु करना चाहिए।

अब आकर के कृषि एक वैज्ञानिक धंधा बन गया है। अब वह परम्परागत धंधा नहीं रहा है। जरूरत इस बात की है कि वैज्ञानिकों को अनुसंधान केन्द्रों में न रख कर खेत तथा फार्म पर रखा जाये। अब तो खेत और फार्म ही अनुसंधान केन्द्र बन गये हैं। मेरी राय में देश के भविष्य के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अभी से सोचना होगा और मास्टर प्लान पर कार्य शुरू करना होगा। ऐसा होने पर देश समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होगा। जैसाकि मेरे मित्र ने कहा, हम सारे संसार को अन्न दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है।

महोदय आपने मुझे जो यह अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति महोदय, लकप्पा जी ने जो छोटे किसान सहायता विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आज सारे देश में किसानों की संख्या करीब 70 प्रतिशत है और सारे देश की राष्ट्रीय आय का 51 प्रतिशत किसानों से इस देश को मिलता है। इसके बावजूद भी, 33 वर्षों की आजादी के बाद हमारे छोटे किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। आजादी के बाद भी उनकी माली हालत में अभी तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार की ओर से लघु एवं सीमान्त कृषक अधिकरण, एस. एफ. डी. ए. के नाम की एक एजेंसी बनी थी और इसके द्वारा भी कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन जो अभी तक परिणाम आया है वह उत्साहवर्द्धक नहीं है। इससे लगता है कि लकप्पा साहब ने जो छोटे किसान सहायता विधेयक अलग से रखा है, हालांकि वह भी सर्वांगपूर्ण नहीं है, फिर भी छोटे किसानों को समुचित सहायता प्रदान करने के लिए इस पर विचार करना आवश्यक है और उन छोटे किसानों के लिए कानूनी प्रावधानों को निर्धारित करना भी अत्यन्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अभी हाल ही में राजधानी में किसान रैली हुई थी किसान सम्मेलन हुआ था। किसान तो अभी तक संगठित नहीं है किन्तु फिर भी उनकी जो वर्षों से स्थिति है, आज भी जो वह पददलित हैं, उनकी कठिनाइयां हैं और उनके लिए जो समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी है उसके लिए अपनी आवाज बुलन्द करने के लिए वे आगे आए हैं। इसलिए उनको संगठित होना ही पड़ेगा, जो सरकार कल्याणकारी सरकार है उसको तो खुद बखुद ही विचार करना चाहिए। अगर नहीं विचार होता है तो बाध्य हो कर जिस तरह श्रमिकों का संगठन है उसी तरह से छोटे किसानों को भी आन्दोल के रास्ते को अख्त्यार करना पड़ेगा।

अभी तक छोटे किसानों की सहायता के लिए व्यवस्था है जैसे लैंड मार्गज बैंक है, ग्रामीण बैंक हैं या कोआपरेटिव बैंक हैं इन सभी एजेंसियों में केवल भ्रष्टाचार का एक बहुत

बड़ा बिजनेस चल रहा है जिससे छोटे किसान जो कम पढ़े लिखे हैं उनको कोई सहायता नहीं मिलती और उनमें खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं। जिनके पास एक एकड़, दो एकड़ से लेकर पांच एकड़ तक जमीन है, जहां कुछ नहरी इलाका है, जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है वहां के किसानों को कुछ सहायता मिलने से वे कुछ काम कर सकते हैं लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या बंजर भूमि वाले इलाके हैं या जैसे हिमालय प्रदेश और राजस्थान वगैरह के सदस्यों ने जिस स्थिति को प्रकट किया है, वहां के किसानों की माली हालत पर भी विचार करना पड़ेगा ताकि समयानुकूल उन्हें भी सहायता पहुँचाने की व्यवस्था पर विचार किया जा सके। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है।

यह सरकार की नीति है कि 20 हजार की जनसंख्या पर ग्रामीण या अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलनी चाहिए लेकिन अभी तक बैंकों की जितनी शाखाएं खोली जा रही हैं वे केवल बड़े-बड़े व्यावसायिक घरानों को ही सहयोग देने के लिये खोली जारी रही हैं। उसमें भी कानून की इतनी पेचीदगी है कि किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं होता। उन्हें बार-बार दौड़ना पड़ता है और परेशानी उठानी पड़ती है।

कृषि से सम्बन्धित अनेक प्रकार के यन्त्र हैं जैसे कि ट्रैक्टर, पैडी थ्रेशर, विभिन्न प्रकार के पंपिंग सेट्स-जो कि किसानों के लिए बहुत आवश्यक हैं, उनके दाम भी दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी कीमतों पर कोई नियंत्रण लगाने का उपाय नहीं हो रहा है। अगर किसान बैंक से ऋण लेकर यन्त्र खरीदता है तो उसको इतना अधिक सूद देना पड़ता है कि उसको अदा करने में अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज बैंक भी कम नहीं लेते हैं। बिहार में भूमि विकास बैंक की जो शाखायें हैं उनके द्वारा अगर कोई किसान 60 हजार में ट्रैक्टर खरीदता है तो ऋण और सूद मिलाकर सात वर्षों में किसान को एक लाख देना पड़ता है। अगर कोई किस्त समय पर अदा नहीं की गई तो रकम और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से बैंक से कर्जा लेने पर किसान के सामने भयंकर संकट पैदा हो जाता है। इस दृष्टि सेवा से सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

साधनों की कमी के कारण किसान अपनी ऊबड़-खाबड़ जमीनों की लेवलिंग नहीं कर पाते हैं। सरकार ने एक भू-संरक्षण विभाग बनाया है वह विभाग भी काम नहीं करता है। ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत जमीन की लेवलिंग का काम कराया जाता है। इसमें सरकारी अधिकारी उनसे मिलकर करोड़ों रुपया हर साल हजम कर जाते हैं। इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार के अगर सही ढंग से किसानों की सहायता करनी है तो किसानों के द्वारा खेती-बाड़ी से जो उत्पादन होता है उसका उचित मूल्य निर्धारण करने के लिए कृषि मूल्य निर्धारण करने के लिए कृषि मूल्य नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। अभी जो ए० पी० सी० है उसमें सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं जिनको गांव के हालात का परिचय नहीं रहता है। किसानों की कितनी कीमत और कितना परिश्रम लगता है इसकी उनको कोई जानकारी नहीं रहती है इसीलिए वे उचित मूल्य-निर्धारण नहीं कर पाते हैं। औद्योगिक जीवनोप-

[श्री रीत लाल प्रसाद बर्मा]

योगी वस्तुओं के मूल्य और कृषि उत्पादनों के मूल्यों पर तुलनात्मक ढंग से विचार करने के लिए उसमें किसानों के प्रतिनिधि, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि, आंकड़ा एवं दूसरे विशेषज्ञों को, रखना होगा तभी किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त किसानों का जो उत्पादन होता है उसके लिए गांवों में कोई भण्डारण व्यवस्था नहीं है। छोटे-छोटे किसानों के पास तो छोपड़ियां होती हैं जिनमें उनके अनाज को चूहे और दूसरे कीड़े-मकोड़े बरबाद कर देते हैं। इसलिए सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पंचायत स्तर पर वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण के लिए भवनों का निर्माण किया जाए जहां गरीब तबके के लोग अपना अनाज रख सकें।

आज किसान जो उत्पादन करते हैं वह मार्केट तक पहुँच नहीं पाता, बिचौलिए लोग बीच में कम दाम पर उसको खरीद लेते हैं। मजबूरी में किसानों को अपना अनाज बेचना पड़ता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि किसानों के घरों से बड़े-बड़े औद्योगिक शहरों तक सीधा उनका अनाज पहुँच जाए। इस प्रकार की मार्केटिंग व्यवस्था का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए।

इन सभी बातों पर आप ध्यान देंगे तभी किसानों का कल्याण हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : श्री लकप्पा ने जो विधेयक पुरःस्थापित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसका कारण यह है कि यह समाज का वह वर्ग है जो अपेक्षित रहा है कि और जिसकी ओर सभा को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस ओर सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान गया है। सरकार का कृषि विभाग अथवा कोई और विभाग अभी तक यह समझ नहीं पाया है कि इस श्रेणी के किसानों की सहायता करने की आवश्यकता क्यों कर है। इसका कारण यह है कि छोटे-छोटे खेत विभाजन (पैत्रक विभाजन आदि) का परिणाम है। कभी-कभी भूमि विभाजन होता है और जो खेत रह जाते हैं वे अलाभकर सिद्ध होते हैं। छोटे-छोटे खेत भी बड़े खेतों के विभाजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कुछ मामलों में विभिन्न सरकारों द्वारा भूमि आवंटित की गई है और इस आवंटन में भी भूमि छोटे किसानों को दी गई है। अब सभी लोग यह मानते हैं कि छोटे किसानों के पास जो ये खेत हैं वे अलाभकर हैं। कृषि विभाग अथवा अन्य विभागों, जिन्होंने कि आर्थिक सर्वेक्षण किया है, ने भी इस बात को माना कि ये खेत अलाभकर हैं। किन्तु किसी ने भी यह पता लगाने का कष्ट नहीं किया कि इन अलाभकर खेतों को लाभकर किस प्रकार बनाया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि कृषि के सम्बन्ध में चार चीजें तत्काल किये जाने की आवश्यकता है। पहली चीज है सिंचाई, दूसरी यंत्रीकरण, तीसरी उर्वरकों की व्यवस्था और चौथी रसायनों की सप्लाई। जहां तक पहली आवश्यकता का सम्बन्ध है, वह है सिंचाई, मेरा विचार है कि राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि जब कभी भी छोटे किसान की बात आये, उसकी उपेक्षा न की जाये। राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वह छोटे किसानों के लिए सिंचाई सुविधाएं जुटाये और यह काम किसानों अथवा कृषकों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये कि वह कुआं खोदने के लिए बैंक या अन्य

स्रोतों से धन प्राप्त करें। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी सप्लाई किया जाये चाहे वह किसी भी सिंचाई स्रोत से हो। इसलिए यह काम शुरु किया जाना चाहिए और इसको छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऐसा कोई भी किसान न रह जाये जिसके पास पानी न हो। यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि अलाभकर खेतों को लाभकर खेतों में परिवर्तित किया जाये।

दूसरी बात यंत्रीकरण के बारे में है। हम श्री चरण सिंह के इस तर्क को नहीं मान सकते कि छोटे किसानों को अभी भी हल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। भूमि पर खेती के लिए हमारे यहां मशीनें होनी चाहिए और हमारे छोटे किसान खेती के लिए इन मशीनों को प्राप्त कर सकें, इसलिए उनकी सहायता की जानी चाहिए। हम विकसित देशों और कुछ विकासशील देशों में प्रयोग की जा रही मशीनों को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन ट्रैक्टरों की जरूरत है तथा उनके साथ ही कृषि उपकरणों की भी जरूरत है। यह सर्वविदित है कि छोटा किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। मेरे मित्र कह रहे थे कि 1 सिलैण्डर वाला एक छोटा ट्रैक्टर भी 60,000 रु० अथवा 65,000 रु० से ऊपर का आता है। 55,000 रु० से कम तो किसी भी हालत में नहीं आता। इस तरह इन परिस्थितियों में छोटा किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कृषि सेवा केन्द्र खोले जायें और ये कृषि सेवा केन्द्र किसानों को ट्रैक्टर दें ताकि हर किसान अपनी जमीन पर ट्रैक्टर की सहायता से खेती कर सके। जब तक ऐसा नहीं होता छोटा किसान अपनी भूमि पर खेती नहीं कर सकता।

तीसरी बात है उर्वरकों की है। यह स्पष्ट है कि जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, हमारे देश के छोटे और सीमान्त किसानों को वे उर्वरक नहीं मिल पाते जो वे चाहते हैं। उर्वरक खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और जैसा कि कृषि मंत्रालय तथा सभा के भी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है, जब उसको उर्वरकों की आवश्यकता होती है तो उसे सहकारी बैंकों से ऋण नहीं मिलता। साथ ही, हो सकता है कि कभी-कभी सहकारी बैंक को उस प्रकार के उर्वरक न मिले जो उसे चाहिए। उसे फास्फेट अथवा अमोनिया चाहिए हो, लेकिन वे कहेंगे कि "हमारे पास केवल यूरिया है"। ऐसी परिस्थितियों में, कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत उसे अपनी जरूरत की खाद सहकारी बैंक अथवा अन्त एजेंसी से मिल सके।

रसायनीकरण बहुत जरूरी है, जिसके लिए कीटाणुनाशी तथा कीटनाशी औषधियों आदि की आवश्यकता होती है। मैंने यह स्वयं राजस्थान में अपने चुनाव क्षेत्र में देखा है। अलवर एक ऐसा जिला है जिसमें अत्यधिक संख्या में छोटे किसान हैं जो इन कीटाणुनाशक और कीटनाशक औषधियों अथवा अन्य उर्वरकों को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि छोटे किसानों के पास पैसा नहीं होता। इसलिए वे असमर्थ हैं और अपनी खेती के लिए वे कीटाणुनाशी और कीटनाशक औषधियों को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को यह

[श्री राम सिंह यादव]

सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये वस्तुएं छोटे किसानों को सुलभ कराई जाएं।

इस देश में, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात, एक मात्र किसान ने ही देश को खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भरता प्रदान की है। मैंने अनेक समितियों के प्रतिवेदन पढ़े हैं। आप भी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में रुचि रखते हैं और आपने 10 मार्च को 'पेट्रॉयट' में पढ़ा होगा जहां यह बताया गया है कि रूस में खाद्यानों की कमी है। अफ्रीका के 28 देशों में खाद्यानों की कमी है। मैं भारत के किसानों को बधाई देता हूं कि वे देश को खाद्यानों में आत्म-निर्भर बना सके हैं। आज यह 70 करोड़ आबादी वाला देश अपने लोगों को खाद्यान्नों की पूर्ति करने में समर्थ है। अतः हमें किसान को बधाई देनी चाहिए। देश में सीमेंट की कमी हो सकती है, इस्पात की कमी हो सकती है, अथवा कोयले की कमी हो सकती है। लेकिन खाद्यान्नों की कमी नहीं है और हमें पी० एल० 480 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ऐसों परिस्थितियों में, कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि सुझाव दिया गया है, कृषि वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई नियंत्रण मंडल होना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, छोटे किसानों की सहायता के सम्बन्ध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि किसानों को बैंकों से 49 प्रतिशत ऋण मिलेगा। आज हमारे देश में 15 प्रतिशत बड़े किसान हैं और 85 प्रतिशत छोटे किसान हैं। अब यदि इस परसेन्टेज को ठीक तरह से लागू किया जाय तो निश्चित तरीके से जो 85 प्रतिशत किसान हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार बैंकों के जरिये ऋण मिलना चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक हालत मजबूत बन सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पायेगा, क्योंकि आज बैंकों में जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है उससे हम यह नहीं कह सकते कि ऋण के सम्बन्ध में छोटे किसानों की जितनी आवश्यकतायें है, उनकी वे पूर्ति कर पायेंगे। क्योंकि इन बैंकों का जो प्रोसीजर है वह इतना मुश्किल है कि छोटे-छोटे किसान, जो अनपढ़ हैं, उसको समझ ही नहीं पायेंगे। आज यही स्थिति चल रही है कि बैंकों को कागजात की पूर्ति नहीं कर सकते जिसकी वजह से उनको पूरी तरह से ऋण उपलब्ध नहीं होता है। इसके आलावा जो वहां पर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वे भी किसानों की ठीक प्रकार से सहायता नहीं करते, जिसके कारण किसानों की आर्थिक हालत सुधर नहीं पा रही है।

इस लिये मेरा अनुरोध है कि सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे और बैंकों में, खास तौर से जो आप ने रूरल बैंक स्थापित किये हैं उनमें उस प्रकार के अधिकारी भेजें जो किसानों की मदद करें, न कि शहरी लोग भेजें जो बैंकों में जाकर बैठ जाते है और गरीब काश्तकार की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करते हैं।

दूसरा निवेदन कोआपरेटिव्ज के सम्बन्ध में है। यह एक बहुत बड़ा बड़ा साधन है जिसके जरिये हम छोटे किसानों की सहायता कर सकते हैं, लेकिन आज वहां क्या हो रहा है ? गांव के बड़े-बड़े लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। सारा का सारा पैसा जो भी कोआपरेटिव सोसाइटीज के

जरिये से बैंकों से प्राप्त किया जाता है, वे झूठे-सच्चे हस्ताक्षर करके अंगूठा लगाकर उस पैसे को ले लेते हैं और कुछ बड़े-बड़े लोग इस तरह से उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार से जो कोआपरेटिव सोसाइटियों से छोटे-छोटे किसानों को सहायता मिलनी चाहिए थी, वह सहायता उनको नहीं मिल पाती है। व्यवस्थापकों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे भी ठीक प्रकार से काम नहीं करते, जिस वजह से कोआपरेटिव सोसाइटियों से जो लोन छोटे किसानों को खेती बाड़ी की तरक्की के लिए मिलना चाहिए, वह उनको नहीं मिल पाता है, और ठीक प्रकार से उस पैसे का उपयोग नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटियों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे सरकार जो मदद छोटे किसानों की करना चाहती है वह उन तक पहुँच सके।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो छोटे किसान हैं, उनको इम्प्रूव्ड सीड्स आप तैयार करते हैं, ज्यादा भूमि वाले ही उनका उपयोग करते हैं और छोटे किसानों को नहीं मिल पाते हैं। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हिन्दुस्तान ने इस मामले में बड़ी तरक्की की है और हमारे रामसिंह जी ने यह भी कहा कि हमको काश्तकारों को, किसानों को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस देश को सैल्फ-सफीशियेन्ट बना दिया है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज छोटे किसानों की हालत क्या है, यह आप देखिये। क्या उनको इम्प्रूव्ड वेराइटी का बीज मिलता है। 5 बीघा और 10 बीघा वाले काश्तकारों को इम्प्रूव्ड का बीज मिलता ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं होता है। मेरा कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से होनी चाहिए कि वह छोटे-छोटे किसानों को इम्प्रूव्ड वैराइटी का सीड्स उपलब्ध कराए। ऐसी व्यवस्था अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से छोटे किसानों को आर्थिक तौर पर सम्पन्न बनाने में आप अपना योगदान दे सकते हैं।

इसी तरह से दवाइयों और पेस्टीसाइड्स वगैरह की बात है। पेस्टीसाइड्स के बारे में आपका जो छोटा किसान है, 5 बीघा वाला किसान है, वह उसको जानता ही नहीं है। वह यह नहीं जानता कि उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। एग्रीकल्चर विभाग के जो अधिकारी हैं, वे बड़े-बड़े काश्तकारों, जिनको कुलक कहते हैं, जिन के पास बहुत बड़ी जमींदारी है, उनकी ही सहायता करते हैं और उनकी खेती बाड़ी की तरक्की के लिए बराबर साधन जुटाते हैं। जो छोटे किसान हैं, उनको पेस्टीसाइड्स ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस प्रकार की हालत हमारे छोटे काश्तकारों की है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। मैं राजस्थान क्षेत्र से आता हूं। वहां पर कुओं के जरिये से सिंचाई होती है। छोटा-छोटा काश्तकार, 5, 10 बीघा जमीन वाला काश्तकार अगर कुआ खोदता है, तो उसको 20 हजार, 25 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है लेकिन उसको भूमि विकास बैंक और दूसरे अन्य बैंकों में से केवल 8-10 हजार रुपये ही मिलते हैं। इससे यह होता है कि जब वह कुआ खोदता है, तो उसको पूरा करने के लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है और वह वसूली के जाल मे जकड़ जाता है। उसकी जमीन-जायदाद कुर्क हो जाती है, नीलाम हो जाती है और वह काश्तकार बरबाद हो जाता है कि उसको पूरा ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वह अपना कुआ खोद सके।

[श्री गिरधारीलाल व्यास

एस०एफ०डी० और एम०फी०एल० के कार्यक्रम जगह-जगह चल रहे हैं मगर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि एस० एफ० डी० द्वारा 33 परसेन्ट सब्सीडी है और एम० एफ० एल० 25 परसेन्ट सब्सीडी देता है मगर इस में गड़बड़ यह है कि यह सब्सीडी उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। इस सम्बन्ध में आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है और मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित तरीके आपको इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप छोटे किसान की मदद करना चाहते हैं, तो यह बहुत बढ़िया स्कीम है, जो भारत सरकार ने लागू की है मगर ये जो सुविधाए हैं, ठीक प्रकार से छोटे छोटे किसानों को उपलब्ध हो रही है, इस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आप को निश्चित रूप से व्यवस्था करना चाहिए।

सीलिंग के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि सीलिंग का कानून सारे देश में लागू किया गया है और इस सीलिंग के कानून की यह मंशा थी और इसमें यह व्यवस्था थी कि जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनसे वह जमीन ली जाए और जो छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास अनएकोनामिक होल्डिग है या जिनके पास थोड़ी जमीन है, उनको और जमीन दी जाए ताकि वे अपना जीवनयापन ठीक प्रकार से कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था हम करना चाहते थे मगर इस लैंड सीलिंग से बड़े लोग बच गये और उन्होंने फर्जी नाम से जमीनें करा ली। इस वजह से जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, जिनके पास हजार-हजार और दो-दो हजार बीघा जमीन हैं, उन लोगों की तरफ कोई नहीं देखता है क्योंकि अधिकारी लोग उनसे मिले रहते हैं। अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते और बड़े-बड़े नेता लोग भी उपभोग कर रहे हैं। हमारे अकाली दल के नेता हैं जिनकी बादल गांव में 12 हजार बीघे से भी ज्यादा जमीन है। बहुत से पुराने राजे महाराजाओं के पास आठ-आठ, दस-दस हजार बीघे जमीन है। उस जमीन को निकलवाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही हो रही है। बड़े-बड़े अधिकारी, जैसे कलेक्टर वगैरह :, उनसे मिले हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो जमीनें बड़े-बड़े लोगों के पास है उनसे छीनकर गरीब लोगों में बांटनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में मैं बार-बार निवेदन करता रहा हूँ मगर इसके सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। (व्यवधान) मद्रास वाले ने गरीब लोगों की जमीन छीनी है। उन्होंने बड़े लोगों, साहुकारों, कालाधंधा करने वाले से जमीनें छीनकर छोटे लोगों को नहीं दी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में जल्दी से कार्यवाही होनी चाहिए।

मैं इंश्योरेंस के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ता है। अभी वहां ओले पड़ गये हैं। भीलवाड़ा, बिकानेर और श्री गंगा नगर आदि कई जिलों में ओले पड़ गये हैं। मगर ऐसी हालत में जबकि इंश्योरेंस भी आपकी तरफ से नही होती है, और दूसरी कार्यवाही भी काश्तकारों की मदद के लिए आप नहीं करते हैं तो उन बिचारे काश्तकारों का क्या होगा जो 6-6 महीने मेहनत करके अपनी खेती करते हैं और फिर ओले पड़ जाने से उनकी सारी फसल चौपट हो जाती है इस सम्बन्ध में भी आपको निश्चित तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए।

मेरा डा०पी०ए०पी० के सम्बन्ध में निवेदन है कि अजमेर और उदयपुर जिलों में यह चालू है लेकिन मेरा जिला रह गया है जहां कि हर दूसरे और तीसरे साल अकाल पड़ता है। भीलवाड़ा

जिले को भी डी० पी० ए० पी० में लाया जाए जिससे कि वहां के छोटे-छोटे काश्तकारों को लाभ मिल सके। अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही होनी चाहिए ताकि वहां छोटे-छोटे काश्तकारों को काफी मदद मिले।

आखिर प्वाएंट मेरा यह है कि जिन किसानों की जमीनें भारत सरकार अपने प्रोजेक्ट या इंडस्ट्रीज के लिए लेती है उसका मुआवजा किसानों को शीघ्र मिलना चाहिए। खेतड़ी प्रोजेक्ट के लिए 1961 में जमीनें ली गयी थीं जिनका मुआवजा आज तक काश्तकारों को नहीं दिया गया है। हजारों, लाखों रूपया आपने मुकद्मे बाजी में बर्बाद कर दिया मगर गरीब किसानों को मुआवजा नहीं दिया। उनके मकान, जमीन वगैरह: सब छीन लिये लेकिन आज तक भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसको शीघ्र लिया जाए। ये जमीनें 1961 में ली गयी थीं जिनका मुआवजा आज तक नही दिया गया। धन्यवाद।

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : मान्यवर, मैं इस विधेयक की मूल भावना का समर्थन कर रहा हूं लेकिन इसका अर्थ लकप्पा जी को, या उनके साथियों को या उनकी पार्टी या सरकार को यह नहीं लगा लेना चाहिए कि हिन्दुस्तान में भूमि-सुधार का कार्य समाप्त हो गया है, जैसा कि भाषणों से लगता है।

किसान आन्दोलन के एक प्रमुख नेता यहां रंगा जी बैठे हुए हैं। वे राजा शहजानन्द सरस्वती के दाहिना हाथ रहे हैं और उन्होंने आन्दोलन को चला कर यह कहा था कि लेण्ड टू दि टिलर, खेती जोतने वाले की है। वह लक्ष्य आज तक पूरा नहीं हो सका। इसलिए उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में आज भी बड़े-बड़े पुराने राजा-महाराजाओं के पास पुराने ताल्लुकेदारों और जागीरदारों के पास, बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पास, आसमान को छूने वाले कुछ बड़े हुक्मरानों के पास और कुछ बड़े राष्ट्रीय नेताओं के पास भी बड़ी-बड़ी जमीनें हैं बड़े-बड़े फार्म हैं जो कि आज तक बट नहीं सके हैं और उनको किसी किसी न प्रकार बचाकर रखा गया है। वे बटने चाहिए और राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा होना चाहिए। रैली की चर्चा यहां पर हुई। 16 फरवरी को जो रैली हुई उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जो 26 मार्च को रैली हुई, उसमें लाखों नहीं बल्कि केवल हजारों रुपया ही खर्च हुआ है। उसमें किसान अपना चना चबैना लेकर गाड़ियों में आए थे और उनकी तरफ से चार्टर-आफ-डिमाण्ड्स सरकार को राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया तथा उसमें तमाम मांगे रखी गई तो आज के जमाने में किसानों के लिए आवश्यक हैं।

सभापति महोदय, किसान 35 साल बाद उठा है। सामन्तवाद का प्रत्यक्ष समाप्ति के बाद वह सो गया था। इन 35 वर्षों में मंडियों और बाजारों में उसकी पूंजीवादी लूट हुई, उसको उसकी पैदावार का लाभकारी मूल्य नहीं मिला। उसकी वजह से उस की हालत नहीं

[श्री झारखण्डे राय]

सुधरी और उसके अलावा जो सूखा पड़ा और बाढ़े आई, जिससे वह कर्ज से लद गया। चाहे छोटा किसान हो, मझला किसान हो या बड़ा किसान हो या धनी किसान हो, सब कर्ज से दबे हुए हैं और अपनी खेती की आमदनी से वे उस कर्ज की अदायगी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज किसान आन्दोलन का राष्ट्रीय युद्धघोष हुआ है, जिसमें मांग की गई है कि उन्हें उनकी पैदावार का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए और कृषि कार्य के जो ऋण है, उन्हें राइट-आफ् किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में किसान लड़े तो 77 करोड़ रुपया राइट आफ हुआ, कर्नाटक में लड़े तो 44 करोड़ रुपया राइट-आफ् हुआ, लेकिन और प्रदेशों में काफी कर्जा है। हमारे उत्तर प्रदेश में 170 करोड़ रु० कर्जा है—क्या यह राइट आफ नहीं हो सकता ? क्योंकि इस कर्ज का अदा किया जाना संभव नहीं है, जब तक कुड़की न हो, नीलामी न हो, बरबादी न हो। जब सरकार 200 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के 24 बड़े पूंजीपति और पुराने सामन्ती घरानों का राइट-आफ् कर सकती है तब कुछ करोड़ रुपया जो हमारे किसानों पर बाकी है, क्या वह राइट-आफ् नहीं किया जा सकता ?

मान्यवर, मैं भाषण की प्रवृत्ति को सही नहीं समझता। कांग्रेस (आई) वाले अपने भाषणों में कहते है कि सारा दोष नौकरशाहों का है। मेरा कहना यह है कि अगर रिवोल्यूशनरी पोलिटकल-विल पावर किसी सरकार में है, तो उसके आदेशों का पूरा उल्लंघन नौकरशाह या कर्मचारी नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातें भ्रामक हैं, आत्मप्रवंचक-सैल्फ डिसैपटिव हैं। इन बातों को कह कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय, आत्मनिर्भरता की बात कही गई है। आत्म-निर्भरता के मायने क्या हैं—हर व्यक्ति को दोनों वक्त का भोजन मिले, चाहे वह मोटे अनाज के रूप में मिले, लेकिन पूरे देश में मिले। एक वक्त आधा पेट या चौथाई पेट, इसको अगर हम आत्मनिर्भरता कहेंगे तो ठीक नहीं है। यह दृष्टिकोण सही नहीं है।

मान्यवर, आज पूरे देश में एक राष्ट्रीय विवाद छिड़ गया है कि किसान को लाभकारी मूल्य दिया जाए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के आनदोलनों के बाद रिजर्व-बैंक-आफ् इंडिया के गवर्नर, श्री पटेल, को भी इसमें हिस्सा लेना पड़ा और फिनान्शियल-टाइम्स, इकोनामिक-टाइम्स तथा कुछ विदेशी विद्वानों ने भी इस विवाद में हिस्सा लिया। यह बात सही है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिए। श्री पटेल ने तो यहां तक कहा है कि छोटी और मझली होल्डिंग से तो लाभकारी मूल्य नहीं मिल सकता है, इसलिए अब हमें खेती में कलैक्टिव-फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे कैपिटस्टिलिक-फार्मिंग हो या सोशियलिस्टिक फार्मिंग हो। मेरा कहना यह है कि लैंड-रिफार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए और इसे परिपूर्ण करना चाहिए। सही मायने में लैंड-रिफार्मिंग के परिपूर्ण होने के बाद जो छोटे किसान बचें उनको पूरी सहायता दी जानी चाहिए। उनको वह हर तरह की सहायता दी जानी चाहिए, जो इस बिल में दर्शायी गई है और यही इस बिल की मंशा है। तभी हम राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, राष्ट्रीय आन्दोलन के ध्येय को पूरा कर सकते हैं। हिन्दुस्तान को खुशहाल और आत्म-निर्भर बना सकते हैं तथा विदेशों को अन्न का निर्यात भी कर सकते हैं।

अन्त में मेरा निवेदन है कि किसानों को उनकी पैदावार का लाभकारी मूल्य मिले ताकि वह देश को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें।

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : (अहमदाबाद) : इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मुझे अपने मित्र श्री लकप्पा को बधाई देना चाहिए। इसने सभा को यह अवसर प्रदान किया है कि छोटे किसानों की कठिनाइयों को पहचाने, जो समाज की रीढ़ की हड्डी हैं और इस देश में जिनकी अधिकांश जनसंख्या है।

इस समस्या को सुलझाने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, यह ऋण सुविधाओं से संबंधित हैं। वह एक तर्कसंगत दावा हैं—छोटे किसानों को 4 प्रतिशत की दर—जो इस विधेयक के प्रस्तावक ने किया है।

प्रश्न 4 प्रतिशत का नहीं है, प्रश्न पांच एकड़ सिंचाई की भूमि का नहीं है अथवा दस एकड़ बिरानी भूमि का नहीं है। अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि देश में एक ही जैसी भूमि नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भूमि है। वर्षा की मात्रा भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न है। इसलिए भूमि को मात्रा संबंधी एक निश्चित पैटर्न पर्याप्त नहीं होगा। अनेक वक्ताओं ने किसानों की संख्या की प्रतिशता बताई है और यह बताया है कि उनकी संख्या किस प्रकार बढ़ रही है। भूमि का छोटे-छोटे जोत क्षेत्रों में बंटते जाना आज का एक नियम-सा हो गया है जब तक हम व्यक्तिक कानूनों को स्वीकार कर रहे हैं, भूमि का विभाजन होता रहेगा। जब तक हम इस धारणा को स्वीकार नहीं करते कि देश में सीमित भूमि है और इस देश की अधिकांश जनसंख्या का भरण-पोषण का साधन एक मात्र भूमि है, तब तक छोटी जोत-भूमियों, छोटे किसानों की समस्या इस देश की एक प्रमुख समस्या रहेगी। आप इस समस्या के क्या दृष्टिकोण अपना रहे हैं ? आप इसे कैसे सुलझाने जा रहे हैं यही मुख्य प्रश्न देश के प्रति सामने है ?

मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि जब भी इस समस्या को सुलझाने का प्रश्न इस सभा में अथवा किसी भी मंच पर, किसी भी दल के सम्मुख, किसी भी स्थान पर उठता है तो हम हमेशा दो विरोधी मत अपनाते हैं। एक सांस में हम कहते हैं कि किसान को उसके उत्पाद का तर्कसंगत मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम उस मंच को छोड़ते हैं, तो वही शिकायत की जाती है और हम यह कहते हैं कि हम किसानों को अमुक मूल्य नहीं दे रहे हैं। कीमतों के बढ़ने के बारे में निरर्थक हायतोबा मचाई जाती हैं। अत: मेरा विनम्र निवेदन है कि विरोधी अथवा अविरोधी दलों को चाहिए कि वे इस सम्पूर्ण समस्या का अत्यधिक व्यावहारिक तर्कसंगत तथा वस्तुगत दृष्टिकोण अपनाएं। दुर्भाग्य से सारे मसले को ही टाल दिया जाता है। एक ओर से इसका उपयोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाता है तो दूसरी ओर इसका उपयोग एक पार्टी अथवा वर्ग के हितो को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीत दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। हमें छोटे जोत-क्षेत्रों के किसानों के हितों को समझना चाहिए जो कि इस देश की प्रमुख समस्या है। जब तक हम एक व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाते तब तक यह प्रश्न हल नहीं हो सकता।

[श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल]

व्यापक दृष्टिकोण से अभिप्राय एक समन्वित दृष्टिकोण से है जिसको मैं एक उदाहरण देकर स्पष्ट करूंगा। छोटे किसान को कुंआ खोदने के लिए राष्ट्रीकृत बैंक से ऋण मंजूर किया जाता है। उस पर उस ऋण का भार लाद दिया जाता है। जैसे ही कुंआ तैयार हो जाता है, वह उससे पानी कैसे निकलेगा? उसे पम्प, इंजन बैल आदि कई कुछ खरीदना है और उसके लिए ऋण कहां है ? यदि वह फिर बैंक में जाता है तो उसे उत्तर मिलता है, "नहीं नहीं आपकी भूमि पर्याप्त नहीं है, हम आपको सउ ऋण नहीं दे सकते। इस कुएं का क्या उपयोग है ? फिर यदि वह आधुनिक किस्म का अच्छा बीज खरीदना चाहता है तो उसे फिर वही उत्तर मिलता है।

अतः इस समस्या के लिए हर तरफ से एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण जिसमें उसके उत्पाद का तर्कसंगत मूल्य भी शामिल होना चाहिए।

इसके विपरीत, इस प्रश्न की उपेक्षा क्यों की जा रही है। इसका कारण यह है कि हम मुख्यतः विशिष्ट वर्ग के हितो को ही देखते हैं। हम केवल उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो शहरों में रहते हैं। क्या ऐसे उदाहरण नहीं है कि जब बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है तो किसानों को वहां से उजाड़ा जाता है। उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। क्या हमने उन्हें फिर से बसाया है ? क्या हमने उन्हें संस्थापित किया है ? क्या हमने उनके अनुसरण की चिन्ता की की है ? उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है ? उनके लिए चिकित्सीय सुविधाओं की स्थिति क्या है ? इस तरह से सम्पूर्ण समस्या की उपेक्षा की गई है। इसके बारे में हम केवल अपनी सुविधानुसार सोचते हैं। हम उसे जहां तहां छोटी-मोटी रियायतें देकर समझा-बुझा देते है।

इस समस्या को इस तरह से नहीं सुलझाया जा सकता। अधिक वास्तविक, आधारभूत व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अति आवश्यक है। यह देश की एक मुख्य समस्या है। जब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, मैं नहीं कह सकता कि तब तक भारत खुशहाल हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने विधेयक पर बोलने का यह अवसर मुझे दिया।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय लकप्पा जी को बधाई देता हूँ कि छोटे किसानों की ओर उन्होंने सदन का ध्यान खींचा है, और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मेरा कहना यह है कि जहां छोटे किसान की परिभाषा है उसमें कुछ और भी शामिल किए जाएं, खासकर जो किसान परिवार के बीच में आते हैं। देहाती, दस्तकार, बागवान, दूध उत्पादक, मछली उत्पादक इस प्रकार के लोग जो किसान परिवार से सीधा वास्ता रखते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाय।

मुझे केवल यही कहना है कि जो कर्ज देने का तरीका है उसको सादा बनाया जाए। और आज एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई है किसान के सामने, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और

नजदीकी राज्यों में कि आलू जो डेढ़ दो महीने पहले डेढ़ रु० किलो बिक रहा था वह अब 25-30 रु० क्विंटल हो गया है जिससे किसानों को काफी घाटा हो रहा है। उसको कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं मिल रही है। इसके अलावा और भी कहीं रखने की जगह नहीं मिल रही है, बाजार में स्थान नहीं मिल रहा है, मूल्य नहीं मिल रहा है यह बड़ा गम्भीर मामला है। उसके स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिये और आलू को ऐक्सपोर्ट करने की बात सोची जाय। जो फसल है उसका बीमा और साथ ही किसान का बीमा, दोनों आवश्यक है। उसके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। और जब तक बीमा की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक किसान का जीवन अनिश्चित रहेगा। उसको डीजल, खाद और सिंचाई के लिए लाइन लगानी पड़ती है। बीज, खाद और डीजल किसान को गांव के नजदीक मुहैया करना चाहिए। आज उसको डीजल लेने के लिए 25, 30 किलोमीटर तक जाना पड़ता है जिससे उसे परेशानी होती है। छोटे किसानों के पास पूरे समय काम नहीं मिलता, काफी समय उनका बेकार जाता है। उनके लिए काटेज इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान दिया जाय ताकि जो बाकी समय बचता है उसमें कुछ काम करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके।

जहां तक कर्जे की बात है बैंकों से उन्हें सुविधा तो मिले, लेकिन इस समय जो बंधा हुआ चला आ रहा है जैसा कि माननीय डागा जी ने कहा था कि किसान कर्ज में पैदा होता है वह उसका कुल कर्जा इस समय माफ होना चाहिए। जो सरकारी और सहकारी कर्जे हैं, कम-से-कम उनका सूद तो माफ कर देना चाहिये। इन्ट्रेस्ट माफ हो तो उससे किसान को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी।

अन्त में मैं भूमि-सुधार कानून के प्रति विशेष रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिन स्टेट्स में, हरियाणा ही है, उसमें 20, 30, 40 साल से मजारे चले जा रहे हैं, टेनेन्ट्स चले आ रहे हैं, उनको राइट नहीं है, वह बेदखल हो जाते है, उनको बेदखली से बचाया जाए और कानून में ऐसा सुधार किया जाये जिससे वह मुकदमेबाजी से बच सकें।

बड़े-बड़े फार्मों के लिए एक पार्लियामेंटरी कमेटी बननी चाहिए। लोगों ने कुत्ते और बिल्ली के नाम से बड़े-बड़े हजारों बीघे के फार्म बना रखे हैं, एक पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई जाए जो इस मामले में छानबीन कर सके। सारे बड़े-बड़े फार्म जब्त किए जाने चाहिएं। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे अपने मित्र माननीय श्री लकप्पा का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्या की ओर इस सभा का ध्यान केन्द्रित किया है। यह समस्या जो कि कृषि अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं और जिसे इस विधेयक में रखा गया है, छोटे किसानों को जीवित रखने की समस्या है। जब में जीवित रखने की बात करता हूँ तो यह मात्र शब्द नहीं है। यदि आप विगत के आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि छोटे जोत-क्षेत्रों— 2 हैक्टेयर अथवा उससे भी कम जोत-क्षेत्रों की संख्या वर्षों से घटती जा रही है। हम इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसका कारण यह है कि छोटे किसान कृषि व्यवसाय को छोड़ रहे हैं और भूमि बड़ी जोतों के अधीन जा रही है।

एक माननीय सदस्य : बड़े किसानों के पास ?

श्री ए० टी० पाटिल : बड़े किसानों के पास नहीं । बड़े किसानों की संख्या भी कम होती जा रही है । मेरा निवेदन यह है कि इन छोटे किसानों, छोटा-जोतों की संख्या घट रही है और इसलिए प्रश्न वास्तव में इन छोटे किसानों के जीवित रहने का है ।

अब श्री लकप्पा ने इस विधेयक द्वारा तीन उपायों का प्रस्ताव किया है । एक उपाय यह है कि छोटे किसानों को आसान ऋण सुलभ कराए जाएं । दूसरा यह है कि किसानों को कृषि निवेश के लिए वित्तीय सहायता (सब्सीडी) दी जाए । तीसरा यह है कि उन्हें अपने उत्पाद के विपणन के लिए सहायता प्रदान की जाए । ये तीन उपाय उन्होंने इन विधेयक मे सुझाए हैं ।

मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि ये उपाय परम उद्देश्य की पूर्ति न कर सकें, मुख्य समस्या का समाधान न कर सकें, तथापि समस्याओं को कम करने तथा कुछ सीमा तक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में ये काफी सहायक होंगे । मेरे विचारानुसार इस सम्पूर्ण समस्या का समाधान इसमें है कि कृषि व्यवसाय में किसान के काम के मूल्य का, कृषि सम्बन्ध और घरेलू जरूरतों के सामान की लागत के साथ, तर्कसंगत सम्बन्ध होना चाहिए । इसी में इस समस्या का समाधान है । क्या हम इस मुद्दे को ले सकते हैं, इस समस्या का यह समाधान कर सकते हैं ? और जब तक हम ऐसा नहीं करते, तब तक भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की इस समस्या को सुलझाना बहुत कठिन है ।

हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि सेक्टर तथा कृषि का जो दर्जा और स्थिति है उस पर मैं बल देने की जरूरत नहीं समझता । मैंने पहले ही कहा है और सभा ने अनेक बार इसे सुना है कि समग्र राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग आधा भाग कृषि से प्राप्त होता है ।

विगत हाल में, प्रतिशतता कुछ नीचे आ गई है लेकिन मैंने एक बार इस सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया था कि यह प्रतिशतता कृषि उत्पादन के मूल्य में कमी के कारण नहीं घटी है बल्कि मूल्य-तन्त्र के कारण घटी है क्योंकि इस तन्त्र के अन्तर्गत गैर-कृषि उत्पादों की कीमत बढ गई है अथवा बढ़ा दी गई है और इस प्रकार इन दो प्रकार के उत्पादों की कीमत में तुलना करने से कृषि उत्पादों की कीमत नीचे आ गई लगती है ।

अध्यक्ष महोदय : पाटिल महोदय, मुझे आशा है आप अगली बार अपना वक्तव्य जारी रखेंगे ।

6.00 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 6 अप्रैल, 1981/ 16 चैत्र, 1903 (शक) के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2